चदश माला, खंड 22, अंक 22

मंगलवार, 27 दिसम्बर, 2011

6 पौष, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 85
Dated 20 May 2014

(खण्ड 22 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 22, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)
अंक 22, मंगलवार, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 (शक)

विषय **कॉलम**

निधन संबंधी उल्लेख 1-2

सभा पटल पर रखे गए पत्र 2-11

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक 11-12

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

18वां प्रतिवेदन 13

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में जल संसाधनों संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री पवन कुमार बंसल 13-14

(दो) (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मुकुल वासनिक 14

(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मुकुल वासनिक 14

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(एक) पंडित मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि 15

(दो) राष्ट्रगान के प्रथम अध्यर्पण का सौ वर्ष पूरा होना 186-187

विषय **कॉलम**

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011 15-16

(दो) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2011 [संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के भाग छह का संशोधन] 16

(तीन) सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान विधेयक, 2011 16-17

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश के लोगों को सस्ती कीमत पर बेहतर और कारगर दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री जयवंत गंगाराम आवले 18

(दो) महान समाज सुधारक महात्मा अय्यनकली के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 18-19

(तीन) ओडिशा राज्य को सूखा प्रभावित राज्य घोषित करने और राज्य के लिए वित्तीय राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री अमरनाथ प्रधान 19

(चार) यमुना नदी को प्रदूषण रहित बनाने हेतु कदम उठाए जाने और दिल्ली में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनो जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 20

(पांच) राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री भरत राम मेघवाल 20-21

(छह) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में चिकित्सक उपलब्ध कराए जाने और देश में विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त अवसंरचना और चिकित्सा सुविधाओं सहित और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर 22

(सात) आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल किए जाने तथा जिले में पेयजल योजनाओं और भूमिगत जल निकासी प्रणालियों के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राजय्या सिरिसिल्ला 23

विषय **कॉलम**

(आठ) तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले के उवरी में मत्स्य बंदरगाह बनाए जाने और समुद्री भोजन के परिरक्षण हेतु पर्याप्त शीत भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू 24-25

(नौ) ताजमहल के वुडेन फाउंडेशन को नियमित रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा शहर के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी पर बराज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रामशंकर 25

(दस) असम में ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर परियोजना के हिस्से के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ 25-26

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधाएं बढ़ाए जाने और देश के अन्य भागों से सतना शहर तक बेहतर रेल संपर्क दिए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह 26-27

(बारह) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में कपास किसानों के कल्याण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री दानवे रावसाहेब पाटील 28

(तेरह) उत्तर प्रदेश के राबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापन के खतरे का सामना कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

श्री पकौड़ी लाल 28-29

(चौदह) उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर जिले में किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर 29

(पन्द्रह) देश में उन बोलियों और भाषाओं, जो विलुप्त होने के कगार पर है, को बढ़ावा देने और संरक्षित किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार 29-30

विषय	कॉलम

(सोलह) तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले को कृषि निर्यात जोन बनाए जाने और वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा शीत भांडागार स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ई.जी. सुगावनम 30

(सत्रह) पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में नदियों द्वारा मृदा अपरदन रोके जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र कुमार राय 30-31

(अठारह) ओडिशा में बारिपदा रेलवे स्टेशन को पूर्णरूपेण रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण टुडु 31-32

(उन्नीस) आन्ध्र प्रदेश में विशेष रूप से नरसारावपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 32

(बीस) हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर गांव में प्रस्तावित परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री कुलदीप बिश्नोई 33

वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011 33

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन 33-34

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर 35-37

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 38

श्री शैलेन्द्र कुमार 39

श्री विलासराव देशमुख 39

खंड 9 40

पारित करने के लिए प्रस्ताव 40-41

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 41-299

संविधान (एक सौ सोलहवां संशोधन) विधेयक, 2011
(नए भाग XIVख का अंत:स्थापन)

और

विषय **कॉलम**

लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री वी. नारायणसामी 41-52

श्रीमती सुषमा स्वराज 52-78

श्री कपिल सिब्बल 78-104

श्री मुलायम सिंह यादव 105-110

श्री दारा सिंह चौहान 110-117

श्री शरद यादव 117-129

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन 129-131

श्री बसुदेव आचार्य 131-139

श्री भर्तृहरि महताब 139-144

श्री अनंत गंगाराम गीते 144-150

श्रीमती सुप्रिया सुले 150-154

डॉ. मनमोहन सिंह 154-160

डॉ. एम. तम्बिदुरई 160-164

श्री कल्याण बनर्जी 164-172

श्री नामा नागेश्वर राव 172-174

श्री जयंत चौधरी 174-178

श्री गुरुदास दासगुप्त 178-186

श्री लालू प्रसाद 187-193

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 193-199

श्री एच.डी. देवेगौड़ा 199-203

श्री यशवंत सिन्हा 203-213

डॉ. शशी थरूर 213-227

श्री एस.डी. शारिक 227-236

श्री इन्दर सिंह नामधारी 237-240

विषय	कॉलम
श्री अंसादूद्दीन ओवेसी	240-253
श्री नरहरि महतो	253-255
श्री अजय कुमार	255-257
श्री कामेश्वर बैठा	257-259
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	259-262
डॉ. तरुण मंडल	262-263
श्री ओम प्रकाश यादव	263-264
श्रीमती पुतुल कुमारी	264-266
श्री जोसेफ टोप्पो	266-267
श्री थोल तिरूमावलावन	267-269
श्री राजू शेट्टी	269-270
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	270-272
श्री कीर्ति आजाद	272-279
श्री जे.एम. आरून रशीद	279-281
श्री शैलेन्द्र कुमार	281-282
श्री प्रणब मुखर्जी	282-299
लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011	299
खंड 2 से 97 और 1	299
पारित करने के लिए प्रस्ताव	299-364
संविधान (एक सौ सोलहवां संशोधन) विधेयक, 2011 (नए भाग XIVख का अंत: स्थापन)	364-490
खंड 2, 3 और 1	491-490
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ	490
लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010	490-506
खंड 2 से 30 और 1	493
पारित करने के लिए प्रस्ताव	493-506

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 27 दिसम्बर, 2011/6 पौष, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यो, मुझे हमारे पूर्व सहयोगी श्री एस. बंगारप्पा के दुखद निधन की सूचना सभा को देनी है।

श्री एस. बंगारप्पा कर्नाटक के शिमोगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ष 1996 से 1997 तक ग्यारहवीं लोक सभा तथा वर्ष 1999 से 2009 तक तेरहवीं एवं चौदहवीं लोकसभा के सदस्य रहे।

श्री बंगारप्पा वर्ष 1967 से 1996 तक कर्नाटक विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1990 से 1992 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। वे कर्नाटक सरकार में गृह राज्य मंत्री, केन्द्रीय लोक निर्माण मंत्री, राजस्व, कृषि और बागवानी मंत्री रहे। श्री बंगारप्पा कर्नाटक विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे।

श्री बंगारप्पा ने एक योग्य संसदविद् के रूप में तेरहवीं लोक सभा के दौरान रक्षा संबंधी समिति, याचिका समिति और प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह चौदहवीं लोक सभा के दौरान रक्षा संबंधी समिति और रेल अभिसमय समिति के भी सदस्य रहे।

श्री बंगारप्पा खेल प्रेमी और प्रतिबद्ध सामाजिक और राजनीतिकर्मी थे जिन्होंने समाज के गरीब, पददलितों एवं वंचित वर्गों के लिए कार्य किया। उन्होंने कृषक समुदाय के अधिकारों के लिए सतत संघर्ष किया एवं अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई समाज कल्याण परियोजनाएं शुरू कीं।

उनके निधन से देश ने ऐसा ओजस्वी एवं दूरदर्शी नेता खो दिया जिनकी कमी जीवन के कई क्षेत्रों में महसूस की जाती रहेगी।

श्री एस. बंगारप्पा का निधन 78 वर्ष की आयु में 26 दिसम्बर, 2011 को बंगलुरू में हुआ।

हम अपने मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं एवं मुझे विश्वास है कि सभा उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी शोक संवेदना भेजने में मेरे साथ है।

माननीय सदस्यो, 25 दिसम्बर, 2011 को तमिलनाडु के पुलिकट झील में हुई नाव दुर्घटना में 22 व्यक्तियों के डूबने एवं कई व्यक्तियों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई है।

सभा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के शिकार व्यक्तियों के परिवारों की दुख की इस घड़ी में उनके साथ है। अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): मैं श्री कपिल सिब्बल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6056/15/11)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): मैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6057/15/11)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा** के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6058/15/11)

(2) सेंट्रल सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा** के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6058-ए/15/11)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु थिरूवरूर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु थिरूवरूर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6059/15/11)

(2) (एक) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गईं। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6060/15/11)

(3) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6061/15/11)

(4) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6062/15/11)

(5) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची के वर्ष 2008-09 और 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6063/15/11)

**22-12-2011 को वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए।

(7) इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 और 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6064/15/11)

(8) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6065/15/11)

(10) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6066/15/11)

(11) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6067/15/11)

(12) (एक) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गईं। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6068/15/11)

(13) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6069/15/11)

(14) (एक) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2090-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6070/15/11)

(16) (एक) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गईं। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6071/15/11)

(17) (एक) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गईं। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6072/15/11)

(18) (एक) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6073/15/11)

(19) (एक) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आईजोल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आईजोल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गईं। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6074/15/11)

(20) (एक) डॉ. हरिसिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, सागर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डॉ. हरिसिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, सागर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गईं। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6075/15/11)

(21) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6076/15/11)

(22) मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6077/15/11)

(24) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिण्डा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिण्डा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गईं। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6078/15/11)

(25) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6079/15/11)

(26) (एक) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6080/15/11)

(27) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6081/15/11)

(28) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6082/15/11)

(29) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गईं। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6083/15/11)

(30) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6084/15/11)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत आयातित दालों की बिक्री और वितरण की कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) (2011-2012 का संख्यांक 26) की- एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6085/15/11)

(2) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2681 (अ) जो 28 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 दिसम्बर, 2011 को अथवा उसके पश्चात् निधि में किए गए अभिदायों को और अभिदाता के

[श्री एस.एस. पलानीमनिकम]

पास जमा अधिशेषों पर प्रतिवर्ष 8.6 प्रतिशत की दर से ब्याज को अधिसूचित किया गया है, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6086/15/11)

(3) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6087/15/11)

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(2) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6088/15/11)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 22 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 2011 को पारित किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2011 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 दिसम्बर, 2011 की बैठक में पारित किया गया था और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 22 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2011 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 22 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अध्यक्ष महोदया, मैं रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2011, जिसे राज्य सभा द्वारा 22 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया। सभा पटल पर रखता हूं।

---

*सभा पटल पर रखे गये।

पूर्वाह्न 11.05½ बजे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

18वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): महोदया, मैं "दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण और नियोजन" के बारे में 28वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही के संबंध में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में जल संसाधनों संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, मैं जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं और निवेदन करता हूं कि प्रतिवेदन को पारित माना जाए।

पूर्वाह्न 11.06½ बजे

(दो) (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.06¾ बजे

(दो) (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। कृपया वक्तव्य को पठित माना जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 6089/15/11.

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, ***देखिए*** संख्या एल.टी. 6090/15/11.

सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, ***देखिए* संख्या एल.टी. 6091/15/11.

पूर्वाह्न 11.07 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(एक) पंडित मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यो, 25 दिसम्बर, 2011 को महामना के नाम से विख्यात पंडित मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयंती मनायी गयी। एक प्रख्यात शिक्षाविद् और समाज सुधारक मालवीय जी ने देश के उत्थान के लिए निरन्तर कार्य किया।

पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में वाराणसी में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वह भारत में स्काउट्स की स्थापना करने वालों में से एक थे।

एक स्वतंत्रता सेनानी पंडित मालवीय ने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में एक प्रमुख भूमिका निभायी और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

यह सभा इस महान विद्वान और उत्कृष्ट शिक्षाविद् को उनकी 150वीं जयंती पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं:

पूर्वाह्न 11.08¼ बजे

(दो) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2011*
[संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के भाग छह का संशोधन]

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपान्तरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपान्तरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं:

(तीन) सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों को लोक सेवाओं का, ऐसी सेवाओं के परिदान में पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही,

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 27-12-2011 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 27-12-2011 में प्रकाशित।

पहुंच और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु इलैक्ट्रॉनिक परिदान करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों को लोक सेवाओं का, ऐसी सेवाओं के परिदान में पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, पहुंच और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु इलैक्ट्रॉनिक परिदान करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कपिल सिब्बल: मैं विधेयक पुरःस्थापित * करता हूं:

पूर्वाह्न 11.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा-पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा-पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के अन्दर सभा-पटल पर व्यक्तिगत रूप से अपनी पर्ची दे सकते हैं।

केवल वही मामले सभा-पटल पर रखे गए माने जाएंगे जिनके लिए निर्धारित समय के अन्दर पर्ची प्राप्त हुई हो और शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) देश के लोगों को सस्ती कीमत पर बेहतर और कारगर दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): सरकार ने देश में एंटी बायोटिक्स के इस्तेमाल को सुनियोजित करने और उस पर निगाह रखने के लिए राष्ट्रीय नीति जारी करके एक महत्वपूर्ण पहल को अंजाम तो दिया है लेकिन एंटी बायोटिक्स का इस्तेमाल भारत में इतनी बुरी तरह से किया जा रहा है कि इन दवाओं का प्रभाव ही खत्म होने लगा है। एक चिंता यह भी है कि भारत में ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं, जिन पर कोई एंटी बायोटिक्स दवा काम ही नहीं करती। इसका हल स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द खोजना आवश्यक है, क्योंकि इसकी चिंता जो सर पर मंडरा रही है वह यह कि हमारे देश में एंटी बायोटिक दवाओं का कारोबार बेहद अव्यवस्थित है। इसके लिए हमें शीघ्र ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में सुधार करना होगा।

औषधि का क्षेत्र जितना व्यापक है वहां समस्याएं भी उतनी ही विकराल हैं। नीति यह है कि सस्ती जैनरिक दवाओं को बढ़वा देना है, लेकिन इसके बावजूद मरीजों को डॉक्टरों की लिखी महंगी दवाइएं खरीदनी पड़ती हैं। अक्सर नकली दवाओं का गौरख धंधा भी पकड़ा जाता है। इस मामले में सरकार को सजग होना चाहिए और पूरे औषधि तंत्र को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाना चाहिए तथा जब औषधि क्षेत्र के हालात इतने खराब हों तो केवल एक नीति जारी करने से कुछ नहीं होने वाला। आमूल-चूल बदलाव की जरूरत है। कृपया जनहित में इस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाए ऐसी मेरी मांग है।

(दो) महान समाज सुधारक महात्मा अय्यनकली के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा): महात्मा अय्यनकली उन दलितों के महान नेता थे, जिन्हें भारत के दक्षिणी भाग में जाति-प्रथा से ग्रस्त भारतीय समाज में अस्पृश्य माना जाता था। उन्होंने अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और दलितों का जीवन सुधारने के लिए अनेक सुधार कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। वे जातिप्रथा के विरुद्ध आंदोलन के नायक थे। जब उन्होंने दलित बच्चों के लिए शिक्षा-सुविधा की मांग की, तो उसे ठुकरा दिया

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

**सभा पटल पर रखे माने गये।

[श्री कोडिकुन्नील सुरेश]

गया था। उन्होंने दलित बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक विद्यालय शुरू किया। इस विद्यालय को भी ऊंची जाति के लोगों ने जला दिया। 1907 में उन्होंने वेंगनूर में एक हड़ताल का नेतृत्व किया जो एक वर्ष तक चली। उनकी नेतृत्व क्षमता को सम्मान देते हुए त्रावणकोर के तत्कालीन महाराज ने वर्ष 1910 में उन्हें श्रीमूलम विधानसभा (प्रजासभा) में नामांकित किया। दलितों और पद्दलितों के उद्धार के लिए उनके प्रयासों की श्री नारायण गुरू जैसे अन्य महान समाज सुधारकों और विचारकों ने प्रशंसा की। वर्ष 1937 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वेंगनूर का दौरा किया, तो उन्होंने महात्मा अय्यनकली के प्रयासों की प्रशंसा की। नवम्बर, 1980 के हमारी दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने त्रिवेन्द्रम में कौड़ियार चौक में इस महान समाज-सुधारक और विचारक की प्रतिभा का अनावरण किया।

वह दलित समाज, जिसके लिए महात्मा अय्यनकली जीवनपर्यंत लड़ते रहे, श्रीमूलम विधानसभा का प्रजासभा में उनके नामांकन का शताब्दी-वर्ष मनाना चाहता है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस महान समाज-सुधारक की स्मृति में एक स्मारक सिक्का जारी करने का अनुरोध करता हूं ताकि दलितों और पद्दलितों के उत्थान के लिए महात्मा अय्यनकली द्वारा किए गए योगदान से संपूर्ण राष्ट्र अवगत हो सके।

(तीन) ओडिशा राज्य को सूखा प्रभावित राज्य घोषित करने और राज्य के लिए वित्तीय राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री अमरनाथ प्रधान (सम्बलपुर): ओडिशा राज्य में मानसून के दौरान अल्पवर्षा होने के कारण खरीफ फसल, मुख्यतः धान, की खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सम्पूर्ण पश्चिमी ओडिशा क्षेत्र में सूखे की स्थिति इतनी गंभीर है कि धान का उत्पादन अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। किसान धान को औने-पौने दाम पर बेचने की समस्या से जूझ रहे हैं तथा बिचौलियों द्वारा उनका शोषण हो रहा है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से सम्पूर्ण ओडिशा को सूखा-प्रभावित राज्य घोषित करने तथा राज्य में किसानों को वित्तीय राहत पैकेज देने का अनुरोध करता हूं।

(चार) यमुना नदी को प्रदूषण रहित बनाने हेतु कदम उठाए जाने और दिल्ली में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण की स्थिति अत्यंत बदतर है जिसकी वजह से अनेकों बार वजीराबाद और चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करना पड़ता है और परिणामस्वरूप दिल्ली को पानी का संकट झेलना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि दिल्ली के पड़ोसी राज्य के पानीपत में स्थित फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट यमुना में मिलता है। यह वेस्ट ड्रेन-2 में आता है तथा यह ड्रेन सीधे यमुना में गिरता है। ड्रेन-6 घरेलू कचरा लेकर आता है और यह नजफगढ़ ड्रेन में जाकर मिलता है। इस प्रकार केमिकल कचरे यमुना में अमोनिया और क्लोराइड की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पानी के ट्रीटमेंट में अधिक समय लगता है। यदि तय सीमा से अधिक अमोनिया की मात्रा बढ़ जाए तो उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए इतने अधिक क्लोरीन की आवश्यकता होती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक खतरनाक है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राजधानी दिल्ली से गुजरने वाली यमुना को प्रदूषण रहित बनाए जाने और दिल्ली निवासियों की पानी की समस्या के निदान हेतु एक कारगर योजना बनाकर उसे शीघ्र क्रियान्वित किए जाने हेतु आवश्यक पहल करें।

(पांच) राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर): राजस्थानी भाषा देश में सातवें और विश्व की भाषाओं में सोलहवें स्थान पर है। राजस्थानी में तीन लाख से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ, शब्द कोष, कहावत कोष, व्याकरण आदि इस भाषा की लोकप्रियता और शक्ति के प्रमाण हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी जिस आदिकाल पर गर्व करती है, अधिकांशतः वह राजस्थानी का ही साहित्य है। यह वह भाषा है जिसमें मीर, दादु, रैदाश, सूर्यमल भूषण जैसे कवि हुए हैं। विद्वान यह स्पष्ट कर चुके हैं कि राजस्थान का भाषाई चरित्र खड़ी बोली

हिंदी से बहुत अलग है। अनेक देशी और विदेशी विद्वान भी यह स्वीकार करते हैं कि भाषा के उद्‌गम, विकास, प्रकृति और व्याकरण की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का हिंदी की भाषा-बोलियों के साथ साम्य नहीं है। मराठी, हिन्दी, मैथिली आदि अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि भी तो देवनागरी ही है। जब राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत की देवनागरी लिपि को अपना सकती है तो राजस्थानी या अन्य भारतीय भाषा क्यों नहीं अपना सकती? सो राजस्थानी के सामने लिपि की समस्या नहीं है। वास्तव में यह तो उसकी खूबी है।

राजस्थानी भाषा का इतिहास 13 सौ वर्ष पुराना है और 1974 से साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त है। राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए राजस्थान विधानसभा ने सर्वसम्मति से संकल्प प्रस्ताव पारित किया है फिर भी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता से वंचित रखा गया है।

राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता न मिलना न केवल हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। बल्कि यह पेट से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। लगभग सभी प्रान्तों में उसी प्रांत के अभ्यार्थियों को नौकरियां प्राप्त हो पाती हैं जिन्होंने दसवीं की परीक्षा उस राज्य की राजभाषा से उत्तीर्ण की होती है। यह भाषाई अनिवार्यता इसलिए है कि उस प्रांत के लोग उस प्रांत की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भाषाई सभी प्रकार की परिस्थितियों से परिचित होते हैं। ऐसे लोक सेवकों की सेवाएं राज्य को हर दृष्टिकोण से प्रगति के पथ पर ले जाती है।

राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने से राष्ट्रभाषा हिंदी सुदृढ़ होगी। राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। संवादहीनता की स्थिति समाप्त होगी। राजस्थानी भाषा से साहित्य एवं संस्कृति का विकास होगा और हमारा वजूद कायम रहेगा। राजस्थानी भाषा के संवर्द्धन में ही राजस्थान का सर्वांगीण विकास छुपा है।

अतः मैं सरकार से राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु आग्रह करता हूं।

(छह) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में चिकित्सक उपलब्ध कराए जाने और देश में विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त अवसंरचना और चिकित्सा सुविधाओं सहित और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर): मैं सम्पूर्ण देश में, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र करीमनगर, आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) को सुचारू रूप से चलाने के लिहाज से चिकित्सक - रोगी अनुपात उचित करने के उद्देश्य से, संपत्ति विद्यमान नियमों को शिथिल करके अधिक चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना करने की आवश्यकता के संबंध में सम्मानीय सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र करीमनगर में चिकित्सकों, पैरा-चिकित्सक कर्मचारियों और चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण पी.एच.सी. रोगियों की आवश्यकताओं का उचित रूप से निदान नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण-क्षेत्रों में ज्यादातर लोग कृषि पृष्ठभूमि के हैं जो बहुत गरीब होते हैं और वे अपने परिवार के सदस्यों के ईलाज के लिए पी.एच.सी. जाते हैं। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र का हाल में जब सर्वेक्षण किया तो यह पाया कि कुछ पी.एच.सी. में रोगियों के ईलाज के लिए चिकित्सक ही नहीं हैं। चिकित्सक शहरी क्षेत्रों तथा विदेश में बसने को वरीयता दे रहे हैं। ऐसे में एन.आर.एच.एम. की स्थापना करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसके कारण लोगों को निजी अस्पताल जाने को बाध्य होना पड़ रहा है जहां वे अत्यंत महंगा चिकित्सा व्यय बहन नहीं कर सकते।

इसलिए, मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से देश में चिकित्सकों का अनुपात बढ़ाने के लिए विद्यमान नियमों को शिथिल करने और अधिक चिकित्सा कॉलेजों की संस्वीकृति देने और उन्हें स्थापित करने का अनुरोध करता हूं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में किसी कार्य-योजना के जरिए सम्पूर्ण देश में, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र करीमनगर, आन्ध्र प्रदेश में पी.एच.सी. में सभी पदों को भरने और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसंरचना से युक्त और अधिक पी.एच.सी. की स्थापना करने का भी अनुरोध करता हूं।

(सात) आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल किए जाने तथा जिले में पेयजल योजनाओं और भूमिगत जल निकासी प्रणालियों के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राजय्या सिरिसिल्ला (वारंगल): मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान आन्ध्र प्रदेश स्थित मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वारंगल में 'जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

सभा को इस बात की जानकारी है कि जे.एन.एन.यू. आर.एम. 100 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए है। वारंगल एक ऐतिहासिक स्थल है और एक समय ऐसा था जब इस पर 'काकतिया' राजवंश ने शासन किया था और यह बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है और यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं और यह उत्तर और दक्षिण भारत को भी जोड़ता है। हाल ही में वारंगल और इसके आसपास के 42 गांवों का विलय कर बृहद् वारंगल बनाया गया है। संशोधित जनसंख्या को संज्ञान में लेते हुए, भूमिगत जल निकासी कार्यों और पेयजल योजनाओं को प्रारंभ करने हेतु जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना को बृहद वारंगल हेतु स्वीकृत किया जा सकता है। इन दोनों कार्यों को एक साथ शुरू किया जाना चाहिए। अन्यथा यह प्रयोजन पूरा नहीं होगा। पेयजल प्रयोजन हेतु 178 करोड़ रु. पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस पर काम चल रहा है। जब तक जल निकासी कार्य पूरे नहीं किए जाते तब तक पेयजल योजना को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता।

अतः मैं माननीय शहरी विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वारंगल जिले की संशोधित जनसंख्या पर विचार करते हुए वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ही पर्याप्त बजटीय आवंटन के साथ जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यों के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में पेयजल योजनाओं और भूमिगत निकासी योजनाओं को शुरू करें।

(आठ) तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले के उवरी में मत्स्य बंदरगाह बनाए जाने और समुद्री भोजन के परिरक्षण हेतु पर्याप्त शीत भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली): तमिलनाडु स्थित मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरूनेलवेली में उवारी लगभग 4000 परिवारों और 15,000 की जनसंख्या वाला एक तटीय गांव है। यहां लोगों का मुख्य व्यवसाय मत्स्यन है। इनमें से बहुत से लोग नाविकों के रूप में कार्य करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं।

इस गांव से बड़ी संख्या में मछुआरे प्रतिदिन समुद्र में विभिन्न प्रकार की ईराल मछलियां पकड़ने जाते हैं। ईराल उवारी की विशिष्टता है। ये लोग समीपवर्ती राज्य केरल, जो मछली के उपभोग वाला एक मुख्य राज्य और तूतीकोरिन को बड़ी मात्रा में मछली भेजते है, जहां से मछलियों को अनेक देशों अर्थात अमरीका, सिंगापुर और यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता है। विगत कुछ वर्षों में तमिलनाडु में मीट की अपेक्षा मछलियों/ईराल की खपत में वृद्धि हुई है जिसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा समझा जाता है। ईराल सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है और इस मछली को उवारी के कुछ किलोमीटर की दूरी के भीतर जून से अक्तूबर तक बड़ी मात्रा में पकड़ा जाता है। सामान्य ईराल की कीमत लगभग 4000 रु. से 5000 रु. प्रति किलो है और इसके मौसम के दौरान इस क्षेत्र के मछुआरों को अधिक आय प्राप्त होती है। ईराल के अनेक प्रकार हैं अर्थात बरान, प्लॉवर, टाईगर, सिंगी और यह अनेक रंगों में भी मिलती है। इन्हें 15000 रुपये से लेकर 20000 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। उवारी ईराल को मछली खाने वालों द्वारा अत्यधिक पसंद किया जाता है और इनका आकार सामान्य, ये उच्च गुणवत्तायुक्त और स्वादिष्ट होती हैं। इस क्षेत्र में मत्स्यन की अपार संभावनाओं को देखते हुए यहां उवारी मत्स्यन बंदरगाह की स्थापना करना एक व्यवहार्य विकल्प है।

मछलियों की प्रकृति का शीघ्र खराब होने की होती हैं। शुभ और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दिनों के दौरान मछलियों की बिक्री सामान्यतः कम होती है और बचे हुए माल को लंबे समय तक भण्डारित नहीं किया जा सकता। अतः मछुआरों को शीतागारों की सुविधा न होने के कारण काफी परेशानी और अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी सुविधाएं और मत्स्यन बंदरगाह केरल में बहुत अधिक उपलब्ध हैं, जबकि तमिलनाडु में इन सुविधाओं की कमी है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र निरूनेलवेली जिले में उवारी में एक मत्स्यन बंदरगाह स्थापित किया जाए और समुद्री भोजन के अनुरक्षण हेतु एक वहां पर्याप्त शीतागार सुविधाएं शीघ्र प्रदान की जाएं।

(नौ) ताजमहल के वुडेन फाउंडेशन को नियमित रूप से जल दिया जाना सुनिश्चित करने तथा शहर के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु उत्तर प्रदेश स्थित आगरा में यमुना नदी पर बराज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रामशंकर (आगरा): मेरे लोक सभा क्षेत्र आगरा में स्थित ऐतिहासिक इमारतें विश्व की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। आगरा में विश्व प्रसिद्ध स्मारक के रूप में तीन ऐतिहासिक स्थान ताजमहल, लाल किला व फतेहपुर सीकरी हैं। जिसको देखने के लिए प्रतिदिन इस समय देशी व विदेशी पर्यटक जिनकी संख्या लगभग 50 से 60 हजार है, आते हैं। ताजमहल का निर्माण आज से लगभग 300-400 साल पूर्व सम्राट शाहजहां ने करवाया था। जिस समय ताजमहल का निर्माण हुआ उस समय ताज की नींव का निर्माण लकड़ी एवं चूने कुएं बनाकर किया गया था तथा उनमें हर समय पानी की आवश्यकता होती थी। इसीलिए ताजमहल का निर्माण यमुना के किनारे पर किया गया था। उस समय वर्षा अधिक होने के कारण यमुना में पानी पर्याप्त मात्रा में रहता था। जिसके कारण ताजमहल की नींव में जो लकड़ी लगी थी उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी रहती थी। आज यमुना नदी सूखने के कारण ताज के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। राजस्थान से आने वाली हवाओं के साथ पीले कण आने से ताज का रंग भी पीला हो रहा है जिसको रोकने के लिए यमुना नदी पर बैराज का निर्माण करना अति आवश्यक है। जिससे आगरा के लोगों को पीने का पानी भी सुलभ हो सकेगा।

(दस) असम में ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर परियोजना के हिस्से के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर): यह काफी दुख की बात है कि सिल्चर सौराष्ट्र महासड़क (पूर्व-पश्चिम गलियारा) के असम में पड़ने वाले हिस्से की प्रगति अन्य परियोजनाओं से काफी पीछे है। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है और 2009 में चालू करने के ठोस निर्णय के साथ वर्ष 2004 में सिल्चर में इसका शिलान्यास भी कर दिया गया था। असम परियोजना की कुल लंबाई 672 किमी. है, जिसमें से अब तक केवल 363 किमी. खण्ड, पूरा किया गया है। हमेशा यह कहा जाता है कि कार्य की प्रगति में मुख्य बाधा कानून और व्यवस्था की स्थिति, भूमि अधिग्रहण और राज्य सरकार की इच्छाशक्ति है। चूंकि, इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है, केन्द्र सरकार को इस परियोजना को पूरा करने के लिए पहल करनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण के तेजी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार को इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाना चाहिए।

मैं केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों से अनुरोध करता हूं कि वे अवरोधों को दूर करें और निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर निर्धारित समय सीमा अर्थात दिसम्बर 2013 के भीतर ही पूरा करें और पूर्व-पश्चिम गलियारे के समय वाले हिस्से को चालू करें जैसा कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा आश्वासन दिया गया है।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधाएं बढ़ाए जाने और देश के अन्य भागों से सतना शहर तक बेहतर रेल संपर्क दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय का ध्यान उस उपेक्षित क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां से रेलवे को अत्यधिक आय होती है तथा उस क्षेत्र से गाड़ियों का प्रचालन भी बहुत संख्या में होता है। लेकिन सुविधा की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पश्चिम-मध्य रेलवे के अंतर्गत सतना लोक सभा क्षेत्र जिसमें लगभग 100 कि.मी. से अधिक इलाहाबाद से मुम्बई जाने वाली रेल लाइन मौजूद है। यह वही क्षेत्र है जहां सीमेंट का सबसे बड़ा लदान रेलवे को मिलता है। सिंगरौली से रेलवे को कोयले का भी परिचालन होता है। क्षेत्र की जनता लगातार कई वर्षों से छोटी-छोटी

[श्री गणेश सिंह]

समस्याओं के समाधान के लिए मांग करती रही है। मैंने खुद पिछली 14वीं लोक सभा से लेकर अब तक अनेकों बार सदन में प्रश्न भी उठाए और व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री जी को भी जानकारी दी। स्वयं पिछले बजट सत्र में रेलवे स्टेशन में 15 दिवसीय सत्याग्रह भी किया जिसे तत्कालीन रेल मंत्री जी एवं चेयरमैन से हुई बातचीत के बाद सत्याग्रह को स्थगित करना पड़ा था, किंतु दुर्भाग्य है कि जो बातें की गईं, उनमें से कोई भी कार्य नहीं हो पाया, आने वाले इस रेल बजट में मैं मांग करता हूं कि निम्नलिखित मांगों को अवश्य पूरा किया जाए।

1. रीवा सतना से इन्दौर के लिए, रीवा सतना से मुम्बई के लिए, रीवा सतना से सूरत के लिए नई यात्री गाड़ियां चलाई जाएं।

2. सतना रेलवे स्टेशन से अप एवं डाउन दिशा में जाने वाली सभी यात्री गाड़ी के सभी श्रेणियों के वी.आई.पी. कोटे सुरक्षित किए जाएं, पूर्व में ऐसी सुविधा थी, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया।

3. नई दिल्ली रीवा एक्सप्रेस का समय परिवर्तन किया जाए तथा जैतवारा में उक्त गाड़ी का स्टापेज, कमायनी एक्सप्रेस का जैतवारा में स्टापेज, सारनाथ का मझगवां में स्टापेज एवं रीवा से चलने वाली इंटरसिटी का बगहाई एवं झुकेही में स्टापेज किया जाए।

4. इलाहाबाद में मुम्बई जाने वाली गाड़ी जो सप्ताह में एक दिन चलती है उसे प्रतिदिन तथा उक्त गाड़ी में सतना से सभी श्रेणियों का कोटा आवंटित किया जाए।

5. सतना रेलवे स्टेशन में टर्मिनल एवं अनुरक्षण सुविधा कराई जाने के साथ मेरे लोक सभा क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

6. ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन का कार्य तीव्रता से पूर्ण कराया जाए।

(बारह) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में कपास किसानों के कल्याण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि देशभर में और खासकर महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या हो रही है और यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मुख्य रूप से तीन कारणों से किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है। ये कारण हैं - राज्य में बढ़ती बिजली की लोडशेडिंग, कपास की सस्ते दाम पर खरीद और खाद के बढ़ते दाम।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि किसानों द्वारा आत्महत्याओं को रोकने के लिए कॉटन प्राइस मैकेनिजम के बारे में सोची-समझी नीति अपनाने की जरूरत है। किसानों के लिए सस्ते दाम पर खाद एवं बिजली की समस्या पर जल्द-से-जल्द हल निकालें।

मैं माननीय मंत्री जी से विनती करता हूं कि किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए जल्द-से-जल्द कोई खास कदम उठाएं और देश को गहरे संकट से बचाएं।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के राबर्टसगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापन के खतरे का सामना कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज): मेरा संसदीय क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज का जनपद-सोनभ्रद, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। मैं वनाधिकार 2006 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति के बसे लोगों को वन विभाग की भूमि पर मालिकाना हक दिलवाने के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

पुराने जमाने में ग्राम सभाओं से जब सरकार के वन विभाग के नाम से भूमि मांगी तो ग्राम प्रधानों ने वही भूमि वन विभाग को दी जहां पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग बसे थे। वन अधिनियम धारा 04 से धारा 20 हो गई। आज वन विभाग बस्ती को उजाड़ रहा है, जिससे अनुसूचित जाति/जनजातियों को पुनः विस्थापित होने का संकट उत्पन्न हो गया है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि मामले की जांच कराकर वनाधिकार 2006 के तहत मुद्दत से बसे अनुसूचित जाति/जनजातियों को मालिकाना हक दिलाने का कष्ट करें ताकि ये गरीब लोग उजड़ने से बच सकें।

(चौदह) उत्तर प्रदेश गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर जिले में किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर): वर्तमान में किसानों को उर्वरकों पर जो सब्सिडी दी जा रही है, वह बहुत ही कम है। किसानों को महंगी कृषि लागत होने के कारण उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वह विदित ही है कि कृषकों की जीविका का एकमात्र सहारा उनकी कृषि उपज ही है। लेकिन जब उनको अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल सकेगा तो उनकी दयनीय स्थिति होना स्वाभाविक ही है।

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेषकर गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर एवं बुलन्दशहर जनपदों में कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में कृषि उपज हेतु उर्वरक न मिलने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश के विशेषकर गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर एवं बुलन्दशहर जनपदों के कृषकों को मांग के अनुरूप रियायती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(पन्द्रह) देश में उन बोलियों और भाषाओं, जो विलुप्त होने के कगार पर है, को बढ़ावा देने और संरक्षित किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): यूनेस्को को एक रिपोर्ट के अनुसार कम बोली जाने वाली कुछ भाषाएं एक पखवाड़ा के बाद लुप्त हो रही हैं। यह एक चिंताजनक बात है। भाषा संचार का एक सशक्त माध्यम है। इसके बिना मानव एक-दूसरे को अपनी संवेदना, भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता। मानव बिना भाषा के पशु है।

इस सम्माननीय सदन के माध्यम से मैं यह आग्रह भारत सरकार के कल्चर मंत्री से करता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे ताकि कम बोली जाने वाली भाषा लुप्तप्राय न हो सकें।

(सोलह) तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले को कृषि निर्यात जोन बनाए जाने और वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा शीत भांडागार स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरी): तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिला आम की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां लगभग 40,000 हेक्टेयर जमीन में कई किस्म के आम उगाए जाते हैं और इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 4 लाख टन है। इन आमों को देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है और विदेशों में निर्यात किया जाता है जिससे सरकार को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं के मद्देनजर राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने कृष्णागिरी जिले में आम की खेती को बढ़ावा देने हेतु चिन्हित किया। चूंकि यहां आम की खेती प्रचुर मात्रा में होती है इसलिए आम के गूदे का उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में होता है। कृष्णागिरि जिले में आम के गूदे का उद्योग देश में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक उद्योग है।

उसी प्रकार, टमाटर, इमली और शिमला मिर्च भी यहां बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। उचित परिवहन और शीतागारों की सुविधा के अभाव में, विशेषकर टमाटर की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई बार तो अपर्याप्त समर्थन मूल्य के कारण उन्हें टमाटर को खुले खेतों में ही फेंकना पड़ता है।

इसलिए, आलू, आम, इमली और आम के गूदे के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे यथाशीघ्र तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में पर्याप्त संख्या में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और सीतागारों की स्थापना करे और साथ ही एक कृषि निर्यात जोन की भी स्थापना करे।

(सत्रह) पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में नदियों द्वारा मृदा अपरदन रोके जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुड़ी): हिमालय और

[श्री महेन्द्र कुमार राय]

भूटान के पहाड़ियों से बड़ी संख्या में नदियां निकलती है जो उत्तरी बंगाल के जिलों विशेषकर जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और सिलिगुड़ी से होकर गुजरती है जो सम्पत्तियों और मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न करती हैं। तिस्ता, कलजानी, तोरसा, महानंदा, रायडक नामक नदियों के दोनों किनारों पर रह रहे लोगों को कटाव के कारण जानमाल और संपत्तियों का नुकसान हो रहा है। जलपाईगुड़ी के निकट विवेकानंद पाली कालोनी, महानंदा नदी के किनारे बसे सिलिगुड़ी के आसपास के क्षेत्रों, जलपाईगुड़ी जिले में चांगमारी मौजा में अपालचंद गांव, कूचबिहार जिले के मेकलीगंज, मगुमारी और कुचलीबाड़ी के क्षेत्र के अधिसंख्य लोग नदी की तेज धार से हुए भारी मृदा कटाव के कारण हुए नुकसान से सबसे अधिक पीड़ित है। कुछ गांव तो पूरी तरह से बह गये हैं। अतः यह भारत सरकार और भूटान सरकार के लिए अपरिहार्य बन गया है कि वे इस स्थिति पर ध्यान दें और स्थिति के हाथ से निकल जाने से पूर्व कुछ प्रभावी उपाय करें।

(अठारह) ओडिशा में बारिपदा रेलवे स्टेशन को पूर्णरूपेण रेलवे स्टेशन के रूप में विकिसत किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण टुडु (मयूरभंज): मेरे मयूरभंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बारिपदा रेलवे स्टेशन 100 वर्षों से अधिक पुराना रेलवे स्टेशन है और यह दक्षिण पूर्वी रेल के अंतर्गत आता है। बारिपदा स्टेशन ओडिशा राज्य में रेल संपर्क का पहला स्टेशन है। इस स्टेशन का कुल वार्षिक राजस्व लगभग 84 लाख है इसलिए यह भारतीय रेलवे के विद्यमान नियमों के अनुसार घ श्रेणी के रेलवे स्टेशन के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र है। बारिपदा रेलवे स्टेशन एकल लाइन प्लेटफार्म का स्टेशन है। इसे घ मानक वाले रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। बारिपदा संपूर्ण देश में मात्र एक ऐसा स्टेशन है जहां पर 115 में से 1 ढलान है जहां भविष्य में और विकास नहीं किया जा सकता हैं। रेलवे प्राधिकारी जम्मू, श्रीनगर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों और आधुनिकीकरण के कार्य को कर रहा है जहां बारिपदा की अपेक्षा अधिक ढलान है, इसलिए दक्षिण पूर्वी रेल के ओर से पर्याप्त रेल भूमि की उपलब्धता के होते हुए भी बारिपदा स्टेशन के विकास कार्यों और लाइनों के दोहरीकरण के कार्य को नहीं करना उचित नहीं है।

मैं इस महान सदन के जरिए रेल मंत्रालय से आग्रह करना चाहूंगा कि वे रेलवे यात्रियों के हित में एक पूर्ण सज्जित स्टेशन के रूप में बारिपदा स्टेशन को विकसित करने के लिए तत्काल कार्य करें।

(उन्नीस) आन्ध्र प्रदेश में विशेष रूप से नरसारावपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावपेट): मैं सम्मानित सभा का ध्यान आन्ध्र प्रदेश में गैर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नरसारावपेट में लोगों को पेयजल मिलने में हो रही समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं।

मेरे नरसारावपेट निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से क्षेत्रों में पेयजल की भारी कमी हो रही है। क्षेत्र में पेयजल को सुगम बनाने के लिए न तो समुचित पाइपलाइनें और न ही नलकूप या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। बहुत से गांवों में पानी की भारी कमी है। आन्ध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर में भारी कमी हुई है। नलकूप सूख चुके हैं। इसकी सबसे अधिक भुक्तभोगी महिलाएं हैं। लोगों को अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए पानी लाने हेतु 5 से 7 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। आन्ध्र प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है लेकिन अपर्याप्त निधि के कारण लोगों की वास्तविक मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। नागार्जुन सागर नहर सूख चुकी है और उक्त नहर पर आश्रित क्षेत्रों में पानी की भारी कमी हो रही है। केन्द्र सरकार को मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नरसारावपेट और अन्य क्षेत्रों के लिए अन्य स्रोतों से पानी लाने हेतु विकल्प तलाश करना चाहिए। कम वर्षा और सूखे ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र की समस्या को और बढ़ा दिया है।

अतः मैं पेयजल और स्वच्छता मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मामले में हस्तक्षेप करें तथा आन्ध्र प्रदेश में, विशेष रूप से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नरसारावपेट हेतु विशेष पैकेज की घोषणा कर पिछड़े क्षेत्रों के लिए कम से कम पेयजल उपलब्ध कराएं।

(बीस) हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर गांव में प्रस्तावित परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए

जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यक्ता

श्री कुलदीप विश्नोई (हिसार): हरियाणा के फतेहाबाद जिले के 30 गांवों के लोग गोरखपुर गांव में प्रस्तावित परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के विरुद्ध 16 महीनों से धरना दे रहे हैं। प्रस्तावित संयंत्र को यदि स्थापित किया जाता है तो इससे न केवल हजारों किसान अपनी उपजाऊ कृषि भूमि से वंचित हो जाएंगे बल्कि परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के मानदण्डों का उल्लंघन भी होगा जिसके अनुसार परमाणु विद्युत संयंत्र की सीमा 6.6 किलोमीटर के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर 10000 से अधिक लोगों की बसावट नहीं होनी चाहिए।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह फतेहाबाद में प्रस्तावित परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना करने की दिशा में आगे नहीं बढ़े तथा यदि इसे स्थापित किया जाता है तो क्षेत्र के न केवल लाखों लोगों को जीवन को खतरा होगा बल्कि क्षेत्र में बोई जा रही गेहूं, सरसों, धान और कपास की फसलों को भारी क्षति भी होगी।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब मंत्री महोदय लोक सभा द्वारा यथा पारित वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

...(व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री बिलासराव देशमुख): महोदया, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं:

"कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि और अनुसंधान कार्य को अग्रसर करने के लिए एक अकादमी की स्थापना करने तथा वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के नाम से ज्ञात संस्था को, उसके निगमन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जए:-

खण्ड 9

अकादमी, सभी जातियों, पंथों, वंश अथवा वर्ग के लिए खुली है

कि पृष्ठ 7, पंक्ति 18 से 21 **के स्थान** पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) अकादमी महिलाओं, निशक्तताग्रस्त व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करेगी और केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन ऐसा आरक्षण करने से कोई छूट इस अकादमी को लागू नहीं होगी:"

2007 का 5

अध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि और अनुसंधान कार्य को अग्रसर करने के लिए एक अकादमी की स्थापना करने तथा वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के नाम से ज्ञात संस्था को, उसके निगमन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जए:-

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): अध्यक्ष महोदया, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री विलासराव देशमुख एक अच्छे संसद सदस्य हैं। हम दोनों एक ही राज्य, महाराष्ट्र में रहते हैं। वे मराठवाड़ा क्षेत्र से आते हैं और मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं।

माननीय मंत्री महोदय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से वैज्ञानिक और नवोन्मेषी अनुसंधान अकादमी की स्थापना करने के लिए संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित किया है। यह भारत जैसे देश में विज्ञान और अभियांत्रिकी में नवोन्मेषी अनुसंधान करने की दिशा में उठा एक कदम है, जिससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से सबल होगी।

ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्र ने पहली ही सी.एस.आई.आर., एन.सी.एल. और केन्द्रीय विश्वविद्यालय जैसी केन्द्रीय संस्थानों की स्थापना पहले ही कर चुका है, लेकिन ये संस्थान विश्व की शैक्षिक संस्थानों की रैकिंग में कहीं भी नहीं है, जिससे विश्व परिदृश्य में भारतीय शिक्षा की दयनीय स्थिति परिलक्षित होती है।

इस संस्थान की स्थापना संबंधी विधेयक में इसके स्थापना स्थल और संख्या के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा गया है। वैज्ञानिक और मनोन्मेषी अनुसंधान संस्थान अकादमी के पास एक ही जगह एक ही छत के नीचे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सभी विधाओं को शुरू करने का अधिकार है, लेकिन प्रत्येक राज्य ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा संस्थान शुरू करना भी वांछनीय है जो प्रतिभा की पहचान करने में लाभकारी होगा तथा देश के विकास के लिए इसे इष्टतम संभाव्य स्तर तक पोषित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया: कृपया संशोधन पर बोलें। अधिक समय तक न बोलें।

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: महोदया, मैं पहली बार इसमें भाग ले रहा हूं। इसलिए, कृपया मुझे अनुमति दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष गहोदया: आपके पास बहुत सारे कागजात हैं। क्या आप उन सभी कागजात को पढ़ने जा रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: नहीं, मैं केवल दो या तीन बिन्दुओं पर बोलने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। आप केवल संशोधन पर बोलें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह उनका पहला भाषण है। उन्हें बोलने दें।

ज्याता समय मत लें। इसका लाभ न उठाएं।

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: महोदया, जैसा कि स्थायी समिति ने सुझाव दिया है। संस्थान को छोटे और मध्यम उद्योगों को गैर-डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी दक्षता वाले कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराने चाहिए। इसे उद्योग के उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी मांगों को पूरा करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित भी करना चाहिए।

ऐसे संस्थानों की स्थापना के कारण, इस देश के असीम क्षमता वाले युवा वर्ग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में नमोन्मेषी अनुसंधान करने के अवसर मिलेंगे। इस अकादमी की स्थापना से विद्यार्थियों के मध्य उन शैक्षणिक समुदाय को सही दिशा तथा संदेश मिलेगा, जो नवाचार में अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए दिन-रात खोज कर रहे हैं और इससे उन्हें अपने स्थान के लिए एक समुचित जगह मिल जाएगी जिससे प्रतिभा-पलायन को रोका जा सकेगा।

उच्च गुणवत्ता और मानक वाले ऐसे संस्थानों से विभिन्न संगठनों तथा स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) जैसे आंदोलन के माध्यम से कृषि और खाद्यान्न उद्योग में मूल्य-वर्धित उत्पादों के उत्पादन में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करेगा तथा देश के ग्रामीण प्रतिभा का उपयोग करने में भी मदद करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में इस अकादमी की स्थापना समाज की अच्छी सेवा है। साथ ही, विभिन्न केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय संस्थानों, केन्द्र और राज्य सरकार के कॉलेजों में किये गये नवोन्मेषी अनुसंधानों की पहचान की जानी चाहिए तथा उन्हें ऐसे संस्थानों के समतुल्य दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए।

वैज्ञानिक और नवमेषी अनुसंधान अकादमी की संरचना एक उत्कृष्ट संरचना है, क्योंकि इसकी संरचना करने वाले तथा आम जनता को सही दिशा दिखाने वाले समाज के विभिन्न स्तर पर जाये। उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों से हुई है।

अंत में, मेरा विचार यह है कि - ऐसे संस्थानों की स्थापना से राष्ट्र के अकादमिक विकास को और अधिक सशक्त बनाएगा। इसलिए, शिक्षा के वैश्विक पटल पर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे संस्थानों को स्व-शैक्षिक गति हासिल करनी चाहिए। अथवा, यह कोशिश असफल हो जाएगी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री विलासराव देशमुख: महोदया, मैं वास्तव में माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने अधिकांशत: मुख्य विधेयक पर ही बोला है। लेकिन, जो कुछ सुझाव उन्होंने दिए हैं और अकादमी से जो कुछ उनकी आशा है, मैं उन आशाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा।

मैं एक बार पुन: सदन से संशोधनों पर सहमत होने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, इसमें कुछ संवैधानिक गलती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उन्हें किसने समय दिया?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अभी तक हमने समय नहीं दिया है। किसी और ने दे दिया है और आप खड़े भी हो गए।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): आपने समय नहीं दिया मगर इन्होंने ले लिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: पता नहीं कैसा लेन-देन हो गया। स्पीकर को पता ही नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, बहुत संक्षेप में बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: मैं केवल संविधान के शब्द की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। संविधान में शब्द दिया हुआ है ओ.बी.सी. (अदर बैकवर्ड क्लास)। उसकी जगह पर इन्होंने लिखा है - अनुसूचित जाति, जनजातियों और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों। संविधान में व्यक्ति नहीं है, वर्ग है, अन्य पिछड़े वर्ग। व्यक्तियों का मतलब व्यक्ति हो जाएगा। अनुच्छेद के 15(4) और 16(4) में संविधान की जो भाषा है, वह वर्ग कहता है, व्यक्ति नहीं कहता, इसलिए इसे सुधार कर, इतना न लिखकर सीधे 'अन्य पिछड़े वर्गों' होना चाहिए। केवल इतना ही देने से यह संविधान की भाषा होगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री शैलेन्द्र कुमार, और आप अंतिम वक्ता हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्षा जी, आपने मुझे वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011 में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस बिल के बारे में कहना चाहूंगा कि खंड 9, प्वाइंट 2 पर अकादमी महिलाओं, निशक्तताग्रस्त व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करेगी लिखा है। आपने जिस प्रकार एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. लिया है, मैं चाहूंगा कि इसमें एक संशोधन कर दें कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्हें भी इसमें शामिल कर दें, तो मेरे ख्याल से इस बिल का मकसद पूरा हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी, क्या आप उत्तर देंगे?

[हिन्दी]

श्री विलासराव देशमुख: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने माइनोरिटीज के बारे में अपनी बात रखी है।...*(व्यवधान)* कांस्टीट्यूशन में जो व्यवस्था है, उस तरह इस बिल में व्यवस्था नहीं की गयी है। भविष्य में इस बारे में सोचा जा सकता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि और अनुसंधान कार्य को अग्रसर करने के लिए एक अकादमी की स्थापना करने तथा वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के नाम से ज्ञात संस्था को, उसके निगमन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जए:-

खण्ड 9

कि पृष्ठ 7, पंक्ति 18 से 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) अकादमी महिलाओं, निशक्तताग्रस्त व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैशिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करेगी और केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन ऐसा आरक्षण करने से कोई छूट इस अकादमी को लागू नहीं होगी:" 2007 का 5

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9

अध्यक्ष महोदया: अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को लेंगे:

प्रश्न यह है:

कि पृष्ठ 7, पंक्ति 18 से 21 **के स्थान** पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) अकादमी महिलाओं, निशक्तताग्रस्त व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करेगी और केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन ऐसा आरक्षण करने से कोई छूट इस अकादमी को लागू नहीं होगी:" 2007 का 5

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय अब लोक सभा द्वारा यथा पारित वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को सहमति व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत करेंगे।

श्री विलासराव देशमुख: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

संविधान (एक सौ सोलहवां संशोधन) विधेयक, 2011 (नए भाग XIVख का अंत:स्थापन)

और

लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010 - *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 17, 18 और 19 पर एक साथ विचार किया जाएगा। माननीय मंत्री एक के पश्चात् एक तीनों विधेयकों का विचारणार्थ प्रस्ताव करें।

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव* करता हूं:

> "कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापाना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।";
>
> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।";
>
> और
>
> "कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा विवेकाधिकार के जानबूझकर दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कारित कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदया, लोकपाल विधान बनाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। वर्ष 1966 में जब प्रशासनिक सुधार आयोग ने न अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसमें यह सिफारिश थी कि नागरिकों की शिकायतों का निवारण केन्द्र में लोकपाल बना कर किया जाए। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा कुल आठ विधेयक संसद में पुर:स्थापित किए गए। इन विधेयकों में से सात तो व्यपगत हो गए और एक विधेयक को 1985 में वापस ले लिया गया था।

इसके पश्चात्, जब संप्रग सरकार सत्ता में आई तो लोकपाल के विषय में, कई विधानों पर विचार किया गया। अंतत: वर्ष 2010 में विधि मंत्रालय के सहयोग से लोकपाल का प्रारूप बनाया गया। महोदया, मैं इस सम्मानित सभा को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 2010 में जब ए.आई.सी.सी. की बैठक हुई तब माननीय कांग्रेस अध्यक्षा और सं.प्र.ग. अध्यक्ष ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि देश में भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत किया जाना होगा और केन्द्रीय मंत्रियों को प्रदत्त विवेकाधीन शक्तियों को भी समाप्त किया जाए। इसके अनुसरण में, जनवरी, 2011 में माननीय प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयोजन से एक मंत्रिसमूह का गठन किया। माननीय वित्त मंत्री इस समूह के अध्यक्ष थे तथा इसमें लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने; चुनाव-सुधार; मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त करने और सार्वजनिक खरीद के लिए खुली निविदा नीति लाने, जैसे बहुत से उपाय किए गए।

इसके आलवा खुली खनन नीति, विशेष न्यायालय अधिनियम के अधीन आपराधिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन आदि जैसे मुद्दे भी माननीय वित्त मंत्री के समक्ष लाए गए और समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इसी बीच, एक नया प्रयोग किया गया। अप्रैल, 2011 में यह मांग उठी कि सिविल सोसायटी या निजी पक्षदारों को भी इस कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। सरकार ने इस पर एक नए प्रयोग के रूप में

[श्री वी. नारायणसामी]

विचार किया। माननीय मंत्री उस समूह के अध्यक्ष बने जिसमें श्री अन्ना हजारे और अन्य लोगों के साथ-साथ माननीय गृहमंत्री, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, तत्कालीन विधि मंत्री, श्री बीरप्पा मोइली और वर्तमान विधि मंत्री श्री सलमान खुर्शीद शामिल थे। उन्होंने इससे जुड़े प्रश्नों पर विचार किया। वे जन लोकपाल विधेयक लाए। सरकार का लोकपाल विधेयक भी मौजूद था। अंततः जहां प्रधानमंत्री के पद और न्यायपालिका की बात आई तो कई बार विचार-विमर्श और चर्चा के बाद भी इसके बुनियादी सिद्धांतों के बारे में कोई सहमति नहीं बन सकी। वे लोग चाहते थे कि न्यायपालिका को भी विधेयक के अधिकार-क्षेत्र में लाया जाए। उनका कहना था कि संसद-सदस्यों के संसद में कार्यकरण और मतदान के अधिकार को भी इस विधेयक के अधिकार-क्षेत्र में लाया जाए। उन्होंने ऐसी कई मांगें रखीं जो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं थीं।

इस कारण सरकार ने एक नया विधेयक लाने का निर्णय लिया। 4 अगस्त, 2011 को सरकार इस सम्मानित सभा के समक्ष एक विधेयक पुरःस्थापन के लिए लाई। तथा अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर चले गए। बाद में, जब इस पर सभा में चर्चा हो रही थी, तब वित्त मंत्री द्वारा एक संकल्प रखा गया:

> "यह सभा नागरिक चार्टर पर और समुचित तंत्र और राज्यों में लोकायुक्तों के स्थापन के माध्यम से निचले स्तर की नौकरशाही को लोकपाल के अधीन लाने पर सिद्धांततः सहमत है।"

माननीय मंत्री ने आगे यह भी कहा है:

> "मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप विधेयक हेतु सिफारिशों को तैयार करते समय, कार्यवाही-क्षेत्र को विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अवलोकनार्थ भेज दें।"

सभा की यह भावना थी कि एक नागरिक चार्टर होना चाहिए; निचले स्तर की नौकरशाही को समुचित तंत्र के माध्यम से लोकपाल के दायरे में लाया जाए और राज्यों में लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त की स्थापना हो। इस सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद स्थायी समिति ने इसकी जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। चूंकि इस क्रम में कई संशोधन दिए जाने होंगे, अतः सरकार ने पुराने विधेयक को वापस लेने के बाद नया विधेयक लाना उपयुक्त समझा।

अब मैं इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं को बारी-बारी से स्पष्ट करना चाहूंगा।

सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक में केन्द्र में एक लोकपाल और राज्यों में इसी तर्ज पर लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसे लोकपाल विधेयक में शामिल कर लिया गया है।

दूसरी बात यह है कि लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष और आठ अन्य सदस्य होंगे। इसमें से उनके सदस्य न्यायपालिका से होंगे और आधे अन्य कतिपय प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। आरक्षण के उद्देश्य से एक प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, यह संघीय ढांचे पर हमला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, अभी आप बैठिए।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अभी बैठ जाइए।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री जी आप कृपया बोलना जारी रखें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वी. नारायणसामी: महोदया, एक चयन समिति होती है। भारत के माननीय राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी हैं। लोकपाल के चयन के लिए गठित चयन समिति के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होते हैं एवं इसमें माननीय अध्यक्ष, लोकसभा; माननीय नेता प्रतिपक्ष; भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित एक प्रख्यात न्यायविद् शामिल होते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री वी. नारायणसामी: एक खोज समिति भी होती है। खोज समिति चयन समिति द्वारा निर्देशित होगी। खोज समिति में प्रख्यात व्यक्ति शामिल होंगे। खोज समिति में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए आरक्षण होगा।

महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि लोकपाल जांच स्कंध गठित कर सकता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहिएगा। कृपया अब बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: जांच निदेशक की नियुक्ति लोकपाल द्वारा की जाएगी। अभियोजन के लिए उनके पास भी एक अभियोजन स्कंध होगा। लोकपाल द्वारा अभियोजन-निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कर्मचारियों की सभी चार श्रेणियों - समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' को लोकपाल विधेयक में शामिल किया गया है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के श्रेणी 'क' और 'ख' के कर्मचारियों, निगम के कर्मचारियों, सिविल सोसाइटी एवं सभी संगठनों जो बाहर से दान प्राप्त कर रहे हैं तथा आम जनता का संबंध है, वे भी इस दायरे के भीतर आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक श्रेणी 'क' एवं श्रेणी 'ख' कर्मचारियों की बात है तो जांच या तो लोकपाल के जांच स्कंध या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) द्वारा की जाएगी और फिर इसके बाद केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) द्वारा लोकपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक श्रेणी 'ग' एवं 'घ' कर्मचारियों की बात है लोकपाल इसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के पास भेजेगा एवं सी.वी.सी. इसकी जांच करेगा तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) अधिनियम के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों, आपराधिक कार्यवाहियों अथवा कार्यवाही बंद करने के तरीकों से कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा।

जब किसी व्यक्ति के बारे में लोकपाल के पास शिकायत आती है तब प्रारंभिक जांच के बाद, यदि उसको यह लगता है कि यह प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो वह इसे जांच के उद्देश्य से सी.बी.आई. के पास भेज सकता है। यह एक स्वतन्त्र तंत्र है। सी.बी.आई. इसकी जांच करेगी तथा इसके बाद वह लोकपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यही व्यवस्था तैयार की गयी है...*(व्यवधान)*। कृपया मुझे अपनी बात पूरी बताने दें...*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए। अपनी बारी आने पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री वी. नारायणसामी: एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें एक प्रावधान है। अभियोजन के लिए मंजूरी लेना हटा दिया गया है। इस विधेयक में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा, सी.बी.आई. के निदेशक का चयन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नेता, प्रतिपक्ष एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश या उनके नामनिर्देशित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसलिए विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एक श्रेष्ठ संतुलन बनाकर रखा गया है। जांच को समयबद्ध तरीके से करने, का उपबंध भी रखा गया है। जांच करनी ही होगी तथा अभियोजन करना ही होगा। इस अधिनियम में इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रारंभिक जांच के लिए प्रारंभ में तीन माह का समय निर्धारित किया गया है जिसको और तीन माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। जहां तक जांच का संबंध है, जांच पूरी करने के लिए छह माह का

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री वी. नारायणसामी]

समय प्रारंभ में निर्धारित किया गया है तथा यदि वे और समय बढ़ाना चाहें तो इसे और आगे छह माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। जहां तक अभियोजन का संबंध है; एक वर्ष का समय न्यूनतम रखा गया है तथा इसे आगे एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए समय सीमा का उल्लेख किया गया है। अधिकतम दंड, जो सात वर्ष था, को बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है।

कई परिणामी संशोधन किए गए हैं। जब 22 तारीख को इस सम्माननीय सभा में हमने चर्चा की थी तब संसद की विधि बनाने की शक्ति का मुद्दा उठाया गया था। मैं कहना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद, 253 के अधीन बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गयी किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या किसी अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। भारत द्वारा मई 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किये गये थे। और इसके बाद एक अन्तर्राष्ट्रीय करार किया गया है तथा उस अभिसमय में भ्रष्टाचार निवारण प्रमुख मुद्दों में से एक है। उस अभिसमय का अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि:

> "अभिसमय भ्रष्टाचार के निवारण, जांच एवं अभियोजन तथा यह सुनिश्चित करने पर लागू होगा कि अभिसमय के अन्तर्गत, सिद्ध अपराधों से अर्जित धन को जब्त किया जाए और लौटाया जाए।"

इसलिए इस अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय की अनुपालन में सहमति जतायी जा चुकी है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 253 के अधीन सरकार को शक्ति प्राप्त है। मैं स्थायी समिति की रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): कृपया उन्हें अनुच्छेद 243 उद्धृत करने दें...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी: अपनी बारी आने पर आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया उन्हें शांतिपूर्वक बोलने दें। यह सब क्या है? अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री वी. नारायणसामी: स्थायी समिति के समक्ष, भारत के पूर्व माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री जे.एस. वर्मा ने यह कहा और उन्होंने एक टिप्पण भी दिया था। मैं उन्हें उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा:

> "संविधान का अनुच्छेद 253 भारत द्वारा हस्ताक्षरित एवं अनुमोदित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को लागू करने के लिए जरूरी विधायी शक्ति प्रदान करता है। यह रेखांकित करना संगत है कि अभिसमय का अनुच्छेद 6 ब्रष्टाचार निवारक निकायों की स्थापना करने के लिए सदस्य देशों के लिए विशिष्ट दायित्व का उल्लेख करता है।"

तब, संविधान की सांतवीं अनुसूची - सूची तीन, मद संख्या 12 और 11क - केन्द्र सरकार को विधान बनाने की शक्ति भी प्रदान करती है।

अब राज्य पृथक विधान चाहते हैं। हम लोकपाल की तर्ज पर राज्यों में विधान क्यों बनाना चाहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ राज्यों में लोकायुक्त प्रभावी नहीं हैं। भ्रष्टाचार रोधी तंत्र कार्य नहीं कर रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)...**

श्री वी. नारायणसामी: मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात राज्य को ही ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। आप अपना अवसर आने पर बोलिए।

*(व्यवधान)...**

श्री वी. नारायणसामी: गुजरात राज्य में पिछले आठ वर्ष से कोई भी लोकायुक्त नहीं है...*(व्यवधान)* वहां ऐसा क्यों नहीं है?...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। जब आपको अवसर दिया जाए तब आप बोलिए। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया आप सभी बैठ जाइये।

*(व्यवधान)...**

श्री वी. नारायणसामी: जब देश में एक समान विधान होगा तो राज्यों में भी प्रभावी लोकायुक्त होंगे।

मैं एक महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप खड़े क्यों हो रहे है? कृपया बैठ जाइये। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब आपको अवसर मिलेगा आप तब बोलिए।

*(व्यवधान)...**

श्री वी. नारायणसामी: प्रधानमंत्री पद के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। माननीय प्रधानमंत्री 120 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वे विदेश जाते हैं उनका सम्मान किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री निष्कलंक रिकार्ड है।

परन्तु वर्ष 2001 में जब राजग शासन द्वारा लोकपाल विधेयक लाया गया था, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। विधेयक में प्रधानमंत्री को शामिल किया जाना था तो दो वर्ष तक विधेयक को मूर्त रूप नहीं दिया गया। स्थायी समिति द्वारा सिफारिश करने के पश्चात भी यह विधेयक सामने नहीं आया क्योंकि भाजपा के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को विधेयक के दायरे में शामिल करने का विरोध किया।

जहां तक हमारे प्रधानमंत्री को शामिल किए जाने का संबंध है हमने चाहे इसका विरोध किया है लेकिन प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री के पद को विधेयक के दायरे में लाया जाना चाहिए।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, मैं अचम्भित नहीं हूं और मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि हर कोई जानता है कि इस देश में विभिन्न राज्यों का अपनी-अपनी सुविधानुसार अपना-अपना रुख है। मैं इस पहलू पर बात नहीं करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री वी. नारायणसामी: जांच तंत्र जो सी.बी.आई. को सौंपा गया है के बारे में कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि इसे लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए, जांच तंत्र उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैं इस सम्मानित सभा के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे चाहते हैं कि प्रशासन लोकपाल के अधीन हो इसे लोकपाल द्वारा ही नियंत्रित किया जाना चाहिए, वे चाहते हैं कि न्यायपालिका भी लोकपाल के द्वारा नियंत्रित हो; वे चाहते हैं कि विधानमण्डल पर भी लोकपाल का नियंत्रण होना चाहिए। यह कैसे सम्भव है? संसद सदस्यों को इसके दायरे में लाया जाना चाहिए, न्यायपालिका को इसके दायरे में आना चाहिए; इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि सरकार की प्रशासनिक इकाई भी इसके दायरे में आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे माननीय अध्यक्ष महोदय को शक्तियों को भी छीन लेना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप उन्हें बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने विनीत नारायण मामले में यह स्पष्ट किया है कि सी.बी.आई. की जांच ईकाई की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और यहां तक की उच्चतम न्यायालय भी जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अत: अध्यक्ष महोदया विधेयक में इस बातों का ध्यान रखा गया है और इसके पश्चात विधेयक विचार हेतु इस सम्मानित सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अत: माननीय सदस्य पूरी तरह से अवगत है कि

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री वी. नारायणसामी]

जब हम कहते हैं कि यह एक युगान्तकारी विधेयक है; इसकी काफी आलोचना की गई है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस लोकपाल विधेयक के अतिरिक्त किसी और विधेयक में दंडित करने से पूर्व संपत्ति जब्त करने का उपबंध नहीं किया गया है। देश के किसी अन्य विधान में ऐसा उपबंध नहीं किया गया है। लोकपाल को किसी अधिकारी को निलंबित करने अथवा स्थानान्तरित किए जाने की सिफारिश करने की शक्तियां दी गई हैं। तलाशी और जब्त करने के अतिरिक्त उन्हें यह शक्ति भी दी गई है। इसके अतिरिक्त पहली बार विधान के माध्यम से, पहले सरकार के आदेश के द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा संपत्ति और देयताओं को प्रकटन घोषित किया जाना अनिवार्य बनाया गया है। अतः यदि कोई यह कहता है कि यह विधेयक कमजोर है उसने इस विधेयक को ध्यान से नहीं पढ़ा है और वे ऐसे ही टिप्पणियां कर रहे हैं। सदस्य पहले विधेयक पढ़ें और फिर उसके पश्चात वे विधेयक की अच्छाई को समझ सकते हैं। विधेयक में संतुलन को बनाए रखा गया है।

हमारी सरकार देश के संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान का बुनियादी ढांचा अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वे लोकतंत्र के रखवाले हैं। यह सभा सर्वोच्च है और यह सभा जो निर्णय लेगी हम उसके अनुसार चलेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को विचार करने और पारित करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए स्थायी समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उसके अनुसार यह विधेयक इस सम्मानित सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और मैं माननीय अध्यक्ष महोदया से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक पर भी विचार किया जाए।

महोदया, हमारी सरकार द्वारा "भ्रष्टाचार-रोधी" एक अन्य उपाय भी किया गया है। हमने लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010 को नए शब्दों में व्हिवल ब्लोअर्स विधेयक लिखा है। इसे भी विचारार्थ लिया जाए ताकि हम इन सभी विषयों पर एक साथ उत्तर दे सकें। अन्य लंबित विधेयक जैसे भ्रष्टाचार रोधी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी क्या आपने मद संख्या 19 प्रस्तुत की है?

श्री वी. नारायणसामी: जी हां, महोदया। इसके संशोधन अलग से दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदया: चूंकि माननीय मंत्री ने क्रम संख्या 17, 18 और 19 पर सूचीबद्ध विधेयक प्रस्तुत किए हैं। हम इन तीनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापाना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।";

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।";

"कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा विवेकाधिकार के जानबूझकर दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कारित कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। अभी श्री नारायनसामी जी ने तीन बिल सदन में चर्चा के लिए रखें हैं - लोकपाल विधेयक, संविधान संशोधन का 116वां विधेयक और व्हिसल ब्लोअर विधेयक। जिस उत्तेजना में, जिस मुद्रा से मंत्री जी ने यह बिल सदन में पेश किया, उससे लगता है कि सरकार बहुत नाराजगी में यह बिल लेकर आई है।

महोदया, आपने अनेक मंत्रियों को बिल प्रस्तुत करते देखा होगा, चूंकि बिल पारित कराना होता है, इसलिए मंत्री जी बहुत शांति से, शांत मुद्रा में बिल रखते हैं और अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कीजिये, लेकिन ऐसा लगता था कि वे तो लड़ने के लिए तैयार थे। बजाय बिल के प्रावधानों पर बोलने के, वे एक राजनीतिक भाषण कर रहे थे।

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम): मैडम, उनकी आवाज ही ऐसी है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आवाज पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती हूं, लेकिन मैं उनके भाव और मुद्रा की बात कर रही हूं।

महोदया, पिछले एक वर्ष से इस देश में लोकपाल की चर्चा हो रही है। अन्ना हजारे जी के जनआन्दोलन ने इस चर्चा को और गरमा दिया है। इसलिए देश बहुत उत्सुकता से यह प्रतीक्षा कर रहा था...(व्यवधान) देश बहुत उत्सुकता से यह प्रतीक्षा कर रहा था कि शीतकालीन सत्र में सरकार एक बिल लेकर आयेगी। जिस बिल में से एक सशक्त, एक प्रभावी लोकपाल निकलेगा, जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करेगा और लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलायेगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो बिल सरकार लेकर आयी है, उसमें इतनी त्रुटियां हैं, इतनी खामियां हैं कि उसने हम सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

महोदया, यह बिल संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन करता है, यह बिल एक कमजोर और सरकारी लोकपाल पैदा करता है, यह बिल अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ है और यह बिल इस सदन में बनी हुई सेंस आफ दि हाउस की अनदेखी करता है।

महोदया, जिस समय यह बिल पेश किया जा रहा था, आज नहीं जब इंट्रोड्यूज किया जा रहा था, उस समय पीठासीन नहीं थीं। मगर उस समय के पीठासीन सभापति जी से भी अनुमति लेकर मैंने इस बिल पर दो संवैधानिक आपत्तियां उठायी थीं। एक, जिसे आज अभी लालू जी ने कहा कि यह बिल संघीय ढांचे पर प्रहार करता है और दूसरा, यह बिल संविधानसम्मत आरक्षण का प्रावधान नहीं करता। पेश किये जाते समय आप बहुत लंबी बात नहीं कह सकते, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी करनी होती है, इसलिए तब मैंने संक्षेप में अपनी बात कही थी। आज मैं विस्तार से अपनी बात कहना चाहूंगी और इन चारों आरोपों को, जो मैंने इस बिल पर लगाये हैं, तर्क और तथ्य के साथ इस सदन में पुष्ट करना चाहूंगी।

महोदया, हमारे देश के संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। बहुचर्चित केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारतीय संविधान में किसी भी तरह का संशोधन संसद कर सकती है, पर बुनियादी सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। वे संविधान की मूल विशेषताएं हैं जो उन्होंने लिखे, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर, देश के संघीय ढांचे को भी एक बुनियादी सिद्धांत माना। इस बुनियादी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए हमारे संविधान के सातवें शैड्यूल में तीन सूचियां बनायी गयी हैं। एक सूची है सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, केंद्र की सूची, संघ की सूची, एक सूची है स्टेट लिस्ट, राज्यों की सूची और एक सूची है कान्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तीनों सूचियों में अलग-अलग विषय वर्णित किये गये हैं। संघ की सूची पर भारतीय संसद कानून बना सकती है, राज्यों की सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य की विधान सभाओं को है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। ऐसा हमारे यहां प्रावधान है।

अब मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि यह बिल लोकपाल और लोकायुक्त दोनों का प्रावधान कर रहा है। लोकपाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को देखेगा और लोकायुक्त राज्य सरकारों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को देखेगा। राज्य सरकारों के कर्मचारी, यह हमारे यहां स्टेट लिस्ट का विषय है। यह मेरे पास संविधान है, संविधान की सातवीं अनुसूची, सूची II का - राज्य सूची, प्रविष्टि 41, राज्य लोक सेवाएं।

यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बारे में कोई भी कानून बनाने का अधिकार इस देश में राज्य की विधान सभाओं को दिया गया है। लेकिन इसी संविधान में दो धाराएं ऐसी हैं जहां राज्यों के विषय पर भी केन्द्र कानून बना सकता है। वे दो धाराएं हैं 252 और 253,

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

मैं इन दोनों के भी शीर्षक आपको पढ़कर सुनाती हूं। 252 कहता है:-

[अनुवाद]

दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का अन्य राज्यों द्वारा अंगीकार किया जाना,

[हिन्दी]

यानी दो राज्य अगर केन्द्र सरकार से कहें कि आप अमुक विषय पर बिल बना दो तो भारतीय संसद बना सकती है, और बाकी राज्यों के लिए एक एनेबलिंग प्रोविजन देती है कि अगर आप भी इस बिल को अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। दूसरा है धारा 253-

[अनुवाद]

"अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने बनाने के लिए विधान"

[हिन्दी]

जिसका जिक्र अभी नारायणसामी जी कर रहे थे।

अध्यक्ष जी, जिस समय इस सदन में सैन्स ऑफ द हाउस लेने के लिए चर्चा हो रही थी, तो जो तीन विषय नेता सदन ने रखे थे, उनमें एक विषय यह भी था कि क्या लोकपाल और लोकायुक्त एक साथ बनाए जा सकते हैं, एक एक्ट के अंतर्गत बनाए जा सकते हैं? उस समय भी मैंने यहां खड़े होकर कहा था कि बनाया जा सकते हैं मगर रास्ता 252 का अख्तियार करें।

अध्यक्षा जी, इसके बाद तीन प्रश्न आते हैं जो नेता सदन ने हमारे विचार के लिए अपने वक्तव्य में उठाए हैं। एक विषय है कि क्या एक ही एक्ट से लोकपाल और लोकायुक्त बन सकता है? संविधान का अनुच्छेद 252 हमें यह अधिकार देता है कि दो राज्यों के समर्थन से यह लोक सभा एक एनेबलिंग प्रोविजन के साथ ऐसा कानून बना सकती है जिसे बाद में राज्य स्वीकार कर सकें। मैं कहना चाहती हूं कि अनुच्छेद 252 को हम देख लें। उसमें यह लिखा है -

[अनुवाद]

दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्यों द्वारा अंगीकार किया जाना।

[हिन्दी]

इसके तहत हम एक ही बिल से लोकपाल और लोकायुक्त बना सकते हैं। दो राज्यों के समर्थन से बना दें, बाकी राज्यों के लिए एक एनेबलिंग प्रोविजन बना दें जिससे राज्य सरकारें उसको एडॉप्ट कर सकें ताकि कोई राज्य सरकार यह न कह सके कि हमारे पास कोई मॉडल बिल नहीं है। जब-जब सरकार से अलग से बात हुई तो हमने यह कहा कि 252 का रास्ता अख्तियार कर लीजिए, एक बिल बना दीजिए ताकि राज्य सरकारों की इच्छा होगी, अगर वे उस बिल को लेना चाहेंगे तो जस का तस ले लेंगे, संशोधित रूप में लेना चाहेंगे तो संशोधित रूप में ले लेंगे और नहीं लेना चाहेंगे तो नहीं लेंगे। लेकिन यह 252 का रास्ता अख्तियार कर लिया जाए। आज सरकार ने मंशा तो यह दिखाई कि हम सरकारों और राज्य सरकारों पर थोपना नहीं चाहते, स्टेट लैजिस्लेचर भी बिल बना सकती है, लेकिन रास्ता अख्तियार किया 253 का। अभी जो नारायणसामी जी कह रहे थे कि लैजिस्लेटिव कंपीटैन्स का विषय उठा था - नहीं, लैजिस्लेटिव कंपीटैन्स का विषय नहीं उठा था। 253 के तहत आपके पास पावर्स हैं, यह कहकर हमने यह कहा था कि विषय यह है कि क्या 253 के नीचे का बिल मैनडेटरी है या ऑप्शनल है। हमने कहा था कि 253 के अंदर अगर बिल बनाओगे तो बिल मैनडेटरी होगा। आप चाहते हैं कि बिल आप्शनल हो, आप ऑप्शन देना चाहते हैं और आपने कांस्टीट्यूशन अमैंडमैंट में दिया है। मैं 323 (डी) पढ़कर सुनाती हूं-

[अनुवाद]

"प्रत्येक राज्य के लिए एक लोकायुक्त होगा। संसद या राज्य विधियिका को भ्रष्टाचार निवारण हेतु किसी कानून के अंतर्गत लोकायुक्त को की गई शिकायतों के संदर्भ में प्रारंभिक जांच और भ्रष्टाचार के अभियोजन के लिए अधीक्षण और निर्देश से संबंधित शक्तियां लोकायुक्त के पास होंगी।

[हिन्दी]

आपकी मंशा यही है, जो हमारी है कि राज्य सरकारों पर यह थोपा न जाए और इसीलिए आपने दोनों ऑप्शन कांस्टीट्यूशन अमैंडमैंट में दिये। आप इससे लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। तो आपने कहा कि पार्लियामैंट लॉ बनाए या स्टेट लैजिस्लेचर लॉ बनाएं, लोकपाल और लोकायुक्त को इससे संवैधानिक दर्जा मिलेगा और आपकी यह बात कपिल सिब्बल जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने बयान में कही, इस मंशा को जाहिर किया।

[अनुवाद]

हम यह नहीं कह रहे हैं यदि कानून संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है तो यह राज्यों हेतु अनिवार्य होगा। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयकों में अंतर्विष्ट मॉडल कानून राज्य विधानमंडलों हेतु सामर्थ्यकारी उपबंध है ताकि वे इसे पूर्णतया अथवा ऐसे उपबंधों जिन्हें वे अपनाने के लिए उपयुक्त समझते हों, को अपना सकें।

[हिन्दी]

लेकिन यह सरकार इतनी कनफ्यूज्ड है कि आज पूरे का पूरा भाषण नारायण सामी जी ने बदल दिया। आज वे कह रहे हैं कि हमने तो मैंडेटरी ही बनाया है। हमने तो इसलिए बनाया है कि वरना गुजरात जैसा घटेगा कोई राज्य लोकायुक्त बना नहीं पाएंगे। इनके दो मंत्री दो स्वर में बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि हमने यह बिल बनाया है ऑप्शन के साथ रखते हुए और वहां मेरा जवाब यह है कि कपिल जी 253 के नीचे ऑप्शन दी ही नहीं जा सकती है। 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी होता है और आपके बयान का जवाब देने के लिए मैं लॉ कमिशन की रिपोर्ट अपने साथ लेकर आयी हूं। 186 रिपोर्ट, लॉ कमिशन ऑफ इण्डिया। इसमें एक प्रश्न उठा था, अध्यक्ष जी, कि क्या 252 के तहत बनाए हुए बिल को 253 में एसेंड किया जा सकता है? कपिल जी गौर करिए लॉ कमिशन ने क्या कहा -

[अनुवाद]

"यदि संसद ने अनुच्छेद 253 के अंतर्गत 1978 के संशोधनकारी कानून को पारित किया होता तो इन राज्यों को अपनी विधानमंडलों में संकल्प पारित करने या 1978 के संशोधनकारी कानून को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः विचार यह है कि इन सभी राज्यों में, यदि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कहा जाता है, एक समान कानून हों।"

दोबारा पढ़ूं!

"वस्तुतः विचार यह है कि इन सभी राज्यों में, यदि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कहा जाता है, एक समान कानून हों।"

[हिन्दी]

और आपने यह बिल इंटरेनेशनल कांफ्रेंस के लिए ही बनाया है, क्योंकि इस बिल के प्रीएम्बल में ही लिखा है कि

[अनुवाद]

"यद्यपि भारत ने संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय अभिपुष्ट किया है, इसलिए अब आवश्यक है कि उक्त अभिसमय को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कानून अधिनियम किया जाए और भ्रष्टाचार के मामलों में शीघ्र और निष्पक्ष जांच और अभियोजन का प्रावधान किया जाए।"

[हिन्दी]

ये आपके बिल का सोर्स है। यूनाइटेड नेशन अंगैस्ट करप्शन को अमली जामा पहनाने के लिए आप यह बिल बना रहे हैं, इसलिए 253 का सहारा ले रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि 253 के नीचे बना हुआ बिल ऑप्शनल है। आपके मंत्री आज मूव करते हुए कहते हैं कि 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी है। आपका कान्स्टीट्यूशन एमेंडमेंट कहता है कि नहीं, हम तो ऑप्शन देना चाहते हैं, हम राज्यों पर लादना नहीं चाहते हैं। आपका मंत्री मूव करते हुए कहता है कि हम राज्यों पर लादना चाहते हैं। पहले तय तो कर लीजिए कि आप चाहते क्याा हैं? अगर आप मैंडेटरी लॉ बना रहे हैं तो उसमें एक खतरा यह पैदा होता है, जो अभी लालू जी ने कहा कि संघीय ढांचा कहां आहत होता है, फिर तो राज्य के विषय पर अगर कभी भी भारतीय संसद कानून बनाना चाहेगी, केन्द्र

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

सरकार बनाना चाहेगी और उन विषयों में हस्तक्षेप करना चाहेगी तो किसी एक देश के साथ संधि कर लेगी किसी तरह की और उसके नीचे यह बिल ले आएगी। इसलिए हम यह कहते हैं कि संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। लेकिन पहले आप हमें बताइए कि आप मैंडेटरी लॉ लाए हैं या ऑप्शनल लॉ लाए हैं। प्रणब दा कहते हैं कि ऑप्शनल है। कपिल सिब्बल जी टाइम्स ऑफ इण्डिया में कहते हैं कि यह ऑप्शनल है, यह इनैब्लिंग प्रोविजन के साथ है। लेकिन आज कलई खुल गई, जब नारायण सामी जी खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं, यह तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, इसका अर्थ आपको पता है क्या होगा? देश के 18 राज्यों में लोकायुक्त हैं। आपके बिल से कहीं ज्यादा बेहतर लोकायुक्त हैं। अभी-अभी उत्तराखंड का एक बिल बना है। एक नायाब बिल है। ऐसा बिल जो भ्रष्टाचार पर सीधे चोट करेगा।...(व्यवधान) कर्नाटक का बिल पुराना बना हुआ है। इतने अच्छे बिल बने हैं। आपका यह बिल आते ही वे खत्म हो जाएंगे, और कपिल जी जिस धारा का आप हवाला दे रहे हैं, 64(5) का, वह ट्रांजिशनल है। जरा उसको पढ़ लीजिए, वह ट्रांजिशनल है। जैसे अगर कोई इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री या कोई तो राष्ट्रपति कहते हैं कि जब तक दूसरा न आ जाए, तब तक आप बने रहें। उसको ट्रांजीशन कहते हैं। वह ट्रांजिशनल पीरियड है।

मध्याह्न 12.00 बजे

जब तक कि राज्य इसको एडॉप्ट न कर लें, तब तक वह ट्रांजिशन रहेगा। मैं आपसे प्रश्न करती हूं कि जिन नए राज्यों में यह बिल नहीं है, क्या यह बिल पारित होते ही उन पर लागू नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां तो कोई ट्रांजिशनल क्लॉज का सवाल नहीं है। इसलिए पहले अपना कंफ्यूजन दूर करिए। कपिल जी, आपसे मेरे कुछ प्रश्न हैं। आप मानते हैं कि लोकायुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को देखेगा।

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, आप चेयर को संबोधित कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल पूछना चाहती हूं कि आप मानते हैं कि लोकायुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले को देखेगा। आप मानते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़ा विषय राज्य सूची का विषय है। आप मानते हैं कि राज्य सूची के विषय पर भारतीय संसद केवल दो धाराओं - 252 और 253 के अंतर्गत कानून बना सकती है। आप मानते हैं कि 252 के लिए दो राज्यों के प्रस्ताव चाहिए। आप मानते हैं कि उन दो राज्यों के प्रस्ताव आपके पास नहीं हैं। आप मानते हैं कि आपने यह बिल 253 में बनाया है। आप मानते हैं कि आपने यह बिल यूनाइटेड नेशन एगेन्स्ट करप्शन को अमली जामा पहनाने के लिए बनाया है, तो यह भी मानिए कि 253 के नीचे बना हुआ लॉ मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। आपने ऐसा बिल लाकर केवल देश के संघीय ढांचे पर आघात ही नहीं किया है, बल्कि जो राज्य भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से लड़ रहे हैं, उनकी धार को कुंद करने का अपराध किया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मेरी दूसरी आपत्ति आरक्षण के प्रावधान को लेकर है। अध्यक्ष जी, हमारे यहां वर्ष 1952 के इन्दिरा साहनी केस से लेकर वर्ष 2010 के के. कृष्णमूर्ति के केस तक सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह कहा कि आरक्षण की अपर लिमिट, अधिकतम सीमा 50 फीसदी होगी। नियम पचास प्रतिशत का होना चाहिए। अगर अपवाद किया तो केवल नॉर्थ ईस्ट जैसे फार फ्लंग एरियाज के लिए। लेकिन अगर आप इस बिल का प्रोविजन देखें, धारा तीन का प्रोवीजो, वह कहता है कि

[अनुवाद]

> "परंतु यह भी कि लोकपाल के सदस्यों का पचास प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों से हो जो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाएं होंगे।"

[हिन्दी]

नॉट लेस दैन का मतलब है न्यूनतम सीमा। जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम सीमा निर्धारित की, उसको यह बिल कहता है न्यूनतम सीमा, यानी 50 प्रतिशत से कम तो होगा नहीं, 50 प्रतिशत से ऊपर जितना भी हो सकता है। लोकपाल में चेयरमैन को साथ मिलाकर नौ मेम्बर्स हैं। एक चेयरमैन और आठ मेम्बर हैं। नौ सदस्यों में नॉट लेस दैन फिफ्टी परसेंट का मतलब है पांच सदस्य। पांच सदस्य आरक्षित हो गए, आप सात भी कर सकते

हैं, आठ भी कर सकते हैं, आप नौ के नौ सदस्य भी रख सकते हैं। यह आपको ही तय करना है। जिस समय मैंने यह बात रखी थी तो लालू जी ने कहा कि यह सीमा तो नौकरियों के लिए है, और बड़ी हुंकार भरी सहमति उधर से आई संसदीय कार्य मंत्री जी की कि यह बात है। संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहती हूं कि यह बात नहीं है पवन भाई, क्योंकि अगर नौकरियों के लिए 50 प्रतिशत की सीमा है तो संवैधानिक पदों के लिए तो आरक्षण है ही नहीं। संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी आरक्षण है ही नहीं। आपकी स्टैण्डिंग कमेटी ने यह कहा कि यह आरक्षण वांछित नहीं है। यह मेरे पास स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट है।

[अनुवाद]

"समिति यह भी मानती है कि यद्यपि लोकपाल संस्था नौ सदस्यों का अपेक्षाकृत काफी छोटा निकाय है और लोकपाल संस्था में विशिष्ट आरक्षण की मांग पूरी नहीं की जा सकती और न की जानी चाहिए।"

[हिन्दी]

यह स्टैंडिंग कमेटी का रिकोमेंडेशन है। नौ मेम्बर्स की बॉडी में नहीं दिया जा सकता और नहीं दिया जाना चाहिए, यह उन्होंने कहा। संवैधानिक पद हैं - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद। उसके बाद संवैधानिक संस्थाएं हैं - सुप्रीम कोर्ट, सी.ई.सी., सी.वी.सी. और सी.ए.जी.। संवैधानिक संस्थाओं में हमारे यहां आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन आज एक बात कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि इन्होंने इस बिल में ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, इस बिल में इन्होंने केवल संवैधानिक संस्थाओं के लिए आरक्षण ही नहीं किया, केवल 50 परसैंट की सीमा को नहीं बढ़ाया, ये धर्म आधारित आरक्षण बिल लेकर आए हैं।...*(व्यवधान)* संविधान 50 परसैंट सीमा तय करता है, लेकिन मजहब पर आधारित आरक्षण की अनुमति ही संविधान नहीं देता, इजाजत ही नहीं देता।...*(व्यवधान)* लेकिन मैं एक बात कह दूं, मुझे आज भारतीय संसद के मंच पर खड़े होकर यह बात कहते हुए बहुत गर्व है कि आरक्षण के बिना भी माइनोरिटीज के अनेकानेक महानुभावों ने इन संवैधानिक पदों को सुशोभित किया।

अध्यक्ष महोदया, भारत में 12 राष्ट्रपति हुए हैं, चार माइनोरिटीज से हुए हैं।...*(व्यवधान)* डॉ. जाकिर हुसैन, डॉ. फखरूद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम।...*(व्यवधान)* दोनों सरकारों ने लगाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप शांत रहिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: 12 राष्ट्रपति में से चार राष्ट्रपति माइनोरिटीज से हुए। मैंने उनके नाम भी लिए हैं।...*(व्यवधान)* हमने भी लगाया, एन.डी.ए. सरकार ने भी और आपने भी लगाया, बिना किसी सरकार के।...*(व्यवधान)* इन्हें समय मिलेगा, जब इनका टाइम आए तब ये बोल लें।...*(व्यवधान)* अभी मुझे अपनी बात कहने दें।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत हो जाइए। आप क्यों खड़े हो गए, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। सुषमा जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: किसी ने नहीं कहा, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, मैं जो बोल रही हूं, वह रिकार्ड पर जा रहा है न।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं गर्वीले हिन्दुस्तान की बात कर रही हूं और गर्व से कर रही हूं।...*(व्यवधान)* हिन्दुस्तान को गर्व है कि 11 उपराष्ट्रपति हुए, उनमें से तीन माइनोरिटीज से हुए।...*(व्यवधान)* ये बिल नौकरी के लिए नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: ये बिल नौकरी के लिए नहीं आया न।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। बैठ जाइये। असादुद्दीन जी, बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपके चाहने, ना चाहने से

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं होगा, देश ने दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप इतने ज्यादा उत्तेजित क्यों हुए जा रहे हैं, कृपया बैठिये। बस हो गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपके चाहने, ना चाहने से नहीं होगा, देश ने दिया है। हिन्दुस्तान को इस पर गर्व है। माइनोरिटी से तीन उप-राष्ट्रपति हुए हैं - डॉ. जाकिर हुसैन, हिदायतुल्ला साहब, श्री हामिद अंसारी...*(व्यवधान)* हमने एहसान नहीं किया, तभी मैं कह रही हूं। आज भी वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह माइनोरिटी से हैं, पर इसलिए नहीं हैं कि माइनोरिटीज से हैं, बल्कि इसलिए हैं कि ये श्रेष्ठ हिन्दुस्तानी हैं। अध्यक्षा जी,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये। शान्त हो जाइये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अब मैं न्यायपालिका पर आती हूं। आपको खुश होना चाहिए, गर्व से सीना फूलना चाहिए और आप टोका-टाकी कर रहे हैं। अध्यक्षा जी, न्यायपालिका में देखिये, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश, चीफ जस्टिसेज ऑफ इंडिया में पांच जस्टिसेज ऑफ इंडिया माइनोरिटी से हुए हैं। जस्टिस हिदायतुल्ला, जस्टिस एम.एच. बेग, जस्टिस ए.एम. अहमदी, जस्टिस भरूचा और जस्टिस कापड़िया।...*(व्यवधान)* पांच में जस्टिस अहमदी गिनाया मैंने और यह नहीं, मैंने यही कहा, अध्यक्षा जी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जरा सा बैठिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं इतने गर्व की बात कह रही हूं कि विदेश सुनेगा, अन्तर्राष्ट्रीय जगत सुनेगा तो भारत की प्रशंसा करेगा। आपसे यह भी समाया नहीं जाता?...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये न। बैठ जाइये-जरा सा शान्त हो जाइये। जब आपकी टर्न आएगी, तब आप बोलियेगा, अभी सुनिये। आपकी भी टर्न आएगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपसे अच्छी बात भी सुनी नहीं जाती? मैं कोई गलत तथ्य दे रही हूं, कोई गलत बात कह रही हूं तो आप टोकिये। अरे, अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लोग सुन रहे होंगे, हिन्दुस्तान की पीठ थपथपा रहे होंगे कि भारतीय संसद में यह कहा जा रहा है।

न्यायपालिका के बाद संवैधानिक संस्था पर आइये। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज हमारी निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन हमारा सी.ई.जी. (चीफ इलैक्शन कमिश्नर) श्री एस.वाई. कुरैशी, माइनोरिटी का व्यक्ति कर रहा है, हमने उनको इसलिए नहीं चुना कि वे माइनोरिटी के हैं, बल्कि इसलिए चुना कि वे काबिल हैं, वे योग्य हैं और संवैधानिक पद पर इसलिए चुना कि वे श्रेष्ठ हिन्दुस्तानी हैं। यह अच्छी बात आपको सुनने में बुरी लगती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जरा शान्त हो जाइये। इस तरह क्यों इतना शोर मचा रहे हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: लेकिन आज जो हम कर रहे हैं, वह हिन्दुस्तान के लिए सही नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान के बंटवारे का अंकुर धर्म आधारित आरक्षण में पड़ा था और अन्ततः देश टूट गया था। सबसे पहले धर्म के आधार पर आरक्षण आया था, वह बंटवारे का बीज था। आपने वह त्रासदी भोगी है...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी, आपने वह त्रासदी भोगी है, आपने वह पीड़ा सही है और आप अपने राज में यह कर रहे हैं। आपने एक बार इस सदन में हमें सम्बोधित करते हुए एक शेर पढ़ा था, आज मैं उसी शेर को आपको मुखातिब करते हुए कहती हूं:

'यह जब्र भी देखा है, तारीख की नजरों ने,

लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।'

[अनुवाद]

आज वह लम्हा है। हम क्या करने जा रहे हैं, मजहब पर आधारित आरक्षण?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये। आप बार-बार क्यों खड़े हुए जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मजहब पर आधारित आरक्षण इस देश में विभाजन का दूसरा बीज बोने का काम करेगा। मैं चेतावनी के साथ कहना चाहती हूं। लालू भाई, आप तो सरकार की चतुराई समझ ही नहीं पाए। सुबह इन्होंने आपसे वह मामला उठवा दिया और आपकी बात मान ली।...*(व्यवधान)* उसी शाम को आपकी थाली में से हिस्सा लूट लिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अध्यक्ष को संबोधित करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब आपका आपस में वार्तालाप शुरू हो गया। यह क्या हुआ? इधर संबोधित करिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): मेरा नाम लिया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप इधर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: मैंने यह आरोप लगाया था, सही लगाया था कि आर.एस.एस., बी.जे.पी. के इशारे पर माइनोरिटी शब्द को हटाया। इन्होंने हटाया था। अब आप बहाना बना रही हैं, कमंडल वाले लोगों...*(व्यवधान)* आप बहाना बना रही हैं कि इलेक्शन है, इलेक्शन है, इलेक्शन है।...(व्यवधान) देश का बंटवारा आप चाहती हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपने मेरी बात सुनी नहीं। *...(व्यवधान)* मैं आपसे कह रही हूं कि सरकार ने आपके साथ चतुराई की। सुबह आपकी बात मान ली और शाम को आप ही की थाली में से हिस्सा निकाल लिया और आपकी बोलती बंद हो गयी। ओ.बी.सी. रिजर्वेशन में से साढ़े चार परसेंट जब माइनोरिटी को दिया, अंदर-अंदर तो आप उबल रहे हैं, मगर आप बोल नहीं सकते, आप विरोध नहीं कर सकते, शरद यादव जी विरोध करेंगे। शरद यादव जी विरोध करेंगे, आप विरोध नहीं कर सकते, अंदर-अंदर आप उबल रहे हैं। आप क्यों नहीं विरोध कर सकते? आप ही के शब्दों में आपको जवाब दिया जाएगा। आपने कहा था कि धन और धरती बंटकर रहेगी, अपना-अपना छोड़ के, आप विरोध करेंगे तो लोग कहेंगे कि मुस्लिम को आरक्षण तो दो, पर हमरा-हमरा छोड़ के। इसीलिए आप बोल नहीं पा रहे हैं।...*(व्यवधान)* लुट गए आप।...*(व्यवधान)* सरकार दोनों तरफ से फायदे में रही। दोनों-तरफ से सरकार फायदे में रही और आपका हिस्सा लूट लिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, मुझे उस दिन प्रणब दा का जवाब सुनकर हैरानी हुयी। जब मैंने आपत्तियां उठायीं, आप पीठासीन नहीं थीं, उन्होंने कहा कि हम जुडीशियरी का रोल अख्तियार क्यों करें? अपने आप अदालत को जो करना होगा, कर लेगी। उनकी बात से ऐसा लगा कि जैसे यह बिल उनके लिए एक बला बन गया है और वे सिर से बला टालना चाहते हैं। बजट सैशन आ रहा है, वित्त मंत्री को बहुत काम होते हैं। उनको लगता है कि यह बिल पारित हो, जैसे मर्जी पारित हो, घटिया, बढ़िया, बेकार जैसा भी, हो जाए एक बार कि हम बिल ले जाए, लेकिन यह सही नहीं है। यह सोच भी सही नहीं है। देखकर मक्खी नहीं निगली जाती है। कोई चीज वैसे गलत हो जाए और उसके गूढ़ तत्व में जाकर सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस करार दे दे, यह तो हो सकता है, लेकिन एक चीज पेटेंटली अनकांस्टीट्यूशनल सामने है और जिस सदन में इतने बड़े-बड़े संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं, चिदंबरम जी का गृह मंत्री के नाते हमारा विरोध होगा, पर वे एक नामी-गिरामी वकील हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मैं उन्हें उत्कृष्ट अधिवक्ता मानती हूं। कपिल सिब्बल जी बैठे हैं, होगा राजनैतिक विरोध हमारा, इनके बिल राज्य सभा में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रुक जाते होंगे, लेकिन वह संविधान के विशेषज्ञ हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सलमान खुर्शीद जी बैठे हैं, पवन बंसल जी बैठे हैं और प्रणव दा चाहे लॉयर न हों, लेकिन उनको संसद का इतना अनुभव है, वे इतने अनुभवी सांसद हैं, यहां आडवाणी जी बैठे हैं, चालीस साल का जिनका राजनैतिक अनुभव है, छोटी-मोटी, टूटी-फूटी जानकारी तो अध्यक्ष जी मुझे भी संविधान की है।...*(व्यवधान)* हम सबके रहते हुए एक पेटेंटली अनकांस्टीट्यूशनल बिल यहां से पारित हो, यह हम कैसे सहेंगे? इसलिए मैंने इनसे कहा, मेरे दो संशोधन हैं। पहले वाले में संघीय ढांचे पर मेरा संशोधन कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट में है। जहां मैंने कहा कि अंडर आर्टिकल 252 शब्द जोड़ लो, आप उसे स्वीकार कर लो, दो राज्यों के प्रस्ताव मंगा लो और बिल आर्टिकल 252 के नीचे ले आओ। यह मेरा संशोधन है कि मजहब आधारित आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए उसको संविधान सम्मत बनायें।

यह मेरा पहला आरोप जो मैंने लगाया था कि बिल संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। इसके संदर्भ में मैंने यह तर्क और संदर्भ दिए हैं। मेरा दूसरा आरोप था कि यह बिल बहुत कमजोर और सरकारी लोकपाल निकाय का है। अध्यक्ष जी, हमने यह चाहा था कि सी.बी.आई. को सरकारी शिकंजे से मुक्त किया जाए मगर उल्टा हुआ। सी.बी.आई. तो शिकंजे से निकली नहीं मगर लोकपाल सरकार के शिकंजे में आ गया। ऐसा बिल लाए हैं उसकी अप्वाइंटमेंट देखो तो कमेटी में सरकारी पक्ष की बहुलता। उसका रिमूवल देखो तो केवल सरकार के पास। यहां तक कि उसकी कार्यप्रणाली देखो तो वे कहते हैं कि जो इंक्वायरी विंग और प्रोसेक्यूशन विंग के डायरेक्टर होंगे, जो पैनल केन्द्र सरकार देगी उससे होंगे। यहां तक कि उसका जो सेक्रेट्री होगा वह सेन्ट्रल गवर्न्मेन्ट के पैनल से होगा। बेचारा लोकपाल अपना सचिव भी नहीं चुन सकेगा। अप्वाइंटमेंट में इन्होंने कहा है - प्रधानमंत्री, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद ज्यूरिस्ट नॉमिनेटेड बाई द गवर्न्मेन्ट। मेरा संशोधन है।...*(व्यवधान)* प्रेसिडेन्ट का मतलब गवर्न्मेन्ट होता है। जब हमनें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रख लिया तो फिर ज्यूरिस्ट की क्या जरूरत है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश जिस पैनल में हैं वहां ज्यूरिस्ट की क्या आवश्यकता है? मेरा संशोधन है कि वहां नेता प्रतिपक्ष राजसभा को साथ में रखा जाना चाहिए। क्योंकि दोनों सदनों के सांसद इसके घेरे में आ रहे हैं। एन.एच.आर.सी. के जिस पैनल में मैं, आप, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, प्रधानमंत्री और एक मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर तो वैसा बना सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते ज्यूरिस्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों नेता सदन होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे तो सरकारी पक्ष की बहुलता कम होगी। वह टिलटेड होगा इंडिपेंडेंट की तरफ। इसलिए इसमें मेरा एक संशोधन है। अप्वाइंटमेंट में सरकारी पक्ष की बहुलता है और हटाने का तरीका तो और भी निराला है। सुप्रीम कोर्ट को कौन रेफरेन्स कर सकता है - सरकार, प्रेसिडेंट लिखा है, प्रेसिडेन्ट का मतलब सरकार या 100 सांसदों के ज्ञापन से सरकार। तीसरा तो बड़ा ही मजेदार है कि अगर किसी भारत के नागरिक को जो शिकायतकर्ता हो उसके मन में यह भाव आ जाए कि लोकपाल सरकार का पक्ष ले रहा है और मेरे प्रति पूर्वाग्रह रख रहा है तो वह सरकार को अर्जी देगा। सरकार तय करेगी कि इसका रेफरेन्स सुप्रीम कोर्ट को करना है या नहीं करना है। वह कहते हैं कि तुम्ही कातिल, तुम्ही मुंसिफ तुम्हीं जल्लाद भी हो, अकरबा खून का दावा करे किस पर। इन्हीं के बारे में तो उसको शिकायत है कि लोकपाल सरकार के लिए पक्षपात कर रहा है और अर्जी इन्हीं को दे। यही मुनसिफी भी करेंगे। यह तय करेंगे कि उसकी इस अप्लिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाये या नहीं भेजा जाए। विश्व भर में कहीं आपने ऐसा देखा है। जिसकी नियुक्ति इनके हाथ में, जिसे पदमुक्त करना इनके हाथ में और बाकी पर तो हैरान हैं। आप प्रोवाइजो-10 पढ़िए। मैं तो पढ़ रही थी और हंस रही थी।

[अनुवाद]

> "लोकपाल का एक सचिव होगा, जो भारत सरकार में सचिव पद के बराबर होगा। जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गई नाम तालिका में अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होगा, जो भारत सरकार के अपर सचिव या उसके समकक्ष स्तर से नीचे के स्तर का नहीं होगा, जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गई नाम तालिका में से अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।"

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

[हिन्दी]

बेचारा लोकपाल को अपना सेक्रेट्री रखने की भी स्वतंत्रता नहीं है। इंक्वायरी विंग का डायरेक्टर इनके पैनल से चुना जाएगा, प्रोसेक्यूशन विंग का डायरेक्टर इनके पैनल से चुना जाएगा और सेक्रेट्री भी इनके पैनल से चुना जाएगा। इनके द्वारा हटाया जाएगा एवं नियुक्त इनके द्वारा किया जाएगा और आप कहते हैं कि यह बड़ा प्रभावी, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। यह कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि सरकारी शिकंजे में जकड़ा हुआ लोकपाल। जहां तक उसके अधिकार का सवाल है उसमें है ऑन ए कंप्लेंट। एक ऐसा लोकपाल बन रहा है जो सुओ-मोटो यानी स्वतः किसी केस का संज्ञान भी नहीं ले सकता है। हर ज्युडिशियल बॉडी यह करती है। मुझे मालूम है कि एक बार पोस्ट कार्ड के ऊपर संज्ञान ले लिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने पी.आई.एल. बना लिया था। कितनी खबरें समाचार पत्रों में छपती हैं, कितनी जानकारियां उसके अपने पास आती हैं। लेकिन इस बिल में सुओ-मोटो संज्ञान लेने का भी अधिकार लोकपाल को नहीं है। मैंने संशोधन दिया है कि वह सुओ-मोटो शब्द डालिए। लेकिन मैं जो कह रही हूं कि यह सरकारी लोकपाल, कमजोर लोकपाल, तो मेरे ये सारे तर्क उस तरफ जाते हैं कि सरकारी शिकंजे में जकड़ा हुआ लोकपाल है, निष्प्रभावी लोकपाल है और यह निष्पक्षता से काम नहीं कर सकता, ऐसा लोकपाल है।

तीसरी बात मैंने कही थी कि यह अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ बिल है। मैं आपके सामने एक-एक विसंगति रखूंगी, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पहली विसंगति प्रधान मंत्री जी को दायरे में लाने की है। सदन में मतभेद है। कुछ लोग चाहते हैं कि प्रधान मंत्री होने चाहिए, कुछ चाहते हैं कि नहीं होने चाहिए।...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं होने चाहिए।...*(व्यवधान)* यह बात आज नहीं कह रही हूं, जिस समय इस सदन में चर्चा हुई थी, तब कह दी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया। प्रधान मंत्री जी को लाए तो हैं पर इतने कवच, कुंडल पहनाकर लाए हैं कि उन्हें कोई छू ही नहीं सके। क्या प्रावधान है? जो शिकायत आएगी, उस पर लोकपाल का फुल बैंच बैठेगा। तीन-चौथाई जज यह तय करें कि शिकायत पर कार्यवाही होनी चाहिए तो कार्यवाही होगी वर्ना नहीं। यह तीन-चौथाई का कौन्सैप्ट कहां से आया?...*(व्यवधान)* अध्यक्षा जी, ईवन इसे देश में संविधान का संशोधन करने के लिए कुल सदन का 50 फीसदी और उसका टू-थर्ड चाहिए। कुल सदन का 50 फीसदी 273 होता है, उसका टू-थर्ड 182 होता है। अगर 543 में से 273 सदस्य उपस्थित होकर 182 लोग संविधान संशोधन के पक्ष में वोट कर दें तो संविधान संशोधित हो जाता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): संवैधानिक संशोधन हेतु इस सभा की आवश्यक न्यूनतम संख्या अर्थात् दो-तिहाई 275 है और न कि 182।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: 50 प्रतिशत कहा है।...*(व्यवधान)* आप भी 50 प्रतिशत रख लीजिए। पर मैंने दो-तिहाई का संशोधन दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: यह सही है। मैं आपकी केवल इस बात को ठीक कर रहा हूं कि संवैधानिक संशोधन हेतु आवश्यक संख्या 275 है और न कि 182।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं इसे समझ गई क्योंकि कुल का पचास प्रतिशत।

[हिन्दी]

अलग से जरूरत है। और उपस्थित सदस्यों और मतदान का दो-तिहाई अलग से जरूरत है। इसलिए मैं इसे समझ गई। लेकिन मैं यह कह रही हूं कि संविधान के लिए 50 प्रतिशत ही चाहिए। आप 50 प्रतिशत रख लें, मगर मैंने दो-तिहाई का संशोधन दिया है। यह थ्री-फोर्थ कहां से आया? इसके बाद प्रोसीडिंग्स कैमरा में होगी और वह किसी आर.टी.आई. या कहीं बाहर उजागर नहीं की जाएंगी। हम पारदर्शिता ला रहे हैं या पारदर्शिता समाप्त कर रहे हैं। आप क्यों पी.एम. को ऐमबैरेस कर रहे हैं? अगर आपको नहीं लाना तो साहस से कह दीजिए कि हम उन लोगों की बात नहीं मानते जो लाना चाहते हैं। लेकिन एक फार्स, एक दिखावा क्यों कर रहे हैं कि हम प्रधान मंत्री को ला भी रहे हैं, लेकिन थ्री-

फोर्थ तो पहले चाहिए, बाद में कैमरा में प्रोसीडिंग होगी, कोई आगे नहीं बताएगा। क्या यह संभव है? हिन्दुस्तान में कहते हैं कि दो लोगों के बीच बात हो तो बाहर निकलती है। नौ जज जिसे देखेंगे, उन नौ जज के नौ असिस्टैंट उनके सामने प्रोसैस करके शिकायत रखेंगे। कोई एक स्टैनो उस आर्डर को लिखेगा भी। किसी ने विमत दिया, असहमति दी तो उसका स्टैनो भी लिखेगा। 20, 22, 25 लोगों के बीच से जो चीज निकलेगी, वह बाहर नहीं आएगी? शिकायतकर्ता तो बताएगा। आप ऐसा कानून ला रहे हैं जिसकी अनुपालना कम होगी, अवहेलना ज्यादा होगी और अंदाजे लगेंगे, अटकलें लगेंगी, अफवाहें उड़ेंगी। ऐसे अंदाज और आकलन वाली चीजें, अफवाहों की सरगर्मियां आप क्यों फैला रहे हैं।

आप पारदर्शिता से कहिये। आखिरकार प्रधान मंत्री जी के बारे में कॉम्पिटैंट अथारिटी हाउस ऑफ दी पीपल को माना गया है। यह सदन किसी बेबुनियाद शिकायत पर थोड़ी कार्रवाई की इजाजत दे देगा। प्रधान मंत्री दल के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं।...(व्यवधान) लेकिन आप यह कह रहे हैं कि क्या शिकायत है और क्या उस पर आगे हुआ, यह बतायेंगे ही नहीं। किस कारण से वह शिकायत खत्म की गयी है, यह बतायेंगे ही नहीं। अरे, अब तो असानजे जैसे लोगों ने विकीलीक्स के खुलासे कर दिये। 20-20 साल पहले की चीजें बाहर आ गयीं। जिन लोगों ने काला धन बाहर रखा था और सोचा था कि कभी नाम नहीं आयेंगे, उनकी सूचियां लोगों ने चुरा लीं। क्या ये चीजें बाहर नहीं आयेंगी? एक ऐसा कानून हम बना रहे हैं, जिसका इम्प्लीमैंटेशन नहीं होगा, बल्कि अवेहलना होगी, तब प्राइम मिनिस्टर ऐमबैरेस जरूर होंगे। कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में आयेगा कि एक ऐसा लॉ अगेन्स्ट करप्शन बना, जिसमें प्रधानमंत्री जी की प्रोसीडिंग कैमरे में होगी और बाहर रिपोर्ट बतायी नहीं जायेगी। लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा था कि यह बिल बड़ा विकृति से भरा है।

अध्यक्ष महोदया, अब मैं दूसरी विसंगति बताती हूं, जो आपकी पीठ से संबंधित है। इसमें एक धारा 24 जोड़ी गयी है। स्टैंडिंग कमेटी में कभी उस पर चर्चा नहीं हुई। मैंने अपने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों से भी पूछा और स्वयं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी। कहां से वह धारा आयी, मुझे नहीं मालूम। सांसदगण उसे सुन लें। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि एम.पी. अगर चार्जशीट भी होगा, तो उसकी रिपोर्ट स्पीकर या चेयरमैन, राज्य सभा को भेजी जायेगी और चार्जशीट के बाद आपसे कहा जायेगा कि आप कार्रवाई कीजिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगी या करेंगी, उसकी रिपोर्ट आप लोकपाल को भेजेंगी और अगर नहीं करेंगी, तो उसके कारण क्या हैं, ये भी उसे लिखकर भेजेंगी।

अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहती हूं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सदन सर्वोच्च है और इस सदन में आपकी सत्ता सर्वोच्च है। आपकी किसी रूलिंग को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यहां लोकपाल कह रहा है कि आप उसे रिपोर्ट देंगी।...*(व्यवधान)* यह आपने कैसे मान लिया।...*(व्यवधान)* सपने आते हैं आपकों? हनचेज होती हैं, क्या होता है आपको?...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: दुविधा होती है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: दुविधा में तो हमेशा ग्रस्त रहते हैं।...*(व्यवधान)* आपकी सत्ता को तो कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी ने पढ़ा है यह बिल? स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा नहीं हुई, तो कहां से आया यह प्रावधान, कहां से आयी है यह धारा? चार्जशीट होने के बाद आपके पास वह रिपोर्ट भेजेगा और आप एक्शन टेकन रिपोर्ट उसे भेजेंगी। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगी, तो कारण लिखकर भेजेंगी। यह बिल रिप्रैजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के भी विरोधाभास में है। वहां तो कहते हैं कि कनविक्शन के बाद भी अगर दो साल का कनविक्शन है और सुप्रीम कोर्ट में अपील पैंडिंग है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़कर जीतकर आ सकते हैं। मगर यहां चार्जशीट के बाद ही सदस्यता से जा सकते हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इसमें कोई एक विसंगति नहीं है। तीसरी विसंगति देखिये - सी.बी.आई.। सी.बी.आई. की कार्यशैली के बारे में हमने बहुत बार चर्चा करनी चाही। पिछली बार बोलते हुए मैंने कहा कि सी.बी.आई. वह यंत्र है, जो सरकार के अल्पमत को बहुमत में बदलता है। मैंने जितने नाम लिये, उन सबको मैं आज दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन पिछले तीन महीने में दो नयी घटनाएं हो गयीं। चिदम्बरम जी के मामले में सी.बी.आई. ने जाकर कह दिया कि इन्वेस्टीगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉ. सुब्रह्मणियम स्वामी ने जाकर याचिका दायर की कि मेरे पास वह सारा एवीडैंस है और मैं फाइल से निकाल सकता हूं, जिसमें जांच की जरूरत है।

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदया, आपकी भी पावर खत्म हो गयी।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. को डॉ. सुब्रह्मणियम स्वामी की याचिका पर कहा कि इन्हें फाइल दो और फाइल देने के बाद वह मजिस्ट्रेट के सामने गये। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं आपको सुनना चाहूंगा कि चिदम्बरम साहब को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट सुन रहा है कि अभियुक्त बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन एक गृह मंत्री के खिलाफ सी.बी.आई. कैसे कह दे कि हम जांच करने को तैयार हैं। उन्होंने सरेआम मना कर दिया। इसी तरह आंध्र प्रदेश की असेम्बली में अल्पमत को बहुमत में लाने के लिए सी.बी.आई. का दुरुपयोग किया गया। इसलिए हम चाहते थे कि सी.बी.आई. सरकारी शिकंजे से निकले, लेकिन इन्होंने सी.बी.आई. की ऐसी घुम्मनघेरी बनाई है कि पहले उसका एक बॉस था, अब चार बॉस बन गए। लोकपाल ग्रुप ए और बी का अधिकारी उसको भेजेगा, उसके लिए वह लोकपाल को रिपोर्ट करेगी। सी.वी.सी. ग्रुप सी और डी के अधिकारी उसे भेजेगा, उसके लिए वह सी.वी.सी. को रिपोर्ट करेगी, कोर्ट से जो डायरेक्ट केसेज उसके पास आएंगे, उसके लिए वह कोर्ट को रिपोर्ट करेगी और ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन के लिए वह डी.ओ.पी.टी. के आगे माथा टेकेगी। सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है प्रशासनिक और वित्तीय, जिसके हाथ में धन है और जिसके हाथ में टांसफर-पोस्टिंग है। आपने डायरेक्टर, सी.बी.आई. की एप्वाइंटमेंट रख दी, लेकिन क्या सारे काम डायरेक्टर करेगा, उसके नीचे के सारे अफसरों का प्रशासन डी.ओ.पी.टी. के हाथ में है। इसलिए हमने यह कहा कि अगर सी.बी.आई. को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है, तो पहले आप सी.बी.आई. के अंदर उसकी इनवेस्टीगेशन और प्रोसीक्यूशन विंग को अलग कीजिए और उसके बाद उसका प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण लोकपाल को दे दीजिए, ताकि वह इनके शिकंजे से निकले, वह एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में काम करे। अगर आप हमारा यह सुझाव मानते हैं, तो लोकपाल को एक इस्टैब्लिश्ड इनवेस्टिगेटिंग एजेंसी मिल जाएगी, सी.बी.आई. सरकारी शिकंजे से बाहर हो जाएगी और देश में भ्रष्टाचार से लड़ने का एक मजबूत तंत्र खड़ा हो जाएगा।...*(व्यवधान)* मगर वे यह नहीं करेंगे।

मैं इसकी एक और विसंगति बताती हूं। इसके अंदर एक धारा 14(एच) है, उसे देखिए। जब-जब हम कहते थे कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को आप लोकपाल में ले आओ, तो कहते थे कि नंबर देखा है आपने, 57 लाख कर्मचारी हैं। कैसे आएंगे? लेकिन अब आप धारा 14(एच) देखिए। हिन्दुस्तान के सारे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च, स्कूल एवं अस्पताल, कोई संस्था नहीं बची, उनके प्रजेंट डायरेक्टर, उनके एक्स-डायरेक्टर्स, सारे के सारे लोगों को इसके दायरे में ले आए। यह लोकपाल बेचारा दब जाएगा उनके नीचे। इतनी बड़ी विसंगति है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.वी. हर्ष कुमार (अमलपुरम): अध्यक्ष महोदया...

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: इतनी बड़ी विसंगति कि उन सबको इसमें ले आए। पहले 57 लाख ज्यादा लग रहे थे, लेकिन अब जो करोड़ों लोग इसमें आ जाएंगे, उनको लाकर लोकपाल के नीचे इन्होंने रख दिया। इसी तरह से इन्होंने सेंस ऑफ दि हाउस की इन्होंने अवहेलना की। सेंस ऑफ दि हाउस तीन चीजों के लिए थी - लोअर ब्यूरोक्रसी के लिए, लोकपाल और लोकायुक्त के लिए और सिटीजन्स चार्टर के लिए। लोकपाल और लोकायुक्त में कंफ्युजन है, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत लाए हैं और कह रहे हैं कि ऑप्शनल है। लोअर ब्यूरोक्रेसी में ग्रुप ए एंड बी को उधर डालकर, ग्रुप सी एंड डी सी.वी.सी. को दे दिया है। सिटीजन्स चार्टर का बिल ही अलग लाए हैं, वह अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है। जबकि उस दिन यह तय हुआ था कि सिटीजन्स चार्टर और व्हिसल ब्लोअर बिल इसका पार्ट बनेंगे। अब वह स्टैंडिंग कमेटी से आकर इसका पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? सिटीजन्स चार्टर में अपने आप में बहुत सी खामियां हैं, व्हिसल ब्लोअर बिल में अपने आप में बहुत सी खामियां हैं, इसीलिए हमने व्हिसल ब्लोअर बिल के लिए बिल्कुल अलग वक्ता रखे हैं, जो केवल उसी पर बोलेंगे। सिटीजन्स चार्टर जब यहां डिसकश होगा, तब हम उस पर बोलेंगे, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इस सरकार को यह पता नहीं है कि वह बिल में चाहती क्या है? एक तरफ लोकपाल इतना बेचारा है कि वह अपना सचिव भी नियुक्त नहीं कर सकता है, दूसरी तरफ लोकपाल इतना ताकतवर

है कि वह आपसे रिपोर्ट मांग रहा है। एक तरफ सी.बी.आई. को अलग भी निकालना चाहते हैं, लेकिन उसके चार-चार बॉस भी बनाकर रख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह मजबूरी में लाया गया बिल है और वित्त मंत्री जी की एक मजबूरी यह है कि इनको बजट बनाना है, इनके पास समय नहीं है और दूसरे, इनकी इच्छा यह है कि किसी भी तरीके से, जो एक जनांदोलन चला है, उसको कह सकें कि हम एक बिल ले आए हैं। लेकिन इस सदन की यह मंशा नहीं है और इस देश की भी यह मंशा नहीं है। हम चाहते हैं कि एक सशक्त लोकपाल आए, एक प्रभावी लोकपाल आए, एक संविधानसम्मत लोकपाल आए, इसलिए मैं इनसे कहना चाहती हूं कि या तो हमारे ये सारे संशोधन स्वीकार करके इस बिल को सुधारें, नहीं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूं कि इस बिल को वापस ले लो। इस बिल को वापस स्टेंडिंग कमेटी में भेजें, जहां इस पर चर्चा हो, वापस चर्चा हो और दो या तीन महीने बाद इसे यहां लाएं। दो या तीन महीने बाद भी अगर यह बिल आएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन कम से कम वह बिल...*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं। सुषमा जी के अलावा किसी और की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज: हमने चाहा था कि बिल शीतकालीन सत्र में आए। उस दिन सेंस आफ दि हाउस भी चाहा था, बाद में भी चाहा था, मगर ऐसा बिल लाएं, यह नहीं चाहा था कि ऐसा बिल आए जो वर्तमान सिस्टम को भी ध्वस्त कर दे। जो आज तंत्र खड़ा है यह तो उसका भी विनाश कर रहा है, उसे भी ध्वस्त कर रहा है। इसलिए हमें यह ध्वस्त करने वाला बिल नहीं चाहिए। हमें देश में एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल, जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करे, वह बिल चाहिए। आप दो महीने और लगा लो, वापस इसे स्टेंडिंग कमेटी के पास भेज दो, लेकिन एक ऐसा बिल लेकर सरकार आए जो देश की आशाओं को पूरा कर सके, जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे।

श्री लालू प्रसाद: मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: जब आपका नम्बर आएगा, तब आप अपनी बात कहना।

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदया, मैं केवल आधा मिनट लूंगा। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि जिस वजह से यह बिल यहां लाया गया है आनन-फानन में, वह अण्णा हजारे टीम भी इसे रद्दी की टोकरी में फेंक चुकी है। अभी विपक्ष की तरफ से बी.जे.पी. ने भी अपनी बात कही, हम भी कहेंगे। जब इसका विरोध हो रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर इन तीनों दिनों तक हमसे कसरत क्यों करवा रहे हैं इसलिए यह बेकार की बात है, इस बिल को हटाया जाए।...*(व्यवधान)* यह बिल पास होगा, जिसका सभी विरोध कर रहे हैं तो फिर आंदोलन जारी रहेगा, फिर इसका फायदा क्या है इसलिए यह बिल हटाया जाए...*(व्यवधान)*।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): अध्यक्ष महोदया, देश के भविष्य में कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं, जब वक्त की घड़ी रुक जाती है...*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत रहें, यह ठीक बात नहीं है। उन्हें बोलने दें।

श्री कपिल सिब्बल: मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि हमने जैसे चुपचाप सुषमा जी का बढ़िया भाषण सुना, हम चाहेंगे जो कर्टसी हमने सुषमा जी को प्रदान की, ऐसी ही कर्टसी विपक्ष हमें भी प्रदान करें। हम कोई तीखी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि आज तीखी बात करने का वक्त भी नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: क्या कर रहे हैं आप लोग, बीच में टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

श्री कपिल सिब्बल: मैं कह रहा था कि देश के भविष्य में ऐसे लम्हे जरूर आते हैं जब वक्त की घड़ी रुक जाती है। इस चर्चा में ऐसा वक्त भी आएगा, जब वह घड़ी रुकेगी। और अगर यह बिल पारित होगा तो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर यह बिल, जैसे आपकी मंशा है, आप इसे पास नहीं करेंगे तो सारे देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।

मैं सुषमा जी का आदर करता हूं। जब-जब भी वह भाषण देती हैं, मैं बड़े गौर से सुनता हूं। लेकिन आज उन्होंने एक वकील के तौर पर भाषण दिया और मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। कानून संबंधी मेरी जानकारी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

में जंग लग गयी है। ऐसा लगता है कि सुषमा जी ने बड़े गौर से संविधान को पढ़ा है और उनके एक-एक मुद्दे के ऊपर मैं अपनी सरकार की तरफ से जवाब देना चाहूंगा।

पहला, उन्होंने कहा कि यह जो संघीय ढांचा है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है और उन्होंने धारा 252 का उल्लेख किया। धारा 252 इस पर लागू होती ही नहीं है, उसका कारण मैं अपने भाइयों और बहनों को बताना चाहूंगा। धारा 252 कहती है

[अनुवाद]

कि यदि संसद के पास संघ सूची के किसी खास विषय पर कानून पारित का अधिकार न हो और न उक्त कानून विशेष रूप से राज्य सूची के क्षेत्राधिकार में हो; तथा केवल राज्य विधानमंडल ही उस कानून को पारित कर सकता हो, तो अनुच्छेद 252 का इस्तेमाल किया जाता है। विशिष्ट सदस्य ने प्रविष्टि संख्या 14 को संदर्भित किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: एंट्री 41 है।

श्री कपिल सिब्बल: राज्य की सूची में प्रविष्टि संख्या 41 का उन्होंने उल्लेख किया जो कहती है 'राज्य लोक सेवा' लेकिन यह जो कानून है जो हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसका भ्रष्टाचार से संबंध है। ...*(व्यवधान)* सूची III की प्रविशिष्ट संख्या 1 के तहत पहली प्रविष्टि कहती है क्रीमनल, दूसरी एंट्री कहती है क्रीमनल प्रोसीजर कोड और एंट्री 11 (ए) कहती है क्रीमनल जस्टिस सिस्टम।

[अनुवाद]

इसलिए, इस विशेष कानून का राज्य लोक सेवा के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका अपराध और भ्रष्टाचार के साथ संबंध है; यह सूची III की प्रविष्टि सं. 1, 2 और 11क के तहत आता है।

[हिन्दी]

अगर यह बात सही है तो इसका मतलब है कि धारा 252 कभी लागू हो ही नहीं सकता क्योंकि धारा 252 में प्रीजम्प्शन होती है कि पार्लियामेंट को कोई पावर ही नहीं है लेजिस्लेट करने की। सुषमा जी, अगर वह ही गलत है तो आपकी आर्गूमेंट तो अपने आप में ही रद्द हो गयी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप धारा 252 पर नहीं, धारा 253 पर बोल रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल: सुषमा जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, कृपया अब मुझे बोलने दें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: 41 को 14 कह रहे थे, एंट्री 41 है और आप धारा 253 पर बोल रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल: अनुच्छेद 252 कहता है:

"यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उन विषयों में से, जिनके संबंध में संसद को अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में यथा उपबंधित के सिवाय राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे, तो प्रस्तावों को पारित किया जा सकता है।"

किंतु यहां, संसद के पास भ्रष्टाचार के संबंध में कानून पारित करने की शक्ति है...*(व्यवधान)*। मैं इसे पढ़ूंगा ताकि आपके लिए स्पष्ट हो सके।

प्रविष्टि 1, सूची-III - आपराधिक कानून। यह आपराधिक कानून का एक पहलू है क्योंकि यह भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, और यद्यपि यह राज्य विषय है, प्रविष्टि 2 - आपराधिक प्रक्रिया। इसमें भ्रष्ट लोगों, लोक सेवकों के साथ निपटने के लिए प्रक्रिया निर्धारित है। प्रविष्टि-115 - न्याय प्रशासन। यह भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के साथ न्याय प्रशासन से संबंधित है।

इसलिए यह निःसंदेह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 252 का इस विशेष मामले में कोई संबंध नहीं है।...*(व्यवधान)*। मैं जवाब नहीं रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, वह सहमत नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं यह कह रही हूं कि जब श्री नारायणसामी जी ने बिल मूव किया तो उन्होंने खुद कहा कि 253 वह ला रहे हैं, फिर आप मेरी तरफ क्या कह रहे हैं...*(व्यवधान)*।

श्री कपिल सिब्बल: मैं उस पर आता हूं, लेकिन आप मुझे बात तो खत्म करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया उन्हें आगे बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: मैडम, मैं सुषमा जी की मंशा भी समझता हूं। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि विपक्ष यह चाहता है, खासतौर पर बी.जे.पी. चाहती है कि यह विधेयक कभी पारित ही न हो। तभी उन्होंने धारा 252 का साथ लिया, क्योंकि धारा 252 यह भी कहती है कि अगर दो लेजिस्लेटिव असैम्बलीज का रिजोल्यूशन हो भी जाए, फिर भी राज्य सरकार की लेजिस्लेटिव असैम्बलीज तय करेंगी कि इस लॉ को लागू करना है या नहीं।...*(व्यवधान)* इसका मतलब है कि यहां सैन्टर में तो लोकपाल पास हो जाए, लेकिन स्टेट्स में लोकायुक्त पारित न हो। यह आपकी राजनीतिक मंशा है।...*(व्यवधान)* इसमें कोई शक नहीं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदया, हम यह क्यों कहेंगे कि यह कि यह एक सक्षम कानून है और अनुच्छेद 253 पूर्णत: अनुप्रयुक्त क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के कार्यान्वयन से संबंधित है जिसमें भारत एकपक्ष है और 253 प्रत्यक्षत: लागू होता है। अब मैं अनुच्छेद 253 पढ़ूंगा...*(व्यवधान)*

"इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद को किसी संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।"

इसलिए स्पष्टत: प्रयोज्य अनुच्छेद 253 है न कि अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 252 भाजपा के लिए बचाव खंड है।

[हिन्दी]

क्योंकि यह चाहते हैं कि अगर धारा 252 लागू होगी तो इनके ऊपर तो लोकपाल आ जायेगा, परंतु हमारे ऊपर लोकायुक्त नहीं आयेगा।...*(व्यवधान)* और यह साफ जाहिर भी है, मैडम, यदि आप प्रदेशों में देखोगे, चाहे आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, यह साफ जाहिर है कि वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठा।...*(व्यवधान)* और आश्चर्य की बात यह है कि सुषमा जी भूल गईं कि स्टैंडिंग कमेटी में बी.जे.पी. ने जो डिस्सेन्ट नोट दिया था, उसमें क्या लिखा था। शायद वह भूल गईं, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपने लिखा था - *(व्यवधान)* और आप मानती हैं...*(व्यवधान)* आप मुझे पढ़ने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया: आप उन्हें पढ़ने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: इसमें लिखा है:

"यदि संवैधानिक रूप से अनुमति दी जाए तो इस संबंध में देशभर में एकसमानता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 253 के तहत एक कानून आ सकता है, अथवा समर्थकारी प्रावधान पारित हो सकता है। दोनों ही स्थिति में इस कार्य को केन्द्रीय कानून से ही पूरा किया जा सकता है।"...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री, हरिन पाठक जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम इस चर्चा को शांतिपूर्वक जारी रखें

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि पार्लियामैन्ट को धारा 253 के अंतर्गत ऐसा विधेयक पारित करने का हक है। यह कोई नहीं कह सकता कि पार्लियामैन्ट को ऐसा करने का हक नहीं है और क्योंकि अगर इंटरनेशनल कंवैन्शन है तो हम उसे पास कर सकते हैं और वह राज्य सरकारों पर लागू भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है।...(व्यवधान) सुषमा जी ने मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया के बयान के बारे में कुछ पढ़ा। सुषमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद आपने पूरा बिल तरीके से नहीं पढ़ा। यहां सैक्शन 1 सब सैक्शन 4 में साफ लिखा हुआ है,

[अनुवाद]

> "लोकायुक्त के मामले में यह केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना दिए जाने की तिथि के दिन ही लागू होगा। अलग-अलग राज्यों तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जा सकती है। इस अधिनियम को लागू किए जाने के लिए किसी उपबंध में किसी संदर्भ को उक्त उपबंध के प्रभाव में आने के संदर्भ में समझा जाएगा।" इस विधेयक में यह एकदम स्पष्ट है कि इस एक्ट में ये जो प्रावधान हैं, राज्य सरकारें डिफरेंट वक्त पर डिफरेंट प्रोविजन्स को लागू कर सकती है।...*(व्यवधान)* इसी में लिखा हुआ है कि शायद उन्होंने पढ़ा नहीं, इसलिए यह साफ जाहिर है कि यह एक सक्षम कानून है। वहां लोकायुक्त होना ही चाहिए। अनुच्छेद 253 के तहत इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। किंतु जो उपबंध लागू किए जाएंगे उस पर प्रत्येक राज्य विधान मंडल द्वारा निर्णय लिया जाना है और उसके पश्चात केन्द्र सरकार इस बारे में अधिसूचना जारी करेगी। यह इस अधिनियम से ही एकदम स्पष्ट है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: वह एडॉप्शन का है, ट्रांजिशन का है।

श्री कपिल सिब्बल: वह 64(5) है, उसका तो मैं उदाहरण ही नहीं दे रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं तो सैक्शन 1 के बारे में बता रहा हूं।...*(व्यवधान)* शायद सुषमा जी, आपने शायद पूरा पढ़ा नहीं है।...*(व्यवधान)* आप अपने भाषण में शायद भूल गयीं...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने ए से लेकर जेड तक पढ़ा है।...*(व्यवधान)* मैं 1(4) की बात कर रही हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ऐसे तो बहुत समय लग जायेगा। आप उन्हें बोलने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह क्या हो रहा है? कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, 27 अगस्त को जब हाउस रेजोल्यूशन पास हुआ तो सेंस ऑफ दि हाउस यह था कि एक विधेयक द्वारा हम तीन बातें करेंगे। पहली कि एक सिटीजन चार्टर बनेगा, दूसरा, लोअर ब्यूरोक्रेसी को लोकपाल के थ्रू एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म अधीन लाया जायेगा और तीसरा लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। यह सेंस ऑफ दि हाउस था। अगर यह सेंस ऑफ दि हाउस था तो आज सुषमा जी कैसे कह सकती हैं कि हम लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे क्योंकि यह संघीय ढ़ांचे के खिलाफ

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है।...(*व्यवधान*) यह कहा है, राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना, यह हाउस का रेजोल्यूशन है, यह लिखा हुआ है।...(*व्यवधान*) सुषमा जी कहती हैं कि यह लोकायुक्त बन ही नहीं सकता, जब तक धारा 252 का उपयोग न किया जाये। ...(*व्यवधान*) सुषमा जी यही कह रही हैं ना...(*व्यवधान*) यही कह रही हैं ना...(*व्यवधान*) उसका हमने जवाब दे दिया है।...(*व्यवधान*) यह तय कौन करेगा, सुषमा जी तो इस सदन में तय नहीं करेंगी, यह तो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, यह कोई कोर्ट तो है नहीं, यह अदालत तो है नहीं कि सुषमा जी ने एक आर्ग्यूमेंट कर दिया तो सब लोग मान गये।...(*व्यवधान*) ये फैसले अदालतों में होते हैं, हमारे सैप्रेशन ऑफ पॉवर्स के अंतर्गत न्यायालय फैसला करते हैं कि किसी भी विधेयक का कोई प्रोविजन कांस्टीट्यूशनल है या नहीं। यह फैसला हम तो नहीं करेंगे। इसीलिए जब कोई भी विधेयक इस सदन में पेश होता है तो उसकी केवल एडमिसिबिलिटी पर सवाल उठाये जाते हैं, क्या हमें पावर है या नहीं, हम अगर बता दें कि पावर है, उसके बाद चाहे वह कांस्टीट्यूशनल है, असंवैधानिक है, संवैधानिक है, वह फैसला हम नहीं करते हैं, वह फैसला कोर्ट करती है। सुषमा जी, कोर्ट को फैसला करने दीजिये।...(*व्यवधान*)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): आप यही चाहते हो।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप शांत हो जाइये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: हरिन पाठक जी, शांत हो जाइये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिये।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 01.00 बजे

श्री कपिल सिब्बल: हम तो चाहते हैं कि सदन की मर्यादा का पालन हो।...(*व्यवधान*) पिछले एक साल से सदन के अंदर और सदन के बाहर चर्चा हो रही है। लोगों में बड़ा आक्रोश है क्योंकि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सैन्टर में भी इसका पालन हो और राज्य सरकारों में भी पालन हो। अगर आप देखें तो सैन्ट्रल गवर्नमैंट की क्या सर्विसेज होती हैं, हम लोगों को क्या देते हैं केवल केन्द्र सरकार के रूप में - रेलवेज में लालू जी ने बहुत बढ़िया काम किया। तत्काल सुविधा के साथ आज लोग आराम से टिकट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। एयर सर्विसेज हों, ट्रांसपोर्टेशन हो, आपको टिकट दो मिनट में मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है और आप टिकट रिजर्व कर सकते हैं।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: यह सब क्या हो रहा है?

...(*व्यवधान*)

श्री कपिल सिब्बल: पासपोर्ट की बात हो, इनकम टैक्स की बात हो, आजकल तो कार्पोरेट टैक्स के रिटर्न भी ऑनलाइन होते हैं। जो सर्विसेज केन्द्र की हैं, मैं समझता हूं कि उनमें बहुत भारी परिवर्तन आया है। लेकिन जहां तक राज्य सरकारों की सर्विसेज हैं, जो असली भ्रष्टाचार है, वह तो वहां है।...(*व्यवधान*) पटवारी काम नहीं करता।...(*व्यवधान*) आपका मकसद मैं समझता हूं। पटवारी काम नहीं करता, किसी को राशन नहीं मिलता, अस्पताल में जगह नहीं मिलती, प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स में जाओ तो सुविधा नहीं मिलती। कोई मोटर व्हीकल लाइसैन्स लेने जाओ तो लाइसैन्स नहीं मिलता। हर बात पर घूस ली जाती है। जो असली मुद्दे आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जो छोटे-मोटे मुद्दे हैं जिनसे देश की जनता त्रस्त है, वे तो राज्य सरकारों के अंतर्गत हैं, और आज सुषमा जी कह रही हैं कि लोकपाल केन्द्र सरकार के लिए तो ठीक है लेकिन लोकायुक्त राज्य सरकारों में नहीं होगा। यहां तो ये आक्रामक प्रहार करेंगी कि करप्शन के मामले हैं, लेकिन वहां राज्यों में जहां इनकी सरकारें हैं, ये करप्शन को अपनाते हैं, उसको एम्ब्रेस करते हैं।...(*व्यवधान*) कर्नाटक में देख लो क्या हुआ।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग शांत हो जाइए। डिबेट

[अध्यक्ष महोदया]

करनी है या नहीं। आप लोग क्यों खड़े हो गए? आप लोग बैठिये। हर समय खड़े हो जाते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं? बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इतना क्रोधित होकर क्या बोल रहे हैं? आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): क्या हम यहां किसी राज्य पर चर्चा कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महदोया: कृपया बैठ जाइए। आपको बैठना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महदोया: माननीय मंत्री जी, अपनी बात जारी रखिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महदोया: आप सभी बैठ जाइए। चर्चा जारी रखें। यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महदोया: इतना असहिष्णु न बनें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, कर्नाटक में श्री संतोष हेगड़े जो वहां लोकायुक्त थे, उन्होंने खुद कहा कि धनंजय साहब, जो बी.जे.पी. के प्रमुख अधिकारी थे, वे उनके घर गए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: वे उनके घर गए और उनको कहा कि आप येदुरप्पा जी का नाम अपनी चार्जशीट में क्यों डालते हैं, उस रिपोर्ट से उनका नाम निकालिये नहीं तो हमारी बी.जे.पी. की बड़ी बुरी हालत कर्नाटक में होगी। संतोष हेगड़े ने कहा कि यह उचित नहीं है, आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था। राज्यों में तो ये करप्शन को अपनाते हैं और यहां कहते हैं कि बड़ा करप्शन है। यह असलियत है। यह बी.जे.पी. की असलियत है।...*(व्यवधान)* सुषमा जी आज बड़ी-बड़ी बातें कर रही हैं। इनको किसने रोका था कि राज्य सरकारों में सशक्त लोकायुक्त न लाएं। क्या किसी ने रोका? यह सुषमा जी को जवाब देना चाहिए कि जिस-जिस राज्य में बी.जे.पी. की सरकार है, उसको कौन रोक रहा है कि इससे भी बढ़िया लोकायुक्त लाएं।...*(व्यवधान)* वहां तो एप्वाइंटमेंट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। एप्वाइंटमेंट कौन करता है राज्य सरकारों में लोकायुक्त की, मुख्यमंत्री। यहां कहती हैं कि बड़ा भारी इंडीपैंडेंट ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन वहां मुख्यमंत्री एप्वाइंट करेगा। यह ** राजनीति कैसी ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): मैडम, यह असंसदीय शब्द है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह शब्द निकाल दीजिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: वह शब्द निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: हमने इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया है। अब कृपया बैठ जाइए

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: आप बताइए कि गुजरात में नौ साल हो गए और लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई और यह हमें भाषण दे रही हैं ट्रांसपेयरेंसी का।...*(व्यवधान)* वहां गवर्नर साहब ने...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए। क्यों खड़े हो गए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग हर समय क्यों खड़े हो जाते हैं? बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: वहां गुजरात में गवर्नर ने चीफ जस्टिस से नाम लिया।...*(व्यवधान)* लेकिन मुख्यमंत्री मानता ही नहीं, कहता है कि चीफ जस्टिस कौन होता है नाम देने वाला।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मैं उनसे बैठने के लिए बोल रही हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: सुषमा जी को अपनी पार्टी की ओर से इस देश को बताना होगा, यह जवाब देना होगा और जनता आज सुन रही है कि आप जो बातें आज कह रही हैं, आपने ऐसा लोकायुक्त क्यों नहीं अपने राज्य सरकारों में बनाया। लेकिन न तो बी.जे.पी. के पास जवाब है, न सुषमा जी के पास जवाब है। असलियत तो यह है कि अपने घर में भ्रष्टाचार अपनाओ और दूसरे के ऊपर आरोप डालो। मैं एक और आरोप आप पर लगाना चाहता हूं कि अगर आपने इस लोकायुक्त का विरोध किया तो आप सैंस ऑफ द हाउस का उल्लंघन कर रहे हैं और जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। इतना आवेश में नहीं आते हैं।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मैडम, मैं बताता हूं इनकी राजनीति। इनकी राजनीति यह है कि लोकपाल न पारित होने दो और वहां अन्ना जी जो भी कर रहे हैं, उनके पास जाओ, बाकी प्रदेशों में जाओ और बोलो कि सरकार वीक लोकपाल ला रही है ताकि इलैक्शन में इनको फायदा हो। यही केवल इनकी राजनीति है।...*(व्यवधान)* इनको स्वायत्तता से कोई लेना-देना नहीं है। इनको लोकपाल से कोई लेना-देना नहीं है। इनको तो अपनी राजनैतिक रोटियां सैंकनी हैं।...*(व्यवधान)* अब मैं आपकी दूसरी बात पर आता हूं।

मैडम, एक और बात मैं कह दूं। मैं गौर से देख रहा था कि वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के लोकायुक्त के दो बिल हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वर्ष 2010 में त्रिपुरा के लोकपाल की एप्वाइंटमेंट हुई, उसका संशोधन हुआ और उस बिल में कोई पब्लिक फंक्शनरी का नामो-निशान नहीं है, न ग्रुप ए, न ग्रुप बी, न ग्रुप सी और न ग्रुप डी। यह सडनली इस बहस में सब लोगों को याद आ रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: लेकिन अपने-अपने राज्य सरकारों

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कपिल सिब्बल]

में सब भूल गए कि कौन ग्रुप ए, कौन ग्रुप बी, कौन ग्रुप सी और कौन ग्रुप डी।...*(व्यवधान)* यह आपका त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल का बिल है, जिसमें भी संशोधन आया था। वहां भी सब लोग भूल गए और लोकायुक्त की नियुक्ति उन बिल्स के द्वारा कैसे होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति केवल वहां मुख्यमंत्री करता है।...(व्यवधान) यहां हमने सिलैक्शन कमेटी बनायी, लेकिन उसकी आलोचना हो रही है, वहां मुख्यमंत्री नियुक्त करे, उसकी कोई आलोचना नहीं।...*(व्यवधान)* यह किस किस्म की राजनीति है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए। मंत्री महोदय बोल रहे हैं, उन्हें पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय को पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदया, उन्हें कर्नाटक के लोकायुक्त का संदर्भ देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: लालू जी, आप बाद में बोलिएगा। आपको समय देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, मैं प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: लालू जी, कौन सा रूल है? आप प्वायंट ऑफ ऑर्डर का पहले मुझे नियम बताइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: लालू जी, आप प्वायंट ऑफ ऑर्डर का नियम बता कर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्वायंट ऑफ ऑर्डर में पहले नियम बताना पड़ता है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: जब कोई माननीय मंत्री या सदस्य बोल रहे हों तो मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहती हूं।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: चाहे इधर से बोलें, चाहे उधर से बोलें, पर नियम बताकर बोलें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महदोया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया बिल बना दीजिएगा, अन्ना हजारे मानेंगे नहीं।...*(व्यवधान)* इसलिए इसको हटाइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह बात आप बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया: क्या आप जवाब दे रहे हैं मंत्री जी?

श्री कपिल सिब्बल: जी नहीं।

अध्यक्ष महदोया: नहीं। वे सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: दूसरी बात सुषमा जी ने रखी, वह यह थी कि यहां लोकपाल में आरक्षण दिया गया है, सर्च कमेटी में भी आरक्षण है, लोकपाल की नियुक्ति में भी आरक्षण है और यह असंवैधानिक है। यह बात उन्होंने हमारे सामने रखी। उसका उदाहरण शायद सुषमा जी धारा पन्द्रह और धारा सोलह के बारे में सोच रही हैं। मैं आपके द्वारा सुषमा जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि धारा 15 और धारा 16, जिसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है, वह इस पर लागू होता ही नहीं। उसकी वजह यह है कि धारा 15 यह कहती है कि "कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा।" मतलब कि अगर शिक्षा की संस्थाएं हैं और उन शिक्षा की संस्थाओं में आरक्षण के द्वारा, एफरमेटिव एक्शन के द्वारा, एस.सी., एस.टी. और बाकी बैक्वर्ड क्लासेज की रिप्रेजेंटेशन होती हैं तो वह कंस्टीट्यूशनल है। धारा 15 कहती है कि अगर एफरमेटिव एक्शन होता है राज्य संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से तो वह कंस्टीट्यूशनल है। धारा 16 स्टेट इम्प्लायमेंट के बारे में बात करती है कि अगर किसी को नौकरी देनी है और सरकार को नौकरी देनी है, सरकार अगर नौकरी दे और अगर उसमें एस.सी., एस.टी., बैक्वड्र्स को आरक्षण मिले तो वह भी कंस्टीट्यूशनल है। लेकिन उसका लोकपाल की नियुक्ति से क्या ताल्लुक है? क्या लोकपाल की नियुक्ति कोई स्टेट है? क्या लोकपाल स्टेट है? क्या लोकपाल कोई सरकारी नौकरी है?...*(व्यवधान)*

सुषमा जी का मोटे तौर पर यह कहना है कि इस देश में सोलह करोड़ अल्पसंख्यक हैं, हम एक भी अल्पसंख्यक को लोकपाल में आने नहीं देंगे। इनकी नीयत यह है कि सोलह करोड़ अल्पसंख्यकों को वहां लोकपाल में कोई जगह नहीं मिलेगी।...*(व्यवधान)* यह किस किस्म की आरग्यूमेंट है। यह आरग्यूमेंट ही अपने आपमें असंवैधानिक है।...*(व्यवधान)* यह आपका आरोप ही असंवैधानिक है। शायद आपने ध्यान से अनुच्छेद 15 और 16 को न ही पढ़ा और न समझा। तभी मैंने कहा कि यह बहुत खतरनाक होता है कि कभी-कभी पार्लियामेंटेरियन्स एडवोकेट का रूप ले लें। यह बड़ा खतरनाक होता है। मैं नहीं चाहता था कि आप उस खतरे में पड़ें।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिए। आपके और लोग बोलेंगे, तब बोलिएगा।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मैडम, लोकपाल का मतलब क्या है कि लोगों की जो भावनाएं हैं, उनका पालन करते हुए हमने आम जनता के साथ न्याय करना है। यही लोकपाल का मतलब है, अन्य तो कोई मतलब नहीं। अगर हमारे अनुसूचित जातियों के लोगों की वहां बैकवर्ड क्लासेस, वूमैंस और माइनोरिटीज की रिप्रजंटेशन नहीं होगी तो क्या आप जनता के साथ न्याय कर पाएंगे?...*(व्यवधान)* उनका ख्याल कौन रखेगा?*...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): इसे वापस ले लिया जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं इसे हटा दूंगी। मैं इसका ध्यान रखूंगी और इसे हटा दूंगी। मैं कार्यवाही वृत्तांत मंगाकर इसे हटवा दूंगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महदोया: मैंने कहा है कि मैं कार्यवाही वृत्तांत मंगवाऊंगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कपिल सिब्बल जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महदोया: कृपया आगे बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप कपिल सिब्बल जी को बोलने का मौका तो दीजिए। आप कितना शोर मचा रहे हैं, हर शब्द पर बोले जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि सवाल आरक्षण का नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आप हर टाइम क्यों खड़े हो जाते हैं, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: सवाल यह है कि आम जनता की जो मुश्किलें हैं,...*(व्यवधान)* जो भ्रष्टाचार आम नागरिक के सामने एक खतरा बन कर खड़ा हुआ है।...*(व्यवधान)* उसका ख्याल कौन रखेगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आप खड़े क्यों हैं? कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया: कपिल सिब्बल जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: इस देश में 50 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। क्या सुषमा जी चाहती हैं कि वहां आरक्षण के द्वारा कोई महिला न हो?...*(व्यवधान)* क्या इनका यह नजरिया है? क्या ये सोचती हैं कि जिस कमेटी में प्रधान मंत्री जी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगी, चीफ जस्टिस के नोमिनी होंगे, एमिनेंट ज्यूरिस्ड होंगे, वहां कोई गलत स्पीकर होंगे, कोई गलत नियुक्ति होगी, क्या आप ये सोचती हैं? आपका कहने का मतलब यह है कि इन पांच लोगों के पास, इन पर हमारा कोई भरोसा नहीं है।...*(व्यवधान)* ये सही महिला को बैठाएंगे, सही माइनोरिटी के आदमी को बैठाएंगे, सही एस.सी. और एस.टी. के आदमी को बैठाएंगे और सही बैकवर्ड के आदमी को बैठाएंगे।...*(व्यवधान)* मुश्किल यह है कि आपको अपने आप में ही भरोसा नहीं है, इसलिए आप हम पर भरोसा नहीं करती हैं।...*(व्यवधान)*

आपने यह जो रिजर्वेशन की बहस छेड़ी है, मैं समझता हूं कि इसे आपको छेड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि यह देश आपकी तरफ देख रहा है, हमारी तरफ कम, आपकी तरफ ज्यादा देख रहा है।...*(व्यवधान)* क्योंकि हम तो लोकपाल ले आए, अब इसे पारित करने के लिए सदन को फैसला करना है।...*(व्यवधान)* इस देश की जनता आपकी तरफ देख रही है। अगर आप ये लोकपाल पारित नहीं करेंगे तो सुषमा जी, आप बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सत्ता की सड़क सदा निर्माणाधीन होती है। आपके मामले में यह 2004 में निर्माणाधीन थी; 2009 में निर्माणाधीन थी और यह 2014 में निर्माणाधीन रहेगी।

[हिन्दी]

आप ख्याल रखें।...*(व्यवधान)*

मैं समझता हूं कि-

ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है,

या फिर ऐसी बात करो, जो खामोशी से बेहतर हो।

...*(व्यवधान)*

सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए...*(व्यवधान)* मैडम, 2-4 पाइंट्स आपने और रखे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। एक बात आपने कही कि यह जो सारा सरकारी ढांचा है, यह सारा ढांचा सरकारी है, क्योंकि इसमें जो लोकपाल की नियुक्ति होती है, वह जो सलैक्शन कमेटी है, वह सरकार की प्रतिभारी है। यह सुषमा जी ने आज कहा, मैं सदन के सब साथियों से पूछना चाहता हूं कि हम किस किस्म का लोकपाल चाहते हैं? हमें 1947 के बाद 1950 में जब संविधान दिया गया तो एक बड़ा बढ़िया ढांचा उन्होंने हमें दिया। 1947 से लेकर तीन साल इस पर चर्चा हुई और 1950 में 26 जनवरी को

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमें संविधान दिया गया। उस ढांचे में लोगों ने एक बेलैंस ऑफ पावर रखा कि न्यायपालिका की अपनी भूमिका है, पार्लियामेंट की अपनी भूमिका है और सरकार की अपनी भूमिका है, लेकिन कोई ऐसा ढांचा नहीं बनाया, जिसके अन्तर्गत कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन हो जाये या ढांचा हो जाये, जो इन तीनों के बाहर हो। आपके भाषण से मुझे ऐसा लगा कि आप उस संवैधानिक ढांचे को बदलना चाहते हैं। आप ऐसी संस्था हमारे ऊपर बैठाना चाहते हैं, जिसकी जवाबदेही किसी को न हो। यह असली मुद्दा देश के सामने है और इस पर एक साल से हम चर्चा कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती कि हम ऐसा ढांचा बनायें, जो अपने आपमें असंवैधानिक हो। सरकार यह भी नहीं चाहती कि उसको ऐसी पावर्स मिल जायें कि उसकी जवाबदेही किसी को न हो। सरकार यह भी नहीं चाहती कि सरकार एक तरफ हो और एग्जीक्यूटिव पावर दूसरी ओर हो। अगर ऐसा करोगी तो आप अपने लोकतंत्र को खतरे में डालोगी, सुषमा जी।

भाषण एक तरफ, राजनीति एक तरफ, इलैक्शंस एक तरफ, लेकिन संविधान के ऊपर हम चोट आने नहीं देंगे। कौन करेगा सलैक्शन? सुषमा जी, बताइये, कौन करेगा सलैक्शन? कोई बाहर के लोग बैठा दें? लोकपाल खुद तय करेगा कि किसको प्रोसीक्यूट करना है, किसको नहीं? लोकपाल खुद तय करेगा कि उसके नीचे इन्वेस्टीगेशन हो कि बिना तथ्य के किसी को भी प्रोसीक्यूट कर ले और उसकी कोई जवाबदेही नहीं। लोकपाल यह करेगा कि हम सब कुछ जानते हैं, देश के लिए क्या अच्छा है और पार्लियामेंट के चुने हुए लोग कोई नहीं जानते, क्या आप ऐसा लोकपाल लाना चाहते हैं? सदन का कोई नेता इस बात को नहीं मानेगा। शायद यह तो ठीक है कि हमें थोड़ा-बहुत तो कानून आता है, लेकिन हम यह नहीं कहते कि हमसे गलती नहीं हो सकती, लेकिन बड़े गौर से, हमने बड़े सोच-विचार से, संविधान को सामने रखते हुए आपको यह ढांचा दिया है और वह ढांचे की इस बात को सामने रखते हुए कहा है कि ऐसी शक्ति हम किसी और को न दे दें, जो इस ढांचे को ही खत्म कर दे। इसलिए अगर हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, लोक सभा की अध्यक्षा, लीडर ऑफ दि अपोजीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसका नोमिनी और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट्स तय करेंगे तो हमें विश्वास है कि वे सही तय करेंगे, गलत तय नहीं करेंगे।

फिर आप कहते हैं कि लोकपाल के जो सैक्रेटरी की नियुक्ति है, उसमें तो अजूबा तरीका आपने अपनाया। आपने कहा कि एक पैनल ऑफ नेम जायेगा, भइया, कहां से पैनल ऑफ नेम लेकर आयें, बताइये। अगर सरकार की ओर से नहीं जाएगा, तो कहां से आएगा? क्या सुषमा जी देंगी पैनल, आर.एस.एस. देगा पैनल,...*(व्यवधान)* सरकार की ओर से ही तो जाएगा, क्योंकि जो सरकारी लोग हैं, वे सरकार के लिए काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं कि कौन आउट स्टैंडिंग है, कौन आउट स्टैंडिंग नहीं है, कौन वेरी गुड है, वह हमें मालूम है। अच्छे-अच्छे लोग हम आपको देंगे और आप तय कीजिए कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। इसमें क्या दिक्कत है? लोकपाल तय करेगा, पैनल हम देंगे।...*(व्यवधान)* आपने सी.वी.सी. में किया न, आपने तय किया न...*(व्यवधान)* अब आप कहते हैं कि साहब देखो...*(व्यवधान)* आपने एक और आरोप लगाया कि अगर सरकार नियुक्ति करेगी तो सब लोग सरकार के अधीन होंगे, तो क्या सी.ए.जी. सरकार के अधीन है? आप देख रहे हैं, क्या सी.ए.जी. सरकार के अधीन है, नियुक्ति तो हमने की थी, लेकिन क्या वह हमारे अधीन है? हम जजेज की नियुक्ति करते हैं, क्या वे हमारे अधीन हैं? क्या इलेक्शन कमीशन हमारे अधीन है? यह बताइए।...*(व्यवधान)* आपके वक्त ऐसा हो सकता है, हमारे वक्त ऐसा नहीं है।...*(व्यवधान)* यह अपने आप में जो आपने बहस छेड़ी, यह भी गलत बहस है। सरकार ही ऐसे काम कर सकती है। गैर-सरकारी नियुक्ति होगी तो गैर-सरकारी काम भी होंगे। अगर गैर-सरकारी काम होने लगे, तो भ्रष्टाचार पर कोई रोक नहीं लगा सकता है।...*(व्यवधान)*

आपने एक और बड़ी विचित्र बात कही। आपने धारा 24 की बात कही। आपने कहा कि देखिए हम लोक सभा की अध्यक्षा को किसी के अधीन कर रहे हैं। शायद आपने पढ़ा नहीं और पढ़ा तो गौर से नहीं पढ़ा। उसमें यह लिखा है कि जब लोकपाल यह तय कर ले कि किसी भी मेंबर के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो रही है, मतलब कि उसको प्रोसीक्यूट किया जा रहा है, लोकपाल के द्वारा प्रोसीक्यूट किया जा रहा है, तो वह जो रिपोर्ट है, वह अध्यक्षा को देनी चाहिए। फिर अध्यक्षा बताएंगी कि उसके ऊपर यहां क्या कार्रवाई होगी?...*(व्यवधान)* क्योंकि अगर कोई मेंबर भ्रष्टाचार में फंसता है और उसके खिलाफ एवीडेंस होता है, तो यह हमारे संसद का कर्तव्य है कि

[श्री कपिल सिब्बल]

उसके खिलाफ क्या किया जाए।...(*व्यवधान*) यह उसका कर्तव्य है।

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा: वह रिपोर्ट क्यों करेगी? पीठासीन अधिकारी इसकी रिपोर्ट क्यों करेगा?...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बाद में बोलिएगा।

...(*व्यवधान*)

श्री कपिल सिब्बल: दूसरी बात, यह एक कानून है, जैसे कि टेंथ शेड्यूल में कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट था, आप लोगों को मालूम है कि टेंथ कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वह तो कांस्टीट्यूशनल का एक हिस्सा है, उसमें जो लोकसभा के निर्णय हैं,

[अनुवाद]

ये न्यायालय के अध्यधीन है; यह किसी व्यक्ति के अध्यधीन नहीं है।

[हिन्दी]

यह तो केवल आपको कहना है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? यह तो पारदर्शिता की बात है, आपको तो इसे अपनाना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है।...(*व्यवधान*)

आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपने प्राइम मिनिस्टर के आफिस को ऐसे सुरक्षित रखा हुआ है कि उनके खिलाफ कभी कार्रवाई हो ही नहीं सकती और साथ-साथ आपने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का ऐसा आफिस होता है...(*व्यवधान*) एक बिंदु और आपने रखा, आपने यह कहा कि प्रधानमंत्री को आपने इतना सुरक्षित रखा हुआ है कि उनके खिलाफ कभी कार्रवाई हो ही नहीं सकती, तीन-चौथाई मेजोरिटी चाहिए, ऐसे-ऐसे प्रावधान आपने रखे हैं और प्रोसीडिंग्स इन कैमरा होंगी। मैं समझता हूं कि कई लोगों की राय है कि प्रधानमंत्री को इससे बाहर होना चाहिए था लेकिन हमने सहमति दिखाई। विपक्ष की जो भावनाएं हैं उनको हमने अपनाया क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सशक्त लोकपाल बिल पास हो और कहा कि प्रधानमंत्री कंडिशंस के साथ दायरे में आएं। हमने यही कहा इसमें हमने क्या गलत किया? ऑल पार्टी मीटिंग में आपने कहा कि कंडिशंस के साथ प्रधानमंत्री को दायरे में लाइए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: दो राइडर्स दिए थे। यह नहीं कहा था कि बुलेटप्रूफ जैकेट...(*व्यवधान*)

श्री कपिल सिब्बल: मैं बुलेट प्रूफ की बात करता हूं। बुलेट प्रूफ इसलिए कि आप बिना सोचे-समझे बात करते हैं तो हमें बुलेट प्रूफ बनाना ही है। आप बिना सोचे-समझे फायर करेंगे तो हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा। पिछले एक-डेढ़ साल से हम यही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई न कोई कार्रवाई शुरू हो। आप रोज आरोप लगाती हैं और आज कह रही हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई क्यों आरोप लगाएगा? मुश्किल तो यह है कि जो आप करते हैं

[अनुवाद]

यदि आप सभा के इस हिस्से को देखे तो आप वही पाते हैं जो आप कहते हैं। यदि आप सभी के दूसरे हिस्से को देखते हैं तो आप वह नहीं पाते जो आप कहते हैं। आपको वह नहीं मिलता जो आप कहते हैं क्योंकि यदि आपने इस सभा में कुछ कहा है तो बाहर इसके उलटा करते हैं। और यह पहली बार नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस सभा में वक्तव्य दें। इसे भूल जाइए और एक वक्तव्य दीजिए कि यहां एक मजबूत लोकपाल विधेयक और राज्यों में लोकायुक्त विधेयक, जहां आप सरकार में हैं, वहां आगामी दो महीनों में इस विधेयक को पारित किया जाएगा। एक ऐसा वक्तव्य दीजिए ...(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैं यह वक्तव्य दे रही हूं। कृपया बैठ जाइए...(*व्यवधान*)। हम लोग इस सदन में एक मजबूत लोकपाल विधेयक पारित करेंगे और राज्यों में मजबूत लोकायुक्त बनाएंगे।

श्री कपिल सिब्बल: कब?

श्रीमती सुषमा स्वराज: हमने उत्तराखंड में एक मजबूत लोकायुक्त विधेयक पहले ही पारित कर दिया है...(*व्यवधान*)। अध्यक्ष महोदया, मैं एक वक्तव्य दे रही हूं...(*व्यवधान*)। उन्होंने मुझसे एक वक्तव्य देने के लिए कहा है और मैं वह वक्तव्य दे रही हूं...(*व्यवधान*) माइक बंद है।

अध्यक्ष महोदया: हां अब माइक काम कर रहा है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: यदि वे जबाव दे रहे हैं तो मैं आपको बोलने की अनुमति देने को तैयार हूं।

श्री कपिल सिब्बल: जब भी वह चाहें उन्हें वक्तव्य देने दे। मैं चाहता हूं कि भाजपा...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं वक्तव्य देने को तैयार हूं ...*(व्यवधान)*

यशवंत सिन्हा: उन्होंने इन्हें वक्तव्य देने के लिए चुनौती दी है। उन्हें वक्तव्य देने दे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जब माननीय मंत्री जी अपना भाषण समाप्त करेंगे मैं नेता प्रतिपक्ष को बुलाऊंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: इस पर आप बोल लीजिएगा। इनको समाप्त कर लेने दीजिए उसके बाद आपको बुला लेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: क्या आप सहमत हैं?

श्री कपिल सिब्बल: मैं सहमत हूं अध्यक्ष महोदया।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मंत्री महोदय ने मुझसे वक्तव्य देने का आग्रह किया है कि हम इस सदन में एक मजबूत लोकपाल विधेयक पारित किया है और हम राज्यों में एक मजबूत लोकायुक्त भी बनाएंगे। मैं अभी यह वक्तव्य दे रही हूं।

[अनुवाद]

मैं अपनी पूरी पार्टी की ओर से कहना चाहती हूं कि हम इस सभा में मजबूत लोकपाल विधेयक पारित करेंगे और हम राज्यों में भी मजबूत लोकायुक्त विधेयक पारित करेंगे।

हमने उत्तराखण्ड में पहले ही विधेयक के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। यह आदर्श विधेयक है...*(व्यवधान)* आपको उत्तराखण्ड की तर्ज पर विधेयक लाना चाहिए...*(व्यवधान)* यह मेरा वक्तव्य है...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: यह तथ्य से परे है...*(व्यवधान)* कथन पर ध्यान दें। आपने कहा कि हम इस सभा में मजबूत लोकपाल विधेयक पारित करेंगे और राज्यों में भी एक मजबूत लोकपाल विधेयक...*(व्यवधान)*

मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या दो महीने के भीतर एक मजबूत लोकपाल विधेयक पारित होगा...*(व्यवधान)* राष्ट्र को आश्वासन दीजिए। लेकिन आप यह कभी नहीं देंगी। ऐसा इसलिए कि आपकी यह मंशा नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: एक-एक शब्द जो आपने बोले, मैंने...**(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: मेरे शब्द कुछ और थे, समझे नहीं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: हम इस विषय से शुरुआत करते हैं। कृपया बोलना जारी रखें।

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदया, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। यह सी.बी.आई. के बारे में है...*(व्यवधान)*

जहां तक सी.बी.आई. की बात है हमने सुनिश्चित किया है कि सी.बी.आई. को देश में प्रकार्यात्मक स्वायत्तता है प्रकार्यात्मक स्वायत्तता के आधार पर ही सी.बी.आई. मामले का अभियोजन करती है।

इस संशोधन में हम नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रस्ताव कर रहे हैं जो निदेशक की नियुक्ति की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगी।

[हिन्दी]

आपने कहा कि सी.बी.आई. के जो बाकी अधिकारी हैं, उनकी भी नियुक्ति कोई और संस्था करे। यह हो नहीं सकता। यह अपने आपमें कोई संस्था नहीं मानेगी क्योंकि वे सभी लोग अल्टीमेटली सरकारी नौकर हैं और सरकार ही उनकी ऐप्वाइंटमैंट कर सकती है। लेकिन सी.बी.आई. के डायरैक्टर की इतनी तो इंडीपैंडैंस है कि वह किसी को किसी काम पर लगा सकता है। जो भी अधिकारी है, उसे किसी भी काम पर लगा सकता

[श्री कपिल सिब्बल]

है।...*(व्यवधान)* यह ऑटोनॉमी और इंडीपैंडैंस बरकरार रहेगी, हमेशा रही थी, आज है और आगे भी रहेगी। यह बात केवल मैंने ही नहीं कही, यह देश के पूर्व प्रधान मंत्री ने कही। जब जूदेव के केस में यह आलोचना उठी थी, तो उन्होंने उठकर इस सदन में बयान दिया था कि आप सी.बी.आई. के ऊपर कोई ऐसी आलोचना नहीं करें। हम चाहते हैं कि सी.बी.आई. हर केस में एक ऑटोनोमस इंडीपैंडैंट जांच करे। यह अक्सर रहता है कि जब आप वहां बैठते हैं तो सी.बी.आई. की आलोचना करते हैं और यहां बैठते हैं तो हमेशा उसे डिफैंड करते हैं कि आपने कभी दखलअंजादी नहीं की। यह एक राजनीतिक बात है, इसको इस बहस में न लाएं, क्योंकि आज यह देश देखना चाहता है कि सदन जल्द से जल्द इस विधेयक को पारित करे। देश यह चाहता है।...*(व्यवधान)*

आपको मालूम है कि सी.वी.सी. एक्ट के अंडर भी जो ऐप्वाइंटमैंट हैं, वह सी.वी.सी. करता है एबव सुपरिटैंडैंट। उसमें हमारी कोई दखलअंदाजी नहीं होती।

मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है, इसे हम केवल एक विधेयक से नहीं लड़ पाएंगे। यह विधेयक तो एक साधन है। मैं युनाइटेड नेशन्स मैनुअल आन एंटी करप्शन पॉलिसी के बारे में आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उन्होंने पृष्ठ संख्या 101 पर यही कहा है।

"यह विश्वास कि भ्रष्टाचार को शीघ्र और स्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है, यह एक असत्य अपेक्षा है जिससे निराशा और अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। इसे जरूर समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, लोक विश्वास, पर्याप्त समय, संसाधन, समर्पण और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार को चिन्हित करने और नियंत्रित करने के बाद प्रयासों को रोकना नहीं चाहिए। स्थानीय स्तर पर सत्यनिष्ठा बनाने और सतर्कता बनाए रखना होगा। अतः भ्रष्टाचार से लड़ाई सार्वजनिक व्यय का एक स्थायी मद होगा।

भ्रष्टाचार से लड़ने की रणनीति केवल अपराधिक न्याय पर निर्भर नहीं होती बल्कि इसे आर्थिक और सामाजिक नीतियों और सिविल राजनीतिक संस्कृति के साथ समन्वय करना चाहिए।"

संप्रग सरकार यही करने का प्रयास कर रही है। मैं संप्रग अध्यक्षा को बधाई देता हूं। मैं प्रधान मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व कानून लाया है...*(व्यवधान)* राष्ट्र को जानना चाहिए कि इस सरकार ने क्या किया है। इस सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम लाया है। हमने इसे लाया है। हमने ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाया है। हम इन सामाजिक और आर्थिक उपायों को उठा रहे हैं। हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पुरःस्थापित किया और इसे पारित किया। हमने बाह्य सुरक्षा और भूमि अर्जन पुनर्वास विधेयक पुरःस्थापित किया है। हम प्रशासनिक दिशा में अल्पसंख्यकों के भटकाव को दूर करने के लिए मंत्रियों को एक समूह को भेज रहे हैं। शिकायत निवारण तंत्र में सिटीजन चार्टर पर विचार किया जा रहा है। देश के इतिहास में इस सरकार ने देश के भविष्य के लिए अभूतपूर्व कानून लाया है।

सुषमा जी दुखद पहलू यह है कि आप उत्कृष्ट वक्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन आप का आदर्श विनाशकारी है न कि सृजनकारी। आपने अपने पूरे भाषण में एक भी सृजनात्मक सुझाव नहीं दिया है। दो डेढ़ वर्षों में हम न केवल राजनीतिक दलों से बात कर रहे थे बल्कि सिविल सोसायटी से भी बात कर रहे हैं और भाजपा का विरोध हमेशा यह रहा है कि विधेयक को संसद में आने दें तब हम अपना विचार व्यक्त करेंगे। यह सब आप ने कहा है। आपने पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान एक भी सृजनात्मक सुझाव नहीं दिया है कि आपको भ्रष्टाचार से लड़ना है। इरादा पूरी तरह साफ है - आप इससे लड़ना नहीं चाहते, वस्तुतः जब आप सत्ता में होते हैं तो इसे अपनाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के लिए यह लड़ाई उन लोगों के लिए है जो सत्ता में नहीं है ताकि आप राजनीतिक लाभ ले सकें। सुषमा जी कृपया ऐसा नहीं करें। भाजपा को देश को नीचे नहीं ले जाना चाहिए, लोकपाल विधेयक का समर्थन करें और अपने राज्य में लोकायुक्त बनाएं।

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 01.43 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.18 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.18 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

संविधान (एक सौ सोलहवां संशोधन) विधेयक, 2011 (नए भाग XIVख का अंत:स्थापन)

और

लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010 - *जारी*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जब मैं बोलता हूं, तो आप ही चेयर पर होते हैं।

महोदय, आज यह बहस हो रही है, महत्वपूर्ण बहस है और इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। पूरा देश यह सोच रहा है कि आखिर इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति मिले। अब उम्मीद तो सभी करते हैं कि शायद इस बिल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि सभी स्तर पर पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस बिल में भी कमी है और यदि कमी है, तो उसका एक ही उपाय है कि जो संशोधन आए हैं, उनको स्वीकार कर लिया जाए, तो लोकपाल एक शक्तिशाली विधेयक हो जाएगा। लोकपाल के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि लोकसभा देश की जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जो लोकतंत्र अपनाया गया है वह लोकतंत्र लोकपाल से बहुत बड़ा है। यह ध्यान रखना होगा कि लोकपाल से लोकतंत्र बड़ा है। लोकतंत्र में हम लोग बातें रखते हैं, इसलिए मैं नेता, सदन से कहूंगा कि विपक्ष जो बोलता है, आप सुनते हैं, अब आपकी मर्जी है, जो उचित है, उसे मान लेना चाहिए और जिसे अनुचित समझते हैं, उसे नहीं मानना चाहिए। आलोचना से आपको ही लाभ होता है। आपमें क्या कमजोरी है, अगर वह आप समझ लेते हैं तो हो सकता है कि आप उसे सुधार लें। इस तरह देखा जाए तो सही मायनों में विपक्ष आपको ताकतवर ही बनाता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि विपक्ष से कोई बोलता है तो सरकार को गुस्सा आ जाता है। सरकार को गुस्सा क्यों आता है, जबकि आप इतने शक्तिशाली हैं। हम जानते हैं कि सरकार के पास कई मजबूत हथियार हैं। हम अगर नाराज हो जाएंगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप नाराज हो गए तो हमारा जरूर कुछ न कुछ बिगड़ सकता है। ऐसा कई बार देखने में भी आया है।

उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार से अपील करता हूं कि लोक सभा देश की जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए इस सदन से लोगों को उम्मीद है कि उनके हितों के लिए कानून बनेगा। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस लोकपाल एवम् लोकायुक्त विधेयक ने लोगों को पूरी तरह से निराश किया है। आप इस बात को महसूस करें या न करें, वह अलग बात है, क्योंकि सरकार के हजारों हाथ हैं। सरकार लोकपाल पर काफी परेशान रही है, यह भी देखने में आया है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा और कई राज्य सरकारों द्वारा भी, चाहे वहां किसी भी दल की सरकार हो, अन्याय हो रहा है। जब ऐसा होगा तो फिर भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा।

हम सांसद जो यहां बैठते हैं, हम पर भी उंगलियां उठती हैं। हम लोग जनता से डरते हैं, क्योंकि हमें दोबारा जनता के बीच ही जाना होता है। इसलिए सारे सांसद और विधायक भी जनता से डरते हैं। यही कारण है कि सांसद भ्रष्टाचार नहीं करते, भ्रष्टाचार व्याप्त है नौकरशाही के बीच, जहां मंत्री हैं, सरकारें चलती हैं, उनके बीच होता है। चाहे केन्द्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, वहां भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। हम लोग जो यहां बैठे हैं, सबके चेहरे साफ हों, इन पर कोई उंगली नहीं उठा सके, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। अगर हम लोगों पर उंगली उठेगी तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा इसलिए यह भी ध्यान में रखना चाहिए। आज इतनी बहस हो रही है, बड़ी तैयारी के साथ बहस हो रही है। हम लोग तो ज्यादा तैयार होकर नहीं आ पाए। लेकिन जब कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कई

[श्री मुलायम सिंह यादव]

कानूनी बातें बताईं। वह कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि देश के अच्छे वकीलों में उनका नाम आता है। उन्होंने इस लोकपाल बिल को जरूर देखा होगा। हम जानते हैं कि चिदम्बरम साहब ने भी देखा होगा। कानून मंत्री जी ने तो देखा ही होगा। वह भी बहुत नामी वकील हैं।

मेरा कहने का मतलब यह है कि लोकपाल बिल को यहां लाने की जो मंशा थी, वह पूरी नहीं हो पा रही है। वह इसलिए कि यह मजबूत बिल नहीं है। यह कैसे माना जाएगा इसका क्या प्रमाण है कि प्रतिशोध या बदले की भावना से काम नहीं किया जाएगा या नहीं किया गया है। मैं इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन दर्जनों ऐसे केसेज हैं, उदाहरण हैं जहां लोगों ने सरकार में रहकर कानून का दुरुपयोग किया है। ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार है, नीचे से ऊपर नहीं है। यहां इस सदन में जो अच्छे चेहरे बैठे हैं, उन पर उंगली नहीं उठेगी, तभी हम जनता का विश्वास जीत सकते हैं, वरना जनता का विश्वास हम पर से उठ गया है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, लोक सभा के मैम्बर हैं, उन पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है।

लोकपाल का गठन और उसके काम करने का तरीका, सब कुछ सत्ताधारी पार्टी के मन-माफिक हुआ है। सुषमा जी ने कुछ साफ कहा या नहीं कहा लेकिन उन्होंने इशारा तो जरूर किया ही है कि आपने सब कुछ अपने मन के मुताबिक, मन-माफिक किया है। कपिल साहब हों, या सलमान साहब हों या चिदम्बरम साहब हों, इन्होंने सब कुछ अपने मन-माफिक लोकपाल विधेयक बनाया है, आप पढ़कर देख लीजिए। आपको अपने इंट्रेस्ट में जो बातें अच्छी लगीं, उन्हें किया है, अपने हित में किया है, सरकार के हित में किया है, जनता के हित में नहीं किया है। यह बिल ऐसे ही आयेगा तो जनता के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है और न ही इससे भ्रष्टाचार रुक सकता है। अगर कोई रास्ता जनता के हित में इससे निकलेगा, तो भ्रष्टाचार रुक सकता है। हम कहना चाहते हैं कि इसमें जो संशोधन हैं, उन्हें मान लीजिए, अगर संशोधन नहीं माने गये तो जो सी.बी.आई. पर आरोप लगते हैं वही आरोप लोकपाल पर भी लगेंगे। माननीय कपिल सिब्बल जी, मैं असली बात कह रहा हूं आप सुन लीजिए कि जो आरोप सी.बी.आई. पर लगते हैं वही आरोप लोकपाल पर भी लगेंगे। आप पूछिये क्यों? आप कह रहे हैं कि पक्षपात नहीं है, मन-माफिक नहीं है तो जो लोग लोकपाल में होंगे, वे पांच होंगे, पांच कहां हैं? आप अभी पढ़कर देख लीजिए कि कौन-कौन हैं? तीन तो सरकार के हाथ में हैं और रिपोर्ट उनकी कहां जाएगी? सवाल यह है कि जांच कहां की जाए? उसकी रिपोर्ट कहां जाये? जांच की रिपोर्ट सीधी अदालत में जानी चाहिए। लोकपाल के पास नहीं, लोकपाल जांच कराए और जांच करने वाला जो रिपोर्ट लाए, वह सीधी अदालत में जानी चाहिए। अदालत में जांच जाएगी तो आप पर लोगों को विश्वास हो जाएगा। यह हमारा संशोधन है, आप इसे मान लीजिए और अगर आप हमारा संशोधन नहीं मानते हैं तो जो हम बोल रहे हैं इसे ही आप संशोधन मान लीजिए। इसलिए मैं कपिल सिब्बल साहब से कहूंगा कि आप हमारी इस बात को मान लीजिए कि जांच रिपोर्ट सीधी अदालत में जाएगी, लोकपाल के पास नहीं जाएगी।

लोकपाल का जो गठन है उसमें प्रधान मंत्री जी, स्पीकर साहब, लोक सभा का नेता, नेता विपक्ष लोक सभा, नेता विपक्ष राज्य सभा एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। गठन के वर्तमान प्रारूप में सत्ताधारी पक्ष का पलड़ा भारी है जो अनुचित एवं अवांछनीय है। यह होना चाहिए और यह हमारी मांग भी है तथा सरकार को हम बताना चाहते हैं कि लोकपाल के गठन में प्रधान मंत्री जी, स्पीकर, लोक सभा सदन का नेता, नेता विपक्ष लोक सभा, नेता विपक्ष राज्य सभा एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को गठन के वर्तमान प्रारूप में होना चाहिए। इसमें सरकार की सख्ती ज्यादा है। लोकपाल के गठन का जो प्रारूप हम चाहते हैं उससे सरकार पर आरोप नहीं लगेगा। हम तो चाहते हैं कि सरकार की तारीफ हो, हम चाहते हैं कि आप चुनाव में जीतकर आ जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग जो बैठे हैं उनके समक्ष ऐसा कानून तो बने, मजबूत लोकपाल तो बनें, लेकिन यह लोकपाल बिल मजबूत नहीं है, नहीं है, यह मैं बताना चाहता हूं। इससे कोई भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है।

इसी तरह से डायरेक्टर सी.बी.आई. और सी.वी.सी. की नियुक्ति को लोकपाल की प्रस्तावित नियुक्ति की तर्ज पर ही किया जाना चाहिए। सी.वी.सी. भी इसी तरह से

नियुक्त होना चाहिए। लोकपाल, सी.वी.सी. और सी.बी.आई. को अपना प्रशासनिक बजट एवं ट्रांसफर और पोस्टिंग में पूरी तरह से स्वायत्तता मिलनी चाहिए और उसे स्वशासी होना चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में ये संस्थाएं दंत-विहीन हो जाएंगी और उन्हें हर समय सरकार की तरफ देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। मैं इसे पढ़ देता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम लिखा हुआ इसलिए पढ़ रहे हैं, ताकि हम आपकी जानकारी के लिए पूरी बात कह सकें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि लोकपाल बिल पर विपक्ष के जो अच्छे सुझाव और संशोधन आये हैं, उन्हें सरकार को मान लेना चाहिए। आपको पूरे देश में राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार दूर करना होगा, यह पूरे देश की जनता की आवाज है, नौजवानों की आवाज है, छात्रों की आवाज है, वकीलों की आवाज है तथा हर वर्ग के लोगों की आवाज है। आप जो लोकपाल बिल लाये हैं, उस पर सब लोगों की इच्छा है और पूरे देश की जनता उम्मीद करती है कि अब भ्रष्टाचार रुक जायेगा। लेकिन वर्तमान लोकपाल बिल में जो प्रावधान है उससे भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। हम खुद भी देख रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, आपने इसे कितना मजबूत बनाया है? पोस्टिंग से लेकर और अन्य जितने अधिकार हैं, यदि उन्हें नहीं मिलेंगे, जो इसमें सन्निहित नहीं है कि यह पोस्टिंग और ट्रांसफर आदि करेंगे, ये सब वर्तमान लोकपाल बिल में नहीं है। इस बिल से पूरे देश के लोग तथा आप भी मन से सहमत नहीं हैं। हम ऐसा नहीं समझते कि आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आप जो बिल लाये हैं, वह एक कमजोर बिल है, लेकिन जब यह बिल लोक सभा में आ गया है तो आप इसे मजबूत बना दीजिए। यदि आप इसे मजबूत करेंगे तो आपको इससे ज्यादा सम्मान मिलेगा, आप पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा और आप उससे खुद भी मजबूत होंगे, सरकार मजबूत होगी। इससे हम मजबूत नहीं होंगे, बल्कि आप मजबूत होंगे। लेकिन आप आलोचना करने से नाराज हो जाते हैं जबकि आपका नाराज होना ठीक नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है कि आपकी नाराजगी से हमारा नुकसान हो जायेगा और हुआ भी है। जबकि हमारी नाराजगी से आपका क्या बिगड़ता है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। यदि इसमें इतना अंतर है तो आपको इस पर सोच-समझकर काम करना चाहिए, आपको हमारी बात पर गौर करना चाहिए और संशोधनों को मान लेना चाहिए। आज राजनीतिक दलों, संसद और वर्तमान व्यवस्था के प्रति लोगों में असंतोष है, नाराजगी है, निराशा है। आज हालत यह है कि हम जितने जनप्रतिनिधि या नौकरशाह हैं, उनके प्रति जनता में और विशेषकर नौजवानों में बहुत असंतोष है। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार आदि इसके कई कारण हैं और इन कारणों से जनता में बहुत भारी असंतोष है। यहां हमारा आपको सहयोग है। यह तीन दिन की बहस है, जो मामूली नहीं है। यह एक ऐतिहासिक बहस है। लोकपाल बिल पर आपने तीन दिन की चर्चा स्वीकार की है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि अभी तक खुद नेता ही बोलते थे और कोई नेताओं से भी अच्छा सुझाव दे सकता है, चूंकि इस पर नेताओं के अलावा कई सांसदों को भी बोलने का मौका मिलेगा।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि लोकपाल से लोकतंत्र बड़ा है। लेकिन हम सचाई बोलेंगे, हालांकि आप इसे बुरा मानेंगे, यह सरकारी बिल है, यह लोकपाल बिल नहीं है। यह पूरी तरह से सरकारी बिल है। इसमें कहीं भी कोई अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं, जैसे अधिकारों में इंडिपेंडेन्ट स्वायत्तता हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए संक्षेप में बोलकर ही हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, क्योंकि इधर से और आपकी तरफ से इस पर बहुत बोला जा चुका है। लेकिन हमने टू दि प्वाइंट आपके सामने अपनी बात रख दी है। यदि आप इसे मान लेंगे तो हम आपको धन्यवाद देंगे, हम जनता के बीच सरकार को धन्यवाद देंगे। लेकिन सदन के समक्ष जो वर्तमान स्वरूप में लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया है, उसमें विपक्ष के संशोधनों को आप मान लीजिए तो उससे आपको भी लाभ होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, आज इस संसद की कार्यवाही को पूरे देश के लोग देख रहे हैं, दूसरे देशों के लोग भी देखते होंगे, शुरू से ही आज इस संसद में मजबूत लोकपाल के लिए चर्चा हो रही है। यह लोकपाल बिल कोई पहली बार संसद में नहीं आया है, यह 11वीं बार हाउस में प्रस्तुत हुआ, जिस पर आज चर्चा हो रही है।

[श्री दारा सिंह चौहान]

महोदय, हमारी पार्टी, हमारे नेता का शुरू से बयान है कि इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मजबूत लोकपाल की जरूरत है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार मजबूत लोकपाल नहीं लाएगी, मैं समझता हूं कि देश के लोग इसे माफ नहीं कर सकते हैं। यह जो मजबूत लोकपाल है, मैं भारतीय संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का आदर करता हूं, जिन्होंने संविधान का जो दस्तावेज हमें सौंपा, उसमें इस देश से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए सारे विधान उन्होंने बनाये, लेकिन सरकार के लोग या जो भी लोग हों, अगर चुनावी चश्मे से हम इस लोकपाल बिल को देखेंगे, तो कतई हम मजबूत लोकपाल नहीं ला पाएंगे और ना ही मजबूत लोकपाल बना पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो चुनावी चश्मा है, इसे उतारकर हमें लोकपाल पर गंभीरता से चर्चा करनी होगी, तब जाकर हम मजबूत लोकपाल बना सकते हैं।

महोदय, सदन में तमाम संवैधानिक पद और संवैधानिक संस्था की चर्चा हो रही थी कि बड़े-बड़े राष्ट्रपति, जज यहां नियुक्त हुए। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि केवल संवैधानिक पद के नाम पर किसी व्यक्ति को बैठाकर इस देश में 63 साल तक जो गरीब, लाचार, बेबस और मजलूम है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाये, उनको लाचार बनाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं सुन रहा था कि ये राष्ट्रपति हो गये, जज हो गये, नेता प्रतिपक्ष बोल रही थीं।...*(व्यवधान)* आप हमारी बात सुनिये।

महोदय, जब कुछ सांसद लोग आरक्षण के सवाल पर अपनी बात को कहना चाह रहे थे कि 50 फीसदी जो आरक्षण है, इसमें संविधान संशोधन के लिए, तब यह सवाल उठ रहा था। जब माइनोरिटी के सवाल पर आरक्षण की बात हो रही थी तो एक तरफ से आवाज आ रही थी कि यह मुसलमान, हमारे बहुत सारे साथियों ने वह आवाज सुनी होगी। मैं समझता हूं कि आवाज दबा दी गयी, यह मुसलमान, तुम बाहर जाओ, पाकिस्तान जाओ। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश का मुसलमान...

एक माननीय सदस्यः ऐसा किसी ने नहीं बोला।

श्री दारा सिंह चौहानः नहीं, बोला गया है, आप क्या बात करते हैं।...*(व्यवधान)* महोदय, जिस देश के मुसलमानों ने...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया शांत रहिये। इन्हें बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहानः महोदय, जिस देश के मुसलमानों ने...

श्री गणेश सिंहः दारा सिंह जी, आप रिकॉर्ड में देख लीजिये, रिकॉर्ड में भी नहीं है।

श्री दारा सिंह चौहानः नहीं, आवाज आयी थी। ...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंहः ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइये।

श्री दारा सिंह चौहानः ठीक है, महोदय, इसे देखेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी, सिर्फ दारा सिंह जी की बात रिकॉर्ड में जायेगी।

*(व्यवधान)...**

श्री दारा सिंह चौहानः बोले थे, अब रिकॉर्ड में न हो तो बात अलग है।...*(व्यवधान)* चलिये कोई बात नहीं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः दारा सिंह जी, आप उधर मत देखिये। आप आसन की तरफ देखिये।

श्री दारा सिंह चौहानः महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया शांत रहिये। आप उन्हें बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहानः मैं उन्हीं से सम्बन्धित बात

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बोल रहा हूं। इस देश के मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। अशफाक उल्ला खां से लेकर वीर अब्दुल हमीद अपने सीने पर बम रखकर इस देश की आन, बान और सम्मान के लिए कुर्बान हो गये। आज भी इस देश में हम उन्हें शंका की निगाह से देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इससे कतई सहमत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करती है। सभापति जी, जहां तक आरक्षण का सवाल है, ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: शांत रहिये।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आरक्षण का सवाल उठ गया था, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि चुनावी चश्मे को उतारकर हमें लोकपाल की गंभीरता पर विचार करना होगा, तब इस देश में मजबूत लोकपाल बन सकता है। जहां तक सुना गया कि अध्यादेश के माध्यम से 4.5 प्रतिशत आरक्षण मुसलमानों को दिया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि जो 27 फीसदी पिछड़े समाज के लोग हैं, उसमें मुसलमानों की कम से कम 30-35 जातियां आती हैं जो अपने आप 3.5 प्रतिशत के करीब बनती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, हमारे नेता ने ईमानदारी से 3.5 प्रतिशत नहीं, बल्कि उससे ज्यादा फायदा उनको दिया है, सभी सैक्टर्स में दिया है।...*(व्यवधान)* आप लोग सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय: शांति बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: कृपया सुनिये तो सही। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आसन की तरफ देखकर बोलिये, उधर मत देखिये।

श्री दारा सिंह चौहान: जब 3.5 प्रतिशत मुसलमान पिछड़ी जाति के लोगों में आ जाते हैं, तो यह चुनावी चश्मा चढ़ाकर लोकपाल पर बहस कराने का कौन सा फायदा है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने संविधान सौंपते समय कहा था कि नीति चाहे जैसी भी हो, अगर आपकी नीयत साफ नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप भी विषय पर बोलिये। उन पर दबाव मत दीजिए। आप सीधे बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं चैलेन्ज के साथ कह रहा हूं कि इनकी भी सरकार रही है और हमारी भी सरकार रही है। पुलिस की भर्ती में क्या हुआ। होम मिनिस्टर यहां के गवाह हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई, ऐसी पाक-साफ तरीके से पूरे देश में कहीं भर्ती नहीं हुई। मैं इस बात को गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराइए। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक मजबूत लोकपाल रखने की बात है, पिछले 63 सालों में अगर हमारी नीयत साफ होती, तो आज भ्रष्टाचार का जो आलम देश में है, यह नहीं रहता, यह खत्म हो जाता। आज जहां सी.बी.आई. का सवाल है, आज छोटे-छोटे ग्रुप सी और डी कर्मचारियों का सवाल है, मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि सी.बी.आई. के लिए आप एक संशोधन लाए हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 में, जिसमें आपने प्रावधान किया है कि अलग से डायरैक्टर बनाएंगे, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले लोग किसके इशारे पर काम करेंगे? वे लोकपाल के इशारे पर काम करेंगे या सरकार के इशारे पर काम करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है। इसी से शंका पैदा होती है कि हम मजबूत लोकपाल के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि बराबर जिस तरीके से सी.बी.आई. का दुरुपयोग हुआ है, ऐसा नहीं है कि इधर के लोगों ने ही किया है, आपकी तरफ से भी दुरुपयोग हुआ है और सबकी तरफ से दुरुपयोग हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि सी.बी.आई का हमेशा दुरुपयोग हुआ है और इसकी शिकार उत्तर प्रदेश की हमारी मुख्य मंत्री रही हैं। उनके साथ साजिश हुई है सी.बी.आई. में, तथा और भी बहुत से नेता हैं जिनके राजनीतिक फायदे के लिए हमेशा सी.बी.आई. का दुरुपयोग हुआ है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि सी.बी.आई. लोकपाल के अंदर होना चाहिए, तब जाकर मजबूत लोकपाल हो सकता है, अन्यथा मजबूत लोकपाल नहीं हो सकता है।

जहां तक ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों की बात है, आप छोटे कर्मचारियों की जांच करेंगे, लोकपाल केवल देखकर बता देगा कि इनकी जांच होनी चाहिए और सारी जांच सी.वी.सी. करेगा। सारी रिपोर्ट वह देगा, उनको पनिशमैंट देना है, क्या करना है, सी.वी.सी. करेगा

[श्री दारा सिंह चौहान]

और फिर आखिर में लास्ट रिपोर्ट उनको सौंपने का अधिकार है, बाकी कुछ भी अधिकार लोकपाल में नहीं दिया गया है। जहां तक छोटे-छोटे कर्मचारियों का सवाल है, सवाल उठा रहा है कि नीचे से भी भ्रष्टाचार पनप रहा है। उत्तर प्रदेश में जो सिटीजन चार्टर लागू है। उसमें टाइम बाउण्ड कार्यक्रम है। अगर कर्मचारी तय समय से काम नहीं कर पाता है तो उनको पनिशमेन्ट देने का प्रावधान है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इनको बोलने दीजिए। कृपया शांत रहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि संघीय ढांचे की बात बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय की थी। उन्होंने अपेक्षा की थी कि संविधान का पालन करते हुए संघीय ढांचे पर चोट नहीं करनी है। लेकिन मैं समझता हूं कि मरकजी हुकूमत, जो भी सरकार में रहे हैं, सभी मिलकर के संघीय ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। कई प्रदेशों में लोकायुक्त होंगे, लेकिन सबसे सार्थक पहल और मजबूती से उत्तर प्रदेश की सरकार लोकायुक्त मामले में काम कर रही है।...*(व्यवधान)* मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि किस-किस प्रदेश के लोकायुक्त ने क्या-क्या रिपोर्ट दी है? लेकिन दूसरे प्रदेश के लोकायुक्तों की रिपोर्ट पर कुछ नहीं किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने एक क्षण की देर किए बिना लोकायुक्त के आदेश का पालन किया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत हो जाइए, इन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी मजबूत लोकपाल की सिफारिश इसलिए करती है, क्योंकि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संघीय ढांचे की बात होती है, लेकिन पूरे प्रदेश का अधिकार इनके हाथ में होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बाबा साहब के संविधान का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा था कि संघीय ढांचे पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन आज संघीय ढांचे पर चोट पहुंच रही है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि आप जब चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं हमने पैसा दिया, लेकिन खर्च नहीं हो रहा है। वह पैसा कहां से आया है? माननीय कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे तो मैं सुन रहा था कि दिल्ली के पास क्या है? सब तो प्रदेश में होता है। कर्मचारी, अधिकारी सब प्रदेश में होता है। जब आपके पास नहीं है तो आप किस हैसियत से कहते हैं कि प्रदेश को पैसा हमने दिया है। आप किस अधिकार से कहते हैं कि प्रदेश को पैसा हमने दिया है? यह पैसा कहां से आ रहा है?...*(व्यवधान)* यह प्रदेश की जनता है, जिनकी गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में आती है, वह पैसा सैंटर में आता है, वह हमारी हिस्सेदारी, वह हमारा पैसा है और कहते हैं कि हमने पैसा दिया है।...*(व्यवधान)* आप कहां से पैसा लाए हैं? माननीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं, हो सकता है जवाब में बताएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह देश का पैसा, प्रदेश का पैसा नहीं है? क्या आप कहीं बाहर से लाए हैं, कहीं विदेश से पैसा लाए हैं, जो कहते हैं कि हमारा पैसा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: विधेयक पर बोलिए।

श्री दारा सिंह चौहान: अभी तो विदेश का पैसा आया ही नहीं। यह हमारा ही पैसा देकर कहते हैं कि हमारा पैसा है।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा अपील है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत लोकपाल इस देश में चाहती है और चाहती है कि जिस तरह से सी.बी.आई. का दुरुपयोग हो रहा है और संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदेश की सरकार पर लोकायुक्त को छोड़ देना चाहिए। यदि राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आपके मन में शंका है इस संघीय ढांचे को कमजोर करने की। इसलिए यह जो लोकपाल विधेयक सरकार की तरफ से लाया गया है, यह कतई मजबूत लोकपाल बिल नहीं है। जहां तक विवेकाधिकार की बात है, मंत्री जी कह रहे थे कि विवेकाधिकाधीन हमने खत्म कर दिया है। कहां आपने विवेकाधीन खत्म किया है? यदि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न करता तो शायद वह विवेकाधीन खत्म न होता। आप कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी बिल हम ला रहे हैं। आप 63 साल तक सत्ता में रहे हैं और आज आप गरीबों को भूख का भय दिखाकर फूड सिक्योरिटी बिल की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपस में टोका-टॉकी नहीं करें।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय जी, अगर मजबूत लोकपाल लाना है तो हम उसके पक्ष में हैं। उसको समर्थन देंगे और जिस तरीके से आपने सी.बी.आई. का दुरुपयोग करने का मन बनाया है, इसी कारण हमें लगता है कि आपके मन में शंका है। हमें भी शंका है कि आपके रहते इस देश में मजबूत लोकपाल नहीं आ सकता है। आप अगर मजबूत लोकपाल लाएंगे, छोटे कर्मचारी को उसमें शामिल करेंगे, सी.बी.आई. को इसमें शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इसका समर्थन करेगी वरना इस बिल का विरोध करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका समर्थन करता हूं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, आज की जो बहस है, वह इस देश में एक बड़ी बीमारी है भ्रष्टाचार, उसके बाबत चल रही है। आप एक लोकपाल नाम का कानून बनाना चाहते हैं। यहां विस्तार से और देश के बाहरी इलाके में भी बहुत बहस हुई है कि यह कानून 41 वर्षों से नहीं आया है। लोकपाल 41 वर्षों से नहीं आया है। आज मैं अंधेरे पक्ष को नहीं दिखाऊंगा, मैं आज इस देश के उजले पक्ष के हक में खड़ा हूं। यह बिल जवाहरलाल जी ने नहीं लाया, इन्दिरा जी ने नहीं लाया, वी.पी. सिंह नहीं लाए, अटल जी नहीं लाए, हम लोग लाए हैं। जब हम यह लोकपाल लाए हैं तो हमने आंदोलन करने वाले लोगों से बात की। हमने, आपने, सभी पार्टियों के साथ उनसे बात की। हमने पहले बात नहीं की, बाद में की, ठीक किया। आपका पूरा अमला लगा। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि यह देश 60-62 वर्षों से एक बड़ी बीमारी में फंसा हुआ है और वह बीमारी भाषा की बीमारी है। आज तो कपिल साहब हिन्दी में बोल रहे थे। लेकिन यह जो सारी उलझन है, उसमें एक कारण भाषा भी है। जब देश कई वर्षों तक गुलाम रहा तो फारसी और उर्दू राजभाषा थी। उसके बाद सामंतों का राज रहा तो संस्कृत राजभाषा थी। आजादी आई है तब से हमारे यहां यह भाषा है। सुषमा जी और कपिल सिब्बल साहब ने उसमें कानून का और अन्य चीजों की बड़े विस्तार से अपनी-अपनी बात रखी। कपिल साहब तो कानून के बारे में इतना जानते हैं। यहां वे इतने उलझे नहीं, इतना दांव पेंच करके इतने तरीके से यानि संविधान के पूरी तरह से ध्वंस के लिए आप अनुच्छेद 253 में ला रहे हैं और आप सोचते हैं कि सदन में लोग और देश की जनता आपके दांव-पेंच को नहीं समझेगी।

आप दिल में क्या चाहते हैं, वह मैं अच्छी तरह जानता हूं। यह बिल क्यों आ रहा है, यह भी मैं जानता हूं। आपने लगभग दो या तीन लाख ग्रुप ए और बी के लोग रखे हैं, उनसे कोई चर्चा की। इस देश में भारत सरकार के 53 लाख कर्मचारी हैं। आपने सबसे चर्चा की है, लेकिन इस देश में 63 वर्ष में जो उजला पक्ष है, यहां जो काम हुआ है, आगे बढ़ा है, उसे राजनैतिक लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारियों ने ही आगे बढ़ाया है। किसी ने इतने बड़े हिस्से को, यानी जिसके मन में आया, वह उसको कह दिया कि उसमें सब बेईमान।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार-पांच बार मंत्री रहा हूं। मैं आज भ्रष्टाचार के कई मामलों में बचा हुआ हूं तो इस देश के ब्यूरोक्रेट्स की ईमानदारी के कारण बचा हुआ हूं। क्या वे सब बेईमान थे? अभी मुलायम सिंह जी बोल रहे थे कि हमारे खिलाफ बहुत गुस्सा है। गुस्सा बेकारी, गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार का भी है, आप सही कह रहे थे। भ्रष्टाचार में निश्चित तौर पर राजनैतिक लोग और ब्यूरोक्रेसी का हाथ है और जो अच्छा हुआ, उसमें भी हाथ है। इस देश में जिस तरह से सब चीजों में, मैं मानता हूं कि कुछ शहरों तक, पूरे गांव तक नहीं पहुंचा, लेकिन विकास जो है, वह कहीं नहीं पहुंचा। मान लो दो-पांच फीसदी पहुंचा तो उसे किसने पहुंचाया? इन्हीं बेईमान लोगों ने पहुंचाया, क्या ये सब बेईमान हैं? ये 15वीं लोक सभा है, क्या ये पूरे राजनैतिक लोग बेईमान हैं? जिसमें डॉ. लोहिया जी रहे, मधुलिमये जी, आचार्य कृपलानी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मैं आपको कितने लोगों का नाम गिनाऊं। मैं इस सदन में कितने लोगों का नाम बता सकता हूं, जिन्होंने जीवन में किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं की है। कबीर जी ने जो कहा है कि - "झीनी-झीनी बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस धर दीनी चदरिया।" ऐसे बहुत से जिन्दा लोग हैं। इस देश की बदकिस्मती भी यह है कि हमेशा यह मरे लोगों को याद करता है। मरे लोग अच्छे हैं, इतिहास में इनको याद करना जरूरी है, लेकिन किसी जिन्दा आदमी को उसकी जिन्दगी में रहते हुए उसे जो पुरस्कार, यश एवं सम्मान मिलना चाहिए, वह उसे कभी नहीं मिलता है।

[श्री शरद यादव]

अजीब हालत है। आंदोलन में कौन हैं, कोई आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग का कोई आदमी या किसान है, कोई अकलियत का आदमी है। ये कौन लोग हैं? किन से डरे हुए हो, किन से डरते हो? इस देश का कौन नाश कर रहा है? ऐसा बिल लाए हो कि माथा पीटने का मन होता है। सुषमा स्वराज जी, जब संशोधन के लिए कहती हैं तो आप कानून के दांव-पेच बताते हो। फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आप हमें आज समझाएंगे। ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय ऑब्लीगेशन है, इसे आप समझाएंगे।

अपराह्न 3.00 बजे

आप नीचे धारा डालकर बचाव का रास्ता निकालोगे, यह ठीक है? यह मेंडेटरी है, यह सूबों के अधिकार पर डकैती है, इसको हम नहीं मानते। हम इस बात को नहीं मानते, आपने डकैती की है। लोकपाल क्या इस देश में बना नहीं, आप कह रहे थे कि राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं करतीं। कौन-कौन राज्य सरकारें रही हैं, मैं खुद बहुत मुख्यमंत्रियों के गुस्से से जेल में बन्द रहा हूं, लेकिन उनके ईमान के ऊपर आज भी मैं कोई बात कह नहीं सकता। मेरे यहां डी.पी. मिश्रा थे, वे मकान छोड़कर भी नहीं गये और मुझे उन्होंने जेल में भी बन्द किया। आप कहते हो कि राज्य में कोई कार्रवाई नहीं होती। छत्तीसगढ़ में हर बार हजारों आदिवासी इकट्ठे होते थे और बीसों प्यूपलिस्ट वाले लोग मारे जाते थे, लेकिन स्वर्गीय डी.पी. मिश्रा ने बैठ कर उस समस्या का समाधान किया। यहां श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारे बीच से उठ गईं, लेकिन उन्होंने देश को बचाने के लिए जोखिम लिया। पंजाब बर्बाद और तबाह था, उन्होंने उसे बचाने का काम किया, क्या जोखिम नहीं उठाया? क्या सारी 15वीं लोक सभा, 15 लोक सभा में निरन्तर जो लोग आ रहे हैं, वे सब बेईमान हैं, जितने कर्मचारी आ रहे हैं, जितने ऑफिसर आ रहे हैं, वे सब बेईमान हैं? अगर बेईमानी हैं, तो उस बीमारी का इलाज करिये। अरे भई, देश में 63 वर्ष का लोकतंत्र है, इसमें बीमारियां आपके सामने आ रही हैं तो उनसे क्यों घबरा रहे हो और घबरा कर कुछ भी कर रहे हो, अचकचा कर कुछ भी करने को तैयार हो और केवल आप नहीं, हमको छोड़ कर बहुत से नेता यहां बैठे हैं, हमने कभी नहीं कहा, एक बात नहीं कही कि लोकपाल बिल पास करो...*(व्यवधान)* फिर हम बात भूल जाते हैं, हमारी बात डिरेल हो जाती है। आपने एक खाने में रख दिया, जो लोग कह रहे हैं, अरे इस देश को, दुनिया को बदलने वाले जितने लोग रहे हैं, वे जिंदगी भर गाली खाते रहे, गोली खाते रहे, लेकिन वे अड़े रहे, इसीलिए दुनिया है और यह पार्लियामेंट अड़ेगी नहीं, कुछ भी करेगी? यह एमेंडमेंट जो दिये हुए हैं, ये कोई बदनीयती से दिये हैं? मैंने नहीं दिये, मैं मानता हूं कि आप कोई एमेंडमेंट मानने वाले नहीं, लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मानते तो हैं नहीं। ये तो बगैर एमेंडमेंट दिये हुए बैठ ही नहीं सकते। बसुदेव आचार्य, ये मानेंगे नहीं। जितने एमेंडमेंट देते हैं, एक को आप मानने वाले नहीं, आपने तय कर लिया है और मैं यह मानता हूं कि आपकी पूरी गलती नहीं, आप तो किसी तरह जान छुड़ाने में लग गये हैं।

जब प्रणब बाबू बोल रहे थे तो मैं उनकी वेदना को उस दिन समझा, जब सुषमा जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इसको 252 में लाओ, 253 में क्यों ला रहे हो तो बोले कि हमारा काम यहां कानून बनाना, संविधान बनाना है, जो अदालत का काम है, वे देखेगी। अरे भई, सुषमा जी कह रही थीं कि इसमें अभी से सुधार कर लो, सुप्रीम कोर्ट के पास गये तो क्यों हमारे इतने लोगों के द्वारा पास हुआ कोई लेजिस्लेशन वह खारिज करे। जब वे बोल रहे थे, उसी दिन लग रहा था कि यह बला टालने के लिए है। बेचारा बूढ़ा आदमी परेशान, तंग आ गया है या ओवरलोड है और तो कांग्रेस पार्टी में यहां कोई है नहीं, एक आदमी है, जैसे...* पर एक बोरा, दो बोरे, तीन बोरे, 50 बोरे डालोगे तो पसर जायेगा कि नहीं पसर जायेगा? यह बेचारा पसर गया और हमने भी और सब लोगों ने उसको परेशान कर दिया। यह सरकार जो है, यह बुरी हालत में है।

लुंज-पुंज हो गयी है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कोई शब्द असंसदीय है, तो उसे हटा देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: कपिल साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इस सूबे में कई जगह पहले भी बहुत अच्छे काम हुए और अभी भी अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन आप याद करने को तैयार नहीं हैं। याद करने को तैयार नहीं

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है, अभी भी हो रहे हैं, मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, चूंकि मेरी पार्टी की सरकार है। वहां कितने अफसर बंद हुए, कितने भ्रष्टाचारी बंद हुए, एक माफिया नहीं बचा, सब जेल में बंद हैं, सारे माफिया बंद हैं। आपका राज रहा, सबका राज रहा, इनका राज रहा, उनका राज रहा, माफिया छुट्टे घूम रहे थे। आज किसी एक माफिया का नाम आप बता सकते हैं। आप अभी लोकपाल लाए हैं, वहां लोगों की संपत्ति जब्त हो चुकी है। वहां स्कूल चल रहे हैं और आपको पता नहीं है। क्या आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम है। लेकिन हमने दिल इतने सिकुड़े कर लिए हैं कि हम एक-दूसरे की अच्छाई को नजरअंदाज करते हैं। याद रखना, वह मुल्क बन नहीं सकता, जो अच्छाई को इगनोर करे। बुराई को भी न करे, बुराई से भी कदम-कदम पर लड़े और अच्छाई हो तो उसके साथ आगे बढ़ने का काम करे और सहयोग करे।

आप यह बिल लेकर आए हैं। पूरे देश भर में चला हुआ है, सोमपाल, ओमपाल, दिल्ली के आसपास समरपाल, पाल ही पाल है, मुझे समझ में नहीं आया कि कहां से यह पाल आया है? लोकपाल, लोकपाल, लोकपाल, किसलिए यह आया है? यह भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आया है। मैं मानता हूं कि मैंने कई बार कई लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले यहां उठाये हैं। जितने मामले मैंने उठाये हैं, शायद ही सदन में कोई और हो, जिसने उतने मामले उठाए हों। टूजी में तो आज लोग जेल में बंद हैं, दो साल पहले से हम लोग इस मामले को उठा रहे हैं। कितने ही ऐसे मामले हैं, चाहे अनाज का हो, एक्सपोर्ट का हो, चीनी का हो, चारे की बात नहीं, चारा है ही नहीं यहां, खनिज हो, आप तो जानते हैं कि उसे उठाकर आया हूं, गोवा वाला मामला उठाया, आपका वह वाला मामला उठाया, जो जेल में बंद है, तो सीधी सी बात है कितने ही मामले उठाए। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई नहीं हुयी? जिस दिन आंदोलन के अगुआ नेता पांच अप्रैल को जंतर-मंतर पर बैठे थे, उस दिन इस पार्लियामेंट के पुरुषार्थ से, इन पार्टियों के मेलजोल से...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: अगर, समय दे देंगे तो मैं उस पर भी आ जाऊंगा। जिस दिन वह बैठे थे, मैं सभा में भी गया था और वहां जो सच था, वही बोलकर आया और यहां भी मैं वही सच बोल रहा हूं, जो मेरे दिल में है, मैं गले से नहीं बोलता हूं। पांच अप्रैल को, उस समय 27 आदमी हम सब लोगों के पुरुषार्थ के चलते जेल में बंद थे। जब से यह आंदोलन चला है, आंदोलन सब अच्छे होते हैं, आंदोलन से हमेशा ठीक रास्ता निकलता है। लेकिन जब से यह आंदोलन हुआ है, लालू जी, टूजी स्कैम में सी.ए.जी. की रिपोर्ट आयी थी, यह सदन जो है, वह हलचल में आकर, तब सारी पार्टियां जनता के बीच गयी थीं, आप भी गए थे, ये भी गए थे, आडवाणी जी भी गए थे, हम सब लोग गए थे। उसके बाद कितनी सी.ए.जी. की रिपोर्ट आ गयीं। हमने जे.पी.सी. के लिए एक बार पूरा सदन बंद रखा, जे.पी.सी. गठ गयी, क्या उसकी कोई चर्चा है? आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ पुरुषार्थ कर जो चीजें हासिल कीं क्या उसका कहीं कोई चर्चा है? आपके जहाज एयर इंडिया के बारे में सी.ए.जी. की रिपोर्ट आ गई। कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें अकेले श्री सुरेश कल्माडी बंद हैं, वह हाथी की पूंछ बंद है और हाथी बाहर घूम रहा है। हम लोग उसको...*(व्यवधान)* हाथी बाहर घूम रहा है और बाहर घूम कर मुस्कुरा रहा है। वह मजे मार रहा है।...*(व्यवधान)* भ्रष्टाचार पर एक मूमेन्टम बना...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष जी, मैं व्याख्या कर रहा हूं जो सच व्याख्या है जिसके चलते सारे मामले पीछे चले गए। हम अच्छे काम में लगे थे। हम और बाहर के लोग ऐसे काम में लग गए लेकिन लाए क्या हैं? खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इस लोकपाल से क्या होगा। यहां सी.बी.आई. की बहुत चर्चा हुई कि वह बहुत बुरा है। मैंने भी कई बार कहा है। सी.बी.आई. ने राजनैतिक मामलों में पक्षपात किया है यह अकेले उनका दोष नहीं है उसमें राजनैतिक लोगों का भी दोष है। आपने सी.बी.आई. का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है लेकिन उसने सब खराब काम किया है यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। सी.बी.आई. ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। आपके एंटीकरप्शन के सारे अधिकार उसके पास हैं। चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने का उसे पूरा अधिकार है। हम आपसे कहते हैं कि इस देश

[श्री शरद यादव]

को भ्रष्टाचार से निपटना है तो लोकपाल को बाद में देखना। पहले आप सी.बी.आई. को मजबूत, निष्पक्ष और स्वायत्त करो फिर देखिए देश कैसे नहीं बनता है? आपने सी.बी.आई. को भ्रष्टाचार के मामले दिए। जहां राजनैतिक आदमी नहीं थे वहां उसने ठीक काम किए। जहां राजनैतिक लोगों ने रुचि दिखाई वहां वह क्या करे? सारी सी.बी.आई. को आप कितने हिस्सों में बांट रहे हैं? उसके कितने मालिक होंगे? उसका मालिक लोकपाल होगा? केन्द्रीय सतर्कता आयोग उसका मालिक है। गृहमंत्री भी उसे देखते हैं और गृह मंत्रालय देखता है। उसे चिदम्बरम साहब देखते हैं। इन्होंने इस दौर में जो-जो देखा है उसका नतीजा पूरा देश भोग रहा है। आपकी अनुभवहीनता के चलते पूरा देश भुगत रहा है।...**(व्यवधान)**

अपराह्न 3.12 बजे

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए)*

आपने आंदोलन के साथ कैसे डील किया? मैं आप से कहना चाहता हूं कि आपने स्वामी रामदेव से लेकर श्री अन्ना हजारे के साथ बेकार में ऐसी छेड़खानी की। आज पूरा सदन, पूरा देश सोच रहा है कि लोकपाल आया और सारा भ्रष्टाचार जैसे खुल जा सिम-सिम, खुल जा सिम-सिम, खुल जा लोकपाल खत्म हो जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? इस देश में 63 वर्ष में सारी बीमारी सामने आ गई है। पूरी जाति व्यवस्था सबसे बड़ा कचरा-कूड़ा है। इस जाति के कूड़े पर, गारबेज पर हर तरह का कीड़ा पलता है। सुषमा जी आप कह रही थीं कि इसमें मुसलमान को रखा गया है। आप लोकपाल बना रहे हैं तो क्या इस देश की हकीकत को इनकारपोरेट नहीं करोगे? आपने 60 वर्ष में नहीं किया। क्या सुप्रीम कोर्ट एक दलित जज है, हाई कोर्ट में चीफ जस्टीस है? यहां कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: लोकपाल बना रहे हैं। चार ज्यूडिशीयल सदस्य रखेंगे।

क्या यह आसान है? सुषमा जी, आप कह रही हैं कि यह सरकार ने नहीं तय किया है, ऑल पार्टी मीटिंग में तय हुआ था कि वीकर सैक्शन के लोगों को इसमें भागीदारी मिलेगी। यह रिजर्वेशन नहीं है, भागीदारी है। यदि सुप्रीम कोर्ट भागीदारी को गिराता है तो हमारे हाथ में संविधान संशोधन, संविधान को फिर से बदलने का हक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट सब अच्छा काम करती है, क्यों मुझसे कहलवाते हैं। जब इमरजैंसी में बंद थे तो क्या हुआ था, हमें मालूम है। हम सब अच्छे काम करते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन 63 वर्ष हमने जो अच्छे काम किए हैं, देश की आजादी के चलते सारी बीमारी सामने आ गई है। सबसे बड़ी बीमारी तो यह है कि जाति व्यवस्था के चलते खंड-खंड में देश फंसा हुआ है और इसी से पाखंड है। लोकपाल में भी जाति काम करेगी। आप रोक नहीं सकते। जाति काम करेगी तो उसे रोकने के लिए लोग कहेंगे कि जमीन की हकीकत को इसमें इनकारपोरेट करो। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि 253 वाला मामला संविधान की पूरी तरह अवहेलना है। सुषमा जी ने संशोधन दिया है। वह मान लो, बाकी संशोधन मान लो, इसे प्रैस्टिज मत बनाइए। आपसे नहीं बना है, बनाते समय आपने माथा पकड़ा है। आपने संविधान के साथ छेड़खानी की है। आपने ठीक लोकपाल नहीं बनाया। अकेले आपका दोष नहीं है, ऐसी हड़बड़ी मची है। जो मीडिया के मालिक हैं, मैं उनकी नहीं कहता। जो बेचारे बीच में बैठे हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। 24 घंटे, सुबह-शाम यानी इस देश में और कोई चर्चा ही नहीं है। कोई उठ गया, कोई सो गया, कोई मोटा हो गया, कोई तगड़ा हो गया, किसी को सर्दी हो गई, किसी को जुकाम हो गया। अरे, वाह रे देश। हम पार्लियामैंट में बैठकर यह क्या लाए हैं।...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। सुषमा जी कह रही हैं कि यह ठीक नहीं है। दारा सिंह जी तो कहते हैं कि और मजबूत लोकपाल बिल ले आइए।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: सी.बी.आई. का दुरुपयोग हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक लोगों के मामले में दुरुपयोग हुआ है। उसने काफी अपराधियों को बंद किया है। इतने लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। हर सूबे में कोई गड़बड़ हो जाती है तो आम जनता कहती है कि सी.बी.आई. से जांच करवाइए। उसने जो खराब काम किया है, उसके बारे में हम बहुत दिनों से भिड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्ट्रांग लोकपाल

बिल ले आइए। सी.बी.आई. को लोकपाल में डाल दें। क्यों?...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: सी.बी.आई. को स्वतंत्र होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: मैं कह रहा हूं कि सी.बी.आई. को स्वतंत्र करो, स्वायत्त करो। किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसे मजबूत कीजिए, उसमें और कर्मचारी रखिए। कोर्ट में जो केस चल रहे हैं, आप जिस तरह का लोकपाल बना रहे हैं, उसमें कितने केस हो जाएंगे, क्या आपने उसकी कल्पना की है? उनका निपटारा कहां करेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 48 लाख केस पड़े हुए हैं। लोकपाल के बनने से जितने केस आएंगे, क्या वे निपट जाएंगे? सी.बी.आई. के पास 10 हजार केस पैंडिंग पड़े हुए हैं। जब लोकपाल लाएंगे और उसमें केस चलेंगे, तो क्या वे केस निपटा देंगे। कौन सी अदालत खोलेंगे, कहां से पैसा लाएंगे? क्या पैसा पूरी तरह इसी बात में लगाएंगे? भ्रष्टाचार समस्या है लेकिन विकास भी समस्या है। कितने कानून लाना चाहते हैं? हाथ को, पैर को, हर चीज को बांधकर इस देश को उलझाकर क्या आप विकास कर पाएंगे। अभी तो विकास हो नहीं रहा है। यदि और कानून आ गए तो मनमोहन सिंह जी, विकास पूरी तरह ठप्प हो जाएगा। आप बाहर के जितने उपाय कर रहे हैं, यूरोप, अमरीका की नकल, वह भी बंद हो जाएगी। कोई काम नहीं करेगा। फिर एम.पी. और अफसर कोई क्यों बने।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: एम.पी. और अफसर कोई क्यों बनेगा? कौन चुने हुए आदमी का काम करेगा, इस बारे में आप बताइए। अफसर कहेगा - लोकपाल, लोकायुक्त। आप राइट टू इन्फोर्मेशन बिल लाये हैं। इस बारे में आप बड़ी गौरवगाथा गा रहे हैं, जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है।...*(व्यवधान)* अरे, यहां की पूरी सरकार माथा पकड़कर बैठी हुई है। जो अफसर है, वह अपना आधा समय इसमें दे रहा है और दस साल पुरानी फाइल में माथा मार रहा है। कुछ भी सीख कर आते हो यूरोप से और कहीं से भी सुन कर आते हो। जो देश का रूलिंग क्लास बना हुआ है, वह देश को नहीं जानता, उसे जमीन पर कुछ नहीं मालूम है। क्या करेगा चुना हुआ आदमी?

सभापति महोदय, आप क्या करेंगे? आपका कोई फोन उठायेगा? क्या कोई फंसेगा? क्या अफसर कोई काम करेगा?...*(व्यवधान)* बड़ी अजीब बात है। आप कह रहे हो कि सड़क में पैसा खाया जाता है इसलिए परमानेंट सड़क बनाना बंद कर दो। आप कहते हो कि बिजली बनाने में चोरी होती है, इसलिए उसे बनाना बंद करो। ठेके में गड़बड़ी होती है, बनाना बंद करो। आप कहां ले जा रहे हो?...*(व्यवधान)* कौन, कहां किस रास्ते पर जा रहा है? हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? मैं विनती करना चाहता हूं कि इस पर और बहस की जरूरत है। इस पर हमारे जैसे आदमी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम बहुत कानून पढ़े लिखे नहीं हैं। हम इंजीनियर थे लेकिन दूसरे काम में आ गये। इस देश में जो बहुत पुराना और सबसे सच्चा आदमी पैदा हुआ, उसका नाम महात्मा कबीर है। उसने कहा है कि -

'तेरा मेरा मनवा कैसे एक होय रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होय रे,

तू कहता है, कागज देखी, मैं कहता हूं आंखन देखी,

मैं कहता हूं, सुलझनहारी, तू कहता है उलझनहारी,

मैं कहता हूं, सुलझनहारी और आप कहते हो उलझनहारी।'

हम सब लोग भी उलझनहारी में फंस गये हैं। कपिल सिब्बल जी, आप मेरी बात को दिल से समझ रहे हैं, लेकिन मजबूर आदमी कभी भी मजबूत काम नहीं कर सकता। यह सदन मजबूर हो गया है। यह मजबूरी तोड़ने की जरूरत है। कोई कहता है कि हम चुनाव हार जायेंगे, जीत जायेंगे। हम ग्यारह बार चुनाव लड़े हैं और उसमें कई बार हारे हैं और कई बार जीते हैं। मान लो कि देश के लिए तबाही और बर्बादी का कानून बन रहा हो, तो क्या हम उसे बनने देंगे? क्या देश को बर्बाद होने देंगे? कोई कहे कि हमें हरा देगा, तो हरा दे, मिटा दे, लेकिन देश बनेगा, समाज बनेगा। इतिहास याद रखेगा

[श्री शरद यादव]

कि हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उलझाने का काम नहीं किया। आप सी.बी.आई. को क्यों नहीं मजबूत करते? हम तो इतने दिनों से मांग कर रहे हैं कि इसे स्वायत्त बनाओ। उसका सलैक्शन ऐसा करो कि वह निष्पक्ष हो जाये। आपके हाथ न रहे और कल हम आयें तो हमारे हाथ भी न रहे। उसके पास सारे कर्मचारी हैं, सारी संस्थाएं हैं। आप उसका कैसा कचूमर निकाल रहे हो। अभी तक आप इतने मालिक बना कर रखे हो। एक आदमी घोड़ा चलायेगा या पांच लोग उसकी लगाम लेकर चलायेंगे। क्या वह घोड़ा चलेगा?...(*व्यवधान*) लोकपाल का यही हुआ। आप जो लोकपाल बिल लाये हैं, उसमें यही है। लोकपाल में आप, यानी आप एक ऐसा लोकपाल लाये हैं, जिस घोड़े को चलाने के लिए आपने उस पर पांच लोग सवार कर दिये, वह घोड़ा कैसे चलेगा? (*व्यवधान*)

अंत में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह बिल सोच समझकर कर नहीं लाये। सुषमा जी तो सीधा नहीं कह पायीं। वे उसी तरह से दुखी हैं जैसे मैं हूं। लेकिन उनका थोड़ा सा आंदोलन से,...(*व्यवधान*) आंदोलन से मेरा भी बहुत प्रेम है। मैं पहले दिन भी गया था और अभी भी गया था। कुछ साथियों ने कहा कि वहां क्यों गए थे, अरे, मैं वहां गया था तो मैं जैसा यहां बोलता हूं, वैसा ही वहां उनको बोलकर आया हूं कि अन्ना साहब, जब आप भूख हड़ताल पर पहले दिन बैठे थे, उस दिन 27 लोग बंद थे, इसको मत भूल जाना। 150 आदमी यहां अपराधी हैं, दागी हैं, यह किसी ने आपको गलत बताया है। हमको भी यह चोरी के केस में, लालू जी की सरकार थी, घड़ी छीनने का हम पर एक केस चला हुआ है, अभी भी चल रहा है। जो लोग बाहर से कह रहे हैं कि हम सब लोग खराब हैं, हम लोग लाखों लोगों द्वारा चुनकर आते हैं, हम खराब होते, तो जनता हमें यहां नहीं भेजती। पिछले 37 वर्ष से मैं इस सदन में हूं। हम लोगों में से बहुत से लोग ईमान के लिए भी हैं, उन सब लोगों को आप मिटाने का काम मत करो। सिब्बल जी, यह जो कानून लेकर आए हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप इसे माथा पकड़कर लाए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, क्यों ऐसा कर रहे हो। हो सकता है कि आपको और हमको नुकसान हो जाए, लेकिन आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के सामने क्या कोई लक्ष्य था कि हमको लाभ होगा। देश बनाने के लिए कई बार अड़ना पड़ता है। स्वर्गीय इंदिरा जी जो हैं, अड़ी। देश बचाया, लेकिन ऐसा नहीं किया कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ गयी हों। उस पार्टी में बहुत से बड़े-बड़े लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने जोखिम का जो रास्ता बताया है, कभी-कभी जोखिम उठाना पड़ता है। आज जो लोकपाल आया है, वह ठीक नहीं है। इसे कोई नहीं मान रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं, वे भी नहीं मान रहे हैं और इस सदन में सुषमा जी से लेकर सभी लोगों ने कहा कि यह सही नहीं है, दारा सिंह जी कह रहे हैं कि पूरा, टोटल लाओ, वह भी इसके हक में नहीं हैं।...(*व्यवधान*) मजबूत का मतलब मजबूरी नहीं होती है। अभी मुलायम सिंह जी ने कहा, लालू जी ने कहा, इसलिए इस बिल पर और विचार होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: आप क्यों सारे कर्मचारियों को चोर मान रहे हैं, क्यों सारे अफसरों को चोर मान रहे हो, आप उनसे भी बात करो कि कल वे कैसे काम कर पाएंगे। हमसे भी बात करो, हम एम.पी. हैं, कल क्या कोई हमारा एक काम सुन लेगा, क्या कोई हमारा एक काम कर देगा? आप इसे ला रहे हो, तो क्या ये सब चीजें बंद कर दोगे? क्या इस पंद्रहवीं लोकसभा को आज के दिन के बाद क्लोज करना है? नहीं-नहीं, ऐसा मत करो। जागो, पुरुषार्थ जगाओ, हिम्मत से खड़े हो, यह ठीक लोकपाल नहीं है, अच्छा लोकपाल बनाकर लाओ और अच्छा लोकपाल बनाने के पहले सी.बी.आई. को किसी के पास मत दो, स्वायत्त करो और देखो कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ वह लड़ती है या नहीं। लड़ेगी, जरूर लड़ेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: इसलिए सरकार में बैठे भाइयो और बहनो, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि यह लोकपाल ठीक नहीं है, यह देश को पूरी तरह से ठप्प कर देगा। इसे

अभी यहीं रोको। बना लेना आप, लेकिन जरा बात करके बनाओ। आप कह रहे हो कि आपने सबसे संपर्क कर लिया, नहीं किया। आपने लाखों कर्मचारी इसमें रख दिए, लेकिन उनसे पूछा नहीं, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं, उनसे पूछा नहीं, आपने किसी से नहीं पूछा है। बहुत लोगों को छोड़ दिया है। सबसे बात करके लाएं। आप एक अच्छा लोकपाल लाने का काम करें।

[अनुवाद]

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं लोकपाल विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कुछ दिन पहले भी लोकायुक्त के बारे में मैंने अपनी पार्टी के विचार प्रकट किए थे।

महोदय, नये भाग 14ख के अंतःस्थापन के लिए संविधान (एक सौ सोलहवां संशोधन) विधेयक भी इस सभा में प्रस्तुत किया गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाए रखें।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन: महोदय, खंड 323 (घ) (1) पर्याप्त है और यह लोकायुक्तों की स्थापना के लिए राज्यों को अपने स्वयं के अधिनियम बनाने का आदेश देगा। यदि हम लोकायुक्त के लिए कोई अधिनियम पारित करेंगे, तो हम राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण करेंगे। डी.एम.के. के सदस्य के रूप में हम राज्य की शक्तियों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हैं। मैं यह बात सरकार को बताना चाहता हूं। यह लोकपाल संबंधी कानून बनाने के लिए राज्यों के लिए अनुच्छेद 323 (ख) ही पर्याप्त है।

एक कहावत है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया है और यदि वह गंगा में डुबकी लगा लेता है तो उसका पाप धुल जाएगा। लेकिन पिछले सप्ताह, इस सभा में स्वयं गंगा में प्रदूषण पर वाद-विवाद हुआ था। इसलिए लोग कह रहे हैं कि हमें इस सरकार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है; हमें लोकपाल चाहिए; हमें राजनीतिज्ञों पर कोई विश्वास नहीं है; हमें सी.बी.आई. पर कोई विश्वास नहीं है, और इन सब चीजों का ध्यान रखने वाले संसाधनों पर हमें कोई विश्वास नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा जब, जिस प्रकार हम गंगा में प्रदूषण के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमें लोकपाल पर पुनर्विचार करना होगा। उस प्रकार, यह एक सतत प्रक्रिया है। यदि लोगों को कोई बात उनके अनुरूप नहीं हो, तो वे सब पर आरोप लगाते हैं। यदि उनके अनुरूप हो, तो वे समर्थन देना शुरू कर देते हैं। लेकिन, हम उस चरण तक पहुंच चुके हैं जब विधेयक का पुरःस्थापन किया जा चुका है।

मुझे केवल दो आपत्तियां हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। इनमें से एक आपत्ति इस विधेयक की धारा 53 के बारे में है। धारा 53 में कहा गया है:

> "लोकपाल किसी शिकायत के बारे में पूछताछ या जांच नहीं करेगा, यदि वह शिकायत ऐसी शिकायत में वर्णित अपराध के कथित रूप से किए जाने की तारीख से सात वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् की गई है।"

यह लोकपाल को पूर्वव्यापी प्रभाव देता है। अन्य एजेंसियां सात वर्षों से क्या कर रही थीं? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पहले से ही है, लेकिन यह केवल इतना उपबंध करता है कि पिछले सात वर्षों में, उस अवधि के दौरान किए गए अपराधों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरा अनुरोध यह है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार ने पिछले सात वर्षों से कार्रवाई नहीं की है। इस पूर्वव्यापी प्रभाव को हटाया जाना चाहिए। यह अधिनियम भविष्य प्रभावी अधिनियम होना चाहिए न कि पूर्वव्यापी अधिनियम।

दूसरे, जबकि मैं लोकायुक्तों के संबंध में कानून बनाने का विरोध करता हूं, मैं एक विशेष धारा अर्थात्, धारा 95 के संबंध में टिप्पणी करना चाहता हूं। इस धारा में निम्नलिखित उपबंध किए गये हैं:-

> "लोकायुक्त किसी अन्य विधि से उत्पन्न होने वाली अपीलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।"

जब उच्चतम न्यायालय है तो वे अंतिम अपीलीय प्राधिकारी नहीं हो सकते। वह कैसे अंतिम अपीलीय प्राधिकारी हो सकते हैं? इसका यह अर्थ है कि अभियुक्त, पीड़ित के पास अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है। अतः, उसके पास लोकपाल या लोकायुक्त या जो कुछ भी हो, उसके विरुद्ध अपील करने का कोई रास्ता होना चाहिए। ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। यह राहत चाहने के लिए किसी अभियुक्त के उच्च अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जाने के अवसर को कम करता है।

[श्री टी.के.एस. इलेंगोवन]

इन दो बातों के साथ, मैं एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि सरकार लोकायुक्तों के लिए कानून बनाने का कार्य राज्यों के लिए छोड़ दे और राज्यों के अधिकारों का संरक्षण करे।

[हिन्दी

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति जी, आज देश भर की जनता इंतजार कर रही है और सुन रही संसद को, लोक सभा को, कि जो सबसे बड़ी मौजूदा समस्या इस देश में है भ्रष्टाचार की, उससे कैसे हम निपट सकेंगे, कैसे इसे जड़ से उखाड़ सकेंगे। यह एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या आज हमारे देश में है। हम बहुत दिनों से इंतजार और मांग कर रहे थे कि एक सशक्त और कारगर लोकपाल का गठन करो। यह हम एक साल से नहीं कर रहे थे बल्कि मुझे याद है कि वर्ष 1985 में जब माननीय राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और हमने सुझाव दिया था कि इस लोकपाल में क्या करना चाहिए, क्या-क्या रहना चाहिए और कैसा लोकपाल होना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि बिल पेश करने के दो साल के भीतर ही उसे वापस लिया गया और यह जो बिल 22 तारीख को पेश हुआ, इससे पहले 9 बिल संसद में पेश हो चुके हैं। आठ बिल पेश हुए, एक बिल वापस हुआ और इन पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं।

पहली बार हम लोग बिल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने इस बिल के ऊपर चर्चा नहीं की थी क्योंकि बाहर आंदोलन, प्रदर्शन हो रहा था। हम लोगों ने जिस विषय पर चर्चा की और उन लोगों की अन्ना जी की जो तीन मांगें थीं कि सदन में उस पर चर्चा हो, सदन की राय ली जाए और फिर स्थाई समिति को उसे भेजा जाए। इन तीन मुद्दों में एक मुद्दा था लोअर ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि अप्रोप्रीएट मैकेनिज्म करके ही लोअर ब्यूरोक्रेसी को लाया जाए, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की कैसे जांच होगी, उनकी मांग थी कि तमाम ब्यूरोक्रेसी लोकपाल के तहत आयेगी। यह एक मुद्दा था।

दूसरा मुद्दा लोकायुक्त का था कि उसका कानून भी यहां बनेगा। लेकिन हम लोगों की जो समझ थी कि लोकायुक्त राज्यों में बनेगा। बहुत से राज्यों में लोकायुक्त है। कर्नाटक में जो लोकायुक्त है वह सबसे ताकतवर लोकायुक्त है, उसे हमने देखा है। जो ताकतवर लोकायुक्त वहां था उसकी अपनी इंवैस्टिगेशन एजेंसी थी लेकिन केन्द्र में तो कोई लोकपाल ही नहीं है।

[अनुवाद]

केंद्र में कोई भी लोकपाल नहीं है। सात राज्यों में लोकायुक्त हैं।

[हिन्दी]

कपिल सिब्बल जी ने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा का उदाहरण दिया कि वहां पर जो कानून बना, उसमें तमाम ब्यूरोक्रेसी का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कानून तो है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह का कानून होगा और ये जो सवाल आज यहां उठा है कि हमारा जो संघीय ढांचा है, स्ट्रक्चर है इसके ऊपर इसका क्या असर होगा? इस संघीय ढांचे को हम दुर्बल करेंगे और हमने भी 22 तारीख को इस सवाल को उठाया था। आप अनुच्छेद 253 के अधीन लोकायुक्त बनाना चाहते हैं। उन्होंने यू.एन. कंवेंशन का जिक्र किया।

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं:

"प्रत्येक राज्य दल, कन्वेंशन के अध्यधीन अपने उत्तरदायित्वों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, अपने घरेलू कानून के आधारभूत सिद्धान्तों के अनुरूप विधायी और प्रशासनिक उपायों सहित आवश्यक उपाय करेगा।"

[हिन्दी]

जो हमारा संविधान है, उस संविधान के मुताबिक कानून बनेगा। राज्य का क्या कानून होगा, हमने एक संशोधन दिया है कि इसमें इनेबलिंग क्लाज लाओ और आर्टिकल 252 के तहत आप लोकायुक्त बनाओ। परंतु आज हमारे देश में जो परिस्थिति है, जिस तरह से देश की जनता के बीच आक्रोश है, मैं समझता हूं कि आज ऐसा कोई राज्य नहीं होगा, जो राज्य एक ताकतवर, एक मजबूत लोकायुक्त नहीं बनायेगा। इसीलिए हमने जो सुझाव दिया है, जो संशोधन पेश किया है, उसे स्वीकार कर लीजिए। इनेबलिंग प्रोविजन रखिये और हर राज्य सरकार लोकायुक्त बनायेगी।

महोदय, आज हम जिस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं।

[अनुवाद]

हमने एक दृढ़, प्रभावी और विश्वसनीय लोकपाल की मांग की थी। दृढ़, विश्वसनीय और प्रभावी लोकपाल बनाने के लिए हमें तदनुरूप कानून बनाना चाहिए।

[हिन्दी]

लेकिन क्या हम बना सकेंगे? हमारे सामने आज जो विधेयक पेश किया गया है, अगर इसके मुताबिक कानून बनेगा तो क्या हम एक ताकतवर, एक इफैक्टिव लोकपाल का गठन कर सकेंगे? हमारा सुझाव था, तीन बार आल पार्टी मीटिंग्स हुई,

[अनुवाद]

हमने तीन बैठकें की; हमने तीन बैठकों में भाग लिया और हमने कई सुझाव दिए।

[हिन्दी]

हमने एक नहीं, अनेक सुझाव दिये थे। उसमें यह सुझाव भी था कि अगर लोकपाल की अपनी इनवेस्टिगेटिंग एजेन्सी नहीं रहेगी तो लोकपाल क्या काम कर सकेगा,

[अनुपाद]

लोकपाल एक अकार्यकारी संस्था में बदल जाएगा।

[हिन्दी]

क्या हम इस तरह का लोकपाल चाहते हैं? क्या हम दिखाने के लिए लोकपाल बिल सदन में लाये हैं कि लोकपाल की मांग हुई और हमने लोकपाल बना दिया। जो लोकपाल कारगर नहीं होगा, जो लोकपाल मजबूत नहीं होगा, जो लोकपाल काम नहीं कर सकेगा, हमारे देश में फैले हुए भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जिस तरह के लोकपाल की जरूरत है, इस बिल में जो प्रोविजंस हैं, क्या हम इससे उपरोक्त कार्य कर सकेंगे?

इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार क्लोज माइंड से नहीं,

[अनुवाद]

सरकार के पास खुला दिमाग होना चाहिए।

[हिन्दी]

इसलिए सदन में हम जो राय रख रहे हैं और सरकार का जो उद्देश्य है, यदि सरकार चाहती है कि एक मजबूत लोकपाल बने तो हम चाहेंगे कि हम लोगों ने जो सुझाव और अमैंडमैन्ट्स दिये हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है कि यहां एक अच्छा और मजबूत लोकपाल बने। उसकी अपनी इनवेस्टिगेशन एजेन्सी रहे। सरकार ने यह मान लिया है, उन्होंने शुरू में बोला था कि खुद प्रधान मंत्री लोकपाल के दायरे में आना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ये बयान दिये थे,

[अनुवाद]

स्वयं प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आना चाहते थे। लेकिन उसमें हम लोगों ने भी बोला था, ऐसा कुछ सुरक्षोपायों जैसे कि आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ होनी चाहिए;

[हिन्दी]

बाकी तीन भी रख दिए। ऑल पार्टी मीटिंग में भी यह सुझाव रखा था। लेकिन हमारा सुझाव है कि इसमें यह भी जोड़ना चाहिए।

[अनुवाद]

यदि देश के किसी राज्य के प्रमुख के साथ कोई करार है,

[हिन्दी]

इस विषय को लेकर अगर किसी दूसरे देश के साथ करार हुआ तो यह भी लोकपाल के तहत आना चाहिए। हमारा उद्देश्य तभी पूरा होगा। शुरू से यही विरोध था। सन् 1985 से यही विरोध था कि प्रधानमंत्री लोकपाल के अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे। जब हमने सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, तब लोकपाल बिल बना था और सदन में पेश भी हुआ था, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। हर समय प्रधानमंत्री को इसके दायरे में रखा गया था। इसीलिए हम चाहेंगे कि सरकार इसको मान ले। हमने यह सुझाव दिया था कि

[अनुवाद]

हमारे देश में भ्रष्टाचार कहां से उत्पन्न होता है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है? सन् 1991 से हमने अपनी नीति को परिवर्तित कर के आर्थिक सुधार की नीति को अपनाया।

[अनुवाद]

यदि हम सुधारोत्तर एवं सुधारपूर्व अवधि की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि सुधारपूर्व अवधि में भ्रष्टाचार के मामले थे। हमने 67 करोड़ रुपये तक का बोफोर्स घोटाला देखा। 67 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हमने देखा। पूरा देश हिल गया था।

[हिन्दी]

आज तक हम उसके नतीजे तक नहीं पहुंच सके। हमने टेलिकॉम स्कैम देखा लेकिन

[अनुवाद]

1991 के बाद भ्रष्टाचार के आयाम पहले से ही बदल गए। हमने एक के बाद एक शेयर घोटाले देखे। घोटाला शब्द 1993-94 के दौरान खोजा गया था। हमने 7000-8000 करोड़ रुपये के घोटाले देखे। शायद पहली बार हमारे देश में इतने बड़े घोटाले की जांच करने के लिए जे.पी.सी. का गठन किया गया था। उसके बाद, हमने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला देखा। तत्कालीन संचार मंत्री ने जिस दिन मंत्रीपद संभाला उसी दिन

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जबकि 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। सन् 2008 से हम लोग प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते आ रहे थे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।

[अनुवाद]

लेकिन भ्रष्टाचार की घटनाओं में वृद्धि होने के कारण हैं - सरकार की ओर से उदासीन रुख एवं कार्रवाई नहीं किया जाना।

[हिन्दी]

सरकार ने तब तक ऐसा कोई कारगर कदम नहीं उठाया जब तक हमने इस मुद्दे को सदन में नहीं उठाया। पिछले साल पूरा एक सत्र, शीतकालीन सत्र नहीं चला। हमारी एक ही मांग थी कि जे.पी.सी. का गठन कर के इसकी जांच हो जाए। सरकार बजट सत्र में मानी, लेकिन शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद एक भी कामकाज नहीं हुआ। सी.डब्ल्यू.जी. के बारे में सरकार को सब पता था लेकिन फिर भी चलता रहा। साढ़े 1200 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बढ़ते-बढ़ते 60-70 हजार करोड़ रुपये का हो गया। यह किसका पैसा है? यह जनता का पैसा है।

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट घरानों, नौकरशाही एवं भ्रष्ट व्यक्तियों के बीच सांठ-गांठ है।

[हिन्दी]

यहां पर कॉर्पोरेट हाउस का कोई जिक्र ही नहीं है। हमने बार-बार मांग की थी कि लोकपाल के साथ इस कॉर्पोरेट हाउस को भी लाना चाहिए। जिस तरह से लाइसेंस, कान्ट्रेक्ट, दूसरे अन्य कामों में जो फायदा दिया जाता है,

[अनुवाद]

उसी कारण राजस्व हानि होती है, पब्लिक एक्सचेकर का लॉस होता है।

[अनुवाद]

ठेके एवं लाइसेंस देने में भी बहुत हद तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमने के.जी.डी.-6 बेसिन में देखा कि कैसे एक कॉर्पोरेट घराने को 30,000 से 35,000 करोड़ रुपये के फायदे उठाने दिए गए। हमने देखा है कि लौह अयस्क एवं अन्य संसाधनों की तरह हमारी खनिज पदार्थ संपत्ति की कैसे लूट की गयी।

यह सब नव-उदार नीति के कारण हैं जिसे पिछले दो दशक से इस सरकार द्वारा जारी रखा जा रहा है। सार्वजनिक परिसंपत्तियों की लूट-मार की जा रही है। यह सभी हरकतें, हमारे देश में नव-उदार नीति के कारण हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि क्या लोकपाल हमारे देश में हो रहे भ्रष्टाचार के ऐसे पहलू की भी जांच करेगा।

महोदय, हमने देखा है कि कैसे सी.बी.आई. का राजनीतिक इस्तेमाल या बेजा इस्तेमाल किया गया था।

[हिन्दी]

राजनीतिक तौर पर सी.बी.आई. को सरकार ने कैसे इस्तेमाल किया है, वह हमने देखा है। वर्ष 2008 में जब न्यूक्लियर डील को लेकर हमने फैसला ले लिया।

[अनुवाद]

आप वामपंथी दलों के 61 संसद सदस्यों की सहायता से इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। जब सरकार परमाणु संधि पर आगे बढ़ी तब हमने समर्थन वापस लेने का निर्णय किया। हमने देखा कि विश्वास मत में मुलायम सिंह जी का समर्थन प्राप्त करने के लिए सी.बी.आई. का इस्तेमाल कैसे उनके खिलाफ किया गया। इसलिए कई घटनाएं ऐसी हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि सी.बी.आई. को कैसे सरकार ने राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया है;

[अनुवाद]

कैसे सी.बी.आई. का इस्तेमाल एवं बेजा इस्तेमाल किया गया था।

सभापति महोदय: कृपया एक मिनट और कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: इसे भी देखना चाहिए। एप्वाइमेंट के प्रोसिजर में कुछ परिवर्तन लाये हैं, वह ठीक है, लेकिन केवल एप्वाइमेंट के प्रोसिजर में, सिलेक्शन कमेटी जो बनी है, केवल उसे करने से ही नहीं होगा।

[अनुवाद]

मैं सी.बी.आई. को पूर्ण स्वायत्तता देने के पक्ष में नहीं हूं। इसका कारण है कि सी.बा.आई. को किसी के प्रति जबावदेह होना चाहिए।

[हिन्दी]

हम ऐसी संस्था बनायेंगे, जिसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए इस सवाल को भी हम लोगों ने ही उठाया था, हमारी पार्टी ने इसे ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया था कि जो लोकपाल बनेगा, वे भी उत्तरदायी होंगे।

[अनुवाद]

उन्हें संसद और उच्चतम न्यायालय के प्रति जबावदेह होना चाहिए। लोकपाल को जबावदेह होना चाहिए।

[हिन्दी]

अगर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तो उस संस्था का क्या होगा, हम यह भी चाहते हैं। इसीलिए हमारा यही लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि कानून बने, लेकिन ऐसा कानून बने जो हमारे देश में इस तरह के एक मजबूत लोकपाल का गठन करे। इस समय जो बिल पेश किया गया है, इसमें कोई खास बातें नहीं हैं। अगस्त में जो बिल पेश किया था, उसमें प्रधान मंत्री नहीं था। थोड़ा बहुत संशोधन किया लेकिन यह काफी नहीं है। अगस्त में जो बिल आया और स्टैन्डिंग कमेटी में स्क्रूटिनी के बाद यह बिल जो पेश हुआ, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लाए हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो सुझाव थे आल पार्टी मीटिंग में, वह सरकार ने नहीं माने। अगर वह मानते और बिल में लाते तो देश की जनता की मांग पूरी होती कि एक ताकतवर, मजबूत और क्रैडिबल लोकपाल बने। लेकिन खाली एक लोकपाल बनने से काम नहीं होगा, न

[अनुवाद]

जब तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सभी उपाय नहीं किए जाते। हमारे यहां इलैक्टोरल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। गौर कीजिए कि चुनावों में किस तरह से काला धन का इस्तेमाल किया जाता है। चुनावों में करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कहां से पैसा आता है? अगर एक असैम्बली इलैक्शन में 15-20 करोड़ रुपये का खर्च होता है तो क्या होगा?

[अनुवाद]

हमारे संसदीय लोकतंत्र का क्या होगा? संसदीय लोकतंत्र संकुचित हो जाएगा।

[अनुवाद]

क्या हम ऐसा चाहेंगे? इसीलिए लोकपाल के साथ इलैक्टोरल रिफार्म्स के लिए दो कमेटी बनी थीं। एक समिति तो स्व. दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित की गयी थी एवं दूसरी समिति एन.डी.ए. सरकार के शासन में स्व. इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में गठित की गयी थी। दोनों समितियों ने चुनावों में सरकारी वित्तपोषण की सिफारिश की थी। उसका क्या हुआ? यदि चुनावों में सरकारी वित्त पोषण प्रारंभ किया जाता है तो कुछ हद तक चुनावों में भ्रष्टाचार एवं काले धन का इस्तेमाल कम किया जा सकता है। इसलिए केवल मजबूत लोकपाल विधेयक ही पर्याप्त नहीं है। बहुत से सुधार अपेक्षित हैं और यदि सरकार का उद्देश्य मजबूत, प्रभावी एवं विश्वसनीय विधेयक लाना है तब सरकार को विपक्षी सदस्यों द्वारा पटल पर रखे गए कुछ संशोधनों को खुले मन से स्वीकार करने पर सहमत होना चाहिए।

[हिन्दी]

यह हमारा निवेदन है कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकार करे और जो संघीय ढांचे पर

[श्री बसुदेव आचार्य]

हमला हो रहा है, इसको दुर्बल करना चाहते हैं, इसको डिसटर्ब करना चाहते हैं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर जिसका असर होगा, यह उचित नहीं होगा। इसलिए एक मॉडल एक्ट बनाइए, राज्य सरकारों को कहिए कि इसके मुताबिक वे अपने यहां लोकायुक्त का गठन करें, तभी हम अपने संविधान के संघीय ढांचे को बचा सकते हैं। 64 सालों में हमने देखा कि किस तरह से राज्यों के विशेष एनक्रोच हुए हैं।

[अनुवाद]

देखा जा सकता है कि बीते समय में राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में किस तरह से अतिक्रमण किया गया है।

[हिन्दी]

इसीलिए लोकायुक्त राज्य सरकारें बनाएंगी, केन्द्रीय सरकार संसद में एक मॉडल एक्ट बनाए और उसी के मुताबिक राज्य सरकारें बनाएं जिससे राज्य में सशक्त और मजबूत लोकायुक्त बनेगा और केन्द्र में भी बनाना पड़ेगा।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

इस विधेयक से हमें अपने देश में प्रभावी, विश्वसनीय एवं मजबूत लोकपाल की आशा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: सभापति महोदय, मैं आज यहां लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 की पुर:स्थापना कोई अहितीय घटना नहीं है। हिला देने वाली यह वास्तव में उस शृंखला में क्रमानुसार नौवां लोकपाल विधेयक है जो वर्ष 1968 में ही शुरू हो गई थी। यह जरूर है कि इनमें से कोई भी विधेयक इससे पहले दोनों सभाओं के किसी भी सदन में चर्चा भी इस स्थिति तक नहीं पहुंचा था। इनमें से सात विधेयक संबंधित लोक सभा की अवधि के समाप्त होने पर व्यपगत हो गए थे जबकि एक विधेयक को वापस ले लिया गया था। इस बार अंतर यह है कि यह विधेयक तब पुर:स्थापित किया गया जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जोरों पर था और पूरी देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ था। यह जनमत के आक्रोश का ही नतीजा है कि इस विधेयक का यह नौवां संस्करण विभिन्न चरणों से गुजरते हुए लोक सभा में चर्चा के इस मुकाम पर पहुंचा है और जिसके कानून बनने की संभावना बन रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विधेयक में इंगित लोकपाल कितना सबल है। हम सभी भ्रष्टाचार के खतरे से निपटने के लिए एक सशक्त लोकपाल चाहते हैं। मुम्बई के एम.एम.आर.डी.ए. में उपवास पर बैठा हुआ वह बुजुर्ग व्यक्ति भी सशक्त लोकपाल चाहता है लेकिन न तो वह और न ही सभा में विपक्ष में बैठे हुए हम लोग यह मान रहे हैं कि यह विधेयक एक सशक्त लोकपाल बनाएगा।

यह विधेयक न केवल अन्ना और उनकी टीम की उम्मीदों, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों, जो भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु कृतसंकल्प हैं, की उम्मीदों पर अनेक मामलों में खरा नहीं उतरता है।

अपराह्न 4.02 बजे

(डॉ. गिरिजा व्यास *पीठासीन हुईं*)

इस विधेयक में चार मुख्य खामियां हैं जिन्हें अवश्य ही दूर किया जाना चाहिए ताकि इसकी विश्वसनीयता बनी रहे और उस उद्देश्यों को पूरा करे जिसके लिए विधान बनाया जा रहा है। प्रथमत:, यह विधेयक संविधान द्वारा प्रदत्त राज्य की कृत्यकारी स्वायत्तता पर प्रहार करता है। यह केन्द्र सरकार का दायित्व नहीं है कि वह राज्य सरकारों पर लोकायुक्त की सरकार और कार्यप्रणाली थोपे, परन्तु यह संबंधित राज्य सरकारों का अधिकार है कि वे यह निर्णय करे कि वे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के मद्देनजर इस संबंध में क्या चाहती हैं। केन्द्र सरकार अधिक-से-अधिक एक आदर्श कानून की अनुशंसा कर सकती है जो एक प्रभावी लोकायुक्त बनाने हेतु न्यूनतम अपेक्षा की रूपरेखा तैयार करेगा।

इस विधेयक का भाग III अनावश्यक रूप से इस विधेयक को बोझिल करता है और इसके उद्देश्य को धूमिल कर देता है। महोदया, लोकायुक्त संसद द्वारा विधान बनाये जाने की विष्यवस्तु नहीं हो सकता क्योंकि, राज्य सूची की मद सं. 41 में राज्य लोकसेवाओं का उल्लेख है और लोकायुक्त का अधिकार-क्षेत्र मुख्यत: राज्य लोकसेवाओं के वरिष्ठतम से लेकर कनिष्ठतम अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच करना है।

संसद को यह विधान बनाने की शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से यहां समवर्ती सूची की मद सं. 1, 2 और 11क को उद्धृत करने का तर्क बेहद त्रुटिपूर्ण है। मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने संयुक्त राज्य अभिसमयों की बात की। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह भी उल्लेख किया गया है कि चूंकि वहां हमारी वचनबद्धता है, अत: हमने संयुक्त राष्ट्र द्वारा विगत दशक की शुरुआत में पारित संकल्प का अनुसमर्थन किया है और इसीलिए हमें इस विधेयक में लोकायुक्त को शामिल करना होगा। लेकिन इस विषय पर हमारा मत भिन्न है। इसलिए, इस विधेयक में हमें लोकायुक्त को शामिल करना

चाहिए। लेकिन इस विषय पर हमारा मत भिन्न है 27 अगस्त और 22 दिसम्बर को बीजू जनता दल ने अपनी यह राय रखी थी, और आज पुनः मैं उसी विचार को दोहरा रहा हूं, कि प्रशासन और सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने राज्यों का विशेष दायित्व है। इसलिए, राज्य उनके अपने लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। हमारे ओडिशा में एक लोकपाल कानून है जो सन् नब्बे के मध्य दशक से लागू है। आज, मैं अपने दल की ओर से इस सभा और सरकार को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि तीन महीने के अन्दर जब ओडिशा विधानसभा का बजट-सत्र शुरू होगा, तब हम अपने राज्य में एक बहुत ही प्रभावी और सशक्त लोकायुक्त विधेयक लाएंगे। अन्य राज्य सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकतीं? प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य में एक सशक्त लोकायुक्त चाहता है। इस मामले को संबंधित राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाए। वे विधान बनाएं जिसे संबंधित राज्य विधानसभा में पारित किया जाए।

संविधान में संघीय ढांचे के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसलिए, मैं सरकार से अनुच्छेद 252 पर विचार करने का अनुरोध करता है, जो संसद को सहमति से दो या उससे अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से ऐसा कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है जिसे अन्य किसी भी राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है। अनुच्छेद 253 को प्रवर्तित करने की बजाए इस प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए था और राज्य सरकारों द्वारा इसे कार्यान्वित करना बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए था।

मैं सरकार से विधेयक में भाग 3 का लोप करने और केवल भाग-1 और भाग-2 को कार्यान्वित करने का अनुरोध करता हूं। भाग-1 के संबंध में मेरा कोई संशोधन नहीं है। मैं भाग-1 में पृष्ठ 1 पर इस अधिनियम के उपबंध की पंक्ति सं. 17 और पृष्ठ 2 पर 1 से 4 को इस तरह संशोधित करूंगा: "लोकपाल से संबंधित उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे" और इसके साथ ही 4(क) भी जोड़ा जाए, "लोकायुक्त से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो संबंधित राज्य सरकारें राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।" मेरे ये दो संशोधन हैं। वैसे मेरे और भी संशोधन हैं।

इसलिए, मेरा कहना यही है कि संविधान में केन्द्र के संघीय स्वरूप का सम्मान किया गया है। इसका अनुपालन किया जाना चाहिए और सरकार को राष्ट्र के संघीय ढांचे की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। राज्यों के अधिकारों तथा प्राधिकार को कुचलने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को लोकपाल के दायरे से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है। न ही ऐसी कोई समानान्तर अन्वेषण और अभियोजन प्रणाली के जो लोकपाल द्वारा नियंत्रित किया जाएगा की इसके फलस्वरूप कार्यभार बढ़ेगा ही इससे विरोधाभासी कार्रवाई होने की आशंका है। मैं यह पुनः कहूंगा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए क्योंकि राजनीतिक शत्रुओं के विरुद्ध इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसा कि पहले भी हुआ है। न ही इसे स्वायत्त होना चाहिए क्योंकि हमें पूर्वोदाहरणों से ज्ञात होता है कि स्वायत्त पुलिस प्रणाली पुलिस-शासन की ओर ले जाती है। सी.बी.आई. में भ्रष्टाचार-रोधी और अभियोजन स्कंधों को पृथक्-पृथक् करके इन्हें लोकपाल के अधीन रखा जा सकता है तथा शेष स्कंध सरकार के पास रह सकते हैं। लोकपाल के संदर्भ में ये मेरे सुझाव हैं। यदि सी.बी.आई. के अन्वेषण स्कंध को लोकपाल के अधीन रख दिया जाएगा, जबकि सरकार - इस एजेंसी पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण बरकरार रखे, तो इससे अधिकारीगण स्वतंत्र रूप से कार्य करने के बजाए सत्तासीन सरकार से ही आदेशित होते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सी.बी.आई. को उसी तरह कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए जैसाकि मैंने अभी उल्लेख किया।

तीसरी बात है: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं और 'अल्पसंख्यक' समुदाय के कोटा देने की है। "यह प्रस्ताव न केवल घृणित है, बल्कि यह लोकपाल को समुदाय, जाति, लिंग और सांप्रदायिक ढर्रे पर बांटने का घिनौना प्रयास होगा।"

भ्रष्टाचार की कोई समुदाय, जाति, लिंग या धार्मिक पहचान नहीं होती। नौ-सदस्यीय लोकपाल में पद धारण करने वाले व्यक्तियों की जाति, संप्रदाय, लिंग और धर्म की बात करना संबंधी बातें निरर्थक और अप्रासंगिक हैं। यह प्रस्ताव बहुत ही खतरनाक है तथा इसे हतोत्साहित किए जाने की जरूरत है।

[हिन्दी]

यह सुस्पष्ट है कि इसका उद्देश्य किसी प्रभावी लोकपाल के गठन का नहीं है बल्कि वोट बैंक बनाना है। क्या हमारे गणतंत्र की न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाना चाहिए? लोकपाल का कार्य भ्रष्टाचार को रोकना है, इसे

[श्री भर्तृहरि महताब]

स्थूल राजनीति के लिए एक राजनीतिक औजार नहीं होना चाहिए। इन आपत्तिजनक खंडों को हटाए जाने की आवश्यकता है।

मुझे बताया गया है कि प्रथम प्रशासनिक आयोग की सिफारिश जिसमें इस आशय पर विचार किया गया, के पीछे असल इरादा ऊंचे कार्यालयों अथवा ऊंचे स्थानों में भ्रष्टाचार समाप्त करना था। किंतु अब इस विधेयक में केन्द्र सरकार और सभी संघों सहित सामान्य रूप से लोक जीवन में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस संकल्पना में विस्तार किया गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, मैं यहां पृष्ठ 8, खंड 14, उप खंड (ज) को उद्धृत करना चाहूंगा:

"कोई भी व्यक्ति जो किसी सोसाइटी या लोक संघ या न्यास में निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य कोई अधिकारी हों..."

लोगों के संघ में प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है। तत्समय देश में लोगों से मिलने वाले किसी भी प्रकार के दान की प्राप्ति के संबंध में लागू कोई भी कानून सभी पर लागू होता है। कोई भी सोसाइटी, कोई संघ, कोई संगठन, कोई न्यास और ये सभी अब लोकपाल के तहत आते हैं। यह बड़ा कठिन कार्य है जो लोकपाल पर लादा जा रहा है...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: मुझे अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। महोदया, मुझे दो-तीन मिनट और चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: इस विधेयक में केन्द्र सरकार और सभी संघों सहित सामान्य रूप से लोक जीवन में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। इसमें प्राथमिक जांच के लिए निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया तथा शिकायतों के संसाधन में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.बी.सी.) और सी.बी.आई. को इन मामलों को लगातार भेजना शामिल है, इन शिकायतों की हजारों लाखों में संख्या इस विधेयक में उल्लिखित सभी समयबद्धता को अवास्तविक और असभ्य बता देगी। अत्यधिक दुरुह प्रक्रिया संबंधी जटिलता शुरुआत से ही लोकपाल को बिल्कुल उलझा देगी।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मुझे लोकपाल के दायरे में माननीय प्रधानमंत्री को शामिल करने से संबंधित बिंदु का भी उल्लेख करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री को आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों के लिए लोकपाल के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। हम एक मजबूत लोकपाल पर जोर देते हैं, इसलिए जो उपबंध लोकपाल के अधिकार को कमजोर बनाना हो, उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

मैं इसे पुनः दुहराना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एक प्रभावी लोकपाल तंत्र की आवश्यकता है। हमारी पार्टी इस आधे-अधूरे विधेयक के पक्ष में नहीं होगी जो केवल नाम मात्र का लोकपाल चाहता है किंतु उसके अधिकार नगण्य हैं और इतनी सारी खामियां हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले, इसका प्रारूप पुनः तैयार करे और उसे लेकर हमारे पास आएं। अन्यथा, वह इस विधेयक को आगे विचारार्थ हेतु स्थायी समिति को भेज सकती है। ओडिशा के माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक की ओर से मैं यहां यह प्रतिबद्धता दोहराना चाहता हूं कि अगले तीन महीनों में राज्य विधानमंडल द्वारा एक मजबूत लोकायुक्त विधेयक पारित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदया, लोकपाल और लोकायुक्त के निर्माण का यह विधेयक मंत्री श्री नारायण स्वामी जी ने सदन के सामने रखा है। इस विधेयक पर चर्चा शुरू करते समय उन्होंने इस लोकपाल विधेयक का इतिहास भी सदन के सामने रखा है।

पिछले 41 वर्षों में यह विधेयक अलग-अलग कारणों से सदन के सामने लम्बित पड़ा है। यह आठ बार सदन के सामने आया, उसमें से सात बार लैप्स हो गया और एक बार सरकार ने वापस लिया। मैं इस बात को इसलिए दोबारा सदन के सामने रखना चाहता हूं कि पिछले 31 सालों में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से लेकर, इन्दिरा

जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वी.पी. सिंह जी, गुजराल जी, चन्द्रशेखर जी, देवेगौड़ा जी, सभी के ये सन्दर्भ में इसलिए दे रहा हूं कि देश के महान नेता हमारे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने शायद यह उचित नहीं समझा कि हमने इस देश की राज व्यवस्था को जिस तरीके से स्वीकार किया है, इस व्यवस्था के ऊपर हुकूमत चलाने वाली कोई और व्यवस्था शायद उन्हें मंजूर न हो। यदि उनकी यही मानसिकता रही होगी तो इस मानसिकता से मैं और मेरी पार्टी सहमत हैं।

मुझे आश्चर्य हुआ, जब सदन में यह बहस शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई, सरकार यदि जिम्मेदार है तो सरकार चाहेगी कि जो विधेयक सरकार पेश करती है, वह पारित हो। सरकार अपनी ओर से कभी यह नहीं कह पाएगी कि आप इसे पारित मत करिये। सरकार तो निश्चित रूप से यह प्रयास करेगी कि जो विधेयक वह लाई है, वह पारित किया जाये, लेकिन विपक्ष की नेता से लेकर जितने सदस्य इस विधेयक पर अब तक बोले हैं, सभी ने इसका विरोध किया है और विरोध करते हुए यह कहा है कि हमें और मजबूत लोकपाल चाहिए, इतना मजबूत कि इतना मजबूत हमें मिले ही नहीं। आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा निर्णय हम करने जा रहे हैं, एक नयी संस्था का गठन करने जा रहे हैं, एक सुपर पॉवर सेंटर बनाने जा रहे हैं और इसके बारे में अपनी सही जिनकी राय है, वह हम हिम्मत से सदन के सामने रख न पाएं, यह देश के लिए, हमारी संसद के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है।

सभापति महोदया, कुछ सदस्य मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लोकपाल के दायरे में आने चाहिए। कुछ सदस्य ऐसे हैं, जिनका विरोध है। वैसे प्रधानमंत्री पद इस देश की गरिमा है। हम नहीं चाहते कि जो देश की गरिमा है, उसे कोई ठेस पहुंचे। उस गरिमा को कम आंका जाए या उसका अपमान किया जाए। यह हमारे लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए प्रधानमंत्री पद एक गरिमा है। इससे बड़ा दुख मुझे इस बात का हुआ है, जिस दिन इसका इंट्रोडक्शन हुआ, तब भी हमने इस बात को यहां पर कहा था कि नया बिल सदन के सामने आज पेश हुआ है। बंसल जी ने कहा यह कोई नया बिल नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री उस समय खड़े होकर बोले और आज जब नारायणसामी जी ने इस विधेयक को सदन के सामने रखा, तब उन्होंने कहा कि पुराना बिल हमने विदड्रा किया है और नया बिल हमने सदन के सामने रखा है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): दोनों बातों में कोई अंतर्विरोध नहीं है। दोनों में वही बात है। उन्होंने यह कहा था कि पहले में जो संशोधन सुझाए गए थे, वे बहुत ज्यादा थे। इस कारण उनको डालकर उसकी नंबरिंग ठीक की है, यह साफ-सुथरा बना है, बिल वही है।

सभापति महोदया: कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): बड़ी संख्या में संशोधन हैं। संशोधन करना और फिर इस विधेयक को उसके साथ पढ़ना माननीय सदस्यों के लिए कठिन होगा। इसलिए, स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार सभी संशोधन करते हुए एक नया विधेयक तैयार किया गया है जिस पर सरकार ने सहमति दी है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदया, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है और कोई आर्ग्युमेंट नहीं करना है। जो मंत्री जी ने यहां अपना वक्तव्य दिया है, वह सदन के रिकार्ड में है। आप उसे कल पढ़िएगा, मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपने यह कहा कि जो पुराना बिल है, उसे विदड्रा किए हैं और नया बिल हमने पेश किया है, आप उसे कल पढ़िएगा। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जब प्रधानमंत्री पद की बात आती है, तब मुझे इस बात का दुख होता है कि 130 करोड़ की आबादी में प्रधानमंत्री पद के लिए एक नेक आदमी इस देश में नहीं है। एक विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि 130 करोड़ की आबादी में एक नेक आदमी इस देश में यदि नहीं मिलता है, तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। हम क्या करने जा रहे हैं, कौन सा निर्णय कर रहे हैं, किस संस्था का गठन कर रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री पद को हम नीचे गिरा रहे हैं?

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

क्या इस देश के सारे नेक लोग खत्म हो चुके हैं, ईमानदारी इस देश की खत्म हो चुकी है, कोई ईमानदार बचा ही नहीं है,...* जिस संस्था का गठन आप करने जा रहे हैं, उसमें कौन लोग आएंगे? हम-तुम जैसे ही आएंगे।

सभापति महोदया: जो अनपार्लियामेंट वर्ड है, उसे निकाल दीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): वह भले ही रिटायर्ड होंगे, न्यायपालिका से होंगे या और किसी क्षेत्र से होंगे, लेकिन इसी देश के नागरिक होंगे। इसी 130 करोड़ में से होंगे, उनकी ईमानदारी की गारंटी कौन देगा? हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए, महान नेता हुए उन्होंने इसे लाना उचित नहीं समझा। क्योंकि वे जानते थे कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाएंगे और आज भी यदि यह बिल यहां पर पारित होता है तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाएंगे। भ्रष्टाचार के विरोध में हम और हमारी पार्टी है। शिवसेना के प्रमुख बाला साहब हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे हैं। वे केवल बोलते ही नहीं रहे हैं बल्कि करते भी रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सभापति महोदया, आप को एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहां पर श्री कपिल सिब्बल बोल रहे थे। वह भारत सरकार के मंत्री हैं। मंत्री होते हुए उन्होंने यहां पर वक्तव्य दिया है। यहां पर मैं जो कह रहा हूं इसे आप भी कल पढ़िएगा। उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार राज्यों में है।...*(व्यवधान)* मुझे आप पर कोई आरोप नहीं लगाना है। मुझे आप पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है लेकिन देश का एक मंत्री सदन के अंदर कहता है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार राज्यों में है। जबकि देश के राज्यों में हर दल की सरकारें हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं जिनमें कांग्रेस की भी सरकारें हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपका समय हो गया है। आप वाइंड अप कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: आप मुझे इतने बड़े विषय पर बोलने से नहीं रोकिए। मुझे जो कहना है वह कहने दीजिए। इसे स्वीकार करना या नहीं करना यह संसद तय करेगा लेकिन जब एक मंत्री संसद के अंदर यह कहता है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार राज्यों में है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर एक राशन कार्ड भी बनाना है तो वह बिना घूस दिए नहीं बनता है। हमें किसी पुलिस स्टेशन में जा कर कोई शिकायत करनी है तो बिना घूस लिए वहां पर शिकायत नहीं दर्ज की जाती है। यह स्थिति है, यह वास्तविकता है तो भ्रष्टाचार कहां तक पहुंचा है? आप इस बात को कैसे मानते हैं? इसे कैसे स्वीकार करते हैं कि पूरे देश की जड़ तक पहुंचा हुआ भ्रष्टाचार केवल लोकपाल आने से खत्म हो जाएगा। आज राज्यों में भ्रष्टाचार है। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसका हेड क्वार्टर दिल्ली हो।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया आप समाप्त करें। आपका समय हो गया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: संस्था समय से चलती है। कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जो वास्तविकता है, 130 करोड़ आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस पर हमें गर्व है उस लोकतांत्रिक देश में हम इस प्रकार कि कोई अलोकतांत्रिक संस्था का गठन करना चाहें तो पूरे सदन को उसका डट कर विरोध करना चाहिए। जब कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे और यहां से विपक्ष की नेता सुश्री सुषमा स्वराज जी ने कहा आप कमजोर लोकपाल बिल लाए हैं। इस लोकपाल का कोई मतलब नहीं है तब आप ही ने कहा है कि कोई असंवैधानिक संस्था हम सरकार के सर पर नहीं बैठाना चाहते हैं। सरकार भी इस बात से अवगत है। सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वह असंवैधानिक है।

सभापति महोदया: कृपया अब आप समाप्त कीजिए। कृपया अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदया, मैं विधेयक के बाहर कुछ नहीं कह रहा हूं। जिस लोकपाल विधेयक पर यहां चर्चा हो रही है मैं उसी के संबंध में यहां कह रहा हूं। हम किसी के आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जनता का यह अधिकार है। जनता आंदोलन कर सकती है। यदि भ्रष्टाचार बढ़ा है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। हमने भी कई आंदोलन किए हैं, कई बार सड़कों पर उतरे हैं। भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ कई बार हमें जेल तक जाने की नौबत आई है। आंदोलन के खिलाफ शिव सेना नहीं है। लेकिन यदि हम आंदोलन के बहाने या भ्रष्टाचार के बहाने अपनी जड़ें खुद ही उखाड़ना चाहेंगे, लोकतंत्र को हम ही खत्म करना चाहेंगे, तो हम किसी भी हालत में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे, यह शिव सेना की राय है। इसीलिए शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे खुलकर भूमिका लेकर जनता के सामने, देश के सामने आए हैं। हम उनके नुमाइंदे हैं, जो पार्टी की बात है, उसे हम सदन के सामने रख रहे हैं।

सभापति महोदया, मैं यहां एक दूसरा उदाहरण दूंगा कि यह कैसे असंवैधानिक है। हमारे लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं - विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। आज तक इन चारों स्तम्भों पर लोकतंत्र चला है। क्या आज ये चारों स्तम्भ चरमरा गए हैं? क्या ये चारों स्तम्भ कमजोर हो गए हैं या ये चारों स्तम्भ प्रभावशाली नहीं रहे हैं? क्या हुआ है जो आज हमें किसी पांचवें स्तम्भ की आवश्यकता है? आज भी हमारे ये चार स्तम्भ सशक्त, मजबूत हैं। आज भी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सशक्त है। एक बार यहां चर्चा करते समय हमने इसका उदाहरण दिया था। इसी सदन में शरद यादव जी ने इस बात को कहा था। इसी सदन में जब पूर्व स्पीकर श्री सोमनाथ चटर्जी थे, प्रश्न पूछने के लिए केवल 15-20 हजार रुपये के लिए ग्यारह सांसदों को हमेशा के लिए इस सदन से बाहर कर दिया गया, उन्हें सांसद पद से हटा दिया गया। इस सदन का यह अधिकार है। स्पीकर महोदय ने निर्णय लिया था। स्पीकर महोदय के निर्णय को कोई चैलेंज नहीं कर पाया और न ही कोई चैलेंज कर सकता है, न्यायपालिका भी चैलेंज नहीं कर सकती। आप कह रहे हैं कि सदन के किसी सांसद के बारे में यदि लोकपाल से कोई इन्क्वारी, शिकायत आए तो हमारे स्पीकर को कार्यवाही करनी चाहिए और यदि नहीं की, तो क्यों नहीं की, इसका कारण लोकपाल को देना चाहिए।...*(व्यवधान)* क्या यह सदन के अधिकार पर आक्रमण नहीं है? क्या यह स्पीकर के अधिकार पर आक्रमण नहीं है? इस सदन का जो सर्वोच्च पद है, उस पर आक्रमण नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसे विदड्रा कर लीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए। किसी भी हड़बड़ी या गड़बड़ी में इस प्रकार के विधेयक मत लाइए। यदि आपके लिए दिक्कत है तो इसे स्टैंडिंग कमेटी को सीधे वापिस भेज दीजिए। इस पर चर्चा हो, समाज के हर वर्ग की बात सुनी जाए। आप जिनके खिलाफ कानून बनाने जा रहे हैं, उस समाज के हर वर्ग को सुना जाए।

सभापति महोदया, हमारे पास काफी सशक्त कानून हैं। यदि हम उन कानूनों को लागू करना चाहें, यदि सरकार की वह मानसिकता और मनोबल है, तो आज हमारे जो कानून हैं, उन्हीं के तहत हम देश के भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसे लागू करने की हिम्मत चाहिए।...*(व्यवधान)* वह विल पावर सरकार में चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: गीते जी, प्लीज अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: राजनीतिक लाभ हित, ...*(व्यवधान)* उसके बाद सोच-विचार करके हम अपने कानून इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल विरोध के लिए नहीं है। लेकिन हम जो इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय करने जा रहे हैं, एक नई संस्था का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों कर्मचारी लगेंगे। हम उसके लिए दो सौ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। एक नई संस्था का गठन करने जा रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा सदन सर्वोच्च है, हमारा संविधान सर्वोच्च है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: प्लीज, अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का...*(व्यवधान)* हमें हमेशा संविधान निर्माताओं का सम्मान करना चाहिए।...*(व्यवधान)* इसलिए कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगले सत्र में भी इस पर विचार कर सकते हैं, इसे वापिस ला सकते हैं। इसलिए इसे दुबारा स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): सभापति महोदया, गीते

[श्रीमती सुप्रिया सुले]

जी ने अंत में डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में बात की। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, वे संविधान के निर्माता हैं। मैं 25 नवम्बर, 1947 को उनके अंतिम भाषण, जो आज भारत में हो रही घटनाओं से संबंधित है का उद्धरण देना चाहती हूं:

> "जब आर्थिक और सामाजिक तथ्यों को प्राप्त करने के लिए कोई संवैधानिक पद्धति शेष नहीं रह गई हो तब असंवैधानिक पद्धति के लिए बड़ा औचित्य था। लेकिन जहां संवैधानिक पद्धति उपलब्ध है, वहां इन असंवैधानिक पद्धतियों का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। ये पद्धतियां अराजकता के अलावा कुछ भी नहीं है और इन्हें जितना जल्दी छोड़ दिया जाए, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा।"

हमें अपने देश के लोकतंत्र पर बहुत गर्व है जिसे हमने पल्लवित किया है। हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमने इसे बनाए रखा है और हमने अपने देश में अत्यधिक विकास और वृद्धि भी की है। मुझसे पूर्व के सभी सदस्यों ने जो कहा है उसे, मैं समझती हूं। लेकिन मैं पूरी तरह से भ्रम में हूं और जिस प्रकार की नकारात्मकता सामने आई है, उससे मैं पूरी तरह से निराश हूं। मेरे विचार में इस मुद्दे पर सरकार ने जो प्रतिबद्धता दर्शायी है, उसे हर व्यक्ति ने इस पूरे वाद-विवाद में छोड़ दिया है। संप्रग सरकार देश को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने और इसे पूर्णतया भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन जैसाकि हर व्यक्ति ने कहा है कि इसने साठ वर्षों से हमारे देश को खोखला बना दिया है। यह जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक छोटी सी शुरुआत है।

सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न विधेयकों चाहे वह सिटीजन चार्टर, शिकायत निवारण, न्यायिक जवाबदेही, व्हिसल ब्लोअर और अभी का लोकपाल हो पर विचार करें। मेरे विचार में हमें सम्मान मिलना चाहिए और हमें प्रधानमंत्री को बधाई देनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा ही महसूस करती हूं। मैंने जो कहा शायद उससे मेरी पार्टी सहमत न हो। लेकिन मैं अपना बचाव नहीं करने जा रही हूं, जब मैं खुले तौर पर यह कहती हूं कि मैं शिवसेना से सहमत हूं कि मैं नहीं चाहती कि हमारे प्रधानमंत्री किसी के प्रति जवाबदेह हों, क्योंकि हमें उन पर अत्यधिक गर्व है और हम उन्हें लोकपाल के अधीन नहीं लाना चाहते हैं। किंतु यह इस भद्र पुरुष के नेतृत्व का गुण है जो राजनीति में आ गए हैं, जिन्होंने स्वयं आग्रह किया कि वह लोकपाल के दायरे में आना चाहते हैं, जब हम सभी महसूस करते हैं कि इसे राजनीति से ऊपर होना चाहिए। लेकिन वे इसका आग्रह करते हैं और मेरे विचार में पूरा विधेयक इसी दिशा में जा रहा है। अतः लोकपाल हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन यह भ्रष्टाचार को गंभीर कारण के रूप में रोकने, समाप्त करने और इस पर विचार करने और हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, को देखने की शुरुआत है। अतः पूरी सभा का मत यह है कि हमें लोकपाल की आवश्यकता है। आप मजबूत लोकपाल चाहते हैं। जी हां, हम मजबूत लोकपाल बनाने के पक्ष में हैं। लेकिन, अभी यह अच्छी शुरुआत है। क्या आप चाहते हैं कि इसे बहुत सारा काम देकर मोटा बना दिया जाए जिससे यह हमारे द्वारा की गई सभी प्रतिबद्धताओं का निपटान न कर पाए? पूरा राष्ट्र हमारी ओर देख रहा है। युवा हमारी तरफ देख रहे हैं। वे सभी आज सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसी भावना कहां से आ रही है? यह हम सभी के प्रति गुस्सा है। मेरे विचार से वाद विवाद में जब तक महत्वपूर्ण सार नहीं आता तब तक लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा। अतः मेरे विचार में यह हमारे सभी मतदाताओं से की गई प्रतिबद्धता के प्रति पहला कदम है, हमें प्रयास करना चाहिए और लोकपाल पर व्यापक चर्चा करना चाहिए और प्रत्येक छमाही अथवा वर्ष में इसकी समीक्षा करनी चाहिए। हो सकता है कि सरकार इसके बारे में निश्चित रूप से प्रतिबद्धता व्यक्त करें और आंकड़ों के खेल से बंधी न रहे।

मैंने देखा कि सुषमा जी और कपिल जी 252 और 253 पर चर्चा कर रहे थे। मैं इस पर ध्यान नहीं देती कि संख्या 252 या 253 है, बल्कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहती हूं। मुझसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह इस तरीके से कार्य करेगा या उस तरीके से। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह सरकार की पूरी राय बनाने के लए निष्पक्ष रवैया अपनाए। हम संघीय प्रणाली का पूरी तरह समर्थन करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे राज्य के अधिकारों को केन्द्र सरकार ले लें, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके साथ ही हम मिलकर परिवर्तन ला सकते हैं। हम सभी सत्ता में रहे हैं; हम

सभी इस सभा में रहे हैं। मुझे याद है कि मेरे एक साथी श्री संजय निरुपम ने कहा कि इस सभा में कोई भी दूध का धुला नहीं है। मैं नहीं मानती कि उन्होंने इसे एक नकारात्मक अर्थ में कहा बल्कि यह तत्य है।

जिन सुधारों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब तक चुनाव सुधार नहीं होते तब तक समग्र राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। अतः जब तक हम चुनाव सुधार नहीं करते तब तक ये सभी प्रयास अर्थहीन होंगे। आपकों शत्रुता का उदाहरण देने के लिए, हम समाज में बात कर रहे हैं, हाल ही में महाराष्ट्र में नगर निकायों के चुनाव हुए हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व होता है कि यद्यपि एन.सी.पी. और कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा, तथापि हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा और उन परिस्थितियों में भी हम अब तक रहे जब देश में पूरा माहौल नेताओं के खिलाफ है।

उस दिन मैं चैनल पर बोल रही थी। मेरे विचार गुरुदास जी मीडिया के विरोध में बकूबी बोलते हैं और मैं नहीं मानती कि मेरे पास उनके जैसा आत्मविश्वास है। लेकिन परसों एक चैनल में यह कहा जा रहा था कि सभी 800 संसद सदस्यों ने इस देश को भ्रम में डाल दिया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्योंकि चैनल हमारे या आपके निर्वाचन क्षेत्र में गया है और प्रत्येक मतदाता से पूछा है हां, क्या हमने इन ढाई वर्षों तक उन्हें भ्रम में रखा है? अतः मुझे यह सामान्य टिप्पणी पसंद नहीं है। मेरे विचार में हम यहां प्रतिबद्धता और विवेक के साथ आए हैं और हम देश में बदलाव लाना चाहते हैं। पूरा परिवेश ऐसा है कि नेता कुछ नहीं करते हैं; वे विदेश में छुट्टी मनाने जाते हैं। केवल हमारे परिवार जानते हैं कि हमारे निजी जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक मां के रूप में मुझे मालूम है कि मैं यहां रहकर अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रही हूं, प्रिया जी यहां उपस्थित हैं। हमारे घरों में हमारी माताओं और सासों को धन्यवाद कि हमारे बच्चे पल-बढ़ रहे हैं। मैं इस तरह नहीं रहना चाहती। इससे मुझे बहुत कष्ट होता है, जब आज इस देश में प्रत्येक चैनल और प्रत्येक अखबार मुझ पर इस तरह देखता है कि मानों मैं एक अपराधी हूं। मैं नहीं हूं। सोलह लाख लोगों ने हममें से प्रत्येक को मत दिया है। हम वैधानिक रूप से यहां हैं। मेरे विचार में हमारे लिए कार्य करने और परिवर्तन करने का समय आ गया है। देश, मीडिया और सभी एन.जी.ओ. के सामने इसे साबित करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बहुत से एन.जी.ओ. के साथ काम करती हूं लेकिन आज मैं यहां अपने साथी सदस्यों का बचाव करती हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और हम यह साबित करेंगे कि इस लोकपाल से हमारे द्वारा किए गए संविधान संशोधनों की तुलना में कई गुना परिवर्तन होगा।

मुझे विश्वास है कि इस लोकपाल विधेयक में, यदि आज हम इसे पारित करते हैं, तो हम इसके कई चरणों में संशोधन ला सकते हैं। अतः हमें समग्र रूप से यह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह छोटी-सी शुरुआत है। मेरे विचार से यह माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस देश के साथ की गई प्रतिबद्धता है। आप उनके साथ रहें, और उनका समर्थन करें और देश को दिखाएं कि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं और यह एक ईमानदार लोकतांत्रिक प्रणाली है।

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): सभापति महोदया, सुषमा जी ने सुबह मेरे एक पसंदीदा दोहे को उद्धृत किया।

देश के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण घड़ियां आई हैं। यह ऐसी ही घड़ी है। राष्ट्र बेसब्री से यह प्रतिक्षा कर रहा है कि इस सम्मानित सभा का सामूहिक विवेक लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 पर वाद-विवाद के पश्चात् मतदान में किस प्रकार परिलक्षित होगा।

अपराह्न 4.42 बजे

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं***)**

महोदया, इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर सार्वजनिक तौर पर तथा राजनीतिक दलों द्वारा जोरदार बहस हुई है। ईमानदारी से मेरा यह मानना है कि जो विधेयक इस सम्मानित सभा के समक्ष है सदस्य उस आश्वासन पर खरे उतरेंगे जो उन्होंने 27 अगस्त, 2011 की बहस के पश्चात् इस सभा की भावना के माध्यम से देश के लोगों को सभा के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से दिया गया था।

विधान बनाने का कार्य अत्यंत गम्भीर कार्य है और अन्ततः इसे हमारे द्वारा ही निष्पादित किया जाना चाहिए जिन्हें संवैधानिक रूप से यह दायित्व सौंपा गया है। अन्य लोग मना सकते हैं और अपनी आवाज हम तक पहुंचा

[डॉ. मनमोहन सिंह]

सकते हैं। परन्तु निर्णय हम ही लेंगे। साथ ही हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भ्रष्टाचार और इसके परिणाम राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर बनाते हैं। हमने देखा है कि गत एक वर्ष में किस प्रकार लोगों का क्रोध फूट पड़ा है। इसलिए हमें इस यथा-प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करना चाहिए। इस विधेयक को तैयार करने में हमने काफी परामर्श किया है। मैं माननीय सदस्यों और स्थायी समिति के सभापति को इस विधेयक का गहन अध्ययन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। हम राजनीतिक दलों की बुद्धिमत्ता से लाभान्वित हुए हैं और सभी प्रकार के सुझावों पर विचार किया गया है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि जब 2004 में हमारी सरकार निर्वाचित होकर आई, तो हम चाहते थे कि हमारी नीतियां लोकहितकारी हों। हम पारदर्शिता, पारदर्शी शासन और आम आदमी की खुशहाली हमारी नीतियों का आधार है। पारदर्शी शासन व्यवस्था के प्रति हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता के चलते ही हम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लाए। हमारी लोकहितकारी नीतियों को मूर्त रूप देने के लिए हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 अधिनियमित किया। अनिवार्य और निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 वंचित और पिछड़े लोगों का सशक्तीकरण करने की हमारी इच्छा साक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। हमने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना के माध्यम से शहरों के नवीकरण का प्रयास किया है।

राजीव आवास योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के गरीब और बेघर लोगों, गरीबों को आवास प्रदान करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 का पुरःस्थापन गरीब और कुपोषित लोगों को भुखमरी और आभार के दुष्परिणाम से बचाने की दिशा में उठा खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 दूसरा कदम होगा। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वावस्थापन विधेयक, 2011 किसानों और आजीविका से वंचित लोगों को न्यायोचित दावा प्रदान करने का उपबंध करता है। हमने वंचित लोगों के विकास के लिए अधिक समतामूलक और समावेषी भारत का निर्माण करने का प्रयास किया है। यह हमारी सरकार का मिशन रहा है और आगे भी रहेगा।

महोदया, भ्रष्टाचार के संबंध में हमारी सरकार ने निर्णायक कदम उठाए हैं। गत एक वर्ष में हम कतिपय उत्कृष्ट विधानों पर कार्य कर रहे हैं। नागरिकों को समयबद्ध सीमा में वस्तुओं और सेवाओं का परिदान और उनकी शिकायतों का समाधान विधेयक 2011, संसद के विचाराधीन है। लोक हित प्रकटन और प्रकटन बनाने वाले व्यक्ति का संरक्षण विधेयक 2011 और लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को संसद द्वारा स्वीकृति दी जानी है। न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2011 को स्थायी समिति द्वारा पहले ही स्वीकृति दे दी गई है और यह संसद के विचाराधीन है। सेवाओं का इलैक्ट्रानिक परिदान विधेयक 2011 पुरस्थापित किया जा रहा है जो यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक लोक सेवाएं नागरिकों के द्वार पर इलैक्ट्रानिक तरीके से प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदया प्रशासनिक स्तर पर हमारी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धान्तों के अनुरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहती है। हम प्रापण के संबंध में लोक नीति उपायों का निर्धारण कर रहे हैं। मंत्रियों के समूह ने जहां तक संभव हो प्रशासनिक मामलों में विवेकाधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। यह कार्य प्रक्रियाधीन है। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम से शुरुआत की है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक बनने के बाद हम भ्रष्टाचार से लड़ना बंद नहीं करेंगे।

महोदया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में हमें समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो हमारे कानून भी सर्वव्यापी होंगे। कानून दावपेंच का प्रयोग इस बात के समर्थन के लिए नहीं किया जा सकता कि राज्य विधानमण्डलों को प्रस्तावित आदर्श कानून स्वीकार नहीं करना चाहिए अथवा इसके प्रवर्तन को विलंबित करना चाहिए। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है चाहे वह केन्द्र में हो अथवा राज्यों में हो। इसका कोई विधायी रंग नहीं है। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करता हूं कि वे राजनीति से ऊपर उठकर देश के लोगों को यह दिखाएं कि यह सभा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रयासरत है। हम सभी सभा की भावना को प्रदर्शित करने वाले संकल्प में पक्षकार हैं। जिसके अनुसार हम लोकपाल के साथ-साथ राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि हम संविधान के अनुच्छेदों को बाधा बताते हुए लोकायुक्त प्रणाली के लिए प्रावधान नहीं करते हैं, तो हम इस सभा द्वारा राष्ट्र को दिए गए वचन का उल्लंघन करने के दोषी होंगे। मैं संसद में अपने सभी

सहयोगियों से मांग करता हूं कि वे इस अवसर पर राजनीति से ऊपर उठे और इस विधान को पारित करें।

अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार नागरिकों को सीमित लोक सेवाएं सीधे प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। वास्तविक समस्या राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं जहां आम आदमी को प्रतिदिन भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम राज्यों के समूह 'ग' और समूह 'घ' के कर्मचारियों को लोकायुक्त के दायरे में लाए हैं। आम आदमी को अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी स्थानीय तथा साथ ही राज्य प्राधिकारियों की है। यहीं पर भ्रष्टाचार से लड़ने की आवश्यकता है। पानी, बिजली, नगर निकाय सेवाएं, भू-अभिलेख, पुलिस, परिवहन राशन की दुकान आदि कुछ आवश्यक सेवाओं के उदाहरण हैं जो राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती हैं। राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना से लोगों में हताशा की भावना जो हमें गुस्से के रूप में दिखायी देती है के समाधान में सहायक होगी।

अध्यक्ष महोदया, यहां तक की केन्द्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रतिदिन किसी न किसी सदन में सदस्य राज्यों द्वारा हमारी केन्द्रीय योजनाओं को कार्यान्वयन किए जाने के ढंग को लेकर अपना मोह भंग होने की बात करते हैं। हमें इसमें सुधार लाने की जरूरत है। जब तक लोकायुक्त की स्थापना नहीं होती है तब तक भ्रष्टाचार का कैंसर फैलेगा। मुद्दे पर और विलंब न किया जाए। संघीय प्रणाली भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी लड़ाई में बाधक नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदया, सी.बी.आई. के संबंध में हमारा मानना है कि इसे सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य करना चाहिए। परन्तु कोई भी संस्थान और कोई भी व्यक्ति जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकता चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। सभी संस्थाओं को संविधान के अनूरूप ही होना पड़ेगा।

आज हम मानते हैं कि एक सरकार जो कि सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है और जो उसके प्रति जवाबदेह है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता लेकिन एक निकाय जो कि सीधे जनता से अपनी विधिमान्यता प्राप्त न करे या उसके प्रति जवाबदेह न हो, उस पर सम्मान और विश्वास के साथ अपनी अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। ऐसी किसी भी सत्ता का सृजन नहीं किया जाना चाहिए, जोकि हमारे संवैधानिक ढांचे से असंगत हो और जिसे बिना किसी उचित जवाबदेही के व्यापक कार्यकारी जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं। कहने का तत्पर्य यह है कि इस संविधान के दायरे में आने वाली सभी संस्थाएं केवल और केवल संसद के प्रति जवाबदेह हैं। इस कानून को बनाने के अपने जोश में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि सी.बी.आई. को लोकपाल से स्वतंत्र रहकर कार्य करना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि सी.बी.आई. को सरकार से स्वतंत्र रहकर कार्य करना चाहिए। लेकिन, स्वतंत्रता का अर्थ जवाबदेही का न होना नहीं है। इसलिए, हमने सी.बी.आई. निदेशक की नियुक्ति की एक प्रक्रिया का प्रस्ताव किया है, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके नामिती और लोक सभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं। इस प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा के बारे में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक लोकपाल के अधीन सी.बी.आई. के कार्य करने का प्रश्न है, हमारी सरकार का मानना है कि ऐसा करने से संसद से बाहर एक कार्यकारी ढांचा बन जाएगा, जो कि किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं होगा। यह ठोस संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। मैं मानता हूं कि यह विधेयक, जो कि अब इस सभा के समक्ष है, में सी.बी.आई. की प्रकार्यात्मक स्वायत्तता और जवाबदेही का न्यायसंगत मिश्रण है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस परिमामयी सभा का विवेक इस विधेयक में यथा प्रतिबिंबित हमारी सरकार के प्रस्तावों का समर्थन करेगा।

महोदया, इस चर्चा के दौरान, नौकरशाही की खूब आलोचना हुई है। जहां मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकारी कर्मचारियों को ईमानदार होना चाहिए और कर्तव्य पालन करने वालों के विरुद्ध शीघ्र और निर्णायक ढंग से कार्रवाई की जानी चाहिए, वहीं मैं ऐसे अनेक सरकारी सेवकों की अत्यधिक सराहना करता हूं, जिन्होंने अविश्वास के वातावरण में अपने कर्तव्य पालन में अनुकरणीय सत्यनिष्ठा दिखाई है।

मैं समझता हूं कि जिस प्रकार सभी सरकारी कर्मचारियों को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता है उसी प्रकार सभी राजनीतिज्ञों को बेईमान या भ्रष्ट नहीं माना जाना चाहिए। हमें गंदी चीजों के साथ अच्छी चीजों को भी नहीं फेंक देनी चाहिए। एक कार्यात्मक, कुशल प्रशासनिक प्रणाली के बिना कोई भी सरकार अपने लोगों

[डॉ. मनमोहन सिंह]

के लिए कुछ नहीं कर सकती है। हमें इस प्रणाली को हटाकर कोई ऐसी प्रणाली नहीं लानी चाहिए, जिसमें सरकारी सेवक अपने विचारों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करने में झिझकें जिससे सुशासन की व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाए। सरकारी सेवकों को व्यवहार का आकलन करने में हमें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अनजाने में हुई कतिपय गलतियों और नितांत अवैधानिक कृत्यों के बीच भेद करना नहीं भूलना चाहिए। बहुधा हमारे सरकारी सेवकों को अत्यधिक अनिश्चितता की परिस्थितियों में निर्णय लेने होते हैं। चूंकि भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए यह संभव है कि कोई कार्रवाई जो कि पहले तर्कसंगत लग रही हो, वह बाद में गलत निकले। पुरस्कृत करने और सजा देने की हमारी प्रणालियों को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

महोदया, शासन की सभी प्रणालियां विश्वास पर टिकी होनी चाहिए। यह लोगों का विश्वास है जिसे हम सरकार में प्रतिबिंबित और संरक्षित करते हैं। सभी प्राधिकारियों के प्रति व्यापक अविश्वास व्यक्त करने से लोकतंत्र को खतरे में पड़ जाना है। अत्यधिक विशाल आकार और विविधता वाली हमारी राजनैतिक व्यवस्था को तभी एकजुट रखा जा सकता है, जब हम अपनी आस्था और विश्वास उन संस्थाओं में रखें जिन्हें हमने पिछले 63 वर्षों के दौरान सावधानीपूर्वक निर्मित किया है। मतदाता की शक्ति ही वह अंतिम शक्ति हैं जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेह बनाती है। लोकतंत्र को खतरे में डालकर, हम केवल अव्यवस्था और अराजकता को ही बल देंगे जहां तर्क के स्थान पर भवनाएं महत्वपूर्ण होंगी।

महोदया, हम वर्तमान की खामियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए कुछ सृजित कर रहे हैं। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो हमें छिपे हुए खतरों से भी सावधान रहना चाहिए। हम ऐसा कुछ सृजन न करें जो कि भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के नाम पर उस सब को नष्ट कर दे, जो हम सब चाहते हैं। हम याद रखें कि कई बार नर्क का मार्ग शुभ इच्छाओं से आच्छादित होता है।

लोगों के प्रतिनिधियों के तौर पर हमें एक और यात्रा शुरू करने के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि उस विश्वास का पुनर्निर्माण किया जा सके जो कि दृढ़ और गतिशील भारत के लिए अनिवार्य है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): अध्यक्ष महोदया, लोकपाल विधेयक पर इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अभी-अभी हमने इस चर्चा में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप को सुना है। उनके पूरे भाषण का सार यह सुनिश्चित करना है कि हम भ्रष्टाचार को रोकें और समाप्त करें। पूरी सभा इस प्रकार के दृष्टिकोण को स्वीकार कर रही है। पूरी सभा और इस सभा के सभी सदस्य भ्रष्टाचार को समाप्त करने के पक्ष में हैं। हम इसके पक्ष में हैं। इसके साथ ही लोकपाल विधेयक में सरकार द्वारा लाए गए कतिपय उपबंधों का हम विरोध कर रहे हैं। निस्संदेह, जैसाकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हम लोकपाल चाहते हैं। अभी हाल में, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी रिपोर्ट नामक एक रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि, "प्रति वर्ष 19 बिलियन डॉलर की गैर-कानूनी धनराशि देश से बाहर ले जाई जाती है। वर्ष 2010 में वैश्विक भ्रष्टाचार मापक दर्शाता है कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कम-से-कम 55 प्रतिशत परिवार मूलभूत सेवाएं प्राप्त करने के लिए रिश्वत देते हैं।" प्रधानमंत्री ने क्या कहा? यदि देश के किसी साधारण व्यक्ति को सरकार से कोई सेवा लेनी होती है, तो उसे भ्रष्टाचार के रूप में पैसा देना पड़ता है। इसीलिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमने इस लोकपाल विधेयक को लाना है।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदया, हमारी पार्टी ए.आई.ओ.डी.एम.के. लोकपाल के पक्ष में है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। सभी माननीय सदस्य इसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन, लोकपाल के कतिपय उपबंधों को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम इस बात पर जोर देते आ रहे हैं और हमने न केवल यहां बल्कि प्रधानमंत्री तथा सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक में भी कहा है कि प्रधान मंत्री के कार्यालय को लोकपाल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हमारा यही मत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यू.पी.ए. के सहयोगी दलों के सदस्यों ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय सर्वोच्च कार्यालय है। उसे सरकार चलानी होती है। उसे इस देश के लिए अपनी जिम्मेदारी

को पूरा करना होता है। यदि हम उसके कार्यालय को लोकपाल में शामिल करेंगे, तो शायद वह उचित ढंग से कार्य करने की स्थिति में नहीं रहेगा। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यालय को लोकपाल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में, मेरी नेता तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय वित्त मंत्री को भी कई बार पत्र लिखे हैं। मैं फिर से दोहराता हूं कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

मेरी दूसरी बात निचली नौकरशाही को बाहर रखने के बारे में है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 'ग' और 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों को लोकायुक्त के अधीन लाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोकपाल में उनके शामिल करने के बारे में उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सी.वी.सी. उसका ध्यान रखेगी। जब आप एक मॉडल के रूप में इसकी वकालत कर रहे हैं, तो इसे भी लोकपाल में शामिल करना होगा।

अगला बिन्दु है - लोकायुक्त को शामिल करने के संबंध में। जैसा कि मैंने पहले कहा - हम लोकपाल के पक्ष में हैं। लेक़िन, जब आप लोकायुक्त को शामिल करते हैं तब हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसका कारण है कि आप राज्यों के अधिकारों में अतिक्रमण कर रहे हैं। भारवासियों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। हमने भाषायी आधार पर राज्यों का निर्माण किया है। अधिकतर राज्य अपने अपने अधिकारों का संरक्षित रखना चाहते हैं। वे उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाहते हैं। विविधता के बावजूद हम एक हैं। हमारे भिन्न राज्यों की संस्कृतियां भिन्न-भिन्न हैं; उसके लिए आपको राज्यों को स्वायत्तता देनी होगी। उस तरह की स्वायत्तता अपेक्षित है। लेकिन, क्या हो रहा है? भारतीय इतिहास में पिछले 60 वर्षों में आप राज्यों के अधिकारों में धीरे-धीरे अतिक्रमण कर रहे हैं तथा समवर्ती सूची के नाम पर राज्यों के अधिकार लेते रहे हैं।

माननीया सुषमा जी और कई माननीय सदस्यों ने भी संघीय ढांचे के संबंध में मुद्दे उठाए हैं। यदि आप सूची को लेते हैं तो 90 प्रतिशत सदस्यों ने कहा है कि आपको संघीय ढांचे को परिरक्षित रखना है। आपको इस ढांचे को किसी भी तरह का खतरा नहीं पहुंचाना चाहिए। राज्य विधानमंडल हैं। विधानमंडल में उन्हें इस लोकायुक्त संबंधी कानून बनाने का पूरा अधिकार है। कुछ राज्यों ने पहले ही इसे अधिनियमित कर दिया है। आप उस पर बल देना क्यों चाहते हैं?

श्री नारायणसामी एवं श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 253 के अधीन लोकायुक्त के लिए अधिनियम बनाने का उपबंध है। मैं उस पर विवाद खड़ा नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसके साथ ही अनुच्छेद 246 के बारे में क्या, जिसे आप भूल गए? अनुच्छेद 246 क्या कहता है? यह कहता है कि समवर्ती सूची में, राज्य सरकारों को भी कानून बनाने का अधिकार है। यदि आप अनुच्छेद 253 के नाम पर उनके अधिकारों में अतिक्रमण कर रहे हैं तो आप अनुच्छेद 246 को नजरअंदाज कर रहे हैं।

हमारी संसद को नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के संबंध में भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। मैं इस पर विवाद नहीं खड़ा कर रहा हूं। यदि आप यहां सबकुछ लाना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप भारत को एकात्मक राज्य बनाने जा रहे हैं। आप उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसी कारण जब हमारे पास अनुच्छेद 246 है, हमें उसका सम्मान करना है।

महोदया, यह बहुत गंभीर मसला है। यदि आप देखें तो अधिकांश **सदस्यों** ने कहा कि सत्ताधारी दल को भी हमारे तर्कों को कुछ महत्व जरूर देना चाहिए। मैंने उस संशोधन को पहले ही पेश कर दिया है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जब मतदान हेतु संशोधन आएंगे तब अधिकांश सदस्य उसका समर्थन करेंगे।

मैंने उस विधेयक में प्रधानमंत्री को शामिल नहीं करने तथा लोकायुक्त को बाहर रखने के लिए भी संशोधन पहले ही पेश कर दिया है। कुछ माननीय सदस्य इसका समर्थन कर सकते हैं। दूसरा बिन्दु है - संघीय ढांचे तथा लोकायुक्त के संबंध में अनुच्छेद 253 यहां भी अन्य सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मेरे दो संशोधन महत्वपूर्ण हैं। पूरी सभा इसे स्वीकार कर सकती है। उस स्थिति में हम लोकपाल विधेयक का समर्थन करेंगे।

दूसरी बात, वे अध्यक्ष, लोक सभा एवं सभापति, राज्य सभा को लोकपाल के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए उपबंध ला रहे हैं। वे क्यों इन लोगों को इस विधेयक के अधीन ला रहे हैं? वे सर्वोच्च निकाय हैं। वे लोकपाल

[डॉ. एम. तम्बिदुरई]

के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकते। संसद कानून बनाने के लिए है। कार्यवाहियों में उन्हें संसद-सदस्यों एवं मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी है। तब ऐसे मामले में, उन्हें उसके बारे में लोकपाल को रिपोर्ट करना है। क्या यही अध्यक्ष का कर्तव्य है? क्या यह सही है? क्या यही लोकतंत्र है? सरकार इस प्रकार हमारी संसद के अधिकारों का संरक्षण कर रही है। इसी कारण में विनम्रतापूर्वक आपसे उन्हें बाहर रखने का अनुरोध कर रहा हूं। सरकार अध्यक्ष, लोकसभा एवं सभापति, राज्य सभा को बाहर रखने के लिए संशोधन लाए। यह बहुत ही गंभीर मसला है। यह हमारे लोकतंत्र से जुड़ा है। स्थायी समिति ने भी इसकी सिफारिश नहीं की है। लोकपाल को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा एवं माननीय सभापति, राज्य सभा द्वारा रिपोर्ट भेजने की बात इस विधेयक में कैसे शामिल की गयी?

उसके बाद वे भारत के राष्ट्रपति को भी शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई यह भी कह सकता है कि सभी को जरूर इसमें आना चाहिए। उसका अर्थ है कि आपको भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एवं अन्य सभी को भी इसमें शामिल करना है। यह इस चरण तक पहुंचेगा। महोदया, इसी कारण मैं ईमानदारी से अनुरोध कर रहा हूं कि सरकार इस विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री को शामिल नहीं करने पर विचार करे। यह मेरा विनम्र पक्ष है। यह मेरे दल का पक्ष है। मेरे मुख्यमंत्री ने ऐसा कई बार कहा है - यहां तक कि वित्त मंत्री से भी।

मैं कहूंगा कि अधिकांश सदस्य संघीय ढांचे के बारे में ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। हम लोकतांत्रिक देश हैं। आपको राज्य सरकारों का सम्मान करना है। उन्हें भव्य नगरपालिकाएं नहीं बनाएं। इसी कारण हम इस चिंता के बारे में गंभीर हैं। इस सभा को प्रधानमंत्री को शामिल नहीं करने संबंधी मेरे द्वारा दिए गए संशोधन पर विचार करने दें। साथ ही, संघीय ढांचे का संरक्षण जरूर किया जाना चाहिए। उसके लिए लोकायुक्त को इस विधेयक से बाहर जरूर किया जाना चाहिए। इसी शर्त के साथ मैं लोकपाल के पक्ष में हूं लेकिन लोकायुक्त के पक्ष में नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदया, हमारा नंबर किधर गया।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिये, सबका नंबर आयेगा। आप बैठिये और शांत रहिये। आप लोग आपस में बहुत बातचीत कर रहे हैं। आप लोग शांत होकर सुनिये।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): महोदया, हम लोग भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसा होना ही चाहिए।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए विधेयक या संविधि लाना भर पर्याप्त नहीं है, इसे लागू करने की मानसिकता होना जरूरी है। यदि आप सरकार में हैं, तो आपको इसे लागू करना पड़ेगा। यदि आप विपक्ष में हैं, तो आपको इसके लिए संघर्ष करना चाहिए और ऐसा केवल शास्त्रीय चर्चा भर के लिए नहीं होना चाहिए।

मैंने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विधेयक के भाग-III को एक मॉडल के रूप में लिया जाये अपेक्षित है या फिर इसे अंगीकार किया जाना है। यदि इसे अंगीकार किया जाना है तो फिर मैं समझता हूं कि इससे संविधान के संघीय ढांचे का अतिक्रमण होगा।

श्री कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 252 और 253 पर भाषण दिया। बहुत ही आदर के साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि अनुच्छेद 252 उन्हीं मामलों में लागू होता है जहां दो राज्य विधानसभाएं इस बात के लिए सहमत हो कि एक रिक्तता उत्पन्न हो गई है और अब संसद कोई विधेयक पारित करे। उस स्थिति में अनुच्छेद 252 प्रयोज्य होता है। पर यहां अनुच्छेद 252 का मामला नहीं है। क्या किसी राज्य सरकार ने इसके लिए कहा है? जहां तक अनुच्छेद 253 का संबंध है तो उन्होंने यह तर्क दिया है कि चूंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है इसलिए, अनुच्छेद 253 का मामला बन जाता है। श्री कपिल सिब्बल से मेरा विनम्र प्रश्न यह है: क्या आप अप्रत्यक्ष रूप से वह काम कर सकते हैं, जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते? वे कह रहे थे कि ऐसा करने से राज्य विधान सभा के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा रहा हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधेयक की धारा 81(7)(ख) राज्य विधान सभा के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करती है या नहीं।

सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि-41 राज्य सरकार के कर्मचारियों में सेवा-शर्तों का उल्लेख करती है। अब लोकपाल क्या करेगा? लोकपाल क्या करेगा, इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है। महोदया, अत्यंत आदर के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकपाल कुछ नहीं बल्कि एक बृहत् जांच एजेंसी है। यह विधेयक उसे एक बृहत् जांच एजेंसी बनाते हुए उसे बहुत ऊंचा दर्जा प्रदान कर रहा है। वे क्या करेंगे? और अन्ततः, जांच एजेंसी के रूप में कार्य करके सभी को पक्ष रखने का अवसर देने के बाद, लोकपाल की रिपोर्ट को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विशेष न्यायालय में रखा जाएगा।

अब किस कानून के तहत किसी जांच एजेंसी की रिपोर्ट किसी विशेष न्यायालय की अनिवार्य स्वीकृति के अध्यधीन है? तदुपरान्त, वह विशेष न्यायालय उस जांच-रिपोर्ट की बारीकियां देखेगा। अर्थात्, केवल जांच रिपोर्ट को एक कानूनी अदालत के समक्ष प्रस्तुत भर करना पर्याप्त नहीं बल्कि उसे स्वीकृत भी होना चाहिए जोकि तब होगा जब वह न्यायालय में सिद्ध हो जाए। अतः जांच-एजेंसी की रिपोर्ट विशेष न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए, और विशेष न्यायालय दंड-प्रक्रिया संहिता के नियमानुसार उसका निर्णय करे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इस बृहत् जांच एजेंसी को यह काम दिया गया है कि जब जांच एजेंसी धारा 8 की उपधारा 7(ख) के अन्तर्गत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे तब फिर राज्य अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करेगा। क्या यह बात राज्य सेवा-शर्तों के अधीन नहीं आ रही? मैं श्री सिब्बल से यही साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या इसका अभिप्राय राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है? क्या वे सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि-41 के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे?

हम सभी इससे सहमत हैं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी को मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा बिलकुल नहीं है कि यह विधेयक दशकों बाद आया है और इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सभी प्रधान मंत्री या मंत्रिगण भ्रष्टाचार के पक्ष में थे। यदि इस प्रकार का विधेयक अभी राज्यों में नहीं आया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य विधानमंडल या राज्यों के मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार के पक्ष में हैं। कृपया ऐसा मत सोचिए। यदि आपने इस प्रकार का विधेयक बनाने में तीन दशकों का समय ले लिया है, तो अब आप इसके भाग III को आदर्श बनाएं और राज्यों से उसे स्वीकार करने का अनुरोध करें। यह आपके लाभ के लिए नहीं बना है।

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत क्या किया गया है? इसी सभा ने वह अधिनियम बनाया है। फिर उसके बाद, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत आखिर क्या किया गया है? आप इस प्रकार के कानून को राज्य को स्वीकार करने के लिए छोड़िए। आज हमारे देश में लगभग सभी राज्यों ने वह कानून अपना लिया है। अतः, आप राज्य विधानमंडलों का महत्व कम करके आंकें; और राज्यों के मंत्रियों की महत्ता कम न करें; और राज्य विधानमंडलों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न करें क्योंकि वह स्थिति खतरनाक होगी।

प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार का विरोधी है। ऐसा नहीं है कि वे कोई एक व्यक्ति ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा है। यदि किसी को बोलने का अवसर मिले तो वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने लगेगा और यदि किसी को यह अवसर ही न मिले तो फिर वह देश की जनता तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाएगा? यदि कोई 6 बजे से लेकर 10 बजे तक टी.वी. पर है तो क्या वह अकेला ऐसा व्यक्ति हो गया जो भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है? ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जो प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं वे ही अकेले भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हम लोगों के द्वारा निर्वाचित हुए हैं क्योंकि लोग जानते हैं हम ईमानदार है। यही कारण है कि हमें लोगों ने चुना है और इसलिए नहीं कि ऐसा करने के लिए किसी ने कहा है। मंच से कोई भी कह सकता है कि एक कानून लाया जाना चाहिए।

महोदया, सम्मानपूर्वक मैं आपसे जानना चाहता हूं कि धारा 24(3) के अंतर्गत क्या शक्ति है? कृपया इसे मेरे साथ पढ़े। यह आपके विचाराधीन है। कृपया विधेयक के इस भाग पर विचार करे। धारा 24(1) कहती है कि:

> "जांच पूरी हो जाने के पश्चात् लोकपाल के निष्कर्ष धारा 14 की उपधारा (एक) के खंड (क) अथवा खंड (ख) अथवा खंड (ग) में उल्लेख किए गए लोकसेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कृत्य पारित करना प्रकट होता है, तो लोकपाल विशेष न्यायालय में मामला दर्ज कर सकता

[श्री कल्याण बनर्जी]

है और निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट की प्रति सक्षम अधिकारी को भेजेगा।"

केवल भाव इसलिए कि रिपोर्ट भेज दी गई है। एक व्यक्ति जिसे रिपोर्ट भेजी गई है, दोषी नहीं बन जाता। एक पूर्ण मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कृपया इसके साथ धारा 24(3) को भी पढ़ा जाना चाहिए। जहां तक लोक सभा का संबंध है माननीय अध्यक्ष लोकसभा सक्षम प्राधिकारी हैं। इसमें कहा गया है कि:

"सक्षम प्राधिकारी उप धारा (एक) के अंतर्गत प्रेषित रिपोर्ट की जांच करेगा अथवा जांच करवाएगा और रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में लोकपाल को सूचित करेगा अथवा सूचित करने को कहेगा..."

जब तक विचारण पूरा नहीं हो जाता कोई भी व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि मैंने गलत कार्य किया है? क्या मात्र जांच अधिकारी की रिपोर्ट इसका आधार हो सकती है? किसी जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई व्यक्ति दोषी कैसे हो सकता है; वह अभियुक्त हो सकता है। रिपोर्ट के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदया क्या करेंगे? क्या वे मुझे सभा से निष्काषित करेंगे? जब तक विचारण पूरा नहीं होता है तब तक क्या माननीय अध्यक्ष महोदया मुझ पर शास्ती लगाएंगे?

अध्यक्ष महोदया, इस देश के कानून से ऊपर कौन हो सकता है? लोकपाल का चयन किस प्रकार से किया जाएगा? सम्मानपूर्वक मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकपाल का चयन कैसे किया जाएगा और मैं किसी की अन्देखी नहीं कर रहा हूं। लोकपाल का चयन माननीय प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जाएगा। दोनों लोकपाल के अधीन हैं। इसलिए दोनों यह निर्णय लेंगे कि यदि भविष्य में उनके द्वारा कोई गलत कार्य हो जाता है तो मामले पर निर्णय कौन देगा? तीसरी बात समिति में और कौन होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश उनमें से एक हैं। महोदया, सम्मानपूर्वक मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमारे देश में कोई गैर-पारदर्शी व्यवस्था है तो वह उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गैर पारदर्शी व्यवस्था के संबंध में कोई भी व्यक्ति जो मात्र वरिष्ठता के आधार पर भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा वह यह निर्णय लेगा कि क्या मैं भ्रष्ट हूं अथवा नहीं। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? उसकी नियुक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विवेकाधिकार पर निर्भर है। यदि मेरी छवि साफ है तो मुझे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा; यदि मेरी छवि ठीक नहीं है और यदि मैं न्यायाधीशों के पीछे नहीं दौड़ रहा हूं तो मेरी नियुक्ति नहीं होगी। इस प्रकार का व्यक्ति समिति में होगा जो यह निर्णय लेगा कि लोकपाल कौन होगा।

जवाबदेही क्या है? मैं इस संबंध में आपको बताता हूं। सेवानिवृत्त व्यक्ति लोकपाल अथवा लोकपाल का सदस्य होगा। चार अथवा पांच वर्षों के पश्चात राष्ट्र के प्रति उसकी क्या जवाबदेही होगी? यदि उसने कोई गलती की है तो उच्चतम न्यायालय की सिफारिश के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। उसे कौन छू सकता है। उसकी पेन्शन को छुआ नहीं जाएगा। यदि वह कोई गलती करता है, उसे जेल नहीं भेजा जा सकेगा और वह सबके लिए पांच वर्ष तक मालिक बन कर बैठ जाएगा और उसे कोई छू भी नहीं सकेगा। गलती करने पर उसे जेल नहीं भेजा जाएगा और उसकी पेन्शन नहीं समाप्त की जाएगी।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको मात्र एक सुझाव देना चाहता हूं। लोग भ्रष्टाचार और लोकपाल के संबंध में यहां-वहां की बातें करते हैं। न्यूयार्क उच्चतम न्यायालय अथवा अमरीका के विभिन्न राज्यों की तरह सभा द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की जाए। लोकपाल पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति ईमानदारी अथवा बेइमानी देखने के पश्चात ही की जाए जैसे कि अमरीका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सीनेट निर्वाचन के आधार पर 14 वर्षों तक न्यायाधीश बने रहते हैं। उन्हें सीनेट की स्वीकृति लेनी होती है। देखते हैं कि लोकपाल के लिए कौन इच्छुक होता है। लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि लोकपाल के रूप में नियुक्ति पाने के लिए कौन इच्छुक है। इसको समझ लें। क्या यह दिल्ली अथवा अन्य राज्यों में ठीक नहीं है? जहां तक भारत के पिछले तीन अथवा चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों का संबंध है ऐसी अफवाह है कि - कुछ न कुछ गड़बड़ है? क्या यह सही नहीं है? हम फिलहाल इनकी अनदेखी कर सकते हैं। हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, परन्तु ऐसा हुआ है।

महोदया, मैं आपको एक तर्क के बारे में बताना

चाहता हूं जो मैं अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में एक न्यायाधीश की ओर से दे रहा था। खण्डपीठ में न्यायाधीशों ने कहा "जी हां, श्री बंधोपाध्याय, आप जो भी बहस कर रहे हैं आप सही हैं। मैं आपको स्वयं न्यायालय जाने का अनुरोध करूंगा और दीवार की आवाज सुनकर फिर वापस आएं और मुझे बताएं कि वह रहेगा या नहीं। मैं वहां गया था इसके बाद जब मैं आया तो मैंने न्यायालय के समक्ष यह कहकर बहस की "मैं अपनी बहस को बंद कर रहा हूं। आप अपना निर्णय दीजिए" सबकुछ रिकॉर्ड पर नहीं है। इसमें कुछ अफवाहें और कुछ व्यक्ति हैं। इसलिए, लोकपाल कौन होगा? लोकपाल को चयनित होने दीजिए। मेरा सुझाव है कि लोकपाल को स्वयं सभा से ही चयनित होने दीजिए क्योंकि उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

यदि वह कोई गलती करता है, यदि वह कोई धोखाधड़ी करता है, यदि वह कोई भ्रष्टाचार करता है, तो इसके क्या परिणाम होंगे? यदि वह मामले को निष्पक्ष ढंग से नहीं निपटाता है, तो इस लोकपाल का भविष्य क्या होगा? मैं अनुरोध करता हूं कि नगरपालिकाओं, पंचायतों और लोक वितरण प्रणाली को स्वयं लोकपाल के भीतर लाना चाहिए। यह हमारे देश के संघीय ढांचे को नष्ट न करे। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि भाग-III को विलोपित करें और स्वयं लोकपाल विधेयक में दिए गए दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करके उपबंध करें। यह उसे दिया जाना चाहिए।

मैं एक अन्य उपबंध पर आता हूं। श्री सिंघवी जी एक काफी वरिष्ठ अधिवक्ता है और उनके लिए मेरे मन में अति सम्मान है। वह स्थायी समिति के सभापति हैं। मैंने अभी आपको इसका क्रम दिया। जांच एजेन्सी एक रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट विशेष न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। विशेष न्यायालय न्यायनिर्णयन के बाद किसी मामले में दोषसिद्धि देता है। इसके विरुद्ध वह व्यक्ति आपराधिक अपीलीय न्यायालय में जाएगा। अपीलीय न्यायालय अपना निष्कर्ष देगा। फिर इस विधेयक के अनुसार अंतिम अपीलीय प्राधिकारी लोकपाल है। यह आश्चर्यजनक है। इसलिए, जांच एजेन्सी और अभियोजन एजेन्सी अपने ही मामले के निर्णायक होंगे। मैं सम्मान के साथ कानून मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मुझे धारा 49 और 95 समझ नहीं आती हैं। यह वास्तव में स्वयं मूल ढांचे पर ही प्रहार करता है। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णय नहीं ले सकता। वह जांच एजेन्सी होगा, वह अभियोजन एजेन्सी होगा और अंततः वह अपीलीय प्राधिकरण होगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं पूरे सम्मान के साथ यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के भाग-III को ही विलोपित कर दीजिए।

एक और चीज की जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं की गई है। हमें चरित्र निर्माण कार्यक्रम हेतु प्रयास करना चाहिए। केवल कानून लाने से ही कुछ नहीं होगा। लोगों को इस बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। लोगों को इसमें विश्वास होना चाहिए। इस देश के लोगों को इस प्रयोजन हेतु शिक्षित किया जाना चाहिए। हमने 63 वर्षों की लम्बी अवधि में कुछ नहीं किया है। हम भ्रष्टाचार के बारे में इस तरह बोल रहे हैं मानो कि हम राम कृष्ण या स्वामी विवेकानंद बन गए हों। ऐसा नहीं है। सरकार की भूमिका है अन्य की भी भूमिका है। इस लक्ष्य को इस देश की अवसीमा से लागू करना होगा। लोगों को इस बारे शिक्षित करना होगा कि भ्रष्टाचार को रोका जाए। भ्रष्टाचार एक रोग है। भ्रष्टाचार आता नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 100 करोड़ रु. या 250 करोड़ रु. हैं, फिर भी वे भ्रष्ट हैं। उन्हें धन की आवश्यकता नहीं है परन्तु वे भ्रष्ट हैं क्योंकि यह एक रोग है। इसे रोकना होगा। 100 करोड़ या 150 करोड़ रु. वाले व्यक्ति हैं, फिर भी उन्हें धन की आवश्यकता है। यह स्वयं में एक रोग है। यह कैंसर है। इसे समाप्त करना होगा।

अंत में, भाषण की समाप्ति पर मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि इस कानून को सशक्त होना चाहिए। हमारे यहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अधिनियम नहीं है। हमारे पास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है। हम इस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का हमारे देश के प्रत्येक ब्लॉक तक विस्तार कर सकते थे। हम इसे आसानी से सुलभ बना सकते थे। हम कह सकते थे कि कोई भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जाकर और शिकायत कर सकता है। एक स्थिति की कल्पना कीजिए। हमारे राज्य में पुरुलिया जिले का कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति अयोध्या पहाड़ पर रहता है। वह भ्रष्टाचार हेतु किसी संसद सदस्य के विरुद्ध शिकायत दायर करने के लिए मैडम के पास दिल्ली आएगा? क्या यह वास्तविकता है। क्या यह स्वीकार्य है? क्या कोई इसे स्वीकार कर सकता है? यह केवल उन व्यक्तियों के लिए है, जो कुछ व्यक्तियों के पीछे पड़े हैं। हम कॉर्पोरेट को क्यों नहीं ला रहे हैं? यह काफी

[श्री कल्याण बनर्जी]

अच्छा है। शाम को कोई एक एक्ट सभी व्यक्तियों के विरुद्ध बोलेगा इस संकट को जनता के समक्ष लाया जाना चाहिए। मुझे संकट की पूछताछ करने दीजिए। मुझे उसका ज्ञान, उसकी सत्यनिष्ठा और उसके पक्ष को समझने दीजिए। कोई व्यक्ति मंच पर जाता है और अपना भाषण देता है और कहता है हमें इसे शीघ्र लाना चाहिए। इस सभा की मर्यादा को अनुरक्षित रखना होगा। इस सभा को किसी के दबाव के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। कोई यह कहकर दबाव बनाता है कि यदि इसे 27 दिसम्बर तक पारित नहीं किया गया तो वह भूख हड़ताल पर चला जाएगा, यह सही नहीं है। हमने राष्ट्र को सही संदेश नहीं दिया है।

हम सभी ऐसा विधेयक लाने में इच्छुक हैं, परन्तु वास्तविकता में हम यह विधेयक दबाव के अंतर्गत ला रहे हैं। यह स्थिति आने ही नहीं देनी चाहिए थी। यह संसद सदस्यों की अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं करती। हम दबाव के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इससे एक गलत संकेत गया है।

माननीय प्रधानमंत्री, अभी भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है। इसे देश के प्रत्येक ब्लॉक में लागू करें। इसे कड़ाई से लागू करें। संविधि है और इसे लागू नहीं किया गया है। अधिकारियों ने संविधि की अनदेखी की है इससे देश को मदद नहीं मिलेगी। जो भी हो, उसे लागू किया जाना चाहिए।

महोदया, अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़े हैं। हमारी नेता ममता बनर्जी विगत 35 वर्षों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रही हैं। वह बुद्धिजीवी नेता नहीं है। वह जमीनी नेता हैं, हम भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सत्ता में पहुंचे हैं। इसलिए, भ्रष्टाचार से लड़ा जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदया, श्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में हमारी पार्टी शुरू से ही यह चाहती थी कि एक मजबूत और प्रभावी लोकपाल विधेयक लाया जाए और अब समय आ गया है कि हम आज इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया, आज के दिन जब यह बिल हाउस में इंट्रोड्यूस किया था, पहली दफा श्री नारायणसामी जी ने बात की। हाउस में जब एक मिनिस्टर बात करे तो एक तरीके से बात करनी चाहिए, फेक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए। अभी देश में करप्शन काफी बढ़ गया है।

[अनुवाद]

हाल के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार संबंधी सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार का स्तर काफी ऊंचा है।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य आपके पास पांच मिनट का समय है और आप अपनी बात पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री नामा नागेश्वर राव 0-10 के स्केल पर भारत के भ्रष्टाचार का स्तर 8.67 है।

[हिन्दी]

इतने हाई लेवल में करप्शन है। मगर आज सुबह नारायणसामी जी ने यह प्वाइंट बोला है कि अभी हम लोग बहुत अच्छा बिल ला रहे हैं। अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, पहली दफा प्रोपर्टी को जब्त करने का प्रोविजन भी रखा है। मगर अभी बिहार में एक ऑफिसर की प्रोपर्टी को जब्त करके, वहां के पुअर लोगों के लिए एक स्कूल बना दिया है। मगर उसे बनाने का दिल होना चाहिए। जो लोग पावर में हैं, उनके पास विल एंड दिल दोनों होने चाहिए। ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि आज के दिन हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब बोल रहे थे, वे मिनिस्टर हैं। वे हाउस में जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनका जो सोचने का तरीका है। पहले कपिल सिब्बल साहब ने जस्टिस रामास्वामी जी के मामले में हाउस के बाहर बैठ कर बात की और अब हाउस के अंदर बात कर रहे हैं। उन्होंने बात करते समय एक बात बोली है, अपने घर में भ्रष्टाचार करो, दूसरे घर पर आरोप करो। हमें समझ नहीं आया कि किस का घर है। हमें मालूम नहीं है कि 2 जी स्पेक्ट्रम किस का घर है। कॉमनवैल्थ गेम्स किसका घर है, उसी तरीके से आन्ध्र प्रदेश में ओ ब्लॉक में किसका घर है। वहां भी तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। एक मिनिस्टर को हाउस में

इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अभी ऑनरेबिल प्राइम मिनिस्टर ने दो चीजों को बहुत क्लियरली बोला है, एक अपनी गवर्नमेंट का स्टेंड क्या है, वह बता दिया और दूसरा यह एक्सैप्ट किया कि देश में करप्शन है। करप्शन को मिटाने के लिए सब को मिलकर एक अच्छे बिल को लाना चाहिए, मगर इसके पहले मिनिस्टर को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक बात और बोली कि आप लोग, अपोजीशन लीडर्स कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दे रहे। हम जो भी दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं, लेकिन आप तो गवर्नमेट में रहकर हमारे सजेशन को नहीं ले रहे हैं, यही समस्या है। क्या इस तरीके से किसी ने सोचा है? कपिल सिब्बल साहब तो अभी यहां दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उन्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए।

वजह जो भी है, लेकिन हमारी कंट्री में स्कैम के ऊपर कंटीन्युअसली स्कैम्स आ रहे हैं, उसी की वजह से कंट्री का डैवलपमेंट भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार का स्तर काफी ऊंचा जा रहा है।

[हिन्दी]

इसको कंट्रोल करने की हम सब की जिम्मेदारी है। उसी के लिए मोर्निंग से जिस तरीके से सजेशंस और एमेण्टमेंट्स आ गये तो कपिल सिब्बल जी जैसा बोले, कंस्ट्रक्टिव सजेशन अभी तो बहुत हम लोगों ने दिये हैं,

[अनुवाद]

हम उसे इसमें शामिल कर उसे संशोधित करें।

[हिन्दी]

उनको लेकर आओ, यह सब इन्क्लूड करके इस बिल को लेकर आओ, तब हम लोग सोचेंगे।

उसी के साथ सी.बी.आई. के बारे में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के लिए बोल रहे हैं, मगर आज सलैक्शन प्रोसेस में अगर देखें तो सलैक्शन प्रोसेस में अपोजीशन लीडर, राज्य सभा को भी होना चाहिए और सी.बी.आई. लोकपाल के अन्दर आनी चाहिए, नहीं तो इसको सैपरेट ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए, उसे किसी को टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कंट्री में सी.बी.आई. के बारे में जिस तरीके से बात आ रही है कि गवर्नमेंट का प्रैशर है, यह सब नहीं होना चाहिए।

इसके साथ-साथ स्ट्रोंग एण्ड इफैक्टिव लोक पाल बिल आना चाहिए और उसकी एकाउण्टेबिलिटी भी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

इसकी जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

उसकी एकाउण्टेबिलिटी के साथ स्ट्रोंग एण्ड इफैक्टिव लोक पाल बिल आना चाहिए। इसके साथ इलैक्टोरल रिफार्म्स का बिल आना चाहिए, फाइनेंशियल रिफार्म्स का बिल आना चाहिए, क्योंकि कंट्री रिफार्म्स के बाद

[अनुवाद]

हमारा जी.डी.पी. वृद्धि लगातार अधिक हो रही है। हमारा देश विकास कर रहा है; चूंकि हमारा देश विकास कर रहा है, इसलिए हमें भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है।

[हिन्दी]

और इन सब एमेंडमेंट्स के साथ यह स्ट्रोंग और इफैक्टिव बिल इस हाउस में लाना चाहिए।

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): महोदया, अभी प्रधानमंत्री जी ने इस बिल का पुरजोर समर्थन किया और सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। मैं उनकी भावना का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में सब की राय अलग-अलग हो सकती है। हो सकता है कि यह जो बिल आया है, उसमें कुछ लोगों के मन में शंका हो कि इसका स्वरूप क्या होगा, इसका असर क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। क्या यह एक असरदार संस्था खड़ी कर पाएगा, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई में आम आदमी के साथ खड़ा मिलेगा या वह एक सफेद हाथी को खड़ा करेगा, अलग-अलग शंकाएं हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जो सरकार का प्रस्ताव है, यह एक सकारात्मक दिशा में एक कदम है। यह पहला कानून नहीं है, जो भ्रष्टाचार के

[श्री जयंत चौधरी]

खिलाफ हम बना रहे हैं, कानून कई हो सकते हैं। कानून आज भी लागू हैं और हमारे देश में ओवर लैजिस्लेट करने की एक टेंडेंसी रही है। कानून तो अच्छे-अच्छे बनते हैं, लेकिन हम उतनी चिन्ता नहीं करते कि क्या उस कानून के क्रियान्वयन में कोई कमी है कि नहीं। मैंने कहीं पढ़ा है कि महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि

[अनुवाद]

"भ्रष्टाचार और पाखंड को लोकतंत्र का अनिवार्य उत्पाद नहीं होना चाहिए जैसेकि आज निःसंदेह ये चीजें विद्यमान हैं।"

[हिन्दी]

यानि यह कोई नई समस्या नहीं है। उस समय भी समाज के लोग इस बारे में चिन्तित थे कि क्या भागीदारी उस गरीब आदमी की हम बना पाएंगे, क्या उसकी गिनती मुख्य धारा में होगी कि नहीं। आज भी हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

मेरा यह मानना है कि अगर हम भ्रष्टाचार को वृहद् दृष्टि से देखें, तो भ्रष्टाचार सिर्फ घूस लेना नहीं है। जो अपने अधिकार से इस देश के नागरिक को हम वंचित कर रहे हैं, वह भी भ्रष्टाचार है, अगर दलित और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, वह भ्रष्टाचार है, अगर उत्पादक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, वह भ्रष्टाचार है, अगर उसकी जमीन उससे जबरदस्ती अधिगृहीत की जाती है, तो वह भ्रष्टाचार है। कहीं न कहीं समाज के हर एक वर्ग को इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा। भ्रष्टाचार सिर्फ घूस लेना नहीं है। सिर्फ कानून बनाने से, संस्था खड़ी करने से यह समस्या ऐसे ही गायब होने वाली नहीं है। यही देश के नागरिक हैं, यही लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाते हैं, दिशा देते हैं। कहीं न कहीं, इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि इस समाज को हम कैसे एकत्रित करें, कैसे जागरूक करें? मैं आज के इस विषय पर और प्रकाश डालना चाहूंगा।

लोकपाल बिल के स्वरूप पर काफी राय आयी है, व्यापक रूप से चर्चा हुयी। स्थायी संसदीय समिति ने बहुत लोगों की राय ली होगी, काफी चर्चा की और एक रिपोर्ट भी देश के सामने रखी है। इसमें सी.बी.आई. का सवाल उठा। मैं समझता हूं कि शब्दों के चयन में कुछ कमी हुयी है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सी.बी.आई. स्वतंत्र होना चाहिए। मैं मानता हूं कि सी.बी.आई. की स्वतंत्रता का सवाल नहीं है। सवाल है सी.बी.आई. के सशक्तीकरण का। जो सी.बी.आई. का कन्विक्शन रेट है, वह कम है। हम सबको इसे मानना चाहिए। उससे दो सवाल खड़े होते हैं - सी.बी.आई. के आफीसर्स की क्षमता और जूडीशियल एफीसिएंसी, दोनों ही चिंता का विषय हैं। इस बिल में सी.बी.आई. को सशक्त करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। हमें यह भी सोचना होगा कि आज स्थिति यह है कि आप डेपुटेशन पर आफीसर्स को लेते हैं, आपके साथ वे दो-तीन साल हैं, उसके बाद वापस उनको वहीं जाना है। कहीं न कहीं उनके स्टेट का कैडर होता है, उनकी एफीलिएशंस होती हैं, उनका एक बॉयस होता है। हमें कभी न कभी सोचना होगा कि सी.बी.आई. के लिए हम एक इंडिपेंडेंट कैडर खड़ा करें, ताकि उसका एक इंडिपेंडेंट टैलेंट पूल हो, उनकी विशेष तरह की ट्रेनिंग हो, तभी आप उनकी क्षमता को बढ़ा पाएंगे।

मैं एक और टेक्निकल प्वाइंट कहना चाहता हूं, मुझे जानकारी नहीं है। इसमें हमने जो सैक्शन 14 में जो डेफीनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट रखी है, उसमें विस्तार किया है। सैक्शन 14 के ए टू एच में कई लोगों की डेफीनेशन की हैं जो पब्लिक सर्वेंट की डेफीनिशन में आयेंगे। एक्सप्लेनेशन में लिखा है -

[अनुवाद]

> "खंड (च) और (छ) के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई ऐसी इकाई या संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, निगम, सोसायटी, न्यास, व्यक्ति संगम, भागीदारी, एकल स्वत्वधारिता, परिसीमिन दायित्व वाली भागीदारी उन खंडों के अन्तर्गत आने वाली इकाइयां होंगी।"

[हिन्दी]

अब आर.टी.आई. एक्ट में भी पब्लिक एथॉरिटी में क्या प्राइवेट एन्टिटीज पी.पी.पी. के माध्यम में आती हैं या नहीं आती, यह बहुत चर्चा का विषय है। प्लानिंग कमीशन की अपनी राय है, पब्लिक फोरम्स में सरकारी मंत्रियों की

अपनी राय व्यक्त हुई है और कोर्ट में भी ये मामले चल रहे हैं। बंगलौर एयरपोर्ट केस में हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है कि हां, वे पब्लिक एथॉरिटी हैं। लेकिन क्या यह सही होगा कि हम प्राइवेट ट्रस्ट में, प्राइवेट इन्डीविजुअल्स को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दें? अगर इनको इंक्लूड करना था तो किसी अल्टरनेट मैकेनिज्म के माध्यम से उन्हें इस बिल के दायरे में हमें लाना चाहिए था। यह मेरा सब्मिशन है।

हमारे सांसदों ने जो जवाबदेही का प्रश्न उठाया, उससे भी मैं काफी हद तक सहमत हूं। जो सार्वजनिक जीवन में हमारी जवाबदेही होती है, सांसदों की, विधायकों की, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, मैं समझता हूं कि किसी और क्षेत्र में किसी और व्यक्ति को नहीं होती है। लगातार हमसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि पांच साल बाद हम चुनाव लड़ते हैं। निरंतर जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे जो मतदाता लोग हैं, वे आते हैं और शिकायत करते हैं। वे कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। वे अपनी नाराजगी व्यक्ति करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। निरंतर हमें सुख और दुख में उनका साथ देना होता है। अगर हम संवेनशील होते हैं, अगर हम उनकी शिकायतों पर ध्यान देते हैं, तो वे उसी आधार पर हमें वोट करते हैं। अगर हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो उसी आधार पर हमें वोट करते हैं। जितनी जवाबदेही हमारी होती है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी और संस्था की उतनी जवाबदेही है।

मैं एक और उदाहरण दूंगा। जो हमारी सांसद निधि है, जब आपकी अगली किश्त आती है, तो आपको डबल एप्लीकेशन मिल जाती है, यानी लोगों की नजर है, आम आदमी को पता होता है कि हमारे सांसद की अगली किश्त आ गयी है। वह आपके पास अपनी दरख्वास्त लेकर आएंगे। सरकारी विभागों में करोड़ों-अरबों रुपए खर्च होते हैं, क्या लोगों को पता होता है कि कब पैसा आया और कब खर्च हो गया? उनको नहीं पता होता है। मैं समझता हूं कि अगर हम एक लोकपाल संस्था को खड़ा करें, वह आज की आवश्यकता है, उससे कहीं न कहीं पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

क्या ग्रुप-सी और डी के एमप्लाई को इसके दायरे में लाएंगे? क्या इससे उनके कार्यशैली पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? आर.टी.आई. के तहत वर्ष 2010-11 में साढ़े पांच लाख से ज्यादा दर्ख्वास्त आई थीं। अगर आज भी गांवों में जाकर पूछेंगे कि आर.टी.आई. क्या है तो इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। आज लोकपाल की इतनी ज्यादा चर्चा हो चुकी है कि हरेक वर्ग जान चुका है। मैं समझता हूं कि पहले साल ही आप लोकपाल संस्था को ओवर फ्लड कर देंगे। इसमें लाखों की संख्या में कम्प्लेन्स आएंगी और लाखों कर्मचारियों को उसके दायरे में रखेंगे तो उन पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। देश भर में 23 दिसम्बर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां सेन्ट्रल हॉल में मौजूद थे। मैडम, आप भी वहां थीं और मैं भी वहां था। वहां बैकग्राउंड में चौधरी चरण सिंह जी के भाषण को सुनाया जा रहा था। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे धीमे-धीमे बहता है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप अपने समय से ज्यादा समय तक बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री जयंत चौधरी: अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

उन्होंने यह कहा था कि सार्वजनिक उच्चतम पदों पर ईमानदार लोग आते हैं तो उसका प्रभाव निचले स्तर तक पहुंचता है और आखिरकार जिम्मेदारी उन लोगों की है जो अपनों में से चुन कर नेता बनाते हैं। इसलिए बुनियादी सवाल फिर यह है कि समाज को हमें इकट्ठा करना होगा, जागरूक करना होगा। इस कानून का मैं स्वागत करता हूं। यह एक शुरुआत है। इसमें जो कमियां होंगी इस सदन के सभी सदस्य मिल कर उनका रास्ता भी निकाल सकते हैं, उनमें सक्षम रहेंगे। मैं फिर इस बिल का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल): अंत में, काफी कुछ कहा गया किंतु हर चीज नहीं कही गई।

जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के अंत में नहीं बल्कि बीच में ही हस्तक्षेप किया तो मैं उनको बढ़े ध्यान से सुन रहा था। एक सामान्य प्रथा यह है कि सरकार

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

के नेता पहले सबकी बात सुनते हैं और फिर भाषण देते हैं। किंतु यह प्रथा काफी पहले समाप्त हो गयी है।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आम सहमति के लिए किया गया निवेदन एक विवाद उत्पन्न कर दिया है। उनके द्वारा आम सहमति के लिए किए गए निवेदन से एक विवाद उत्पन हो गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप में यह कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में संघवाद को आड़े नहीं आना चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ अधिक सावधान रहना चाहिए था कि इसका अर्थ यह नहीं है कि केन्द्रीयकरण भारतीय लोकतंत्र और संघवाद के मूल को कमजोर करे। एक दूसरे के लिए गड्ढ़ा खोदना गलत है।

यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पांच राज्यों में जो कुछ होने जा रहा है, को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, कृपया वक्ता को बाधित न करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: माननीय प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से लड़ने की महत्ता पर बोलते हुए खेल के नियमों के अनुसार खेलना चाहिए।

संसद एक ऐसे राजनीतिक भाषण को देने का मंच नहीं है जो किसी भी प्रकार राजनीतिक अभियान का हिस्सा बने या बनने में सहायक हो। माननीय प्रधानमंत्री को इससे खुद को अलग रखना चाहिए। ऐसी आशंका है और ऐसी आशंकाएं उत्पन्न होंगी।

शुरुआत में मुझे यह कहना चाहिए कि मैं लोकपाल विधेयक का स्वागत करता हूं किंतु उस लोकपाल विधेयक का स्वागत नहीं करता हूं जो यहां पेश किया गया है। मुद्दा यह है कि यदि आप कहते हैं कि कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है, तो निश्चित रूप से यह अच्छा है। कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है, निश्चित रूप से देश की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। माननीय प्रधान मंत्री बाहर आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे। क्या यह सही है? क्या यह संसद की संप्रभुता पर कुठाराघात नहीं करता? क्या हम दबाव में हैं? क्या हम बाध्य हैं? क्या हमें झुकाया जा रहा है? क्या हमें कुछ करने या कुछ न करने की धमकी दी जा रही है? क्या यह संसद की संप्रभुता को प्रभावित या उसका हनन नहीं करता।

शासक या सरकार के नेता, जो लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, को अपने कथनों के व्यापक प्रभाव पर विचार करना चाहिए। यदि आप यह कहते हैं कि पिछले एक वर्ष के दौरान विरोध तेज हुआ है, तब वे भूल जाते हैं कि यह देश आजादी की शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा था। कुछ व्यक्तियों या एक समूह को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है जिससे देश की आम जनता में अफरा-तफरी का संदेश जाता है जो मेरे विचार में लोकतंत्र के कामकाज में मदद नहीं करता है। आप पद में जितने ऊपर रहेंगे, आपको उतनी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं सरकार को गैर-जिम्मेदार नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं कह रहा हूं आप का जितना बड़ा पद होगा, आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होगी। यह अंतकारिक है। उन्होंने संसद को आलंकारित तरीके से लिया है, उन्होंने यह वाद-विवाद शुरू किया है। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के बारे में कहा है कि यह अच्छा है। लेकिन केवल 38 प्रतिशत धन इस पर व्यय किया गया है। उन्होंने अभी समग्र विकास पर बात की थी लेकिन आज देश का हर व्यक्ति कह रहा है कि समग्र विकास नहीं हुआ है। उन्होंने विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के बारे में कहा लेकिन आज हम अप्रत्याशित आर्थिक संकट झेल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है। हम उसकी चर्चा संसद में नहीं कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदया ने इसके लिए समय नहीं दिया यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सबसे गंभीर क्षण है। इस तरह की स्थिति में यदि सरकार के नेता सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं तो मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह राजनीति दूरदर्शिता का प्रतीक नहीं है।

महोदय, यदि आप कहते हैं कि यह शुरूआत है, तो मैं सहमत हूं। यह शुरूआत है लेकिन यह संकेतात्मक शुरूआत है, यह सांकेतिक शुरुआत है। शुरूआत को प्रभावकारी होना चाहिए था। यदि आप कहते हैं कि सरकार को विधेयक पुर:स्थापित का विशेष अधिकार है, तो मैं सहमत हूं। आपने विधेयक को पुर:स्थापित किया है। आप इसे पारित कराना चाहते हैं, मैं सहमत हूं। आप इसे पहली बार कर रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार

के विरुद्ध लड़ाई लंबी चलेगी, तो मैं सहमत हूं। लेकिन जब भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है, तो यह शून्य में नहीं है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार अचानक इतनी जिम्मेदारी लेने के लिए क्यों जगी है? केवल एक ही व्यक्ति नहीं बल्कि इस समय भ्रष्टाचार देश में पूरी तरह व्याप्त है। कृपया यह न भूलें कि स्वाधीनता के इतिहास में पहली बार सरकार का एक सदस्य तिहाड़ जेल में है, इतिहास में पहली बार सत्तारूढ़ दल के अग्रणीय कार्यकर्ताओं में से एक जेल में है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कोई रास्ते में है, वह जानकारी बाद में लेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: सी.ए.जी. की एक के बाद एक रिपोर्ट में सरकार को अभिरोपित किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: यदि आप ऐसा कहती है तो मैं बैठ जाता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप जल्दी से बोलकर समाप्त कीजिए। बीच में और वार्तालाप मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: लेकिन सभा में प्रत्येक सदस्य अपने निर्धारित समय से अधिक समय लिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं आपसे अध्यक्षपीठ को संबोधित करने के लिए कह रही हूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि यह है कि केवल एक व्यक्ति भूख हड़ताल नहीं करने जा रहा है बल्कि यह व्यापक भ्रष्टाचार से संबंधित है। पृष्ठभूमि यह है कि सरकार का एक सदस्य जेल में है। पृष्ठभूमि यह है कि सी.ए.जी. की एक के बाद एक रिपोर्ट सरकार को अभिरोपित कर रही है...*(व्यवधान)* महोदया, मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम): आप यह कह रहे हैं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिए। आप क्यों खड़े हो गए?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। यह सब क्या है? कार्रवाई वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया स्थिति की गंभीरता को समझिए।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: यह क्या कह रहे हैं? आप ऐसा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह गंभीर विषय है। हमने खासतौर से यह सैशन बुलाया है, तीन दिन का एक्सटैंशन है। आप इसे गंभीरतापूर्वक लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: दासगुप्त जी आप चेयर को एड्रैस करके बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदया, मैं यह कह रहा हूं कि मंत्री अधीर हैं। मैं एक मंत्री के व्यवहार पर प्रकाश डाल रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री दासगुप्त, आप विषय पर बोलिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं कभी इससे नहीं हटा ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अभी वह मिनिस्टर नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: वह सत्ता पक्ष के सदस्य हैं। यदि वह समस्या, देश के सामने विद्यमान समस्या से इतना अधिक चिंतित हैं तो प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए कथन की सहमति होनी चाहिए, का क्या दुष्परिणाम होगा? आप अधीर होकर सहमति बनाना चाहते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? क्या ऐसा सोचना ठीक है।

महोदया, राज्य भ्रष्टाचार का केन्द्र नहीं है। देश के एक भाग में रेड्डी लोगों का एक समूह है। लेकिन नई दिल्ली में सत्ता के गलियारे में बड़ी संख्या में रेड्डी हैं। भारत की राजनीतिक राजधानी ऐसे अपराधियों की राजधानी है, जो भारत में आज से ही नहीं बल्कि शुरुआत से भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

महोदय, स्पेक्ट्रम प्रकरण कहां हुआ था? यह बंगलौर में नहीं हुआ था। राष्ट्र मंडल खेलों की लूट कहां हुई थी? यह कोलकाता में नहीं हुई थी। किसकी नीति से कृष्णा-गोदावरी बेसिन में राजस्व की हानि हुई? यह किसकी नीति थी?

महोदया, कृपया एक बात नोट करें। कृपया यह नोट करें कि जब राज्य का प्रत्येक अंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित है तो इसके लिए बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है। यह विधेयक कास्मेटिक आपरेशन के सिवा कुछ नहीं है जिसे गैलरी में खेलते हुए किया गया है। यह कास्मेटिक आपरेशन है। यह प्रशामक उपचार भी नहीं है। यह कास्मेटिक उपचार है। प्रशामक कुछ बेहतर है।

राजनीतिक इच्छा शक्ति कहां है? सरकार को राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाना चाहिए।

[हिन्दी]

पोलिटिकल विल दिखानी चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आप हर व्यवधान पर प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं। कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें और कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय बात यह है...

अनेक माननीय सदस्य: महोदय नहीं, महोदया...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: इनमें एक भद्रपुरुष का आत्मबल और नारी की सौम्यता समाहित है। इसलिए मैं इनमें हमेशा यही रूप देखता हूं।

यदि कोई संसद सदस्य वकील बन जाता है तो इससे कपिल सिब्बल को समस्या होती है। इसलिए मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आपराधिक मुकदमे लड़ने वाले वकील बनने से अभिप्राय यह नहीं होता कि वकील अपराधी है लेकिन इसका अर्थ होता है कि उसके पास आपराधिक मुकदमों में बचाव करने की विशेषज्ञता होती है वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व करता है तब मैं इसे यथार्थ मानूंगा। मैं किसी भी बात को तथ्यात्मक रूप से ही स्वीकार करूंगा।...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के पास भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। भारतीय इतिहास की शुरुआत से ही भ्रष्टाचार रहा है। मेरे युवा मित्र को यह पता होना चाहिए। भ्रष्टाचार तब से है जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि ये 63 वर्ष के हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसी समय जीप घोटाला हुआ था। आपको याद होगा कि मुन्दड़ा को जेल भेजा गया था। याद रखें उसके बाद बोफोर्स कांड हुआ, उसके बाद हर्षद मेहता कांड और उसके बाद टूजी घोटाला हुआ। लेकिन बात यह है कि टूजी स्पैक्ट्रम घोटाला सबसे बड़ा कांड है इसने सब सीमाओं को पार कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, भ्रष्टाचार कोई बीमारी नहीं है। यह धन का लालच है, यह लाभ कमाने का लालच है। हमारी नई और उदारवादी आर्थिक नीति इसके लिए जिम्मेदार है, बिना पर्याप्त सुरक्षोपायों के उदारीकरण ने बड़े भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, पूरे देश में यही हो रहा है। हमें मुम्बई में क्या हो रहा है या रामलीला मैदान में क्या हुआ, उससे प्रभावित हुए बिना इस विधेयक पर निष्पक्ष तरीके से चर्चा करनी चाहिए। हमें संसद की संप्रभुता तथा सदन की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए।

अब मैं कुछेक प्रश्न उठाना चाहूंगा। सरकार इनका उत्तर दे। कॉर्पोरेटों को क्यों छोड़ा गया है? निजी क्षेत्र को क्यों छोड़ा गया है। ये कॉर्पोरेट कौन हैं। ये वो लोग हैं जो राजनीतिज्ञों को रिश्वत देते हैं, जो मंत्रियों को रिश्वत देते हैं, जो नौकरशाहों को रिश्वत देते हैं। ये वे लोग हैं जो चुनाव अभियानों के लिए धन देते हैं, जो हेलीकॉप्टरों के लिए भुगतान करते हैं। ये कॉर्पोरेट ही हैं जो काला धन उत्पन्न करते हैं, कॉर्पोरेट ही कर का अपवंचन करते हैं ये कॉर्पोरेट ही पेड न्यूज की व्यवस्था करते हैं। इन्हें क्यों छोड़ा गया है? यह एक राजनीतिक निर्णय है। कॉर्पोरेटों को छोड़ना एक राजनीतिक निर्णय है जो यह सोच कर लिया गया है कि कहीं ऐसा न हो कि इससे आपका चुनाव अभियान प्रभावित हो जाए।

इसलिए, मैंने निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया है। प्रधानमंत्री के पद को भी अत्यधिक उन्मुक्ति दी गई है।...*(व्यवधान)* सी.बी.आई. की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। महोदया, यदि आप गुस्सा हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे सरकारों ने सी.बी.आई. का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं गुस्सा नहीं हूं।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: चाहे इनकी सरकार हो या उनकी सरकार हो सभी ने अपने विरोधियों से लड़ने के लिए सी.बी.आई. का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है।...*(व्यवधान)* यदि आप चाहें तो मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। सभी ने सी.बी.आई. का इस्तेमाल...*(व्यवधान)* क्या मुझे उनके नाम लेने चाहिए? आप परेशान हो जाएंगी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। युवा मंत्री जी, मैं चाहता हूं, कि आप और उन्नति करें...*(व्यवधान)* स्वतंत्र जांच भी होनी चाहिए।

एक निर्धारित समय-सीमा में निर्णय देने के लिए विशेष न्यायालय होने चाहिए। एक बार पंडित नेहरू ने कहा था - "मैं कालाबाजारी करने वालों को गोली मार दूंगा और उनको बिजली के खंभे पर फांसी लगवा दूंगा।" मैं उस हद तक नहीं जाना चाहता? पंडित नेहरू भावुक थे। मैं उतना भावुक नहीं होना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को नेहरू की उस परम्परा को अपने खून में बरकरार रखना चाहिए। यदि आप नेहरू को भुला चुके हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने विस्तृत भाषण दिया लेकिन उनके पास इसका उल्लेख करने का समय नहीं था। कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री नेहरू का यह ऐतिहासिक भाषण था। आप में प्रथम प्रधानमंत्री को याद रखने का साहस और निष्ठा होनी चाहिए। संघीय व्यवस्था से छेड़छाड़ क्यों की जाए? आखिर में मैं कहता हूं कि सरकार का खुला एजेंडा क्या है?

सायं 6.00 बजे

खुला एजेन्डा क्या है? क्या सरकार की एक ओर यह बताने की मंशा है कि हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया वहीं दूसरी ओर छुपा हुआ यह एजेंडा भी है ताकि लोगों को बताया जाए कि हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कदम उठा रहे हैं लेकिन कोई भी हमें सहयोग नहीं दे रहा है? इसलिए, हमें समर्थन दीजिए ताकि हम अगली बार फिर चुनाव जीत सकें। अत: क्या इनका कोई छुपा हुआ एजेन्डा है या ये एक खुला एजेन्डा है? मैं जानना चाहता हूं कि अपने आप में एजेन्डा क्या है।

सायं 6.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख - *जारी*

(दो) राष्ट्रगान के प्रथम अध्यर्पण का सौ वर्ष पूरा होना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, 27 दिसम्बर, 2011 को हमारे राष्ट्र गान 'जन गण मन', देशभक्ति के स्वर्णिय सूत्र, जिसने राष्ट्र को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है के प्रथम बार गाए जाने के सौ वर्ष पूरे हुए हैं। जन गण मन का प्रथम गायन 27 दिसम्बर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था और इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्र गान के रूप में अंगीकार किया गया था।

सभा इस अवसर पर लोगों को बधाई देती है एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता और संर्वांगीण विकास की दिशा

[अध्यक्ष महोदया]

में उनके बढ़ते हुए कदमों के लिए अपनी शुभकामना उन्हें देती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री बैसिमुथियारी, आप बीच में क्या बोल रहे हैं? कृपया बैठ जाइए। नहीं यह तरीका ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

बैसीमुथियारी जी, आप बैठ जाएं और बीच में न बोलें।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी सीट पर बैठिए। जब मैं राष्ट्रगान के बारे में बोल रही हूं तो ऐसे समय उठना एवं इस तरह चिल्लाना सबसे अनुपयुक्त है। माननीय सदस्य, आपको इसे जरूर महसूस करना चाहिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। यह राष्ट्र गान की भावना के अनुरूप नहीं है।

माननीय सदस्यो, इस सभा का समय इन तीन विधेयकों के पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

सायं 6.03 बजे

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

संविधान (एक सौ सोलहवां संशोधन) विधेयक, 2011 (नए भाग XIVख का अंत:स्थापन)

और

लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010 - *जारी*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, अपील है, यहां पर सभी सांसद बैठे हुए हैं और लोकपाल बिल पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम दलों के नेताओं का भाषण हमने सुना और देश ने भी सुना। अब यह हमें तय करना है, भाषण सबका सुन लिया, प्रधानमंत्री जी भी चुनाव का भाषण करके चले गए।...*(व्यवधान)* अब आ गए हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल बने, सशक्त लोकपाल बने, इसके खिलाफ कोई भी दल नहीं है। लेकिन आज हम जो लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं और हिदायत भी दे रहा हूं कि भारत के संविधान और हम सभी सांसद, दोनों सदनों के, उनके अलावा देश भर में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, कर्मचारी हैं, एम.एल.सीज हैं, जितने भी पदाधिकारी और अधिकारी हैं तथा हम सभी जो यहां बैठे हैं उनके लिए जो राजनैतिक "डैथ वारंट" कहा जाता है, उस पर मौहर लगाने के लिए क्या हम यहां बैठे हुए हैं? सभी लोग जानते हैं कि किस परिस्थिति में यह बिल लाया गया है, इसका जिक्र करने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है। सभी जानते हैं कि आनन-फानन में यह बिल क्यों लाया गया है? यहां अन्ना हजारे जी का पत्र मैं पढ़कर सुनाता हूं, जो मुम्बई में बैठे हुए हैं और उनके लोग इधर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं।...*(व्यवधान)* मेरी बात आप सुनिये। हम लोग अन्ना हजारे के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं और हम विचार कर रहे हैं कि एक "ऑल इंडिया अन्ना हजारे स्वास्थ्य बचाओ संघर्ष समिति" हम बनाएं, क्योंकि उनका जीवन बहुत अमूल्य है, उन्हें रखना बहुत जरूरी है। बात-बात पर उनके जो दो वकील हैं, मेरी बात सुनिये, इसे लाइटली मत लीजिए। बात-बात पर, हर बात पर अनशन। देहात में बोलते हैं कि कोढ़िया डरावे थूक से कि हमारी बात नहीं मानी तो थूक फैंक देंगे - यह कहावत है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, कृपया गंभीरतापूर्वक सुनें। क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: मैडम, यह हालत अपने देश में हम बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों को हिदायत लगातार कर रहे हैं कि यह सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। हमारे माननीय सभी एम.पीज, एम.एल.सीज, मुख्यमंत्री, एम.एल.ए. भी रहेंगे, पी.एम. भी रहेंगे, इस बात को मैं जानता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी ईमानदारी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर लालू यादव को कोई संदेह नहीं है। मैं जब स्थाई समिति में था तो मैंने यह जानना चाहा कि लोकपाल की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सुप्रीम-बॉडी जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हमें तो कोई और नजर नहीं आता है, अगर सशक्त लोकपाल बिल लाइये, तो प्रधान मंत्री जी, आप ही को हम लोग लोकपाल बना दें, यह भरोसा हम लोगों को है। बोलिये क्या कहते हैं आप लोग...सभी लोग तैयार हो गये हैं, एक दम से बना देंगे, बाकी प्रधान मंत्री जिन्हें बनाना है ये बनाएं या न बनाएं, लेकिन आप वहां से हटिये और यह स्थान ग्रहण कीजिए, क्योंकि बनाना हम ही लोगों को है। नियम बनाना है, कानून बनाना है।

दूसरी बात, आप, हम लोगों की संरक्षक हैं और आपकी रूलिंग, आपका फैसला फाइनल है और उस पर सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगाता है। आप रिपोर्ट दीजिएगा। क्या जिन्हें हम खोज कर लाएंगे उन्हें हम रिपोर्ट देंगे? क्या हालत हम इस देश की बनाने जा रहे हैं?

मैडम, एक चिट्ठी जो मराठी भाषा में है, उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं और आपको भी दे देता हूं। अन्ना हजारे जी से हम चाहेंगे कि वे इसका खंडन कर दें कि यह उनका दख्तखत है या नहीं? मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिये। यह मराठी भाषा में है, जिसका हमने हिंदी में अनुवाद कराया है। हमें जिसकी काफी चिंता है और जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों की क्या दुर्गति और क्या इम्प्रेशन है, इसमें लिखा है - मतदाता सेवा करने का मौका दो। यानी हम लोग कहते हैं कि बात सुनकर बड़े विश्वास से जनप्रतिनिधि को चुनकर सेवक बनाकर भेजते हैं। मतलब हम लोगों को यहां भेजते हैं। इस कुर्सी का गुण क्या है, समझ में नहीं आता। सेवक बनकर जो जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। राज्य और देश को लूट रहे हैं। अगर मतदाता जागरूक नहीं रहे तो पाकिस्तानी आतंकवादियों से भी ज्यादा हमारे ही इन लोगों से लोकतंत्र को ज्यादा खतरा है। इस पर अण्णा हजारे के दस्तखत हैं।...*(व्यवधान)* ये पूरे सिस्टम को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। आप इसे चाहे पास करिये या फेल करिये, लेकिन हमारी बात दर्ज रहेगी, आने वाला इतिहास पढ़ेगा कि कौन-कौन से लोगों ने क्या किया है। यह चिट्ठी है, इसमें अंत में दस्तखत हैं कि.बा. एलियस अण्णा हजारे। आप जानते होंगे, यह वह चिट्ठी है और यह चिट्ठी हमने नहीं बनाई है। इस चिट्ठी की एक प्रति उनके बहुत क्लोज आदमी श्री राजू परूलेकर, जो एक ज्येष्ठ पत्रकार हैं और यह रिकार्डेड भी है। इसके अलावा यह एक रिकार्ड में और भी है और वह वीडियो में है। उन्होंने कहा है कि इसे रिकार्ड करके रखो, जब पानी सिर के ऊपर जायेगा, जो केजरीवाल और किरण बेदी को कहा है कि...* इनके विषय में इन्होंने कहा है, वह भी मैं दिखाऊंगा। यह हमारे देश में बड़ी भारी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया उस शब्द को हटा दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: हमारी व्यवस्था को, इस संस्था को ध्वस्त करने की साजिश चल रही है। इसलिए हमें ठोक-ठाक कर भ्रष्टाचार मिटाना है। उसके लिए लोग हमसे पूछते हैं कि आगे कैसे रुकेगा। इसलिए मैंने कहा था कि एम.एल.ए., एम.पी. ही नहीं, बल्कि देश में जितने लोग कूद-फांद रहे हैं, सबकी सम्पत्ति को टेक ओवर किया जाए और उनसे पूछा जाए। जब अण्णा हजारे जी और उनके लोग गरीबों के प्रति आंसू बहा रहे हैं तो धन और धरती को बांटना है तो डिस्ट्रीब्यूशन करिये। राइट टू प्रोपर्टी सम्पत्ति रखने के अधिकार पर सीलिंग लगाइये कि कौन कितनी सम्पत्ति रखेगा। हम क्या हालत बनाने जा रहे हैं। हमने सुना है कि आप अमैंडमैन्ट्स को दरकिनार करके इसे पास कर लेंगे। लेकिन यह बहुत गलत होगा। आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजिये। उसमें कोई पहाड़ नहीं टूट जायेगा, वहां इस पर विचार किया जायेगा।

महोदया, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमने सुना था कि द्रौपदी के पांच पति थे और सी.बी.आई. के नौ पति होने जा रहे हैं। सी.बी.आई. जो हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, इस साइंस एंड टैक्नोलोजी के जमाने में उसके नाइन हसबैंड होने जा रहे हैं। कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा, कोई कहीं ले जायेगा और ये सारी चीजें चरमरा कर रह जायेंगी। इस देश में न्यायपालिका है और न्यायपालिका को सी.आर.पी.सी. की धारा 173 में पुलिस

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लालू प्रसाद]

[अनुवाद]

से किसी भी हलके से संदर्भित किसी मामले की जांच करने के लिए सक्षम होने की अपेक्षा की जाती है, किसी भी पक्ष के लिए वह अन्य लोगों को रिपोर्ट नहीं करेगा। वह न्यायपालिका को सीधे रिपोर्ट करेगा।

[हिन्दी]

यहां आप क्या कर रहे हैं कि इनवेस्टीगेट करेगा और लोकपाल को देगा और लोकपाल बैठकर तय करेगा कि केस हो या नहीं हो। आप सारे एम.पी. साहब इस धारा 173 को पढ़िये और बाकी यह पढ़िये, ये जो प्रोविजन 29, 30 और 31 हैं, रीजन टू बिलीव पब्लिक सर्वेंट एम.पी. हो, अफसर हो, लोकपाल के पास गया तो रीजन टू बिलीव बिना केस इस्टाब्लिश किये हुए उसकी सम्पत्ति को जब्त कर लेने का प्रावधान आपने इसमें डाला है। चाहे वह कोई भी आदमी हो। यह मामूली बात नहीं है। सिटिंग एम.पी. को इम्यूनिटी है इसीलिए आपने उसको शामिल नहीं किया है और एक्स-एम.पी. को शामिल किया है। एक्स-एम.पी. के खिलाफ सात साल के बाद भी अगर कोई भी शिकायत या केस करेगा तो उसको खींच कर लाया जाएगा और उस पर मुकदमे होंगे। आपने यह सात साल का लिमिटेशन किया है। आप एम.पी. लैड देते हैं, उसमें कहीं भी किसी चीज की गुणवत्ता में कमी होगी या गड़बड़ी होगी तो किसी भी साइड का एक भी एम.पी. बाहर नहीं होगा। उनका स्थान अलग-अलग जेलों में होगा, जहां-जहां से वह आते हैं। इसलिए आप इसको हटाइए। यह प्रावधान आपने कैसे कर दिया? इस सब को सेंट्राइलाइज करके, कार्नर कर के, राजसत्ता पर राजसत्ता और पॉलिटिकल लोगों के ऊपर फिक्स किया जा रहा है। आपने आर्म फोर्सेज के लिए ध्यान नहीं दिया, आपको गौर करना चाहिए था। हमारी सेना माईनस थर्ड डिग्री पर काम करती है और हमारी सरहदों की रक्षा करती है, उसकी ए, बी और सी कैटेगिरी को भी आपने इस बिल में डाल दिया है। मिलिट्री का अपना अलग सिस्टम है, उसको कोर्ट-मार्शल करने का अधिकार है। आई.बी., रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी आदि हैं, वे बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं और उसका हिसाब-किताब नहीं देती हैं, वह नहीं भी देना चाहिए, आपने उसको भी इस बिल में डाल दिया है। आप यह क्या बनाने जा रहे हैं?

मैं जानता हूं कि इस देश के ज्यादातर अफसर चोर नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं। इस बिल के आने से कल से सब काम करना बंद कर देंगे। सी कैटेगरी, बी कैटेगरी, डी कैटेगरी, सिटीजन चार्टर सब हैं। रेलवे में काम करने वाला कोई कर्मचारी गिट्टी डाल रहा है, कोई गिट्टी उठा रहा है और माली से लेकर जितने भी लोग हैं, आपने सभी को लोकपाल में डाल दिया है। यह लोकपाल क्या है? ममता जी के पार्टी के एम.पी. ने सही कहा कि प्रपोज्ड आदमियों के नाम यहां लाइए, हम चुनेंगे कि कौन आदमी ठीक है। हम लोग उसका इंटरव्यू लेंगे कि तुम भ्रष्टाचार कैसे मिटाओगे। किसी भी कीमत पर सी.बी.आई. को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है कि इस पर सरकार का थोड़ा एज रहना चाहिए। लेकिन आप सी.बी.आई. को लोकपाल में क्यों दे रहे हैं? लोकपाल अपनी शिकायत भेजे, इंवेस्टीगेट करेगा, सीधे वहां जाएगा। आप यह बहुत खतरनाक हालात पैदा कर रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो स्ट्रक्चर और सिस्टम बना कर दिया किन्हीं न किन्हीं कारणों से उसको आप ध्वस्त कर रहे हैं। यह सारी स्थिति आपने पैदा की है। जिनके लिए और जिनकी वजह से आप यह कर रहे हैं, वे मानने वाले नहीं हैं। इस पर नहीं माने तो फिर से अनशन करेंगे, वहां से उठकर इधर, उधर से उठकर उधर अनशन करेंगे। आपकी परेशानी उनसे छूट नहीं रही है।

अध्यक्ष महोदया: लालू जी अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप सारी बातें बोल चुके हैं, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री लालू प्रसाद: मैडम, अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि कोई कैंडीडेट ही न बनने पाए मतलब कि पॉवर टू रिजेक्शन।...*(व्यवधान)* पहले तो पॉवर टू रिजेक्शन और अगर जीत गया तो पॉवर टू रिकॉल, मतलब कि इसी झंझट में रहिए। इसलिए सरकार से निवेदन है, सभी दल के लोगों से, आडवाणी जी से निवेदन है कि आप प्रस्ताव लाइए, आप लाइए या दूसरे लोग लाएं, यह ठीक बिल नहीं है, इसको वापस किया जाए और वापस कराकर इस पर वोटिंग हो जाये कि हम लोग इसे नहीं चाहते हैं, हम मजबूत बिल चाहते हैं। सब तरह से सोच-विचारकर चर्चा करके फिर बिल लाया जाये। अगर यह सरकार नहीं मानती है तो हम लोग चले, जो मन में आये वह करे। लाइये प्रस्ताव लाइये, केवल भाषण करके

मत निकल जाइए। इसका फैसला हो जाना चाहिए। यह सोच लीजिये, देखिए, एक के चक्कर में नहीं, कल से मरने जा रहे हैं आप, अगर आपने इसे दे दिया तो, नोट कर लो भाई, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं दोनों तरफ, चारों तरफ कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: लालू जी, अब समाप्त कीजिये।

श्री लालू प्रसाद: आप कोर्ट केस कीजिये आप, कह रहे हैं कि चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। बताइए स्पीकर का अधिकार छीन रहे हैं लोग, ऐसा लगता है, स्पीकर का अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए महोदया इस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी रहनी चाहिए और जितना भी इसमें गंदा प्रोविजन है, इसको आनन-फानन में मत लाइए। बाकी सोशल जस्टिस पर, माइनोरिटी वाले सवाल पर, मुस्लिम भाइयों के सवाल पर किसी कीमत पर हमारा समझौता है ही नहीं, लेकिन यह तो सारा बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। मैं जानता हूं कि ये एल.आई. लोग जानते हैं कि यह सब गड़बड़ है, लेकिन जब बटन दबाना होता है, तो आप लोग लाल बटन पर चले जाओगे। हिम्मत रखो भाई, सारे लोग हिम्मत रखो। मैं यह सारे एम.पी. लोगों से कह रहा हूं।

महोदया, हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटे और मजबूत लोकपाल बिल आए। यह लोकपाल बिल नहीं है। यह फांसीघर साबित होगा। यह सबके लिए फांसीघर साबित होगा। सब लोग तैयार हैं तो हाथ उठाइए और इस बिल को लौटाइये।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, लालू जी अब बैठ जाइये।

श्री लालू प्रसाद: सब लोग हाथ उठाइए, लौटावें इस बिल को, सशक्त लोकपाल लाइए नहीं तो फिर कल से कोई विश्वास नहीं करेगा। अब मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): महोदया, आपका धन्यवाद। आज सचमुच ऐतिहासिक दिन था जब इस संसद का शीतकालीन सत्र की अवधि एक ऐतिहासिक विधेयक के लिए विशेष तौर पर बढ़ाई गई और पूरे राष्ट्र ने देखा एवं इंतजार किया। लेकिन एक ऐसे विधेयक, जो ऐसा ऐतिहासिक विधान होता जो हमारी पूरी व्यवस्था को बर्बाद करने वाले भ्रष्टाचार की इस जड़ को उखाड़ फेंकने की कोशिश होता और इस कैंसर का उपचार करता और इतिहास बनाता, के बजाय हम ऐसा विधेयक लाने की सरकार की कोशिश को देख रहे हैं जो और कुछ नहीं बल्कि अनुपयोगी, दंतविहीन एवं लक्ष्यहीन है। यह विधेयक न तो धरने पर बैठे उन लोगों, जिसे वे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, को स्वीकार्य है और न ही इससे भ्रष्टाचार की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है।

इसलिए, महोदया, मैं केवल एक ही बात पहले से मान सकती हूं कि इस सरकार के लोकपाल विधेयक के बैनर तले हम मूलतः एक पन्थ से तीन काज सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो यह कि वे राष्ट्र को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जनभावना के आगे समर्पण कर दिया है और ऐसा लोकपाल विधेयक लेकर आए हैं जिसे मैं समझती हूं कि माननीय मंत्री ने इस भावना को व्यक्त किया है। मैं उन्हें उद्धृत करती हूं जब वह कहते हैं:

[हिन्दी]

हम तो लोकपाल बिल ले आये हैं, बस ले आये, काम खत्म हुआ; इन्होंने अपना काम कर दिया।"

[अनुवाद]

दूसरी बात यह कि ऐसा कमजोर एवं बेकार लोकपाल विधेयक लाकर उन्होंने सुनिश्चित किया है कि इसे इस सभा में हरेक सदस्य द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए। अंतिम बात यह कि यदि यह इस अल्पसंख्यक एवं आरक्षण बहस में नहीं फंसा तब उन्होंने सुनिश्चित किया है कि इसे सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर दे। इसलिए कुल मिलाकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि लोकपाल विधेयक मूर्त रूप नहीं ले पाए और जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है तथा मैं उन्हें उद्धृत करती हूं,

[हिन्दी]

"सरकार यह भी नहीं चाहती कि यह लोकपाल बिल किसी को जवाबदेह न हो। जब आएगा ही नहीं तो जवाबदेही होने का मतलब ही नहीं है।"

[अनुवाद]

इसलिए महोदया, मैं समझती हूं कि इतनी अनुचित जल्दबाजी समय और धन की बर्बादी तथा इतनी जल्दबाजी में लोकपाल

[श्रीमती हरसिमरत कौर बादल]

विधेयक को पुरःस्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य आंदोलन को शांत कर यह सुनिश्चित करना है कि वे पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में सत्ताधारी दल के विरुद्ध जाकर अभियान नहीं चलाएं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः तब, कम से कम सरकार को अपने लोकपाल विधेयक को पुरःस्थापित करने की सहमति ले लेनी चाहिए थी। ताकि हम इस बेकार विधेयक पर समय बर्बाद न करते जो आंदोलन को शांत नहीं करने जा रहा जिसके लिए वे कोशिश कर रहे थे। वास्तव में, इससे और भी आंदोलन भड़क गया है जब से "जेल भरो आंदोलन" प्रारंभ हुआ है।

चूंकि आम आदमी भारी मूल्यवृद्धि एवं मुद्रास्फीति के नीचे दबा है वह असहाय होकर बल्कि भारी निराशा की भावना से राजनीतिक दलों के घोटालों तथा देश में हो रही पूरी लूट खसोट, जिसका नियमित रूप से खुलासा हो रहा है, देख रहा है...*(व्यवधान)* तब, लोगों एवं लुटेरों को समुचित दंड मिलता हुआ देखने के बजाय ऐसा मालूम होता है कि सरकार हर चीज को छिपाने की नीयत से काम करते हुए सभी घोटालों की लीपापोती करने की पूरी कोशिश कर रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः ये क्या हो रहा है? आप शांत रहिये और सुनिये। जब आपकी बारी आएगी, तब बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः जब तक न्यायपालिका कदम नहीं उठाती, लुटेरे छूट जाते हैं। इसलिए जनता राजनीतिक वर्ग को न केवल भ्रष्टाचार के जन्मदाता के रूप में बल्कि ऐसे लोगों के रूप में भी देख रही है जो ऐसा कानून बनने रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे यह भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता।...*(व्यवधान)*

महोदया, जनता के इस भटकावपूर्ण आक्रोश को अन्ना हजारे के आंदोलन से अभिव्यक्ति मिली है। एक 74 साल का वृद्ध आदमी जो अहिंसक लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से धरना एवं अनशन पर बैठा है और मजबूत कानून की मांग कर रहा है, जो भ्रष्ट को दंडित करने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश करने वाले सशक्त कानून बनाने की बात कर रहा है। और सब बातों को छोड़ भी दें। तो भी मैं एक बात के लिए अन्ना हजारे का अभिवादन करती हूं कि उन्होंने लोगों की ओर से उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से यह मांग करने के लिए राष्ट्र की सोती अंतरात्मा को जगाया है कि वे उनकी मांगों को पूरी करें एवं इसने भ्रष्टाचार जिसने हमारी पूरी व्यवस्था को हिला कर रख दिया और भ्रष्टाचार की इस धारणा को आगे लाकर सरकार को भी चुनौती दी है। इसने सरकार को ऐसा मजबूत लोकपाल विधेयक लाने की चुनौती दी है जो इस भ्रष्टाचार को समाप्त कर सके या तो उन लोगों की सुनो या उनके अल्टीमेटम पर कदम नहीं उठाते तो सत्ता से बाहर जाओ। यही कारण है कि इस सभा का सत्र तीन दिन के लिए बढ़ाया गया है ताकि हम इन लोगों को शांत कर सकें। आज जब हम वास्तव में मजबूत लोकपाल विधेयक पर बहस कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे मजाकिया विधेयक पुरःस्थापित किया है जहां चयन समिति खोज समिति इत्यादि की नियुक्ति हमारे में से ही अधिकांश लोगों द्वारा की जाएगी। ये लोग राजनीतिक वर्ग में लोगों को लोकपाल के कार्यक्षेत्र से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सभी निदेशक, इसकी जांच, अभियोजन प्रक्रिया, सभी सचिव और इसका प्रत्येक व्यक्ति सरकार द्वारा दी गई सूची के ही अनुसार तय होगा। तो होगा यह कि किसी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखने वाला कोई सचिव प्रधानमंत्री, और संसद-सदस्यों और मंत्रियों तथा अपने अन्य नौकरशाह साथियों की जांच करके उन पर अभियोग लगाएगा। नौकरशाही में आज भ्रष्टाचार रोके नहीं रुक रहा और तब ऐसे किसी नौकरशाह से, जब वह लोकपाल का सदस्य बने तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की आशा पूर्ति कैसे की जा सकती है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः शांत रहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः और महोदया, चूंकि

सरकार इसको सी.बी.आई. के अधीन नहीं लाना चाहती इसलिए उसने निर्णय लिया है कि लोकपाल के मामलों की जांच करने के लिए विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। जबकि आज वास्तविकता यह है कि सी.बी.आई. के पास 10,000 मामले लंबित हैं तथा इनमें से 2700 मामले तो 10 वर्ष पुराने हैं। उच्चतम न्यायालय में 56,000 मामले लंबित हैं; उच्च न्यायालयों में 37 लाख मामले लंबित हैं, तथा 270 लाख मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। यदि स्थिति आज यह है, तो महोदया, यह लोकपाल किस प्रकार से अधिक सक्षम और प्रभावी बनेगा? मैं चाहती हूं कि सरकार और माननीय मंत्री जी मुझे यह समझाएं।

इस बात के अतिरिक्त कि अब इसमें, इस विधेयक के तहत, सरकार के पास लोकपाल के किसी सदस्य को हटाने की शक्ति भी रहेगी, इस पूरे विधेयक में मुझे सबसे दुश्चिंता में डालने वाला हिस्सा है। इसका अध्याय 15, अर्थात् 'अपराध और शक्तियां'। अलावा इसके कि लोकपाल के सदस्यों द्वारा अपनी परिसंपत्ति घोषित करने के संबंध में कोई लिखित बात नहीं है या कि यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उन्हें कैसे दंडित किया जाएगा, एक और बड़ी यह आश्चर्यजनक बात है जिसे मैं यह उद्धृत करना चाहूंगी:

> "कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या शिकायत करता है, उसे ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात सद्भावपूर्वक की गई शिकायतों की दशा में लागू नहीं होगी।"

महोदय, यह एक ऐसा प्रकरण है जो पूर्णतः जनता के विरुद्ध ही जा रहा है।...*(व्यवधान)* यदि वह सदस्य ऐसे किसी व्यक्ति का नाम ले, जो सार्वजनिक जीवन में है, तो यदि वह व्यक्ति कर्मठ है तब भी उसकी आलोचना होगी; और यदि वह कोई काम नहीं करता तो भी उसकी आलोचना होगी। मान लीजिए, यदि मैं अपनी संसद-सदस्य स्थानीय निवास निधि में से किसी जरूरतमंद को कुछ राशि दे दूं, तो 20 व्यक्ति ऐसे होंगे जो यह कहेंगे कि मैंने उसे इसलिए यह दी क्योंकि मुझे इसमें से कुछ हिस्सा मिला और फिर 20 लोग ऐसे भी होंगे जो यह कहेंगे कि मैंने यह इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे इसमें से हिस्सा नहीं मिल रहा था। ...*(व्यवधान)* तो, कल ये होगा कि मैं काम करना ही नहीं चाहूंगी क्योंकि मैं ऐसी शिकायतों से अपमानित होना नहीं चाहती। इसका परिणाम यह होने वाला है कि यह लोकपाल विधेयक कुछ नहीं कर पाएगा; इससे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक हम अनियंत्रित रूप से आने वाली तुच्छ शिकायतों को रोकने के लिए कोई सशक्त प्रणाली नहीं लाते हैं। बस, यह नेताओं को उनके कार्यकरण में परेशान करने का औजार ही बनने जा रहा है...*(व्यवधान)*

इसलिए, व्यवहारिक अर्थ में कहें तो इस विधेयक को पारित करके हम सरकार और नौकरशाही को उसका काम बंद कर देने का एक मौका देने जा रहे हैं, जो अपका काम बंद कर देंगे; और इससे जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी और लोग हमारे काम से और अधिक क्षुब्ध हो जाएंगे;...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं अपने बहुत से अन्य सहयोगियों की इस बात से भी सहमत हूं कि लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य का विषय है। हमें इसे राज्यों पर ही छोड़ देना चाहिए। राज्य अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस सम्मानीय सभा से कहना चाहती हूं कि यदि सरकार की इच्छाशक्ति होगी तो रास्ता निकल आएगा। पंजाब में हमने सेवा प्राप्ति का अधिकार बनाया है। वहां सरकारी विभागों तथा पुलिस विभाग में 67 कार्य ऐसे हैं जिनके लिए सरकारी अधिकारियों तथा पुलिस एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर जनता अपना निर्धारित जनकार्य करने के लिए जवाबदेह हैं। हमने वहां इस कानून को बनाया है और ये भी ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इसका जवाब भी इन्हें ही देना चाहिए...*(व्यवधान)*

हमने ई-निविदा की प्रणाली की भी शुरुआत की है जहां सारी निविदा-प्रक्रिया इंटरनेट से की जाती है। हमने इसमें सभी व्यवधानों को हटा दिया है और इसे बिना हस्तक्षेप वाला और पूर्णतः पारदर्शी बना दिया है। इसमें मंत्री, नौकरशाह या कार्यकारी इंजीनियर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना की लागत 30 प्रतिशत तक कम हो जाती है। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? 2जी घोटाला नहीं होता, यदि इन्होंने इस प्रकार की कार्यप्रणाली लागू की होती। पर जब इच्छाशक्ति होगी तभी तो रास्ता निकलेगा।...*(व्यवधान)*

सायं 06.33 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[श्रीमती हरसिमरत कौर बादल]

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं कि हमें इस अवसर पर जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हों। हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए कि ऐसा एक लोकपाल विधेयक आने वाला है जिसे जिस पर काबू पाने में हम सक्षम नहीं होंगे। आज, जनता एक ऐसा निकाय चाहती है जो ऐसे तथाकथित विधि-निर्माताओं या भ्रष्ट नेतागणों के चंगुल से मुक्त हो जिन्हें भ्रष्ट समझा जाता है। इसलिए, हम यह विधेयक बनाएं तथा उस बात को आचरण में लाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है: 'आम आदमी की भलाई ही हमारी सभी नीतियों का केन्द्र बिन्दु है।' पर यह लोकपाल विधेयक न तो आम आदमी से जुड़ी नीतियों और न ही उसकी आवश्यकताओं के केन्द्र में रखता है...*(व्यवधान)* इसलिए, हम इसे अलग करें और दूसरा लोकपाल विधेयक लाएं। इन्हें माननीय सदस्यों से सुझाव प्राप्त हुए हैं ...*(व्यवधान)* अब आप इसमें संशोधन करें और फिर इसे लाएं या फिर इसे स्थायी समिति को वापस भेजें। और विपक्ष के किसी सदस्य को इस स्थायी समिति का सभापति बनाएं ताकि एक यथार्थ तथा उचित लोकपाल यहां आए और उसे हम इस सभा में पारित कर सकें। हम इस अनुपयोगी विधेयक पर चर्चा करके सभा के वित्त और समय को व्यर्थ न करें।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा (हसन): मैं अपनी गलती बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या आप मेरी ओर थोड़ा ध्यान देंगी? मैं लिखित में आपसे अनुमति प्राप्त नहीं करने के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे यह आशा थी कि श्री लालू प्रसाद जिनके दल के चार सदस्य हैं, के पश्चात् वक्ता के रूप में मुझे ही बुलाया जाएगा। मैं जानता हूं कि केवल तीन सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दी गई है और यह मेरी भूल है। इसके लिए मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता। हम सभा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अभी जो भाषण दिए गए, उनसे मैंने काफी कुछ समझा-बूझा। एक युवा सदस्य जिन्होंने काफी वाक्पटुता से अपनी बात कही, उनसे मैंने कम से कम जानकारी प्राप्त की कि भ्रष्टाचार के मसले में घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो अथवा तीन बातें कहूंगा। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

इस पूरे विधेयक में कॉर्पोरेट घरानों का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्ष 1984 में कर्नाटक में मेरे पास यहां यह विधेयक है - मैं वह पहला व्यक्ति था जिसने उस लोकायुक्त का सामना किया था जिसकी नियुक्ति हमारे उन स्वर्गीय नेता द्वारा की गई थी जो अब जीवित नहीं हैं और मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता। वे हमारी प्रतिपक्ष के नेता के रिश्तेदार थे और यह मेरे जीवन का ऐसा पहला अनुभव था।

श्री लालू प्रसाद जी यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं बस यह बताना चाहता हूं कि चीजें किस प्रकार बदल गई हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी मैंने आपकी सत्यनिष्ठा पर कभी प्रश्न नहीं उठाया परन्तु, मैं बताना चाहूंगा कि चीजें किस प्रकार बदल रही हैं। महोदय, आप जरूर कर्तव्यनिष्ठ होंगे। मैंने आपके भाषण का प्रत्येक शब्द ध्यानपूर्वक सुना है।

मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कर्नाटक के लोकायुक्त श्री ए.डी. कौशल ने वास्तव में क्या निष्कर्ष निकाला था। मैं सभा के हितार्थ आपको यह बताना चाहता हूं। यह इसमें कहा गया है:

> "प्रत्यर्थी पर लगाए गए आरोप का एकमात्र शीर्ष, जिसके लिए प्रथम-दृष्टया मामला बनता है वह आरोप सं. एक के शीर्ष सं. एक से संबंधित है और वह भी केवल एक संबंधी को एकमात्र आवास-स्थल के आवंटन से संबंधित है, जिसका वर्णन कागजात के भाग-क के पृष्ठ संख्या 8 पर क्रमांक संख्या 18 में की गई प्रविष्टि में किया गया है। ऐसे किसी मामले के अस्तित्व के बारे में मेरा यह निष्कर्ष इसके 12वें से 18वें पैरे में अंतर्विष्ट चर्चा पर आधृत है और इस आशय का है कि (पैरा 17 के अनुसार) कि प्रत्यर्थी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत दंडनीय कृत्य किया है।"

यह मामला मेरी विधवा भाभी को आवंटित मात्र एक आवास-स्थल के बारे में था। और मैंने यह बात सभा में कही थी। मैंने कभी असत्य नहीं कहा है। जब विधानसभा में यह चर्चा उठी तो मैंने यह बताया था। विधान परिषद् में कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया था। मैंने तब संबंधित सभापति को फोन किया और कहा था कि मुझसे यह भूल हो गई है।

सत्य बोलना भी आज एक अपराध है। मैं यहां महाभारत की कथा नहीं सुनाना चाहता। महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मात्र एक आवास-स्थल के आबंटन को लेकर मुझे इस आरोप का सामना करना पड़ा था।

मैंने अनेक पत्रों के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि कर्नाटक में किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना के द्वारा तथाकथित 'परियोजना प्रवर्तकों' और कॉर्पोरेट घरानों द्वारा बैंगलोर-मैसूर द्वारा किसानों की भूमि हड़पी गई है। अब जब देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा था तब आपको लगा था कि इसके लिए विदेश से बहुत-सा धन आएगा। जब आपने यह निर्णय लिया तो मैंने अपनी सम्मति दे दी। पर आखिर परिणाम क्या हुआ? कॉर्पोरेट घरानों द्वारा 10 रु. प्रति एकड़ की दर पर भूमि का पट्टा लिया गया और उस भूमि को आई.सी.आई.सी. बैंक को 150 करोड़ रु. में गिरवी रखा गया। यह थी उनकी पूंजी क्या आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहे? क्या आप ऐसे लोगों को रोकना नहीं चाहते?

महोदय, मुझे खेद है। मैं अपना धैर्य तो नहीं खो रहा लेकिन मैं इस सभा के एक सदस्य के रूप में संघर्ष कर रहा हूं। मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं, न मैं मंत्री हूं, मैं बस एक संसद-सदस्य हूं। परन्तु एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उन गरीब किसानों के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है, जिनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। क्या सभा का एक ऐसा सदस्य होने के नाते, जो भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों की तुलना में तीन लाख से अधिक वोटों से जीता यह मेरा कर्तव्य नहीं है? क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं? मैं यह पिछले छह से सात घंटे से बैठकर और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे उम्मीद थी कि श्री लालू प्रसाद यादव के भाषण के पश्चात् मेरी बारी आएगी।

आज आपका क्या उत्तर है? आप कहते हैं कि यदि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से इनकार करेंगे तो धन नहीं आएगा। आज कहां, कितना रुपया आ रहा है? एक रुपया तक नहीं आ रहा। यदि उस कंपनी ने एक रुपया भी लगाया हो तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए; यह सभा संकल्प पारित कर दे कि मुझे कनॉट सर्कस में फांसी पर लटका दिया जाए।

क्या किसी अमुक या तमुक को संतुष्ट करने के लिए विधेयक लाने का यह कोई तरीका है? तीन दिन के भीतर ही आप इस विधेयक को ठेलकर पारित कराना चाहते हैं। मैं लगातार कई घंटों तक बोल सकता हूं, इतने मुद्दे मेरे पास हैं।

महोदय, कर्नाटक लोकायुक्त अपनी तरह का पहला लोकायुक्त है। इसकी स्वयं की जांच एजेन्सी है। आज, कर्नाटक में वहां के मुख्यमंत्री सहित तीन या चार मंत्री, चाहे वे किसी भी दल के हों, जेल गए हैं। आपने तो उन्हें जेल नहीं भेजा है। जब राज्यपाल ने सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी, तब आपने कोई निर्णय नहीं लिया था। केवल वरिष्ठतम नेता आडवाणी जी ने निर्णय लिया और कहा: कि 'इस्तीफा दीजिए'। आडवाणी जी, आपने और आपके दल ने ही निर्णय लिया था। केन्द्र ने कोई निर्णय नहीं लिया था।

एक जन-प्रतिनिधि के रूप में मैं, जो गरीब लोगों और गरीब किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूं, जनता को क्या जवाब दूं? मैं उन्हें क्या बताऊं? आप उन लोगों को नहीं पकड़ना चाहते, जो जनता को लूट रहे हैं। एक 20.000 रु. के मकान के मुद्दे पर मुझ पर मुकदमा चलाया जा रहा था। आज ऐसी स्थिति हो गई है। कृपा करें, महोदय, हम इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकते; चाहे यह सशक्त विधेयक हो, साधारण हो या व्यापक अर्थ वाला हो, जिस किसी भाषा में आप कहें, हम इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकते। इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। लालू जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं। उन्होंने हमें अच्छी तरह मार्ग निर्देशित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि हम इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकते।

मनमोहन जी, मैं सविनय आपसे कहता हूं: आप यहां एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं। मैं प्रधानमंत्री के मामले को लेकर नहीं बोल रहा हूं। पर यह सब क्या है? आपके एक मित्र, जो एक संसद-सदस्य भी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है: "द काइंड ऑफ करप्शन"। मेरे प्रधानमंत्री बनने के एक माह के भीतर यह किताब प्रकाशित हुई थी। इसे सभी दूतावासों और सभी संसद-सदस्यों को भेजा गया था। मुझे नहीं मालूम कि श्री अनंत कुमार यहां हैं या नहीं, पर वे इस मुद्दे को उठाना चाहते थे। उस समय विपक्ष के नेता श्री वाजपेयी ने अपनी पार्टी के सदस्यों को कहा था। "ऐसा न करें, मुझे मालूम है इस सब के पीछे कौन है।" अपनी परिपक्वता

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

के कारण उन्होंने ऐसा कहा था। मुझे उन दिनों को याद करना पड़ेगा। एक-दो सदस्य इस मुद्दे को उठाना चाहते थे। यह मामला उच्चतम न्यायालय तक गया। परन्तु हुआ क्या? पूर्व गृह मंत्री और पूर्व उप-प्रधानमंत्री श्री आडवाणी जी यहां बैठे हैं। वे जानते हैं कि तीस हजारी न्यायालय या कहीं और मानहानि का आपराधिक मुकदमा भारत सरकार द्वारा इस तर्क के साथ दायर किया गया था कि यह प्रधानमंत्री से जुड़ा मुद्दा है, आप उसकी छवि को खराब नहीं कर सकते।" उस दिन यह निर्णय एक मंत्रालय ने। भारत सरकार ने लिया था। परन्तु महोदय, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा करने वाला व्यक्ति एक प्रोफेसर था। अब वह जीवित नहीं हैं। उसकी मृत्यु हो गई है। पर इसमें कुछ नहीं हुआ। अंतरकारी कानून को संशोधित किया ही जाना चाहिए।

तो, ऐसा आरोप लगाया जाता है। कोई भी ऐसा कर सकता है। मैं इस किताब से उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। इसमें एक आरोप यह है कि: "मैंने उस पद पर बैठकर 300 करोड़ रु. के कॉफी बागान खरीदे हैं, और यह उसमें से 80 करोड़ रु. नकद दिए गए हैं और 220 करोड़ रु. काले धन के रूप में दिए गए हैं और यह कि मैंने प्रधानमंत्री के रूप में आयकर विभाग को धोखा दिया है। तब मैं प्रधानमंत्री था। आज मैं पूर्व-प्रधानमंत्री हूं। मैं पूर्व-प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य संसद सदस्य के रूप में बोल रहा हूं। मैं इससे उपजे दुःख और कर्नाटक की स्थिति के कारण बोल रहा हूं। हमारे मंत्री यहां बैठे हैं। उन्होंने 10 रु. प्रति एकड़ की दर से जमीन को पट्टे पर दिया और अब परियोजना-निर्माता उसे 20 करोड़ रु. प्रति एक्ट की दर से बेच रहा है। उसने इसमें एक रुपया भी नहीं लगाया न निवेश किया। आप ऐसे लोगों को शामिल नहीं करना चाहेंगे। इसलिए, आपसे करबद्ध निवेदन है कि कम-से-कम ऐसी धोखेबाज कंपनियों पर कार्यवाही करें।

महोदय, अब मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा क्योंकि मैं लंबा भाषण देकर इस सम्मानित सभा का महत्वपूर्ण समय अनावश्यक रूप से व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं। चलिए, यह अच्छा हुआ कि माननीय सदस्यों ने मेरे भाषण के बीच मुझे परेशान नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर आज अपने विचार रखने के लिए अवसर दिया।

आप जानते हैं, सदन में बहुत सारे लोग शायद इस बात को जानते हैं कि मैं एक सरकारी पदाधिकारी था और उस सरकारी नौकरी को छोड़कर मैं राजनीति के क्षेत्र में आया। आज से 52 वर्ष पहले मैंने आई.ए.एस. की परीक्षा दी थी और राजनीति में आने के पहले मैं मानता था कि शायद जीवन में कठिन परीक्षा अगर होती है तो वह आई.ए.एस. की परीक्षा होती है। उसके बाद मैं राजनीति में आया, लोक सभा का चुनाव लड़ा, कुछ चुनाव हारे, कुछ चुनाव जीते और आज के दिन इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जीवन में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वह लोक सभा का चुनाव जीतना है।

हम सब जो इस सदन के सदस्य यहां बैठे हैं, वे सिर्फ चुनाव जीत कर यहां आकर मौज-मस्ती नहीं करते हैं। हम 24 घंटे जनता के डिस्पोजल पर हैं उनके प्रति जवाबदेह हैं, उत्तरदायी हैं और चाहे हम कहीं भी हों, हमारे क्षेत्र से, कांस्टीट्वेंसी से फोन लगातार आते हैं और तुरन्त आपको रैस्पोंड करना पड़ता है। रात को 12 बजे कोई फोन करेगा कि हम तीन आदमी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, देखिये न, पुलिस ने पकड़ लिया है, छुड़वाइये और अगर आप नहीं छुड़वाने का काम करते हैं तो वह कहेगा कि आइयेगा, अगली बार चुनाव में देख लेंगे। इसलिए जो लोग यह सोचते हैं कि चुनाव लड़ना बहुत आसान है, चुनाव जीतना बहुत आसान है, लोक सभा में आकर बैठ जाना बहुत आसान है और उसके बाद फिर पांच साल के बाद अपने क्षेत्र में जायेगा। वे जानते ही नहीं हैं कि चुनाव लड़ना क्या होगा, लोक सभा का सदस्य होने का मतलब क्या है और किस प्रकार हमको लगातार अपने क्षेत्र और अपने मतदाताओं के प्रति जागरूक रहना पड़ता है।

यह स्थिति है, लेकिन हम सब को आज के दिन यह सोचने के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा कि आखिर हम इस दुर्गति को प्राप्त क्यों हुए। मैं जब सरकारी नौकरी में था तो सब लोग बोलते थे, बहुत भ्रष्टाचार है, सरकारी नौकरी में सब लोग चोर हैं, ये हैं, वे हैं तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। फिर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। अब यहां आये तो सब लोग कहते हैं कि सबसे बड़े भ्रष्ट यहां हैं। मैंने एक दिन पूछा, शत्रुघ्न सिन्हा जी बैठे हैं, पटना में इन्होंने एक गोष्ठी रखी थी,

मैंने वहां पर प्रश्न रखा और पूछा कि अब मैं इस बुढ़ापे में कहा जाऊं? हमारे एक पत्रकार मित्र थे, उन्होंने कहा कि पत्रकार बन जाओ। वही शायद एक क्षेत्र बचा है लेकिन अब तो वहां भी पिटाई हो रही है, कोई चांटा मार देता है, कोई जूता फेंक देता है। हम कहीं सुरक्षित हैं या नहीं। आज हमें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा कि आखिर यह स्थिति क्यों आयी कि हम इस सदन में विशेष तीन दिनों के लिए बैठे हैं, यह चर्चा करने के लिए कि हम भ्रष्टाचार से कैसे निपटें और किस प्रकार का लोकपाल बनायें? यह सवाल आज देश के सामने है।

पहले भी यह हुआ, बहुत लोगों ने इसके बारे में कहा, लेकिन इतनी तीव्रता नहीं थी। एक लोकपाल विधेयक पारित हो और लोकपाल बने, इस मांग में कभी भी इतनी तीव्रता, इतनी तेजी नहीं थी, जितनी आज है। मैं समझता हूं कि हम इंसाफ नहीं करेंगे, अगर हम सब इसके बारे में नहीं सोचें, चिंता नहीं करें कि हम इस परिस्थिति पर कैसे पहुंचे?

मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, मंत्री महोदय नारायणसामी जी ने जब बिल रखा तो बड़ा आक्रामक भाषण किया। दूसरे मंत्री कपिल सिब्बल जी जब बोले, वह उनसे भी ज्यादा आक्रामक और प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच हुयी, मैं बैठा-बैठा सुन रहा था, वह फेयरवेल स्पीच थी। उन्होंने जिस तरह से अपनी उपलब्धियां गिनायीं, उन्हें आदमी उसी समय गिनाया है, जब दिन खत्म होते हैं और जाने का टाइम आता है। सरकार का जो रवैया है, वह सहमति बनाने वाला नहीं है। सुषमा जी ने ठीक कहा, उनके पहले केवल नारायणसामी जी बोले थे, कि सरकार की मंशा ही नहीं लगती है कि वह इस बिल पर सहमति बनाना चाहती है। वह इस बिल को थोपना चाहती है, वह किसी भी तरह इस बिल को हमारे गले के नीचे उतारना चाहती है। हमें सोचना पड़ेगा, हम सोचने के लिए बाध्य हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या चाल है? लोगों ने कहा, यहां पर पहले कहा गया कि सरकार की मंशा विशुद्ध रूप से राजनैतिक है। उसे लोकपाल से कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। अभी कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और वे उस चुनाव में इस दावे के साथ जाना चाहते हैं कि हम तो इसे लाये, लोक सभा ने नहीं पास किया तो हम क्या करें? यह मंशा ठीक नहीं है। यह नीयत गलत है और उसके बाद भी आरोप दूसरे के ऊपर। ऐसा क्यों? इसे पास नहीं करेंगे...*(व्यवधान)* लेट्स बी वेरी क्लियर, जैसा कि हमारी नेता ने कहा कि हम इस बिल के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि आप जानबूझकर एक कमजोर, लचर, लोकपाल की संस्था बनाने के लिए इस बिल को लाये हैं। वह दंतहीन होगा। सब लोगों ने इसके बारे में यहां पर कहा।

महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात आयी, 252 की चर्चा हुई, 253 की चर्चा हुई तो उसका उत्तर देने के बजाय प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं। वह कहते हैं कि लीगल साफिस्ट्री है। आप उन बिन्दुओं का जवाब दीजिए। लीगल साफिस्ट्री क्या है? आप संविधान का उल्लंघन जान-बूझकर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लीगल साफिस्ट्री है। आप जान-बूझकर संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि कोर्ट फैसला करेगा। यह कहां का तर्क है। मैंने आज तक इस सदन में नहीं सुना कि यह तर्क होगा या नहीं। हम जान-बूझकर गलत काम करेंगे और रोकने का काम कोर्ट का है। यह तर्क बिल्कुल बेमानी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ है, गुरुदास दास गुप्ता जी यहां नहीं हैं, वह सुना रहे थे कि हम जीप स्कैण्डल से टू-जी स्कैण्डल तक कैसे पहुंचे? पिछले वर्षों में जो भयानक भ्रष्टाचार इस देश में हुआ है उसी का नतीजा है कि आज एक बूढ़ा आदमी मुम्बई में अनशन पर बैठा हुआ है और आप असभ्यता से खड़े होकर यहां पर दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कहे जाने वाले के नीचे आज सबसे भ्रष्ट सरकार इस देश में है। आज लोगों के अंदर एक बेचैनी है। जो लोगों के बीच में जाते हैं। हम लोग वैसे लोग हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं। आज लोगों के बीच एक बेचैनी है, तकलीफ है। उनमें तकलीफ किस बात को लेकर है? उनमें बेचैनी क्यों है? लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। लोग चाहते हैं कि विदेशों में जो देश का काला धन है वह देश में आए और वह देश की जनता के काम में आए। इन बातों को लेकर लोगों में बेचैनी है। इसलिए जो लोग भ्रष्टाचार का आज मुद्दा उठा रहे हैं उन्हें लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप उसको दबाव मान लीजिए। आप उसको कम्पलसन मान लीजिए। आप उसे

[श्री यशवंत सिन्हा]

कुछ भी मान लीजिए आज के दिन वह स्थिति आपने पैदा की है। उससे निपटने के लिए आप जो उपाय ढूंढ रहे हैं वह बिल्कुल नाकाम और बेकार साबित हो रहा है। इसलिए हम इस बिल के समर्थन में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन क्या स्थिति है? मैं सदन को दो मिनट समय लेना चाहूंगा। लोकपाल को एक संस्था बना रहे हैं। वह संस्था देश के किस कानून को लागू करेगी? वह संस्था इंडियन पैनल कोड और प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन ऐक्ट को लागू करेगी। देश में ये दो कानून हैं इनको आज लागू करने की व्यवस्था है - सी.बी.आई., सी.वी.सी., राज्यों में निगरानी विभाग और बहुत सारे राज्यों में लोकायुक्त हैं। आज के दिन यह व्यवस्था है। आज बहुत चर्चा हो रही है कि इसमें प्रधानमंत्री को रखें या न रखें, किस सेफ गार्ड के साथ रखें। प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन ऐक्ट के अंदर पीअन से लेकर प्रधानमंत्री तक उस के घेरे में आते हैं। इसमें ए, बी, सी, डी कोई इक्सेप्शन नहीं है। सब लोग उसके दायरे में आते हैं। अगर ई, एफ, जी होता तो वह भी आता। सारे लोग उसके दायरे में हैं। इंडियन पैनल कोड और प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन ऐक्ट के दायरे में हम लोग भी हैं। इसके दायरे में मिनिस्टर्स, एम.पीज, एम.एल. जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे सब हैं। वहां कोई डिस्टिंक्शन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा (हसन): समय की कोई सीमा नहीं है। यह तीस वर्ष भी ले सकता है।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): समय की कोई सीमा नहीं है।

[हिन्दी]

इसी देश में हम ने वह दृश्य भी देखा है जब एक पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे थे और विज्ञान भवन के अंदर एक स्पेशल कोर्ट बैठा था।

सायं 7.00 बजे

जब-जब डेट पड़ती थी तब वे आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। वे उस समय तक पूर्व प्रधानमंत्री हो गए थे। लेकिन जब का आरोप था, उस समय वे प्रधानमंत्री थे। हम लोगों ने वह दृश्य देखा है। आज इस सदन के दो सम्मानित सदस्य तिहाड़ जेल में हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में दो सदस्य हैं। क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है? एक सदस्य रांची की जेल में हैं और दो यहां की जेल में हैं। यहां कहा जा रहा है कि पता नहीं और कितने लोग लाइन में लगे हैं जो जाएंगे। मैं कुछ दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि बहुत चर्चा होती है कि छह साल आप भी सरकार में थे, आपने यह किया, वह किया, आपने यह नहीं किया, वह नहीं किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज अटल जी की सरकार का एक मंत्री भी किसी जेल में बंद नहीं है।...*(व्यवधान)* वह सरकार चली थी हम लोगों की।...*(व्यवधान)* देखा था और अभी आगे बहुत कुछ दिखाएंगे।...*(व्यवधान)* लेकिन एक इन्होंने किया। उपाध्यक्ष महोदय, हमें इनकी नीयत पर शक है कि यह खुद नहीं चाहते कि बिल पास हो। इसलिए इन्होंने इसमें जानबूझकर इररेलेवैंट मुद्दे डाल दिए। एक, संघीय ढांचे के ऊपर ऐसा आक्रमण, आघात किया कि जैसे ही यह किसी न्यायालय में जाएगा, वहीं पर ध्वस्त हो जाएगा, गिर जाएगा। दूसरा, जानबूझकर माइनॉरिटी रिजर्वेशन, जो पहले नहीं था, उसे एक कॉरिजैंडा के मध्यम से लेकर आए। जानते हैं कि वह भी नहीं चलने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यहां जो आर्डर पेपर हैं, उसमें बिल पहले लिस्टेड है और कौन्सटीट्यूशनल अमैंडमैंट बाद में लिस्टेड है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कौन्सटीट्यूशनल अमैंडमैंट को पहले लीजिए। उस पर वोटिंग करवाइए और तब बिल को लीजिए और उस पर वोटिंग करवाइए। यह व्यवस्था यहां होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कौन्सटीट्यूशनल अमैंडमैंट में लिखा है कि -

[अनुवाद]

एक लोकपाल होगा।

[हिन्दी]

वह कौन्सटीट्यूशनल अमैंडमैंट पास नहीं होगा तो फिर यह बिल बनाने का मतलब क्या है। इसलिए

[अनुवाद]

पहले संविधान संशोधन और बाद में विधेयक। इसी प्रकार हमें इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए।

[हिन्दी]

अटैंशन डायवर्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।

राज्यों की बात - कपिल सिब्बल जी यहां नहीं हैं। मैंने उनका पहला दर्शन तब किया था जब मैं दूसरे सदन में था और यहां ऊपर आकर बैठा था। यहां पर एक भ्रष्ट जज के खिलाफ इमपीचमैंट की कार्यवाही चल रही थी। उस समय वे बाहर से उनके वकील बनकर आए थे। आज वे हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* वे कह रहे हैं कि हम राज्यों पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में हम क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि मॉडल बिल बने। उत्तराखंड में मॉडल बिन बन चुका है। उत्तराखंड ने बढ़िया बिल बनाया है। बिहार में अच्छा बिल बना है। जैसे देवेगौड़ा जी कह रहे थे, कर्नाटक का बहुत अच्छा बिल है। राज्यों की विधान सभाओं ने अच्छे-अच्छे बिल बनाए हैं। 18 राज्यों में इस प्रकार के बिल पहले से हैं, लोकायुक्त है या लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर हम अपना बिल थोपेंगे। हम उन राज्यों के ऊपर अपना मॉडल यानी खराब बिल थोपना चाहते हैं। यह कहां का इंसाफ है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह रास्ता जो सरकार ने अपनाया है, यह गलत रास्ता है। इस गलत रास्ते पर चलेंगे, तो कभी सही काम नहीं होगा। यह कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में ऐसा हुआ। आपको ऑल पार्टी मीटिंग की चिंता कब हुई? आप जब एक एन.जी.ओ. के साथ मिलकर ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बना रहे थे, तो उस समय आपको पार्टियों की चिंता नहीं हुई। क्या आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलायी? आपने उनसे पूछा कि हम ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनायें या न बनायें?...*(व्यवधान)* उस समय बड़ा अच्छा लगा। आपने मीठा-मीठा खूब गप-गप खाया।...*(व्यवधान)* जब मतभेद हो गये, तब आपको सूझा कि सारी पार्टियों को बुलाया जाये और उनके साथ मिल-बैठकर बातचीत की जाये। उनके साथ कैसे ट्रीटमैंट हुआ, यह सारा देश जानता है। आज अन्ना हजारे जी के बारे में किस प्रकार की बातें कही जा रही हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? क्या यह सही है? प्रधानमंत्री जी उन्हें अच्छे-अच्छे पत्र लिखते हैं और इनके पार्टी के लोग उन्हें मीडिया में गाली बकते हैं।...*(व्यवधान)* यह बात समझ में ही नहीं आती कि आखिर सरकार किस रास्ते पर चल रही है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पिछले साढ़े सात साल के ये एचीवमैंट्स हैं। कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि हमारा डैस्ट्रक्टिव बैंट ऑफ माइंड है। हमारा एजेंडा डैस्ट्राक्टिव है। हमने कभी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कंस्ट्रक्शन नहीं है। राष्ट्रीय उच्च मार्गों का काम कंस्ट्रक्शन नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान डैक्ट्रक्शन है। मैं पूछना चाहता हूं कि अंत्योदय अन्न योजना क्या डैस्ट्रक्टिव है? किसान क्रेडिट कार्ड क्या डैस्ट्रिक्टव है? फसल बीमा योजना क्या डैस्ट्रक्टिव है?...(व्यवधान) रीवर्स का लिंकिंग करना क्या डैस्ट्रक्शन है? टेलीकॉम रेवोल्यूशन क्या डैस्ट्रक्शन है?...(व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि हाउसिंग रेवोल्यूशन क्या डैस्ट्रक्शन है?

उपाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री, नेता सदन यहां बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सारे एचीवमैंट्स गिना दिये। एक मिनट के लिए भी यह नहीं कहा कि हम एक विकट गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज देश एक भीषण आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। उसकी किसी को चिंता नहीं है। गुरुदास दासगुप्ता जी ने ठीक कहा कि हमें इस सत्र के एक्सटैंड होने के बाद भी चर्चा करने तक का मौका नहीं मिला। हम इन मामलों से कैसे निपटेंगे? लेकिन एचीवमैंट्स की बात हो रही है, उपलब्धियों की बात हो रही है। रुपया कहां से कहां चला गया? आर्थिक प्रगति की दर गिर गयी। सरकारी घाटा बढ़ रहा है।...*(व्यवधान)* हमसे लोकपाल पर बोलने के लिए मत कहिये। अगर हमसे कहते हैं कि लोकपाल पर बोलो, तो प्रधानमंत्री जी को अपनी उपलब्धियां यहां नहीं गिनानी चाहिए थीं।...*(व्यवधान)* वे बोल सकते हैं और हम नहीं बोल सकते।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, जो समस्या है, वह यह है। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमारी नीतियां पीपल्स सैनट्रिक हैं। आपकी नीतियां करप्शन सैनट्रिक हैं।...*(व्यवधान)* वे पीपल्स सैनट्रिक नहीं हैं। आप इनक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। आप आज झारखंड चलिये। मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी इनक्लूसिव ग्रोथ पालिसी का दोनों रेशाम जैसे

[श्री यशवंत सिन्हा]

गांव में क्या असर हुआ है? कुछ नहीं, शून्य। देश में ऐसे अनेकों गांव हैं जहां कुछ नहीं पहुंचा है और आप इस सदन में बैठकर इनक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* बहुत अच्छी-अच्छी बातें...*(व्यवधान)* सब कुछ अच्छा लगता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप उन्हें बोलने दीजिए। जब आपका बोलने का मौका आएगा, तब बोलियेगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांति बनाये रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि कम से कम आप अपने मंत्रियों को, जो दागी हैं, सर्टिफिकेट देने से बचने का काम करें। हमारे इस हाउस के जो कॅलीग्स आज तिहाड़ जेल में हैं, जिनको अभी भी बेल नहीं मिली है, उनकी भी आप बड़ी तारीफ करते थे, उनको भी सर्टिफिकेट दिया था। प्रधानमंत्री जी, आप कब गच्चा खा जाइएगा, इसकी चिंता कीजिए। कब आप खड्ड में गिर जाइएगा, इसकी चिंता कीजिए। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हां, हमारा अधिकार है, हम सर्वोच्च सदन हैं, कानून यहीं बनेगा, भ्रष्टाचार से लड़ना है, लेकिन मजबूती के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, न हम इसकी इजाजत आपको देते हैं कि आप भ्रष्टाचार को हल्के ढंग से लीजिए। शरद यादव जी ठीक ही कह रहे थे कि लगातार इसी सदन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती रही है और आगे भी होती रहेगी। हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां लड़ते रहेंगे, लेकिन उसके लिए जिस प्रकार की संस्था बनाने की आवश्यकता है, वह बनाई जाए। सेक्शन 24 का जिक्र सुषमा जी ने किया और इसके अंदर जो अनेक विसंगतियां हैं, उनका जिक्र किया है। एक दंतहीन लोकपाल घूमेगा चारों तरफ, वह उसको भेजेगा, फिर वह उसको भेजेगा, फिर वहां से कहीं और जाएगा। अगर आप उसका डायाग्राम बनाइए, तो इतना कंप्लीकेटिड डायाग्राम होगा कि किसी को समझ नहीं आएगा कि कौन सी बात कहां किस एजेंसी के पास जा रही है। जो हो रहा है, वह भी नहीं होगा। हम और ज्यादा भ्रष्टाचार के सागर में डूबेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमें सचमुच भ्रष्टाचार से लड़ना है, जैसी इस सदन की मंशा है, हम सब की मंशा है, तो आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। अगर इस बिल पर पुनर्विचार नहीं हुआ, तो इस सदन में बैठा हुआ कोई सदस्य संतुष्ट नहीं होगा। उधर के लोगों के विचार मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस तरह लालू जी की स्पीच पर और दूसरी स्पीचेज पर वे लोग ताली बजा रहे थे, उससे पता चलता है कि उनके अंदर भी क्याा बेचैनी है। ...*(व्यवधान)* इनके सहयोगी दल टी.एम.सी. ने क्या कहा, डी.एम.के. ने क्या कहा।

[अनुवाद]

जो भी कहा गया है, कृपया उसका संज्ञान लें।

[हिन्दी]

हम सब लोग यहां पर इस बात के खिलाफ हैं ही, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं, ऐसा लगता है कि आपने उनसे भी चर्चा नहीं की, उनसे भी बातचीत नहीं की और जैसे रिटेल में एफ.डी.आई. के मामले पर आप अपनी धौंस जमाना चाहते थे, वैसा ही इस बार भी कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। प्रजातंत्र में संख्या की आवश्यकता पड़ती है, बिल पास कराइएगा संख्या के आधार पर, चुना जाता है आदमी संख्या के आधार पर, लेकिन

[अनुवाद]

सर्वसम्मति लोकतंत्र की आत्मा है। वही मूल बात है।

[हिन्दी]

आत्मा है सहमति और आप अपने सहयोगियों के बीच में भी सहमति नहीं बना रहे हैं। इसलिए हमारी नेता ने जो कहा, उसको एंडोर्स करते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापस लीजिए। मैं पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का जिक्र कर रहा हूं। इन्होंने जो स्टेंडिंग कमेटी से बिल आया, उस में आमूलचूल परिवर्तन किया, बाद में फिर कर दिया। आपने माइनोरटी रिजर्वेशन उसमें डाला, क्लाज 24 उसमें डाला और अनेक

ऐसे प्रावधान आप लाए जो स्टेंडिंग कमेटी के सामने विचाराधीन थे ही नहीं। इस संसद की परम्परा है कि अगर इस प्रकार के संशोधन स्टेंडिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद किसी विधेयक में किए जाते हैं तो उस विधेयक को दोबारा स्टेंडिंग कमेटी में जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार सद्बुद्धि दिखाए या इस सरकार को सद्बुद्धि आए। सरकार उठकर यहां पर, इस चर्चा के समापन के बाद, यह घोषणा करे कि हम चाहते हैं कि यह बिल सशक्ता बने, हमारी नीयत साफ है, हम सरकारी लोकपाल नहीं बनाना चाहते हैं, दरबारी लोकपाल नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बढ़िया लोकपाल बने, मजबूत लोकपाल बने इसलिए हम दोबारा इसे स्टैंडिंग कमेटी के सामने भेज रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदया: नैतिक रूप से दिवालिया, यह सरकार लोकपाल विधेयक नहीं, बल्कि 'ब्रेकपाल' विधेयक लायी है।

[हिन्दी]

यह नहीं चलेगा, इसलिए मैं सरकार को मशविरा देता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से सोचे और देखे। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. शशी थरूर (तिरुवंतमपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने प्रधानमंत्री जी से अभी एक सशक्त और कुशल राजनेता जैसा भाषण सुना। जैसा कि अभी आरोप लगा, यह कोई विदाई-भाषण नहीं था बल्कि उस आधार की बात करते हुए दिया गया भाषण था जो आगे की प्रगति के लिए बल है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी के ही एक पूर्व के भाषण का हवाला देना चाहता हूं, जबकि वह प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उन्होंने बीस वर्ष पहले इस सम्मानित सभा में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की घोषणा करते हुए विक्टर ह्यूगों के इस कथन का उल्लेख किया था कि पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उस विचार को रोक ले, जिसके फलित होने का समय आ गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे समक्ष एक ऐसा ही दिन है जब एक और सशक्त विचार, अर्थात् एक स्वतंत्र और प्रभावपूर्ण भ्रष्टाचार-विरोधी निकाय के गठन का विचार, हमारे सामने है।

राष्ट्र की भावना स्पष्ट है और मेरे विचार में इस सभा का हर सदस्य इस बात को मानेगा कि इसका कोई न कोई कारण तो अवश्य है कि हम इस कदम के पहले आठ बार विफल रहने, जबकि पहली बार यह कदम सन् 1968 में लिया गया था, के बाद भी आज हम वस्तुतः एक यथार्थवादी लोकपाल विधेयक को पारित करने पर चर्चा कर रहे हैं। इस सभा में उपस्थित हममें से कई की ओर से और स्वयं अपनी तरफ से मैं उन सभी को, जो इस सभा के भीतर हैं या बाहर और जिन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय कार्यसूची में रख दिया है, बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस मुद्दे को यहां लाकर राष्ट्र की सेवा ही की है। और मैं यह भी मानता हूं कि हमारी सरकार ने इस सभा में एक विश्वसनीय लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करने की चुनौती पूरे सौहार्द से लेकर एक बड़ा कार्य किया है।

सायं 7.19 बजे

(श्री सतपाल महाराज *पीठासीन हुए)*

जैसा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई संबंधी डरबन संधि में वर्ष 1999 में कहा गया, और जिस संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं, कि भ्रष्टाचार से गरीबी बढ़ती है, मानवाधिकारों का हनन होता है, पर्यावरण का क्षय होता है, विकास बाधित होता है तथा लोकतंत्र में विश्वास और सरकार की वैधानिकता में कमी आती है। इसलिए, सभापति महोदय, ऐसी कार्रवाई करना बहुत समय से लंबित एक कार्य है। और इसीलिए हमें सरकार की तारीफ करनी ही होगी कि वह यह विधेयक लेकर आई है। हमें इस विधेयक की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वास्तविकता यही है कि जो मुद्दे आज हमारे सामने हैं, देशभर में लोग उन्हें लगातार उठाते और उन पर चर्चा करते रहे हैं। राष्ट्रव्यापी इस बहस में हालांकि एक समस्या है, हमने सभा के बाहर देखा कि देश के लोग यह तो जानते हैं कि वे किस बात के खिलाफ हैं लेकिन यह नहीं जानते कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वे क्या चाहते हैं। और इस कारण वे सरलता से एक अन्य विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, एक ऐसा विधेयक, जो इस सभा के बाहर बनाया गया है, और जो

[डॉ. शशी थरूर]

मुझे आशंका है कि, एक सर्वसमावेशी किंतु बहुत ही भ्रामक और अलोकतांत्रिक नुस्खा हमें देने चला है। लेकिन, सरकार ने इस खतरे को टाल दिया है और वह एक ऐसा विधेयक लेकर आई है जो हमारे साथ उपस्थित उस वास्तविक समस्या का निपटान कर सकता है, अर्थात् भ्रष्टाचार की व्यवस्था का। भ्रष्टाचार केवल बड़े लोगों की ही कार्रवाई नहीं जैसा कि हर कोई कहता है; न ही यह केवल बड़ी-बड़ी सुर्खियों में उनके वाली समस्या है; यह कोई ऐसी चीज ही नहीं जिसके कारण बड़े-बड़े लोग जेल गए हैं, बल्कि यह दैनंदिन स्तर पर होने वाली एक ऐसी समस्या है जो आम भारतीयों को परेशान कर रही है और जिसके बारे में हमें चिंतित होना ही चाहिए।

कोई विधवा स्त्री बीमा-लिपिक को घूस दिए बिना अपने पति की पेंशन या बीमा राशि का भुगतान नहीं प्राप्त कर पाती; कोई गर्भवती आसन्नप्रसवा महिला बिना चपरासी को घूस दिए, सरकारी अस्पताल में बच्चा जनने के लिए बिस्तर तक नहीं पा सकती जिसकी कि वह हकदार है और फिर उसे फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ता है। ये वास्तविक मामले हैं। एक नौजवान, जो वाहनचालक बनना चाहता है, बिना घूस दिए उसका लाइसेंस नहीं पा सकता या इसके भी बुरा यह कि एक वाहनचालक जो गाड़ी ठीक से नहीं चलाता, लेकिन घूसदेकर लाइसेंस लेता है करता है और हम सभी के लिए एक खतरा बनता है। कोई पुत्र या पुत्री अपने मृत पिता या माता को मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने जाते हैं, लेकिन बिना रिश्वत दिए वे उक्त प्रमाण-पत्र भी नहीं पा सकते।

श्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि हम एक जनोन्मुखी विधेयक चाहते हैं। पर यही तो वे लोग हैं जिन्हें केन्द्र में रखकर यह विधेयक बना है। यदि आप जनोन्मुखी कार्रवाई चाहते हैं तो, अब देखिए, अभी कल ही बर्लिन स्थित एक भ्रष्टाचार-रोधी संगठन, 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' ने पिछले दो वर्षों में दक्षिणी एशिया में 7500 लोगों पर किए गए सर्वेक्षण का परिणाम जारी किया है। सर्वेक्षण में आने वाले 74 प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि उन्होंने रिश्वतें देकर काम कराया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय सभी प्रकार की आवश्यक लोक-सेवाओं का उपयोग करते समय घूस देते हैं जैसे, पुलिस विभाग में 64 प्रतिशत, संपत्ति और भूमि के लिए 63 प्रतिशत; रजिस्ट्री और परमिट सेवाओं के लिए 62 प्रतिशत; का राजस्व के लिए - 51 प्रतिशत आदि, और फिर यह सूची लंबी होते-होते शैक्षिक सेवाओं तक पहुंच जाती है। यह हमारे लिए एक शर्म की बात है और हमें इससे कड़ाई से निपटना चाहिए।

यदि आप, 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' को एक विदेशी संस्थान समझते हों तो फिर हाल ही में - इसी सप्ताह बंगलौर के अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा जारी विश्लेषण को देखिए जिसने कर्नाटक के लोकायुक्त के विगत दस वर्षों के कार्य-निष्पादन का अध्ययन किया है। और उसने क्या पाया है? उसने पाया कि कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा हाथ में लिए गए मामलों में से 80 प्रतिशत सरकार के चार प्रमुख कृत्यों से संबंधित रहे हैं अर्थात स्थानीय शासन संबंधी मामले 24 प्रतिशत; प्रशासनिक मामले-37.6, प्रतिशत; कल्याण संबंधी मामले 17.6 प्रतिशत और विनियम से जुड़े मामले-2.5 प्रतिशत। अन्य शब्दों में भ्रष्टाचार ने हमारी व्यवस्था को प्रभावित किया है और हमें इस संबंध में कार्रवाई करनी होगी।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तथापि समस्या यह थी कि लोग यह जानते थे कि वे किसका विरोध कर रहे हैं लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वे क्या कर रहे थे। उन्होंने बाहर के विधेयक से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान दिए बिना उस विधेयक का समर्थन किया। लेकिन उन्होंने भी वही बात महसूस की जो पूरा देश महसूस कर रहा था कि एक सुदृढ़ भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्सी की आवश्यकता है जो प्रभावी हो और सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो ताकि सरकारी अधिकारियों के गलत कार्यों की जांच की जा सके, उन पर मुकदमा चलाया जा सके और उन्हें दंडित किया जा सके। इस विधेयक में इससे संबंधित प्रावधान हैं।

मेरे विचार से एक अच्छे विधेयक में निम्नलिखित पांच सिद्धान्त होने चाहिए - मुझे विश्वास है कि सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इस बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सर्वप्रथम, विधेयक में समाज और हमारी लोकतान्त्रिक संस्थाओं के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख हो। इस विधेयक में सिविल सोसाइटी की मांगों की ओर ध्यान दिया जाए और इसके साथ-साथ यह लोकतांत्रिक संस्था-

संसद, जो एकमात्र ऐसा स्थान है, जहां यह कानून वास्तव में पारित किया जा सकेगा के प्रति सम्मान रखता हो।

दूसरे, इसमें यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि जो प्रावधान किए जा रहे हैं उनसे समस्या और न बढ़ जाए। जो हमें बाहर से बताए गए हैं उनसे एक उच्च संस्थान बनेगा जो स्पष्टरूप से मूलतः अलोकतान्त्रिक है जिसमें अभियोजन और दंड की न्यायिक शक्तियों द्वारा गिरफ्तारी और जांच करने की पुलिस की सभी शक्तियां एक ही संस्थान में विहित होंगी। यह बहुत खतरनाक होगा। इस विधेयक से प्रभावी नियंत्रण और सन्तुलन बनेगा।

तीसरा सिद्धान्त यह है कि एक अच्छे विधेयक में धन संबंधी भ्रष्टाचार और कुशासन तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग और सरकारी निधियों के गबन के लिए प्रावधान अवश्य होने चाहिए। आप पाएंगे कि सरकार के विधेयक में यह सभी और इनसे भी अधिक प्रावधान हैं।

चौथा सिद्धान्त महत्वपूर्ण है कि विधेयक को भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश में संवैधानिक और संस्थागत तंत्र को मजबूती प्रदान करनी चाहिए।

तथ्य यह है कि इसे एक संवैधानिक संशोधन के रूप में प्रस्तुत करते हुए इस विधेयक का उद्देश्य आवश्यकता होने पर हमारी संवैधानिक और संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करना है।

सभापति महोदय, पांचवां सिद्धान्त यह है कि यह निर्णय लेने की स्थिति से बचने के लिए भी यह प्रभावी होगा। उदाहरण के लिए श्री शरद यादव जी ने ठीक कहा था कि देश में अधिकांश नौकरशाह सक्षम और ईमानदार हैं। मैं नहीं समझता कि हमें इस पर कोई आपत्ति होगी, लेकिन हमेशा एक खतरा रहता है कि एक अति कठोर विधेयक के प्रावधानों से ईमानदार नौकरशाह भयभीत रहेंगे और इसलिए वे कार्य नहीं करेंगे। ऐसे खतरे को टालना अति महत्वपूर्ण बात है। ऐसे बहुत से नौकरशाह हैं जो समझते हैं कि वे कुछ भी कार्य न करें तो भी उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। और विकास, वृद्धि तथा परिवर्तन चाहने वाले देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हमें ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें नौकरशाहों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाये। ईमानदार नौकरशाहों के लिए हमें ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिएं कि जिनमें निष्पक्ष और अपेक्षित प्रक्रिया का पालन हो तथा ईमानदार अधिकारी यह महसूस नहीं करें कि प्रयास करने और निर्णय लेने संबंधी दायित्वों को उन्हें पूरा नहीं करना है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक में इसके प्रावधानों के संरक्षण का प्रयास किया गया है।

हम केवल यह जानेंगे कि विधेयक के वास्तविक क्रियान्वयन से खतरे को हमने किस सीमा तक टाला है और मैं समझता हूं कि यह अत्यंत आवश्यक है कि इस विधेयक को दीर्घगामी, व्यापक सुधारों के लिए एक सोपान के रूप में देखा जाए, सभापति महोदय, इस संबंध में एक मिनट बाद बात करता हूं। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं, आज इस बहस में विपक्ष द्वारा लगाए गए कुछ विशिष्ट आरोपों और किए गए कुछ विशिष्ट दावों का उत्तर देना चाहता हूं।

हमने सबकी बात सुनी है। क्या हमने छोटी-छोटी गलतियां ढूंढने वाले व्यक्तियों को सुना है। हां। क्या हमने विधिक तर्क सुने हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है? हां। क्या हमने अत्यधिक साहित्यशास्त्र सुना है? हां। लेकिन क्या हमने तथ्य सुने हैं? सभापति महोदय, नहीं। मैंने अब तक पूर्व वक्ता विपक्ष की नेता की बात सुनी है जिन्होंने यह बताया कि ऐसे विधेयक बनाने के लिए उत्तराखंड विधेयक को एक मॉडल बताया। सभापति महोदय, मेरे पास उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक की एक प्रति है और मैंने उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान देखे हैं मुझे विश्वास है कि सभा इनके बारे में जानना चाहेगी।

उदाहरण के लिए जैसा कि आप जानते हैं हमारे विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रधानमंत्री को विशेष जांच के दायरे में लाने से पहले तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी। विपक्ष के नेता ने एक संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसे हम सभी को परिचालित किया गया है तथा इसमें सुझाव दिया गया है कि इसे घटाकर दो तिहाई कर दिया जाए क्योंकि तीन चौथाई करने से लोकपाल का अधिकार कम हो जाएगा। सभापति महोदय, उत्तराखण्ड ने क्या किया है?

उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक के अध्याय 6, खण्ड 18 में उल्लेख है कि सभी सदस्यों की खण्डपीठ और

[डॉ. शशी थरूर]

अध्यक्ष के अनुमति के बिना मुख्यमंत्री, किसी मंत्री या विधान सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध जांच या अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। कहने का तातपर्य यह है कि वे उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री और विधायकों को उस विधेयक के अन्तर्गत लाने के लिए तो शत प्रतिशत सहमति की जरूरत है वहीं दूसरी ओर वे मानते हैं कि हमारा 75 प्रतिशत बहुत ज्यादा है। सभापति महोदय, और भी बहुत कुछ है।

[हिन्दी]

श्री हुक्कमदेव नारायण यादव (मधुबनी): यहां आई.पी.एल. को लाना चाहिए।

[अनुवाद]

डॉ. शशी थरूर: महोदय, हम भ्रष्टाचार से बी.पी.एल. पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंतित हैं न कि आई.पी.एल. पर।

सभापति महोदय, उत्तराखण्ड के विधेयक में लोकायुक्त की लेखा परीक्षा के संबंध में किए गये प्रावधान बहुत रोचक है। उत्तराखण्ड विधेयक के अध्याय 5, खण्ड 14(2) में उल्लेख है कि उत्तराखण्ड विधान सभा की समिति लोकायुक्त के कार्यकरण का वार्षिक मूल्यांकन कर सकती है। अतः वहां लोकायुक्त विधेयक विधान सभा के अधीन है फिर भी विपक्ष, जो उसे एक मॉडल मानता है, का मानना है कि हमारा यह लोकपाल विधेयक, जो पूरी तरह से संसद और सरकार के नियंत्रण से मुक्त है, उत्तराखण्ड के विधेयक से कमजोर है। सभापति महोदय यदि मॉडल विधेयक पर उनका यही विचार है तो शायद हम समझ सकते है कि पिछले आठ वर्षों से गुजरात में लोकायुक्त क्यों नहीं है। अतः तथ्य यह है कि तथाकथित मॉडल विधेयक...*(व्यवधान)* क्या आप 'मॉडल' की एक शब्दकोषीय परिभाषा जानते हैं, इसका अर्थ है वास्तविक वस्तु की छोटी प्रतिकृति। आज हमने वास्तविक चीजें शामिल की हैं।

अब मैं उस चर्चा पर बोलना चाहता हूं जिसके बारे में हमने भ्रष्टाचार विरोधी संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में सुना। मुझे भी इसके बारे में कुछ बातें मालूम हुई हैं। मैं विधि विशेषज्ञों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करूंगा जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 252 और 253 के गुण और दोष पर चर्चा की है।

मेरे सम्मानित साथी श्री कपिल सिब्बल ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 253 किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या बैठक के निर्णय को भारत के पूरे भूभाग में या इसके किसी प्रदेश में कार्यान्वित करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। वस्तुतः यह उपबंध सातवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट है। ऐसा इसलिए है कि हमारी संसद "संसदीय शक्ति" का प्रयोग करती है। इसका कार्य केवल नियमित कानून बनाना ही नहीं है। लेकिन मैं कानूनी मुद्दे से इतर जाऊंगा क्योंकि मैं अधिवक्ता नहीं हूं। तथापि, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन भारत में मूल मानवाधिकार है। वस्तुतः इसे न्यायपालिका ने माना है तथा यह प्रवर्तनीय है।

वस्तुतः इसे लाने के लिए एकीकृत और व्यापक ढांचे की आवश्यकता है, जिसमें हम भ्रष्टाचार से राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर एकजुट होकर लड़ सकते हैं। हम यह कैसे स्वांग रच सकते हैं कि कर्नाटक के लिए जो भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र उपयुक्त है, वह केरल के लिए उपयुक्त नहीं है? यह संभव नहीं है।

जब हम इस संविधान संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तब निश्चित तौर पर हमारा कहना यह है कि हम राज्यों को कानूनों की प्रभावकारिता को नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश पर लागू होता है।

श्री वसुदेव आचार्य ने बैठक की एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया था। मैं उनसे और सभा के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भ्रष्टाचार विरोधी कनवेंशन के अध्याय चार, अनुच्छेद 43 से 49 में उपबंध किया गया है कि राज्य पक्ष रोकथाम, जांच और दोषियों का अभियोजन सहित भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के सभी पहलुओं में एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कुछ प्रकार के भ्रष्टाचार को अपराध घोषित न करने वाले देश ऐसा करने वाले अन्य देशों का सहयोग करने में कृतज्ञ होंगे।

अतः यदि कोई देश, 'देश के अधिकार' सिद्धांत के

अनुसरण में, जो कि हमने सुना है, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को अपराध नहीं मानता है तो संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन का हस्ताक्षरी होने के कारण भारत सरकार सहयोग करने के लिए बाध्य है तथापि, अपराधिक मामलों में सहयोग आवश्यक है। अतः यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह गंभीर अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता है जिसे हमने स्वीकार किया है।

संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन का अध्याय आठ, अनुच्छेद 65 से 69 में आगे कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के कनवेंशन की आवश्यकताओं को न्यूनतम मानकों के रूप में लिया जाए जिसमें उल्लेख है पक्षों को कनवेंशन में वर्णित उपायों की तुलना में "और अधिक सिद्धांत एवं कठोर" उपाय करने के लिए कहा गया है - न कि उससे कम सख्त या कम कठोर उपाय।

मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले उन लोगों से असहमत हूं जिन्होंने कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है, यूरोपीय मानक हैं एवं कुछ लोगों ने कहा है कि ये भारत के संदर्भ में लागू नहीं होते हैं। भारत यूरोप या विश्व के किसी अन्य भाग से किस मामले में पीछे है? हम समान मानक अपना सकते हैं। हम बेहतर मानक अपना सकते हैं। हम राज्यों को उनके दायित्वों से मुक्त कर कानून को कमजोर करने की जरूरत नहीं है।

विपक्ष के माननीय नेता ने एक बार फिर यह दलील दी है कि यह कमजोर विधेयक है क्योंकि यह जांच, अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए शक्तियों को अलग-अलग कर देता है। किंतु मेरे विचार में यह शक्ति है, कमजोरी नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आप के देश में पुलिस आप की पूछताछ, गिरफ्तारी, अभियोजन और आपके बारे में निर्णय करे? नहीं। तब आप क्यों चाहते हैं कि लोकपाल ऐसा करे? यह लोकतांत्रिक नहीं है।

वस्तुतः यह सुझाव कि लोकपाल को सी.बी.आई. का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण देना विधेयक को कमजोर करना है, पूरी तरह से दुर्भावानापूर्ण है। लोकपाल एक निष्पक्ष रूप से स्थापित एजेंसी है जो जांच और अभियोजन के लिए अधीक्षण और निर्देशन के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है। आप लोकपाल से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह एक साथ अन्वेषक का कार्य करने के साथ-साथ अन्वेषक पर अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति भी रखे। यह मौलिक रूप से विरोधाभासी है।

जांच के अधीक्षण और नियंत्रण का क्या अर्थ है? 1997 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। इसे हवाला निर्णय के नाम से जाना जाता है जो निष्पक्ष जांच के लिए संवैधानिक बेंचमार्क निर्धारित करता है। उच्चतम न्यायालय उस निर्णय में क्या कहता है? निर्णय में कहा गया है कि अन्वेषकों को सिर्फ कानून के प्रति जवाबदेह होना चाहिए न कि सरकार के प्रति। उच्चतम न्यायालय एक ओर सरकार द्वारा मामलों की जांच से हस्तक्षेप करने पर रोक लगाती है तथापि दूसरी ओर सरकार वास्तविक जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती लेकिन यह दोनों के बीच तथा सरकार का प्रशासन एक जांच पर वित्तीय नियंत्रण के बीच अंतर करती है जिसे पूरी तरह वैधानिक माना जाता है। अतः हमारे समक्ष इस विधेयक में धारा 25 सरकार को अपने पदों के अनुरूप संवैधानिक और कानूनी कार्यों एवं दायित्वों को करते हुए जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता की रक्षा करती है। किसी भी मामलों में वित्तीय स्वाधीनता की गारंटी इस तथ्य के माध्यम से दिया गया है कि लोकपाल का निधिकरण भारत की समेकित निधि और लोकायुक्त का निधिकरण राज्य की समेकित निधि से किया जाएगा।

अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि उद्देश्य बहुत स्पष्ट है - ऐसी भारी मांग के प्रत्युत्तर में अस्तित्व में आने वाला ऐसा सशक्त और महत्वपूर्ण निकाय में देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को अवश्य शामिल किया जाए। यही सिद्धान्त था जिसे लेकर हमने अपनी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और तब हमने कहा कि भारत पर वे लोग शासन नहीं कर सकते जो भारतीय नहीं हैं। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में विभिन्न पृष्ठभूमियों के व्यक्ति हैं जो अपनी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण निर्णयन प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व करते देखना चाहेंगे और लोकपाल इसका अपवाद नहीं है।

सभापति महोदय, मैं उन लोगों से जिन्होंने इस विधेयक के बारे में अपनी चिंता जताई है, जो इस सभा से बाहर है, और रैलियों में शामिल हुए हैं; जिन्होंने अपनी बात खुलकर कही और टेलीविजन पर आए - यह

[डॉ. शशी थरूर]

कहूंगा और मेरा विचार है कि उनसे इस सभा को भी यह कहने का समय है कि 'आपकी आवाज सुन ली गई है, हमने आपकी बात समझ ली है।' इस विधेयक के पारित होने के साथ ही अब भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई सशक्त होगी और यह नए मुकाम पर पहुंचेगी। जैसी संभवतः इस विधेयक में वे सारी बातें न हों जिनकी आपको अपेक्षा थी, संभवतः इसमें वे सारे प्रावधान न हों बिल्कुल उसी तरह से, शब्द-दर-शब्द, जैसा आप पसंद करते, लेकिन परिवर्तन की अपनी एक गति होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, आर.टी.आई., पर विचार कीजिए। जरा सोचिए कि जब यह विधेयक पारित किया जा रहा था तब लोगों ने इसके विषय में क्या समझा होगा और अब विचार कीजिए कि यह कितना शक्तिशाली और प्रभावी हो चुका है। पक्की बात है कि लगभग हम सभी ने इसकी तीखी मार का मजा चखा होगा। इसलिए, हम तय करें कि यह विधेयक व्यवहार में आए। हमें, यदि आवश्यक लगे तो पूरा समय देकर, इसे अपने उस अनुभव से समृद्ध करें जो हमें करना चाहिए।

लेकिन, आखिरकार, हम अपने संविधान में सौ से अधिक बार संशोधन कर चुके हैं और हम उस तरह का रवैया अख्तियार नहीं कर सकते जैसा कि इस सभा के बाहर कुछ लोगों ने किया हुआ है कि "या तो मेरी बात रहेगी या कुछ भी नहीं रहेगा।" हमें लोगों से कहना पड़ेगा कि चरमपंथी ढंग न अपनाएं तथा उस विमर्शात्मक लोकतंत्र के निर्णय का सम्मान करें जिसे आज हमने इस सभा में कार्यरत देखा है। हमें इस सिलसिले में बहुत अधिक जल्दबाजी नहीं कर सकते। अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है कि नौजवान डॉक्टर और बूढ़े नाई, दोनों से सावधान रहना चाहिए। दोनों ही जल्दबाजी में एक बड़ी हानि का कारण बन सकते हैं और इस बात का बड़ा भय है कि हम इस सभा के बाहर जैसी व्याख्याएं सुन रहे हैं उनके पीछे काफी सारे नौजवान डॉक्टरों और बूढ़े नाइयों की समझ काम कर रही है।

सभापति महोदय, मुझे कहना होगा कि न तो यह विधेयक और न ही सभा के बाहर से प्रस्तावित विधेयक कोई चमत्कारी औषधि है। यह कोई संजीवनी बूटी नहीं है। भ्रष्टाचार एकाएक समाप्त नहीं हो जाएगा। इस विधेयक को हमारे देश के व्यापक कानूनी ढांचे और संस्थाओं के एक भाग के रूप में ही देखना होगा। यहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का उल्लेख किया गया है; पर धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर, सूचना का अधिकार अधिनियम भी मौजूद है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत के नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक, और प्रवर्तन निदेशालय जैसी संस्थाएं भी विद्यमान हैं। इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अंतर्गत हमारे अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। घरेलू स्तर हमारे सक्रिया मीडिया और हमारे सघन नागरिक-समाज द्वारा इसे मजबूत किए जाने और प्रोत्साहित किए जाने का संदेश भी दिया जाना चाहिए। वह यह सुनिश्चित करेगा कि यह अधिनियम ठीक से कार्य करे। आज हमारे समक्ष पर्दाफाश करने वालों का विधेयक है और लोक हित प्रकटन और ऐसा प्रकटन करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा संबंधी विधेयक भी है। ये भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रयासों को मजबूत बनाने में एक स्तंभ साबित होंगे। न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक भी आ रहा है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार अधिप्राप्ति विधेयक पर भी विचार कर रही है। तत्पश्चात् कर-सुधारों की बारी आती है जिस पर हमारे वित्त मंत्री कुछ समय से कार्य कर रहे हैं और काले धन पर हुए वाद-विवाद जो अभी सभा में हुआ था, में हमने इसका संदर्भ भी पाया। तत्पश्चात्, चुनाव प्रचार पर होने वाले व्यय सुधार का भी प्रसंग है, चुनावों में और राजनेताओं के रूप में भला हम इस सच से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं कि चुनावों में काला धन एक वास्तविक समस्या है और इस देश में लोगों के मन में भ्रष्टाचार के संबंध में जो चिंता हैं उसमें इस कालेधन का भी एक स्थान है। हमने शिकायत निवारण तंत्र के बारे में सुना है। हमें देश में कानूनों और विनियमों को सरल बनाने और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बाद कर-अपवंचन को रोकने के लिए सुधारों का प्रश्न है। वास्तव में, जैसाकि प्रायः हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं कहते रहे हैं कि अधिकारियों और मंत्रियों के विवेकाधिकारों को कम करने की आवश्यकता है ताकि उस स्तर पर वस्तुतः भ्रष्टाचार हो ही नहीं।

हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हमारे राज्य

की सार्वभौम प्रकृति भी इस समस्या का एक भाग है। राज्य हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के बहुत सारे पहलुओं में विद्यमान है। और यह अपने साथ ऐसी जटिल नियमाविलयां और विनियम लेकर चलता है जिसमें विभिन्न स्तरों पर बहुत से अधिकारियों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। और जिससे, निसंदेह भ्रष्टाचार का अवसर उपलब्ध होता है। जब राज्य ही अनेक सेवाओं का उत्पादनकर्ता और प्रदायकर्ता हो तब फिर जो व्यक्ति राज्य के कर्मचारी होंगे, खासकर वित्तीय निर्णयकारी कर्मचारी, तो यह आशंका तो खड़ी हो ही जाती है कि वे अनुमतिदान की शक्ति से अपना फायदा लेंगे। उनके पास कई स्तरों पर 'न' करने की शक्ति है और कई स्तरों पर 'हां' कहने की। यद्यपि ईमानदार अधिकारी, चाहे वे राजनैतिक हों या नौकरशाह, इससे फायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो लालच से अपने आपको नहीं बचा सकते। बेशक सच्चाई यह है कि कोई कार्य आगे बढ़ाने के लिए धन लिया जा सकता है और फिर भ्रष्टाचार वास्तव में होता ही है जैसा इसमें से कई लोग अपने अनुभव से जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस सभा से बाहर खड़े हैं और जो कह रहे हैं कि इस सभा से बाहर उनके द्वारा तैयार किया गया कोई कानून उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, उनसे मैं एक बात कह देना चाहता हूं।

मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि हमें, हमारे महान पुरोधा महात्मा गांधी के उन बुद्धिमतापूर्ण शब्दों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो उन्होंने स्वयं 70 वर्ष पहले कहे थे:

> "तुम जैसा विश्व देखना चाहते हो, पहले खुद वैसे बनो"

अगर भारत के नागरिक होने के नाते हम स्वयं भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो इसके लिए आखिर फिर कौन जिम्मेदार है? जो लोग इस सभा के बाहर हमारे इस विचार-विमर्श को देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहूंगा। हर रिश्वत लेने वाले के साथ एक रिश्वत देने वाला भी होता है। वह ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रक्रिया भंग करता है, एक गलत तरीका अपनाता है और सरकारी दंड से बचकर, कर बचाता है या कानून का उल्लंघन करता है। सच्चाई यह है कि हम केवल तंत्र की तरफ ही उंगली न उठाएं और न ही किसी महाशक्तिशाली विधिक निकाय के लिए हो-हल्ला मचाएं बल्कि बेहतरी का बदलाव लाने में समाज की नैतिक जिम्मेदारी को भी न भूलें।

हम यह कर सकते हैं क्योंकि हम लोकतान्त्रिक हैं। मैं आज सभा से इस विधेयक को स्वीकार करने का आग्रह करता हूं क्योंकि यह एक राष्ट्र के रूप में हमारे लोकतन्त्र को मजबूत बनाने का एक तरीका है।

इस वर्ष 2011 में हमने देखा कि दूसरे देशों में जहां प्रभावी लोकतन्त्र नहीं है, वहां क्या हो रहा है। हमने अरब देशों के अपने भाइयों को देखा है, गलियों में भरा जनसमुदाय देखा है और फैलती हुई क्रांति देखी है।

लेकिन हमें यह 'जास्मीन क्रांति' नहीं चाहिए क्योंकि 'जास्मीन' लेकिन हमें माने चमेली की सुगंध लोकतन्त्र की नासिका में हमेशा से है।

वास्तविक स्थिति यह है कि हमने स्वयं अपना सुधारात्मक तंत्र तैयार किया है और यह विधेयक ऐसे ही तन्त्र का एक उदाहरण है। अन्य लोगों के पास बारूद है तो हमारे पास जनमत है। दूसरी जगह गृहयुद्ध होता है, हमारे पास सशक्त गृह-समाज है। लेकिन हमारे पास दूसरे झगड़ते हैं, हम कानून बनाते हैं। आइए आज इस विधेयक को पारित करके हम अपनी उत्तम लोकतान्त्रिक परम्परा की मर्यादा को कायम रखें।

सभापति महोदय, मैं बताता हूं जो बाहर हैं उनके लिए आगे बढ़ने का समय है। भारत के लोगों को उन चापलूस लोगों के जाल में नहीं आना चाहिए जो हमारे देश को अस्थिर करने में लगे हैं, और वे वो हैं जो ऐसा अपने भ्रम के कारण करते हैं। वे भ्रमातीत नहीं हैं। इस सभा में हम भी भ्रमातीत नहीं हैं। लेकिन हमें जो करना चाहिए, हम कर रहे हैं। आप भारत के व्यक्तियों ने ही इस संसद के सदस्यों को चुना है। कृपया हमारे निर्णयों और विवेक पर विश्वास रखिए जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं।

आज हम लोग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री यहां इसीलिए हैं ताकि इस देश, राष्ट्र और यहां के लोगों के हितों को

[श्री शशी थरूर]

बरकरार रखा जाए। हम लोग जनता को इस पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं लेकिन हम लोग ऐसा इस महत्वपूर्ण संस्था पर व्यापक परामर्श एवं 42 वर्षों के गतिरोध के बाद कर रहे हैं।

'जन-गण-मण' के प्रथम गायन के इस शताब्दी वर्ष में हमें अपने-आप से यह कहना होगा कि संसद को उस राष्ट्र गान के अति उदात्त और उच्च भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए। 100 वर्ष पूर्व आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेषण में पहली बार 'जन-गण-मण' गया गया था। अगली बार जब हम इसे गायें, तो हमें इस बोध के साथ हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े हुए हैं, कि हम ऐसी संस्था के लिए खड़े हुए हैं जो हमारे देश को सशक्त बनाती है, जो हमारे लोकतंत्र से उत्पन्न हुई है। हमने उनके गुण-अवगुण की चर्चा की है और हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जो इस देश और जनता के लिए हितकारी है।

हमें सदैव उस भारत की ओर आगे बढ़ते रहना है जिसकी परिकल्पना राष्ट्र गान में की गई है।

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला): जनाब चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं सरकार को, वजीरेआजम को और यू.पी.ए. से ताल्लुक रखने वाले सभी साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि देर या सवेर एक बिल तो आया और इस बिल में, मैं मानता हूं कि इसमें कमजोरियां हो सकती हैं, मानता हूं कि वह सब कुछ इसमें नहीं हो, जो कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन इस चीज की दांद देनी चाहिए कि 41 साल पहले लोकपाल के बारे में सोचा गया और 41 साल के बाद, आज की सरकार यह बिल लाने में कामयाब हुई। यह मुबारकबाद की बात है। दूसरी बात, जो पहले ही यहां खटकी, जिस वक्त इन्होंने माइनारिटी का लफ्ज इसमें डाल दिया, तो यहां से...* शुरू हो गयी है। माइनारिटी के लफ्ज से नफरत क्यों है, यह हम समझे नहीं। यह सियासत की दहलीज क्यों बनाई है, माइनारिटी से नफरत करने के लिए, यह समझे नहीं। सियासत ही यह बनाई है कि हम उन लोगों से, जो इस देश का हिस्सा है, जिन लोगों ने इस देश को एक तहजीब दी है, जिन लोगों ने इस देश को एक तमद्दुन दिया है, इस देश को अपने खून से सजाया है, इस देश को एक बुलंदी दी है, उन लोगों का नाम आने से एकदम...* शुरू हो जाता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। अब यह छोड़ दीजिए नफरतों का जमाना, आपको मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में आज 16 करोड़ मुसलमान बसते हैं, आप उनको इस मुल्क से नहीं निकाल सकते हैं। आप उनको थर्ड क्लास ऐरी नहीं बना सकते हैं। उनेको यहां रहना है, यहां रहना है अपने मजहब के तकाजों के साथ रहना है, उसी से हिन्दुस्तान की शान है, उसी से इस मुल्क की शान है। इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए। वह जमाना चला गया, अब आप बाबरी मस्जिद का मामला उठाएंगे, आज रथयात्रा करेंगे, परसों तांगा यात्रा करेंगे, दूसरे दिन रेहड़ा यात्रा करेंगे और लोगों को...* बनाने की कोशिश करेंगे, वह जमाना चला गया। अब तुम्हारी रथ यात्राओं का जमाना चला गया, अब काम करने का जमाना है, लोग तकाज़ा करते हैं, रिश्वत से डूबे हुए, लोग तकाज़ा करते हैं कि हमें रिश्वतखोरी से निजात दिला दीजिए। लोग इस सदन से तकाज़ा करते हैं, आप से तकाज़ा करते हैं, अपने नुमाइंदों से तकाज़ा करते हैं कि हमें रिश्वतखोरी से, हमें बद्दयांती से, हमें घूस लेने से निजात दे दीजिए। इस पर आप सोच लीजिए। एक दूसरे पर तानाजनी करने से मामले हल नहीं होते, इनकी कमजोरियां कहो या उनकी कमजोरियां कहो, इससे हमारे मसाइल हल नहीं होते हैं, यह हकीकत है कि रिश्वतखोरी है, बददयांती है, बेइमानी है, आपके जमाने में भी थी, उसमें कोई कमी उस वक्त भी नहीं थी। आप भी कुछ नहीं कर पाए उस वक्त, आप यह बिल नहीं लाए। अगर इससे कमजोर बिल भी आप लाते, लेकिन आप नहीं ला पाए। लिहाजा आपको गनीमत जानना चाहिए कि यह सरकार यह बिल लाई है, चाहे इसमें वीकनेसेज हों, हमारा कांस्टीट्यूशन है।...*(व्यवधान)* आप तब से तरमीमें कर रहे हैं आप जब से कान्स्टीट्यूशन आया है। इसकी भीतरमीमें हो सकती हैं, वक्त के जरूरत के साथ लेकिन मैं सरकार से गुज़ारिश करूंगा कि देश का जो फैडरल स्ट्रक्चर है, देश का जो दिफाकी तरीका है, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। आप अपने लोकायुक्त

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

स्टेटों पर नहीं थोपिए, जबरदस्ती नहीं करें। मैं फख्र से कहूंगा कि कश्मीर में हमारा एंटी करप्शन का एक्ट इतना मजबूत है कि हमने जायदादें जब्त करने का कानून बनाया है करप्ट लोगों के लिए, बल्कि हमने दो अफसरों की करोड़ों की करोड़ों की जायदादें हमने आलरैडी जब्त की हैं। लिहाजा आप हमारे अंदर के मामलात में दखल मत दीजिए। कश्मीर के लोगों को गुस्सा मत दिलाइए, मेहरबानी करके। आर्टिकल 370 जिसके खिलाफ ये लोग सुबह-शाम कहते रहते हैं, उसको जिंदा रहना है, वो आर्टिकल 370 के तहत जो हमारी इंटरनल एटॉनमी है, उसको आपको बहाल करना पड़ेगा। यह मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि यदि आपको हमारी रियासत को अपने साथ रखना है तो उन वादों को पूरा करना है जो इस सदन ने और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमारे साथ किए थे।

दूसरी गुज़ारिश मैं आपसे यह करूंगा कि एक तो हमारे फैडरल स्ट्रक्चर पर आंच नहीं आनी चाहिए और दूसरी बात देश की अखंडता पर, मुल्क की यकजायती पर पूरी नजर रखनी है। वह तभी रह सकती है, जब यह हाउस है, जब यह ऐवान है, जब यह पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट के खिलाफ सड़कों पर बातें की जाएं और पार्लियामेंट की पगड़ी उछालने की कोशिश की जाए, इन मेम्बरों की पगड़ी उछालने की कोशिश की जाए, इस चीज को हाउस के इस पार या उस पार कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह हाउस लाखों-करोड़ों लोगों की कुर्बानियों के नतीजे के बाद मौजूद है। इस हाउस ने हमें जुबान दी है। इस हाउस ने हमें सोच दी है, रोशनी दी है, हुकूक दिए हैं। यह बच्चों वाले फैसले कि मैं तीन दिन नहीं खाऊंगा, अगर आपने आज यह नहीं किया। मैं रूठूंगा। नहीं मम्मी, मैं नहीं खाऊंगा।

सभापति महोदय: समाप्त करें।

श्री शरीफुद्दीन शारिक: क्या यह कोई संजीदगी की बात है? देखिए, आपके पास कानून आया है। इसको देख लीजिए। कानून पास हो गया। फिर बोलिए कि इसमें यह तरमीम करनी थी। यही लोग इस पर फिर बैठकर, इस पर फिर सोच सकते हैं। लेकिन यह बच्चों वाली जिद, यह बात मुल्क के हक में नहीं है। यह लोगों को बांटना है, लोगों में नफरत पैदा करना है। लोगों में एक दूसरे के खिलाफ मुश्किलात पैदा करनी है।

सभापति महोदय: धन्यवाद, अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री शरीफुद्दीन शारिक: मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इस सारे हाउस से कि आपसी जो सबसे बड़ी परेशानी मैंने देखी, वह इलेक्शन और वोट की परेशानी है। मुझे पता है कि ये लोग भी चाहते हैं कि बिल पास हो। लेकिन इसका असर पड़ेगा बाहर, हम इसमें और लचक लाने की पैदा कर लेंगे। यहां से भी मेहरबानी करके आप हिन्दुस्तान पर रहम कर लो। आप इन गरीब लोगों पर रहम कर लो, जो चाहते हैं हमें करप्शन से मुक्ति मिले।

सभापति महोदय: अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री शरीफुद्दीन शारिक: इनको करप्शन से निज़ात दे दो। उनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा कर दो।

मुझे मीडिया याद आया। परसों मैं एक चैनल पर देख रहा था। क्या कहूं, हमारे इलाके में एक बस गिर गयी और कुछ लोग मर गए। मीडिया वाले ने माइक उठाया। किसी से पूछा कि यह बस कैसे गिर गई? यह अपने आप गिर गयी या इसे किसी ने गिरायी? उसने कहा कि नहीं जी, अपने आप गिर गयी। इसको गिरने की क्या जरूरत पड़ी? उसने कहा सर, ये अपने आप गिर गयी। फिर पूछा अच्छा आप क्या जानते हैं, इसमें कितने लोग मर गए? उसने कहा मैंने नहीं देखा। फिर कहा, कहते हैं 40 लोग मर गए। बाद में वहां से तीन निकले।

मेहरबानी करके मीडिया वालों से भी गुजारिश करूंगा कि अपनी हुदूदें फांद रहे हो। यह हुदूद फांदना देश के हित में नहीं है।

सभापति महोदय: अब अपनी बात समाप्त करिए।

श्री शरीफुद्दीन शारिक: आप सही जानकारी देशवासियों को दे दो क्योंकि आप भी जम्हूरियत के एक पिलर हैं। एक पिलर खराब हो जाए तो जम्हूरियत का जनाजा निकल जाएगा।

इन्हीं अल्फाज़ों के साथ मैं इस बिल की पूरी तरह हिमायत करता हूं।

جناب شریف الدین شارق (بارہمولہ): چیرمین صاحب، سب سے پہلے میں سرکار کو وزیر اعظم کو اور یو۔ پی۔ اے۔ سے تعلق رکھنے والے سبھی ساتھیوں کو مبارک باد دیتا ہوں کہ دیر یا سویر ایک بل تو آیا اور اس بل میں میں مانتا ہوں کہ کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں، مانتا ہوں کہ وہ سب کچھ اس میں نہیں ہوگا جو کچھ لوگ چاہتے ہیں، لیکن اس بات کی داد دینی چاہئے کہ 41 سال پہلے لوک پال کے بارے میں سوچا گیا اور 41 سال کے بعد آج کی سرکار یہ بل لانے میں کامیاب ہوئی۔ یہ مبارکباد کی بات ہے۔ دوسری بات جو پہلے ہی یہاں کھٹکی، جس وقت انہوں نے مائنوریٹی کا لفظ اس میں ڈال دیا تو یہاں سے شروع ہوگئی ہے۔ مائنوریٹی کے لفظ سے نفرت کیوں ہے یہ ہم سمجھے نہیں۔ یہ سیاست کی دہلیز کیوں بنائی ہے، مائینوریٹیز سے نفرت کرنے کے لئے، یہ سمجھے نہیں۔ سیاست ہی یہ بنائی ہے کہ ہم ان لوگوں سے جو اس ملک کا حصہ ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کو ایک تہذیب دی ہے، ایک تمدن دیا ہے، اس ملک کو اپنے خون سے سجایا ہے، اس ملک کو ایک بلندی دی ہے، ان لوگوں کا نام آنے سے ایک دام شروع ہوجاتی ہے۔ یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ اب نفرتوں کا زمانہ چھوڑ دیجئے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں 16 کروڑ مسلمان بستے ہیں، آپ ان کو اس ملک سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ آپ ان کو تھرڈ کلاس شہری نہیں بنا سکتے ہیں۔ ان کو یہاں رہنا ہے اور اپنے مذہب کے تقاضوں کے ساتھ رہنا ہے، اسی سے ہندوستان کی شان ہے، اسی سے اس ملک کی شان ہے۔ اس چیز کو آپ دماغ سے نکال دیجئے۔ وہ زمانہ چلا گیا، اب آپ بابری مسجد کا معاملہ اٹھائیں گے، آج رتھ یاترا کریں گے، پرسوں تانگہ یاترا کریں گے، دوسرے دن ریہڑا یاترا کریں گے اور لوگوں کو ... بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ زمانہ چلا گیا۔ اب آپ کی رتھ یاتراؤں کا زمانہ چلا گیا، اب کام کرنے کا زمانہ ہے۔ لوگ تقاضہ کرتے ہیں۔ رشوت سے ڈوبے ہوئے لوگ تقاضہ کرتے ہیں کہ ہمیں رشوت خوری سے نجات دلا دیجئے۔ لوگ اس ایوان سے تقاضہ کرتے ہیں، آپ سے تقاضہ کرتے ہیں، اپنے نمائندوں سے تقاضہ کرتے ہیں کہ ہمیں رشوت خوری سے، ہمیں بد دیانتی سے ہمیں رشوت لینے والوں سے نجات دلا دیجئے۔ اس پر آپ سوچ لیجئے۔ ایک دوسرے پر تعنہ زنی کرنے سے معاملے حل نہیں ہوتے ہیں، ان کی کمزوریاں کہو یا ان کی کمزوریاں کہو اس سے ہمارے مسائل

حل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ رشوت خوری ہے، بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے، آپ کے زمانے میں بھی تھی اس میں کوئی کمی اس وقت بھی نہیں تھی۔ آپ بھی کچھ نہیں کر پائے اس وقت۔ آپ یہ بل نہیں لائے۔ اگر اس سے کمزور بل بھی آپ لاتے، لیکن آپ نہیں لا پائے۔ لہٰذا آپ کو غنیمت ماننا چاہئے کہ یہ سرکار یہ بل لائی ہے، چاہے وہ اس میں کچھ خامیاں ہوں، ویکنیسس ہوں۔ ہمارا آئین ہے، آپ تب سے ترمیمیں کر رہے ہیں جب سے آئین آیا ہے۔ ۔ اس کی بھی ترمیمیں ہو سکتی ہیں وقت کی ضرورت کے ساتھ، لیکن میں سرکار سے گزارش کروں گا کہ ملک کا جو فیڈرل اسٹرکچر ہے، ملک کا جو دفاقی طریقہ ہے اس پر آنچ نہیں آنا چاہئے۔ آپ اپنے لوک آیکت اسٹیٹوں پر نہیں تھوپئے۔ زبردستی نہیں کیجئے۔ میں فخر سے کہوں گا کہ کشمیر میں ہمارا اینٹی کرپشن کو جو ایکٹ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم نے جائدادیں ضبط کرنے کا قانون بنایا ہے کرپٹ لوگوں کے لئے، بلکہ ہم نے دو افسروں کی کروڑوں کی جائدادیں آل ریڈی ضبط کی ہیں۔ لہٰذا آپ ہمارے اندر کے معاملات میں دخل مت دیجئے۔ کشمیر کے لوگوں کو غصہ مت دلایئے مہربانی کر کے۔ آرٹیکل 370 جس کے خلاف یہ لوگ صبح شام کہتے رہے ہیں، اس کو زندہ رہنا ہے، وہ آرٹیکل 370 کے تحت جو ہماری انٹرنل ایٹانومی ہے، اس کو آپ کو بحال کرنا پڑے گا۔ یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری ریاست کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو ان وعدوں کو پورا کرنا ہوگا جو اس ایوان نے اور پنڈت جواہر لال نہرو نے ہمارے ساتھ کئے تھے۔

دوسری گزارش میں آپ سے یہ کروں گا کہ ایک تو ہمارے فیڈرل اسٹرکچر پر آنچ نہیں آنی چاہئے اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی ایکتا پر ملک کی یکجہتی پر پوری نظر رکھنی ہے۔ وہ تبھی رہ سکتی ہے جب یہ ہاؤس ہے، جب یہ ایوان ہے، جب یہ پارلیمنٹ ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے خلاف سڑکوں پر باتیں کی جائیں اور پارلیمنٹ کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی جائے، ان ممبران کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی جائے اس چیز کو ہاؤس کے اس طرف یا اس طرف کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ہاؤس لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔ اس ہاؤس نے ہمیں سوچ دی ہے، اس ہاؤس نے ہم کو روشنی دی ہے، حقوق دئے ہیں۔ یہ بچوں والے فیصلے کہ میں تین دن نہیں کھاؤں گا،

اگر آپ نے آج یہ نہیں کیا تو، میں روٹھ جاؤں گا۔نہیں ممی میں نہیں کھاؤں گا۔کیا یہ کوئی سنجیدگی کی بات ہے۔دیکھئے آپ کے پاس قانون آیا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔قانون پاس ہو گیا۔پھر بولئے کہ ہمیں اس میں یہ ترمیم کرنی تھی۔آپ لوگ خود پھر بیٹھیں گے اور اس پر سوچ سکتے ہیں۔لیکن یہ بچوں والی ضد، یہ بات ملک کے حق میں نہیں ہے۔یہ لوگوں کو بانٹنا ہے، لوگوں میں نفرت پیدا کرنا ہے۔ لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف مشکلات پیدا کرنا ہے۔میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس سارے ایوان سے ہاؤس سے کہ آپسی جو سب سے بڑی پریشانی میں نے دیکھی وہ الیکشن اور ووٹ کی پریشانی ہے۔مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بل پاس ہو۔لیکن اس کا اثر پڑے گا باہر۔ہم اس میں اور لچک لانے کی کوشش کر لیں گے۔یہاں سے بھی مہربانی کر کے آپ ہندوستان پر رحم کرنے کی کوشش کر لو۔آپ ان غریب لوگوں پر رحم کر لیجئے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کرپشن سے نجات ملے۔ان کو کرپشن سے نجات دے دو، ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر دو۔

پرسوں میں ایک چینل دیکھ رہا تھا، مجھے میڈیا یاد آیا۔کیا کہوں، ہمارے علاقے میں ایک بس گر گئی اور کچھ لوگ مر گئے۔میڈیا والوں نے مائک اٹھایا۔کسی سے پوچھا کہ یہ بس کیسے گر گئی؟ یہ اپنے آپ گری یا کسی نے اسے گرایا؟ اس نے کہا نہیں جی یہ اپنے آپ گر گئی۔اس کو گرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس نے کہا سر یہ اپنے آپ گر گئی۔پھر پوچھا اچھا آپ کیا جانتے ہیں اس میں کتنے لوگ مر گئے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں۔پھر کہا، کہتے ہیں کہ 40 لوگ مر گئے۔بعد میں وہاں سے 3 نکلے۔

مہربانی کر کے میڈیا والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی حدود دیں پھاند رہے ہیں اور یہ حدود یں پھاندنا ملک کے حق میں نہیں ہے۔آپ سہی جانکاری ملک کے عوام کو دیجئے کیونکہ آپ بھی جمہوریت کے ایک اہم پلر ہیں، ایک پلر خراب ہو جائے تو جمہوریت کا جنازہ نکل جائے گا۔

انہیں الفاظ کے ساتھ میں اس بل کی پوری طرح حمایت کرتا ہوں ۔۔۔شکریہ

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत कम बोलता हूं। इसलिए मैं सुबह से दोनों पक्षों की बातों को सुन रहा था और मैं सही रूप में कुछ बेबाक और निष्पक्ष बातें करना चाहता हूं ताकि इस हाउस में जो स्टैलमेट आ गया है, जो गतिरोध आ गया है, उस गतिरोध को कैसे दूर किया जाए, इसका कोई हल निकाला जाना चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के इस तनाव में जो असली मुद्दे हैं, वे गौण हो जाते हैं और जो सही मंजिल हैं, वह हमारी आंखों से ओझल हो जाती है।

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ। हमने महात्मा गांधी की अगुआई में लड़ाई लड़ी। गुरुदास दासगुप्ता जी अभी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि

[अनुवाद]

एक ही राष्ट्रपिता हो सकता है।

[हिन्दी]

निश्चित रूप से हमने उन्हें राष्ट्रपिता इसलिए कहा कि उन्होंने आजादी दिलवायी। उन्होंने आजादी को जन्म दिया, लेकिन आज आजाद हुए हमें 64 साल हो चुके हैं। इन 64 सालों में गंगा का बहुत पानी बह कर समुद्र में जा चुका है। हमारी स्थिति इतनी जर्जर हो गयी है कि आज हमें कहना पड़ता है कि

है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए
जिस तरह से भी हो, यह मौसम बदलना चाहिए।

इतना अंधकार है कि अब सूर्य निकलना चाहिए। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं। चूंकि प्रधानमंत्री जी आज स्वयं सदन में बैठे हैं और मेरे दिल में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, सम्मान है। आज मैं एक बात प्रधान मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जब 27 अगस्त को यहां पर सदन का सेंस लिया जा रहा था, एक मत से दोनों सदनों, राज्य सभा और लोक सभा ने एक संदेश दिया। प्रधान मंत्री जी, जो इतने शालीन एवं ईमानदार हैं, लेकिन यह चिट्ठी जो अन्ना हजारे को दी गई, उस चिट्ठी में जो तीन चीजें हाउस के सेंस से दी गईं, ये हमने स्वीकार कर लीं। मैं यह सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी को उस पर अडिग रहना चाहिए था। आज ये सारा जितना भी तनाव है, यह समाप्त हो गया होता, अगर वे तीन चीजें, आप कह रहे हैं कि सिटिजन चार्टर, आपने अलग से एक बिल दे दिया, लेकिन बड़े लोगों की बात की कुछ कीमत होती है। आप जब लिखित रूप में, आपके एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे हुए यहां पर देशमुख जी बैठे हैं। मैं टी.वी. पर देख रहा था कि आप स्वयं रामलीला मैदान में गए हैं और अन्ना हजारे को जाकर चिट्ठी सौंपी है। यह प्रधान मंत्री जी की तरफ से आपको मैसेज आया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी देश के 120 करोड़ जनता की शान हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को यह नहीं सोचना चाहिए था कि जो चीज मैंने लिखित में दे दी, वह कम से कम स्टैंडिंग कमेटी में भी आए, वह प्रस्ताव में आ जाए। मैं सोचता हूं कि जितनी भी दूसरी बातें थीं, वे सब दूर हो जातीं और एक कंसेंसस से आज यह लोकपाल बिल सदन में पास हो जाता। यहां पर प्रधानमंत्री जी को एसर्ट करना चाहिए था, यह कहना चाहिए था कि यह मेरा कमिटमेंट है, क्योंकि अगर बड़े लोग, चाणक्य ने लिखा है कि सांप, आग और बड़े लोग, इन पर जब ताना दिया जाता है, कुछ चुभोया जाता है तो ये रिएक्ट करते हैं। आप देखें कि सांप अगर सोया भी हो, अगर आप उसे थोड़ी सी लकड़ी लगा दें तो वह फन खड़ा कर लेता है। अगर आग बुझ भी रही हो, आप उसमें थोड़ी सी लकड़ी लगा दें तो आग भभक उठती है। बड़े लोग भी ऐसे ही होते हैं, अगर कोई ताना मार दे तो वे कहते हैं कि मैं अपनी बात पर अडिग रहूंगा। जो इसका ड्राफ्ट बना रहे थे, मुझे यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी उन पर और अपने मंत्रियों पर भी दबाव डालेंगे, कि जो मेरी बातें हैं, उन्हें जरूर लाएं, नहीं तो मैं 120 करोड़ जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि "युद्ध को तुम निंद्य कहते हो, मगर जब तक उठ रही चिंगारियां, भिन्न स्वार्थों के कलुष संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है।" ये लड़ाई न हो, अगर आदमी उस लड़ाई को टालना चाहे।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के समय भी जब महात्मा गांधी जी संघर्ष कर रहे थे तो एक कवि ने लिखा था कि "झुंड हाथियों के आए नहाने तो बह गए, दरिया की तेज धारा एक बूढ़ा आदमी जनक्रांति झुग्गियों से न हो जब तक शुरू, इस देश पर उधार है एक बूढ़ा आदमी।" अंग्रेजों जैसा साम्राज्य, जिसके राज में सूर्य नहीं डूबता था, उससे भी महात्मा गांधी जी लड़ गए। हाथ में केवल एक लाठी एवं लंगोटी थी, उससे उन्होंने मुकाबला किया। इसलिए उस कवि ने लिखा कि "दल हाथियों के आए नहाने तो बह गए।" अंग्रेजों का

[श्री इन्दर सिंह नामधारी]

साम्राज्य हाथी के समान था। अगर एक लंगोटी वाला उससे लड़ सकता है, एक आजादी उन्होंने दी, लेकिन आज अगर 74 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी देश के लिए, अपने लिए नहीं, वह कहता है कि करप्शन को खत्म करो तो उस पर कटाक्ष नहीं होने चाहिए, उससे मजाक नहीं होना चाहिए।

यहां पर बहुत से नेताओं ने अपने भाषण दिए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह भारत की सभ्यता नहीं है। आज अगर हम देखें, यह ठीक है कि उनकी सिविल सोसायटी के कौन लोग मेम्बर्स हैं, अन्ना टीम कहती है, लेकिन यह देखें कि उस व्यक्ति का क्या इंटरस्ट है। आज अगर बीमारी के बाद भी वह अनशन करता है तो मैं कहना चाहता हूं कि हम अदब भी नहीं कर सकते, उनका सम्मान भी नहीं कर सकते, उल्टे उनको टोंट करते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप संक्षिप्त में बोलें।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: सभापति महोदय, मैं बहुत कम बोलता हूं। मैं जनरली मौन धारण किए रहता हूं। आज चूंकि प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और मेरे दिल में उनके प्रति बड़ा सम्मान है, इसलिए मैं अपने दिल की बातें उनसे कह रहा हूं। मुझे दो-तीन मिनट का समय दे दें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जरा शांत हो जाएं, नामधारी जी को बोलने दें।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि आज उस बूढ़े व्यक्ति से मजाक करने का यह फोरम नहीं है। अगर लालू जी यहां पर होते तो मैं उनसे भी कहता।

रात्रि 8.00 बजे

कि आप कटाक्ष मत कीजिए, क्योंकि, जो लोग त्याग करते हैं, यह भारत की संस्कृति है, यहां पर राम अगर वनवास जाते हैं, तब उनको भगवान कहा जाता है। अगर वे वनवास नहीं जाते तो भगवान की पदवी उनको कभी नहीं मिलती। यहां तो जिन्होंने गद्दी को लात मारी है, उनकी पूजा हुई है। इसलिए अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति के प्रति मजाक करना ठीक नहीं है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप केवल एक सी.बी.आई. को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, इसी का मैंने संशोधन दिया है। क्योंकि सी.बी.आई. ने बहुत से जो जंगल के शेर थे, उनको सरकस का शेर बना दिया है। यह सबसे बड़ी गलती हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो अपने इलाके में, अपने-अपने प्रदेश में क्षत्रप थे, जिनकी धाक थी, लेकिन सी.बी.आई. ने सब को सरकस का शेर बना दिया। सी.बी.आई. कहती है कि आपके खिलाफ कुछ सबूत हैं तो तुरंत बेचारे बैठ जाते हैं, यह तो बहुत गजब की बात है।

'महजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा,
जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा,
जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं
और जब मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा।'

आपकी सी.बी.आई. ने इस तरह का काम किया है कि आज जो बड़े-बड़े तीस मार खां लोग हैं,

मैंने कहा कि वे जंगल के शेर सरकस के शेर हो गये हैं। इसमें थोड़ा संशोधन लाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी, आपने अपनी छाप छोड़ी है, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपके वजन थे, आप गुरू नानक देव जी को मानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जो वचन दे दिया, उसके लिए अगर जान भी चली जाये तो वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए, इसलिए जो कम से कम तीन विषय आपने अन्ना हजारे जी को चिट्ठी लिख कर भेजे थे, उन पर अड़ जाइये कि इसमें रहेंगे, नहीं तो अगर आप और भी दस सालों तक प्रधानमंत्री रह जायें तो शायद जनता आपको याद नहीं करेगी, लेकिन यदि इस पर आप अड़ जायें तो मैं समझता हूं कि देश के प्रति एक बहुत अच्छा संदेश जायेगा और दुनिया समझेगी कि देश का, हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री कैसा है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): सर, यह एवान कानूनसाजी का मख्तदर इदारा है। जो तीन बिल इस एवान में पेश किये गये, सबसे पहले आपकी इजाजत से मैं व्हिसल ब्लोअर बिल पर बात करूंगा, क्योंकि बहुत से मुअज्जिज अराकीन ने इस पर ज्यादा तबसरा नहीं किया। इस बिल के ताल्लुक से मेरे पास सिर्फ चार पाइंट्स हैं। एक यह कि इस व्हिसिल ब्लोअर बिल में विक्टीमाइजेशन की सही तारीख नहीं की गई, इसकी डैफिनिशन नहीं बताई गई। लॉ कमीशन ने कहा था कि एक गवाहों की तहाफुज़ात का प्रोग्राम, विटनैस प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाया जाये, इसके ताल्लुक से इसमें जिक्र नहीं है।

दूसरी बात, जो गलत कम्प्लेंट देता है, किसी हुकूमत

के मुलाजिम के खिलाफ गलत शिकायत करता है तो लॉ कमीशन की सिफारिशात में था कि उन पर जुर्माना आयद किया जाये, उसका भी इसमें जिक्र नहीं है। इस बिल में इनकिसाफात की तारीफ सही तरीके से बयान नहीं की गई है, जिस तरीके से लॉ कमीशन ने उसकी तारीफ की थी, उसका जिक्र इसमें नहीं है। विजिलेंस कमीशन को जो अख्तियारात हैं, वे बिल्कुल ही सिर्फ सिफारिश की हद तक हैं। या वे सिफारिश कर सकते हैं और जब डिपार्टमेंट की कॉम्पीटेंट एथॉरिटी के पास जायेगा तो या तो वे कबूल कर सकेंगे, अगर कबूल नहीं करते तो उनको लिख कर देना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि विजिलेंस कमीशन को भी ज्यादा अख्तियारात दिये जायें कि अगर वे किसी मुलाजिम के खिलाफ सिफारिश करते हैं कि आगे की कार्रवाई की जाये तो उसको पूरा किया जाये।

व्हिसल ब्लोअर बिल के ताल्लुक से तो यकीनन हुकूमत की मैं ताईद करूंगा, मगर लोकपाल और लोकायुक्त बिल पर मैं ताईद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि यह बिल पार्लियामेंट के ताने-बाने को कमजोर कर रहा है। यकीनन करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा संगीन खतरा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, मगर हमारा मानना यह है कि करप्शन से ज्यादा खतरा इस मुल्क को दानिशवराना बददयानती से है। इसकी हम कैसे रोकथाम करेंगे? आज उसी दानिशवराना बदनीयती का शिकार हम लोग हैं, दलित लोग हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इस इंटेलेक्चुअल करप्शन का हम कैसे खात्मा करेंगे? इस बिल के सिलसिले में मैंने दो तरमीमात पेश की हैं, एक यह कि लोकपाल के दायरेकार से वजीरे आजम को निकाला जाए। उसे क्यों निकाला जाए? हमारी पार्लिमानी जमहुरियत में वजीरे आजम एक जलीलुकदर ओहदा है और जो भी उस ओहदे पर फायज होता है, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, चाहे उस जमात से उसका ताल्लुक हो, जिससे मैं राजी नहीं हूं। मगर यह एक ऐसा ओहदा है, जिसकी हम सब इज्जत करते हैं कि कम से कम कोई उस ओहदे पर शक न करे। यह जो कानून आप बनाने जा रहे हैं, इसकी बुनियाद इस दायरे से शुरू होती है कि वजीरे आजम भी करप्ट है, वजीरे आजम पर भी इल्जाम लगाया जा सकता है, इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत कर रहा हूं।

रहा सवाल मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी का, तो तारीख में मोर्रिख लगेगा कि हिंदुस्तान की तारीख का एक ऐसा वजीरे आजम गुजरा जिसके किरदार पर कोई दाग नहीं, मगर मनमोहन सिंह यहां पर रहेंगे, कल कोई और वजीरे आजम आएगा, किसी भी जमात से आएगा, अगर हम आमिलाना इख्तियारात किसी भी वजीरे आजम से छीन लेंगे, तो कौन सा वजीरे आजम काम करने के लिए तैयार होगा? मुझे बताइए कि कौन सा वजीरे आजम काम करने को तैयार होगा? मुझे अफसोस होता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि वे अपने नौजवान को लाना चाहते हैं, मगर कैसे लाना चाहते हैं, वह तो ऐसे माहौल को तैयार कर रहे हैं कि अगर कोई आ भी जाएगा, तो कोई काम वजीरे आजम नहीं कर सकेगा।

दूसरी तरमीम जो मैंने इस बिल के ताल्लुक से पेश की है, वह यह है कि किसी एम.पी. के खिलाफ सात साल की लिमिटेशन पीरियड दी गयी है। अगर आप और हम इलेक्शन जीतकर आते हैं, इलेक्शन पिटीशन अगर हमारे खिलाफ कोई डालता है, तो उसकी मियाद या उसकी लिमिटेशन छह महीने का होता है, तो मैंने तरमीम पेश की छह महीने का वक्त उसे दिया जाए, जबकि सात साल का वक्त दे रहे हैं।

तीसरी बात, मैं वजीरे आजम से जानना चाहूंगा कि एक अनस्टार्ड क्वैश्चन मेरे नाम से आया था, 21-12-2011 को, सिविल सर्वेंट के ऊपर, आपकी इजाजत से मैं अंग्रेजी में उस क्वैश्चन की दो चीज पढ़ना चाहूंगा। उसमें यह सवाल था,

[अनुवाद]

क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारीगण तथा श्रेणी-I के अन्य अधिकारीगण भ्रष्ट कृत्यों में लिप्त पाये गये हैं। दूसरा था, क्या सरकार का इस अग्रणी सेवा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए नियमावली और सिविल सेवा नियमों में संशोधन करने का विचार है।

[हिन्दी]

जवाब यह आता है हुकूमत की तरफ से, वजीरे आजम के दफ्तर से जवाब आता है कि

[अनुवाद]

सेवा नियमों में भ्रष्टाचारमुक्त तथा पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपबंध हैं।

[हिन्दी]

यह तजाद क्यों है फिर? आप एक तरफ जवाब दे रहे

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

हैं कि आपको किसी भी कानून की जरूरत नहीं है। मौजूदा सर्विस रूल्स काफी हैं, तो आप क्यों लोकपाल ला रहे हैं। मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं अनस्टार्ड क्वैश्चन नंबर 4471, जो 21-12-2011 का है।

चौथी और आखिरी बात, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि सेक्शन 24, दफा 24, कपिल सिब्बल साहब चले गए, दफा 24 में कम से कम कानून बनाने वालों को यह सोचना चाहिए था कि आपके इस ऐवान की इज्जत यह कुर्सी है। अगर आप इस कुर्सी पर शक करेंगे और इस कुर्सी को लोकपाल के दायरे में लायेंगे, तो सबकी तौहीन है। आप यह कह रहे हैं कि दफा 24 के तहत स्पीकार को लोकपाल को जवाब देना पड़ेगा। मुझे याद है सर, इसी कुर्सी पर पिछली पार्लियामेंट में सोमनाथ चटर्जी बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट का एक मसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से जवाब पूछा तो सोमनाथ चटर्जी ने ऐवान में सेंस आफ हाउस लेकर कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। लोकपाल को स्पीकर बनाती है, वह उसमें मेंबर है और स्पीकर को जवाब देना पड़ेगा। बताइए कौन सा कानून है, अगर बहैसियत एम.पी. मेरे खिलाफ चार्जशीट फाइल होता है, तो मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं। आप यह कह रहे हैं कि अगर चार्जशीट फाइल होगी, तो स्पीकर मेरे खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होगा। यह कौन सा कानून आप बनाने जा रहे हैं?

सर, आखिरी और अहम बात कहूंगा। यह बहुत ही अहम मुद्दा है, जिसको हुकूमत भूल गयी है। दफा 14 एक में यह बात लिखी गयी है कि जो कोई भी लोगों से चंदा लेते हैं, उनके ऊपर भी लोकपाल आएगा। जो बाहर से पैसा मंगवाते हैं, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे कई दीनी मदरसे मुसलमानों के हैं, जिनके पास कानून की परमीशन है, आप यह कह रहे हैं कि वह भी लोकपाल में आएंगे। आप एक तनाजा खड़ा कर रहे हैं यहां पर, आने वाले इंतेखाबात जो रियासत में होने वाले हैं, मैं आपसे साफ और वाजिह तौर पर कह रहा हूं कि वजीरे आजम साहब कि दीनी मदरसों के जिम्मेदार इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे कि आप उनको भी शक के दायरे में ला रहे हैं।

जब आप परमिशन दे रहे हैं हुकुमत की पूरे अख्तियारात आपके पास हैं, इसके बावजूद भी आप कर रहे हैं।

आखिरी प्वाइंट मैं माइनॉरिटी के बारे में कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। माइनॉरिटिज को लोकपाल में उनका हिस्सा देने का मुअजिज कायदे अपोजिशन ने कहा कि हमारे मुल्क में कई मुसलमानों को सदरे जमहुरिया के ओहदों पर फाईज किया गया। मैं आज साफ और वाजे तौर पर इस ऐवान से कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को अब तक किसी मुसलमान सदरे जमुरिया की हरगिज जरूरत नहीं है। आप हमको नौकरी दीजिए। आप हम को ताहफपुज़ात दीजिए। आप हमको जिन्दगी का तहफफुज दीजिए। सदरे जमहुरिया के ये सब ओहदों से फायदा होने वाला नहीं है। हम को एक चपरासी को नौकरी नहीं मिल सकती है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है - कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे कर दिल बहलाया गया हूं। आखिर कब तक आप खिलौने दे कर हमारा दिल बहलाएंगे। रहा सवाल की मुल्क टूटेगा अगर माइनॉरिटिज को देंगे तो जहां तक मुल्क के टूटने का सवाल है तो इस मुल्क के 19 परसेन्ट लोगों को इस लोकपाल में नुमाइंदगी नहीं देंगे तो यह कौन-सा लोकपाल होगा?

सभापति महोदय: कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री असादूद्दीन ओवेसी: मैं थोड़ी देर में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। कहा गया कि मुल्क मजबूत नहीं होगा। रिवर्जेशन तो दूर की बात है, हम इस नाइंसाफी के साथ जिन्दा नहीं रह सकते। जो लोग आज मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं, कहां थे वे लोग जब हमने देश की तहरीक शुरू की। कहां थे वे लोग? हम अल्लामा फजले खैराबादी के जानशीन हैं। क्याा इस मुल्क में मुसलमान होना जुर्म है? क्या हम इस मुल्क में दूसरे नम्बर के शहरी हैं कि हमको तहफ्फुजाताहीं दिए जा सकते। आज इस मुल्क की हकीकत यह है कि 75 फीसदी हिन्दुओं को तहफ्फुजात और मुसलमानों को तीन परसेंट हासिल होता है। हमको खैरात नहीं चाहिए, हमको हुकूमत से अपना हक चाहिए। इसलिए मैं आखिरी में आपसे अपील करूंगा कि मैं लोकपाल और लोकायुक्त बिल का साथ नहीं दे सकता। वजीरे आजम साहब, आप किशन बाबू राव को ज्यादा अहमियत मत दीजिए। उन्होंने बहुत ड्रामा कर लिया। कानून तो यह बनना चाहिए कि अगर हिन्दुस्तान में कोई भूख हड़ताल करेगा तो उसके साथ एक डॉक्टर होगा जो रोज उसका वजन देखेगा कि वह क्या खा रहा है, क्या पी रहा है? एक मजाक बना रहे हैं। वर्ष 2009 में ऐसा ही हुआ। दिसम्बर 2009 में

भूख हड़ताल के लिए आन्ध्र प्रदेश में फैसला आप ने लिया और हम भुगत रहे हैं। आन्ध्र की अवाम भुगत रही है। आखिर आप कब तक दबाव में आएंगे। इसलिए आप से गुजारिश है कि आप ब्लैक मेलिंग से सकब मत होइए, आप रोब के साथ हुकूमत करिए। मैं इस बिल का ताईद नहीं कर सकता हूं।

جناب اسدالدین اوویسی (حیدرآباد): جناب، یہ ایوان قانون سازی کا ایک مقتدر ادارہ ہے۔ جو تین بل اس ایوان میں پیش کئے گئے، سب سے پہلے میں آپ کی اجازت سے وہسل بلوور بل پر بات کروں گا، کیونکہ بہت سے معزز اراکین نے اس پر زیادہ تبصرا نہیں کیا۔ اس بل کے تعلق سے میرے پاس صرف چار پوائنٹس ہیں۔ ایک یہ کہ اس وہسل بلوور بل میں وکٹمائزیشن کی صحی تعریف نہیں کی گئی، اس کی ڈیفنیشن نہیں بتائی گئی۔ لاکمیشن نے کہا تھا کہ گواہوں کی تحفظات کا پروگرام بنایا جائے، وٹنیس پروٹیکشن پروگرام بنایا جائے، اس کے تعلق سے اس میں زکر نہیں ہے۔

دوسری بات جو غلط کمپلینٹ دیتا ہے کسی حکومت کے ملازم کے خلاف غلط شکایت کرتا ہے تو لاکمیشن کی سفارشات میں تھا کہ ان پر جرمانہ عائد کیا جائے اس کا بھی اس میں زکر نہیں ہے۔ اس بل میں انکشافات کی تعریف صحی طریقے سے بیان نہیں کی گئی ہے، جس طرح سے لاکمیشن نے اس کی تعریف بیان کی تھی، اس کا زکر اس میں نہیں ہے۔ وجلینس کمیشن کو جو اختیارات ہیں وہ بالکل ہی صرف سفارش کی حد تک ہے۔ یا تو وہ سفارش کر سکتے ہیں اور جب ڈپارٹمنٹ کی کامپٹینٹ اتھارٹی کے پاس جائے گا تو یا تو وہ قبول کر سکیں گے اور اگر قبول نہیں کر سکتے تو ان کو لکھ کر دینا پڑے گا۔ میں چاہوں گا کہ وجلینس کمیشن کو بھی زیادہ اختیارات دئے جائیں کہ اگر وہ کسی ملزم کے خلاف سفارش کرتے ہیں کہ آگے کی کاروائی کی جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔

وہسل بلوور بل کے تعلق سے تو یقینا حکومت کی میں تائید کروں گا، مگر لوک پال اور لوک آیکت بل پر میں تائید نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا، اس لئے نہیں کر سکتا کہ یہ بل پارلیمنٹ کے تانے بانے کو کمزور کر رہا ہے۔ یقینا کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کے لئے ایک بہت بڑا سنگین خطرہ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ کرپشن سے زیادہ خطرہ اس ملک کو دانشورانہ بد دیانتی سے ہے۔ اس کی ہم کیسے روک تھام کریں گے؟ آج اسی دانشورانہ بد دیانتی کا شکار ہم لوگ ہیں، دلت لوگ ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں intellectual dishonesty اس انٹلیکچول کرپشن کا ہم کیسے خاتمہ کریں گے؟ اس بل کے سلسلے

میں میں نے دو ترمیمات پیش کی ہیں، ایک یہ کہ لوک پال کے دائرہ کار سے وزیرِ اعظم کو نکالا جائے۔ اسے کیوں نکالا جائے؟ ہماری پارلیمانی جمہوریت میں وزیرِ اعظم ایک بہت عظیم عہدہ ہے اور جو بھی اس عہدے پر فائز ہوتا ہے، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو چاہے اس جماعت سے اس کا تعلق ہو جس سے میں راضی نہیں ہوں۔ مگر یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس کی ہم سب عزت کرتے ہیں کہ کم سے کم اس عہدے پر شک نہ کرے۔ یہ جو قانون آپ بنانے جا رہے ہیں، اس کی بنیاد اس دائرہ سے شروع ہوتی ہے کہ وزیرِ اعظم بھی کرپٹ ہے۔ اسی لئے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں۔

رہا سوال منموہن سنگھ جی کی ایمانداری کا تو تاریخ میں مورخ لکھے گا کہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک ایسا وزیرِ اعظم گزرا جس کے کردار پر کوئی داغ نہیں۔ مگر منموہن سنگھ جی یہاں پر رہیں گے۔ کل کوئی اور وزیرِ اعظم آئے گا، کسی بھی جماعت سے آئے گا۔ اگر ہم عاملانہ اختیارات کسی بھی وزیرِ اعظم سے چھین لیں گے تو کون سا وزیرِ اعظم کام کرنے کے لئے تیار ہوگا؟ مجھے بتائے کہ کون سا وزیرِ اعظم کام کرنے کو تیار ہوگا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کانگریس پارٹی کے اوپر کہ وہ اپنے نوجوانوں کو لانا چاہتے ہیں، مگر کیسے لانا چاہتے ہیں، وہ تو ایسے ماحول کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آ بھی جائے گا تو کوئی کام وزیرِ اعظم نہیں کر پائے گا۔

دوسری ترمیم جو میں نے اس بل کے تعلق سے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایم۔ پی۔ کے خلاف سات سال کی لمیٹیشن پیریڈ دی گئے ہے۔ اگر آپ اور ہم الیکشن جیت کر آتے ہیں اور اگر کوئی ہمارے خلاف الیکشن پیٹیشن ڈالتا ہے تو اس کی معیاد چھ مہینے کی ہوتی ہے تو میں نے ترمیم پیش کی ہے کہ چھ مہینے کا وقت اسے دیا جائے جبکہ سات سال کا وقت دیا جا رہا ہے۔

تیسری بات، میں وزیرِ اعظم سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ان اسٹارڈ کوشچن میرے نام سے آیا تھا 21.12.2011 کو، سول سروس کے اوپر، آپ کی اجازت سے میں انگریزی میں اس کوشچن کی دو چیزیں پڑھنا چاہوں گا اس میں سوال تھا کہ whether it is a fact that a number of IAS, IPS and other Class 1 Officers, especially in States, whether the are found involved in corrupt practices دوسرا تھا

Government proposes to amend the Conduct Rules and civil Services Rules to make the premier service clean. جواب یہ آتا ہے حکومت کی طرف سے، وزیرِ اعظم کے دفتر سے جواب آتا ہے کہ The Service Rule contain sufficient provisions to ensure clean and transparent administration. یہ تضاد کیوں ہے پھر؟ آپ ایک طرف جواب دے رہے ہیں کہ آپ کو کسی بھی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ سروس رولز کافی ہیں، تو آپ کیوں لوک پال لا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں ان اسٹارڈ کوشچن نمبر 4471 جو 21.12.2011 کا ہے۔

چوتھی اور آخری بات، میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ سیشن 24، دفعہ 24، کپل سبل صاحب چلے گئے دفعہ 24 میں کم سے کم قانون بنانے والوں کو یہ سوچنا چاہئے تھا کہ آپ کے اس ایوان کی عزت یہ کرسی ہے۔ اگر آپ اس کرسی پر شک کریں گے اور اس کرسی کو لوک پال کے دائرے میں لائیں گے سب کی توہین ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دفعہ 24 کے تحت اسپیکر کو لوک پال کو جواب دینا پڑے گا۔ مجھے یاد ہے سر، اسی کرسی پر پچھلی پارلیمنٹ میں سومناتھ چٹرجی بیٹھے تھے، سپریم کورٹ کا ایک مسئلہ تھا۔ سپریم کورٹ نے اسپیکر سے جواب پوچھا تو سومناتھ چٹرجی نے ایوان میں سینس آف ہاؤس لے کر کہا تھا کہ میں جواب نہیں دوں گا۔ لوک پال کو اسپیکر بناتی ہے، وہ اس میں ممبر ہے اور اسپیکر کو جواب دینا پڑے گا۔ بتائے کون سا قانون ہے، اگر بحیثیت ایم۔ پی۔ میرے خلاف چارج شیٹ فائل ہوتی ہے تو میں الیکشن لڑ سکتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر چارج شیٹ فائل ہوگی تو اسپیکر میرے خلاف ایکشن لینے کے لئے مجبور ہوگا۔ یہ کون سا قانون بنانے جا رہے ہیں؟

جناب، آخری اور اہم بات کہوں گا، یہ بہت ہی اہم مدہ ہے، جس کو حکومت بھول گئی ہے۔ دفعہ 14 ایک میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو کوئی بھی لوگوں سے چندہ لیتے ہیں ان کے اوپر بھی لوک پال آئے گا۔ جو باہر سے پیسہ منگواتے ہیں، یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا

ہوں کہ ایسے کئے دینی مدرسے مسلمانوں کے ہیں، جن کے پاس قانون کی پریشن ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی لوک پال میں آئیں گے۔ آپ ایک تنازہ کھڑا کر رہے ہیں یہاں پر۔ آنے والے انتخابات جو ریاستوں میں ہونے والے ہیں، میں آپ سے صاف اور واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں وزیرِ اعظم صاحب کہ دینی مدرسوں کے ذمہ دار اس کے خلاف احتجاج کریں گے کہ آپ ان کو بھی شک کے دائرے میں لا رہے ہیں۔ جب آپ پریشن دے رہے ہیں، حکومت کے پورے اختیارات آپ کے پاس ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کر رہے ہیں۔

آخری بات میں مائنوریٹی کے بارے میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ مائنوریٹیز کو لوک پال میں ان کا حصہ دینے کا معزز قائدِ اپوزیشن نے کہا کہ ہمارے ملک میں کئی مسلمانوں کو صدرِ جمہوریہ کے عہدہ پر فائز کیا گیا۔ میں آج صاف اور واضح طور پر اس ایوان سے کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو اب کسی مسلمان صدرِ جمہوریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہم کو نوکری دیجئے۔ آپ ہم کو تحفظات دیجئے۔ آپ ہم کو زندگی کا تحفظ دیجئے۔ صدرِ جمہوریہ کے ان سب عہدوں سے ہم کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم کو ایک چپراسی کی نوکری نہیں مل سکتی ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ۔۔۔۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں ۔۔ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں

آخر کب تک کھلونے دے کر ہمارا دل بہلائیں گے۔ رہا سوال یہ ملک ٹوٹے گا اگر مائنوریٹیز کو دیں گے، تو جہاں تک ملک کے ٹوٹنے کا سوال ہے تو اس ملک کے 19% لوگوں کو اس لوک پال میں نمائندگی نہیں دیں گے تو یہ کون سا لوک پال ہوگا۔

میں تھوڑی دیر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ کہا گیا کہ ملک مضبوط نہیں ہوگا۔ ریزرویشن تو دور کی بات ہے، ہم اس ناانصافی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ آج ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں، کہاں تھے وہ لوگ جب ہم نے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا تھا، آزادی کی تحریک شروع کی تھی، ہم علامہ فضلِ خیر آبادی کے جانشین ہیں۔ کیا اس ملک میں مسلمان ہونا جرم ہے؟ کیا ہم اس ملک میں دوسرے نمبر کے شہری ہیں کہ تحفظات ہم کو نہیں دئے جا سکتے ہیں۔ آج اس ملک کی حقیقت یہ ہے کہ 75% ہندوؤں کو تحفظات اور مسلمانوں کو 3% بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ ہم کو

خیرات نہیں چاہئے، ہم کو حکومت سے اپنا حق چاہئے۔ اس لئے آخر میں، میں آپ سے اپیل کروں گا کہ میں لوک پال اور لوک آیکت بل کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کشن بابوراؤ کو زیادہ اہمیت مت دیجئے۔ انہوں نے بہت ڈرامہ کرلیا۔ قانون تو یہ بننا چاہئے کہ اگر ہندوستان میں کوئی بھوک ہڑتال کرے گا تو اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر ہوگا جو روز اس کا وزن دیکھے گا کہ وہ کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے؟ ایک مذاق بنا رہے ہیں۔ سال 2009 میں ایسا ہی ہوا۔ دسمبر 2009 میں بھوک ہڑتال کے آندھر پردیش میں فیصلہ آپ نے لیا اور بھگت ہم رہے ہیں۔ آندھرا کی عوام بھگت رہی ہے۔ آخر کب تک آپ دباؤ میں رہیں گے۔ اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بلیک میلنگ میں نہ آئے، آپ روب کے ساتھ حکومت کیجئے۔ میں اس بل کی تائید نہیں کرسکتا ہوں۔۔۔۔۔شکریہ

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो (पुरुलिया): सभापति महोदय, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर चर्चा में कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 64 वर्षों के बाद, हमने यह देखा है कि भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 41 वर्षों से हमारे देश में लोकपाल का कार्यान्वयन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन, आज तक इस विधेयक को पारित नहीं किया गया है और अब इसे पारित किया जाएगा। अब, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है।

आज, जो विधेयक लोक सभा में पेश किया गया है उससे हमें निराशा हुई है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री नरहरि महतो: हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में यह कहा गया था कि हम एक मजबूत, विश्वसनीय और प्रभावी लोकपाल विधेयक चाहते हैं। लेकिन, हमने इस विधेयक में देखा है कि यह एक कमजोर विधेयक है। यह एक प्रभावी, मजबूत और विश्वसनीय विधेयक नहीं है।

महोदय, हमारे देश में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर जाता है। लेकिन इस विधेयक से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। यह विधेयक कार्यान्वित नहीं होगा।

महोदय, हम हमेशा लोकपाल विधेयक का स्वागत करते हैं। लेकिन, इस लोकपाल विधेयक में लोक सभा और संसद की गरिमामयी स्थिति पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। संसद सदस्य, जो 15 या 16 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी स्थिति की ओर अंगुली उठाई जा रही है।

अतः, महोदय, मेरा सुझाव यह है कि अब सी.बी.आई. सरकार की कठपुतली बन गई है। सी.बी.आई. स्वतंत्र होनी चाहिए और इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। यह इस देश के 130 करोड़ लोगों की इच्छा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री नरहरि महतो: महोदय, स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए और इस प्रकार, एक स्वतंत्र निकाय के रूप में सी.बी.आई. को संघीय व्यवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। संघीय व्यवस्था हमारे देश की गरिमा है और

[श्री नरहरि महतो]

इसे राज्य सरकारों में, लोकायुक्तों को सशक्त करना चाहिए। केंद्र में, लोकपाल अधिक शक्तिशाली होगा और सशक्त होगा जिसके लिए हम कई घंटों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारे देश के शानदार इतिहास, सार्वभौमिकता, इसकी एकता और विविधता के बारे में बताया है, जो कि और अधिक प्रभावी होगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री नरहरि महतो: महोदय, यह हमारे देश के लिए अभिशाप है कि चुनावों के दौरान हम करोड़ों रुपये खर्च करते हैं जिसके कारण हमारे देश में काफी भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है। चुनाव सुधार विधेयक के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अंत में, हम इस सभा की स्वतंत्रता की रक्षा करें और अपने देश की सार्वभौमिकता की रक्षा करें। लोकपाल विधेयक हमारे देश की सार्वभौमिकता और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी बहस के दौरान अधिकतर समय इस विधेयक में कुछ अच्छी बातें शामिल नहीं हैं। इसलिए मैं आपके ध्यान में कुछ लाना चाहता हूं जो वास्तव में ऐतिहासिक है। एक है अभियोजन के लिए अनुमति की जरूरत न होना। यह निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण कदम है। समयबद्ध जांच एवं सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह एक या दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे।

एक बात यह है कि पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मेरा सरकार से अनुरोध है सी.बी.आई. की स्वायत्तता के संबंध में है। यदि आप सी.बी.आई. के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो 95 प्रतिशत मामले जो गैर-राजनीतिक हैं, में सी.बी.आई. ने बेहतरीन काम किया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सी.बी.आई. की स्वायत्तता पर विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में भी लाना चाहूंगा। ऐसी बात जो बहुत दिलचस्प है। मेरे पास आयकर विभाग, जांच निदेशालय की रिपोर्ट की एक प्रति है। यह मधु कोड़ा के समय में झारखंड में खानों के भ्रष्टाचार से संबंधित है। मधु कोड़ा जेल में हैं, परन्तु ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि घूस देने वाले लोगों की सूची में 12 निजी कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत प्रतिष्ठित ब्लू चिप कंपनियां हैं। यदि आप निजी कंपनियों को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो यह न्याय की धारणा के विरुद्ध होगा।

दूसरा मामला यह है। इस भ्रष्टाचार को मुख्यधारा में लाने के लिए श्री हजारे की सराहना करते हैं, परन्तु इस चर्चा के खतरों में से एक खतरा यह है कि राष्ट्र ने यह विश्वास करना प्रारंभ कर दिया है कि लोकपाल से सभी समस्याओं को हल होने जा रहा है। यदि आप इस पर नजर डालें, तो हमें विभिन्न नए सुधारों के माध्यम से भ्रष्टाचार से लड़ना होगा।

उदाहरण के लिए चुनाव सुधारों को लें, टिकट प्राप्त करने के लिए आपको पैसा चाहिए; चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए; सरकार बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए; सरकार गिराने के लिए आपको पैसा चाहिए तथा स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए आपको पैसा चाहिए। इसलिए मूल रूप से लोकपाल एकमात्र 'सिल्वर बुलेट' नहीं होने जा रहा जो समस्या हल कर देगा।

एक दूसरा महत्वपूर्ण खंड, जो आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं वह यह कि हमने कभी भी मामलों के त्वरित निपटान पर चर्चा नहीं की। इसलिए होने यह जा रहा है कि यदि आप लोकपाल बनाने जा रहे हैं, जो लोगों को लगातार अभियोजित करने जा रहा है, तो मामले लंबित पड़े रहेंगे। आप जानते हैं कि "देर से न्याय मिलना न्याय से वंचित करना है।" इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मामले के निपटान की योजना पर ध्यान केन्द्रित करे।

तीसरा मामला, जैसा कि शरद यादव जी ने बहुत दिलचस्प बात कही है वह आर.टी.आई. के बारे में है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकर थके हैं तथा आर.टी.आई. पर कार्य समय के बाद में भी काम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध यह है कि यदि सबकुछ सार्वजनिक दायरे में है, तो आर.टी.आई. की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी चोरियों में एक जो हो रही हैं वह है स्पेक्ट्रम, खदानों आदि जैसे निजी लाभों के लिए सरकारी संसाधनों

का निपटान। इसलिए, मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि सभी कुछ इसके दायरे में लाया जाए।

अंतिम बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जमशेदपुर, झारखंड से हूं। विपक्ष की नेता ने कहा कि वह वहां प्रभावी लोकायुक्त को लागू करेंगी। हम झारखंड के लोग कई वर्षों से भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह झारखंड में प्रभावी लोकायुक्त लागू कर झारखंड के नागरिकों को बचाएं।

[हिन्दी]

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): सभापति महोदय, आपने मुझे लोकपाल विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं भ्रष्टाचार पर बोलने से पहले, लोकपाल विधेयक परं बोलने से पहले सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने 26 सालों तक गांव में संघर्ष किया। उन लोगों के लिए संघर्ष किया जो दो जून की रोटी के लिए तड़प रहे थे। मैंने उन लोगों के लिए संघर्ष किया जिनकी अस्मिता और इज्जत-आबरू बेची जा रही थी, छीनी जा रही थी। मैंने उन लोगों के लिए संघर्ष किया जो गांव में खाट पर नहीं बैठ पाते थे। मैंने उनके लिए संघर्ष किया जो बड़ी-बड़ी सामन्ती हुकुमत के पैरों तले रौंदे जाते थे। जब मैं उन लोगों के लिए संघर्ष कर रहा था, तो लगा कि गांव में ही भ्रष्टाचार है, गांव में ही सामन्ती जुल्म है, गांव में ही लुटेरे लोग हैं। मैंने जेल में रहकर चुनाव जीता, सदन का मैम्बर बना और ओथ लेने के लिए दिल्ली हुकुमत के पास आया। मुझे पिछले सत्र में सदन में पहली बार किसी विषय पर भाग लेने, तमाम माननीय सदस्यों के विचार और राय सुनने का अवसर मिला। मुझे अनुभव मिला कि यह सदन क्या है।

सभापति महोदय, मैं जो कहना चाहता हूं, उसके लिए मुझे कम से कम दस मिनट का समय दिया जाए। मेरी पूरी पीड़ा सुनी जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इतना समय नहीं है, आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कामेश्वर बैठा: पिछले सत्र में जब जन लोकपाल बिल पर बहस चल रही थी, मैंने माननीय सदस्यों की बात सुन रहा था। सरकार की ओर से आंकड़ा पेश हुआ कि विदेशों में 66 लाख हजार करोड़ रुपये काला धन है। विपक्ष की ओर से रिपोर्ट पेश की गई कि 75 लाख हजार करोड़ रुपये हैं। बाप रे बाप, हमने सोचा कि केवल गांव में ही लुटेरे लोग हैं, लेकिन चाहे जिस मामले में हों, असल में लुटेरे लोग यहां बैठे हुए हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि झारखंड राज्य आज जल रहा है। झारखंड आज जल रहा है, हर दिन घटनाएं घट रही हैं। वहां गरीब लोग अपने हक-अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, माओवादी मूवमेंट चल रहा है। मैं सदन और सरकार को बताना चाहता हूं कि जब चाहे पक्ष की ओर से लोकपाल बिल पेश किया गया हो या विपक्ष की ओर से जनलोकपाल बिल की बात की गयी हो...*(व्यवधान)* हमको अनुभव होता है कि कितना भी लोकपाल बिल के लिए, भ्रष्टाचार के लिए अधिनियम-कानून बनाएं, जितना भी सुधार करना है, जो भी सुझाव देना है, सरकार को एक लाइन में मान लेनी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: समाप्त कीजिए, समय हो गया।

श्री कामेश्वर बैठा: महोदय, मुझे पांच मिनट और दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: समय नहीं है, संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री कामेश्वर बैठा: माननीय लालू प्रसाद जी ने सदन में जो बात कही, हालांकि सदन ने उनकी बात पर बहुत हंसी-मजाक किया, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी पूरी बात हमको आत्मसात् हुई है, विश्वास हुआ है और उनकी बात का मैं पूरी तौर पर समर्थन करता हूं। हालांकि बहुत से सदस्य हुए हैं।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि लोकपाल बिल में निश्चित तौर पर माइनारिटी को आरक्षण मिलना चाहिए, दलित, ओ.बी.सी., जनजाति, अनुसूचित जाति आदि तमाम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ हमारा कोटा भी निर्धारित होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब समाप्त करें।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

श्री कामेश्वर बैठा: आज जो कुछ इस सदन में है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार बोलेंगे। कृपया अपना भाषण शुरू करें।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार के वक्तव्य को छोड़कर और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट): सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी आर.एस.पी. की ओर से संसद की सर्वोच्चता की पुन: अभियुक्ति करता हूं तथा लोकपाल पर निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं।

लोकपाल के अधीन प्रधान मंत्री को शामिल करने के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बड़े वित्तीय घोटाले के उजागर, जिसे मंत्रिमंडल के सदस्य और शासक दल के सदस्यों के शामिल होने और इसमें इतनी बड़ी धनराशि शामिल होने के कारण जनता की सोच है कि ये घोटाले प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय के जानकारी के बिना नहीं हो सकता।

प्रधानमंत्री इस देश में कानून से ऊपर नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत उन पर आरोप होने का संबंध है, तो वे भारतीय दंड संहिता और अपराध दंड संहिता के दायरे के अन्तर्गत पूर्णत: आते हैं।

इसके अतिरिक्त, विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों में, अनेक देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे कार्यकारी प्रमुखों को आपराधिक प्रक्रियाओं से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।

इसलिए, मेरा दल यह जोरदार मांग करता है कि प्रधानमंत्री को किसी बहिष्करण या रक्षोपाय के बिना ही - लोकपाल के दायरे के अधीन लाया जाए।

न्यायिक भ्रष्टाचार के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका के सदस्यों के भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने के अनेक मामले सामने आये हैं। चूंकि कमजोर या बेईमान न्यायपालिका के साथ लोकपाल राष्ट्र के हित में नहीं है, इसलिए हमारी मांग है कि न्यायापालिका को जवाबदेह बनाने के लिए (एक) प्रभावी विनियामक और पर्यवेक्षण तंत्र के अधीन लाया जाए। मुझे आशा है कि प्रभावी न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा।

लोकपाल के अधीन सभी रैंक के सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के संबंध में केवल समूह 'क' और समूह 'ख' के अधिकारियों को शामिल करके जनता की चिंताओं को पर्याप्त रूप से दूर नहीं किया जा सकता है।

आम जनता जन्म प्रमाणपत्र या एस.सी./एस.टी. प्रमाणपत्र या ओ.बी.सी. प्रमाणपत्र या बी.पी.एल. प्रमाणपत्र या ड्राइविंग लाइसेंस - जोकि सरकार का जानता को उपलब्ध कराना कर्तव्य है - जैसी सेवाएं प्राप्त करने के लिए घूस देने को बाध्य है।

बी.पी.एल. परिवारों के लाभ को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत भी सेवाएं प्राप्त करने के लिए गरीब जनता घूस देने के लिए बाध्य है।

इसलिए हम मांग करते हैं कि समूह 'क' से समूह 'घ' तक सभी रैंकों में सभी सरकारी अधिकारियों को लोकपाल के अधीन अवश्य लाया जाए।

सभापति महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार: सी.बी.आई. के संबंध में, जनता ने यह देखा है कि शासक दल द्वारा अपने भ्रष्ट कृत्यों के जांच को रोकने तथा विपक्षी दल को तंग करने के लिए सी.बी.आई. का दुरुपयोग किया जाता है। यदि आप कानून के अन्तर्गत ईमानदारीपूर्वक तथा निष्पक्षता से सी.बी.आई. को कार्य करने देना चाहते हैं तो इसे जारी नहीं रखा जा सकता।

इसीलिये, मेरी पार्टी आर.एस.पी. इस विचार पर दृढ़तापूर्वक अडिग है कि या तो सी.बी.आई. के भ्रष्टाचाररोधी शाखा को लोकपाल तंत्र के अधीन कार्य करने के लिए, स्थानान्तरित कर दिया जाए ताकि यह कार्यपालिका के हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त हो या सी.बी.आई. को पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय से हटा लिया जाए और लोकपाल तंत्र के अधीन लाया जाए तथा इसे इसके अधीनस्थ लाया जाए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार: महोदय, बस मैं समाप्त कर रहा हूं।

विधिक शिकायत निवारण तंत्र के बारे, के संबंध में, यह कहना है कि चूंकि जनता उस सेवा-सुपुर्दगी की गुणवत्ता, से शासन की गुणवत्ता जांचती है, जहां भ्रष्टाचार ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया है। हम मांग करते हैं कि शिकायत निवारण तंत्र को विधिक दर्जा दिया जाना चाहिए।

राज्य लोकायुक्तों के संबंध में, हमारे संविधान द्वारा संघीय ढांचा प्रदान किया गया है, जिसमें केन्द्र और राज्यों के पृथक-पृथक चिन्हित विषय है जिस पर विधायकगण कानून बना सकते हैं। संसद जहां केन्द्र में लोकपाल के लिए कानून अधिनियमित कर सकती है। राज्यों को राज्य लोकायुक्तों के लिए कानून बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे केन्द्र के कानून को मॉडल के रूप में ले सकती है लेकिन केन्द्र उन पर केन्द्रीय कानून प्रवर्तित नहीं कर सकती। इसलिए, हमारी मांग है कि राज्यों में लोकायुक्त के प्रावधान के लिए, संसद को संविधान के अनुच्छेद 253 के बजाए अनुच्छेद 252 के अतर्गत ही संसद के अधिनियम को काम करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

डॉ. तरूण मंडल (जयनगर): सभापति महोदय, मैं सं.प्र.ग. सरकार द्वारा लाए गए लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक की पुरजोर आलोचना करता हूं क्योंकि यह इस सभा में पूर्व सत्र में दिए गए आश्वासन विशेषकर इसकी विषयवस्तु और शर्तों से मन मोड़ लिया है।

हम अत्यंत सख्त, प्रभावकारी, स्वायत्त, स्वतंत्र और शक्तिशाली लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक चाहते हैं। परन्तु विधेयक में कुछ संदिग्ध प्रावधान है, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार लोकपाल पर नियंत्रण करना चाहती है और इस प्रकार इसे अप्रभावी बना रही है और इसे स्वतंत्र नहीं रख रही है।

इस प्रकार इन संदिग्ध प्रावधानों को लोकपाल से हटाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से छूट नहीं दी जानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं यह इच्छा व्यक्त की थी कि वे लोकपाल के दायरे में आना चाहते हैं।

सरकार के नियंत्रणाधीन सी.बी.आई. एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। मुझ से पूर्व अनेक वक्ताओं ने सभा में उल्लेख किया है कि सी.बी.आई. का निरंतर दुरुपयोग, अल्पप्रयोग अतिप्रयोग बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किया गया है। इस संस्थान को एक अत्यंत सुदृढ़ स्वतंत्र प्राधिकरण के अधीन होना चाहिए। संसद सदस्यों को भी लोकपाल के अधीन लाया जाना चाहिए। संसद सदस्यों के सभी प्रकार के कार्यकलाप और आचरण को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि लोकपाल में आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे सदस्यों में मतभेद और विमत उत्पन्न होगा। इससे निकाय विशेष से किसी भी प्रकार के आदेश देने में विलंब होगा। इसे नौ सदस्यीय निकाय बनाकर इसे नियंत्रित किया गया है और इसे अधिक प्रभावी बनाया गया है।

मैं दो और बातें कहना चाहता हूं। हम जानते हैं जिस पूंजीवादी व्यवस्था में हम रहते हैं कि कोई भी विधान चाहे वह कितना भी सख्त क्यों न हो लोकपाल और लोकायुक्त के नाम पर भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकता और कोई भी व्यक्ति अथवा सरकारी संस्थान भ्रष्ट होने से बच नहीं सकता। इसलिए इस लोकपाल संस्थान की निगरानी एक स्वतंत्र निकाय द्वारा की जानी चाहिए और सभी हितधारकों और इस संसद में चर्चा करके इसका विकास किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमारा विश्वास यह है कि एक सख्त लोकपाल का विधान बनाकर अथवा सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन की इच्छा व्यक्त करके भ्रष्टाचार को समाप्त और नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक सशक्त जन आन्दोलन के द्वारा उचित सतर्कता और निरंतर निगरानी से इसे रोका जा सकता है।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइये।

अब श्री ओम प्रकाश यादव।

डॉ. तरुण मंडल: व्हिस्ल ब्लोअर के संरक्षण के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें वास्तव में संरक्षण दिया जाए और केवल कागजों तक ही सीमित नहीं रहना चाहता।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारा देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक ओर भ्रष्टाचार मुक्त समाज और राष्ट्र की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता वह है जहां से हमें बहुत पहले मुड़ जाना चाहिए था। मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की एक बात याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि असमानता, विषमता ही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ा कारण है। केन्द्रीय सरकार जो लोकपाल विधेयक लाई है उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। यद्यपि विपक्षी दलों और अन्य लोगों ने इस विधेयक में कई खामियां निकाली हैं पर मेरा मानना यह है कि कोई भी विधेयक अपने आप में पूर्ण और अंतिम नहीं होता है। हर विधेयक में इतनी गुंजाइश होती है कि उसे प्राप्त अनुभव के आधार पर मजबूत और सशक्त बनाया जा सके। इस विधेयक को पास होने दिया जाना चाहिए और अगर आगे आवश्यकता पड़ी तो सरकार के साथ विचार-विमर्श के आधार पर इसमें और संशोधन लाए जा सकते हैं।

महोदय, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है, इसे बहुत पहले होना चाहिए था। लोकपाल विधेयक इस सदन में या दूसरे सदन में पहले भी कई बार लाया गया है लेकिन राजनीतिक इच्छा-शक्ति के अभाव में इसे पास नहीं किया जा सका। आज इस ऐतिहासिक क्षण में यह पहला विधेयक है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जनता के दबाव में यह सरकार द्वारा लाया जा रहा है। यह सरकार की कमजोरी का प्रमाण नहीं बल्कि यह हमारे प्रजातंत्र की मजबूती का प्रमाण है।

महोदय, अधिकांश बीमारियां गरीबी और अमीरी में अंतर नहीं करतीं, पर भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिसका शिकार सबसे ज्यादा गरीब होता है। चाहे वह सरपंच का कार्यालय हो, चाहे वह तहसीलदार का कार्यालय हो या बी.डी.ओ. या डी.एम. का कार्यालय हो, गरीबों का शोषण हर जगह होता है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं हर ऐसे कदम का समर्थन करता हूं जिसमें गरीबों और किसानों की तकलीफ कम होती हो।

महोदय, लोकपाल विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो बहुत पहले आना चाहिए था, इसे देर से सरकार लेकर आई है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइये। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): धन्यवाद सभापति महोदय, हम बड़े लम्बे समय से जिस लोकपाल बिल की प्रतीक्षा कर रहे थे आज वही चिर-प्रतिक्षित बिल संसद में आ गया है। शीतकाल सत्र समाप्त हो रहा है और यह साल भी समाप्त हो रहा है और इस ऐतिहासिक घटना को देखने के हम सभी लोग साक्षी हैं। परन्तु बड़े दु:ख और खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस गंभीरता और गंभीर चर्चा की मुझे उम्मीद थी, सदन में वह गंभीरता मुझे दिखाई नहीं दी।

आज इतने बड़े इश्यू पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन संसद में मुझे गंभीरता का अभाव दिखाई दिया। आज पूरा देश एक संक्रमणकाल से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार ने देश के हर वर्ग को अपनी चपेट में ले लिया है। आज एक समाज सेवी की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बिगुल बजा है, उस बिगुल की आवाज में पूरा देश एकजुट हो गया है। आज देश की लाखों

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जनता दिल्ली और मुम्बई में हो रहे अनशन को देख रही है, टी.वी. और इलैक्ट्रोनिक चैनल के माध्यम से संसद का कार्य-कलाप देख रही है और हमारी गंभीरता को परख रही है। जनता देखना चाहती है कि हम भ्रष्टाचार के प्रति कितने ईमानदार हैं और हमारे दृष्टिकोण में कितनी गंभीरता है। पूर्व में काफी वक्ताओं ने अनुच्छेद और धाराओं पर बहुत प्रकाश डाला है। लेकिन मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं उनके बारे में बात न करते हुए अपने कुछ मोटे-मोटे विचार सदन के समक्ष रखती हूं। अब संसद और सांसदों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाया जाता है। इसलिए जब आज लोकपाल की बात आई तो पूरा समाज भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हो गया और इस जनमानस में कहीं न कहीं यह धारणा भी है कि लोकपाल के आ जाने से हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकेंगे और जो हमारी गरीबी है, उसका कारण कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है और इससे हमारी गरीबी और बेरोजगारी दूर हो जायेगी।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती पुतुल कुमारी: लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्या लोकपाल के हाथ में कोई जादू की छड़ी होगी, जिससे वह आनन-फानन में सारी व्यवस्था को ठीक कर देगा। सर्वप्रथम संसद की सर्वोच्चता और सार्वभौमिकता से परे कोई नहीं है, इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। लोकपाल इन सबसे ऊपर एक चीज बनाई गई है, उसकी कल्पना की गई है और सदन का अध्यक्ष भी उसके प्रति जवाबदेह होगा, यह काफी संगीन लगता है। विधायिका और कार्यपालिका से ऊपर लोकपाल की कल्पना की गई है, उसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन उस लोकपाल की जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती पुतुल कुमारी: महोदय, अब सी.बी.आई. की बात आती है। सी.बी.आई. के बारे में लोगों ने यहां अलग-अलग मत रखे। कुछ ने कहा कि इसे आंशिक रूप से रखना चाहिए और कुछ ने कहा कि सी.बी.आई. को पूरे तरीके से बाहर रखना चाहिए। परंतु मेरा विचार है कि सी.बी.आई. को पूरी तरीके से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि सी.बी.आई. की अपनी एक भूमिका है, उसका अपना एक निष्पक्ष कार्य है। सालों-साल के कार्य-कलाप के बाद सी.बी.आई. ने इतना अच्छा रिकार्ड दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री जोसेफ टोप्पो, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बोलना शुरू कीजिए।

श्रीमती पुतुल कुमारी: सभापति जी, मुझे एक मिनट का समय और दीजिए।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती पुतुल कुमारी: लोकायुक्त कई राज्यों में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है।

सभापति महोदय: जोसेफ जी, आप बोलिये। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

श्री जोसेफ टोप्पो (तेजपुर): सभापति महोदय, मेरे पास बोलने का कितना समय है?

सभापति महोदय: आपके पास केवल तीन मिनट हैं।

श्री जोसेफ टोप्पो: आप हमें दो मिनट दे दीजिए। महोदय, आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसे सारा देश देख रहा है कि हम लोग इस मामले में कितने सैंसिटिव हैं। आज सरकार को भी मालूम हो गया कि देश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। इस मामले को एक बूढ़े आदमी, श्री अन्ना हजारे ने उठाया। इससे पहले भी देश में करप्शन था, लेकिन उसे श्री अन्ना हजारे ने उजागर किया। अभी भले ही चाहे कितना यहां अन्ना जी का विरोध किया जाए, लेकिन हम लोगों को भी उसमें कुछ शर्म आनी चाहिए। आज देश में बहुत करप्शन है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को एक ऐसा बिल लाना चाहिए, जिससे कि विदेशों में हमारे देश का जो करोड़ों-अरबों रुपये का कालाधन पड़ा हुआ है, वह वापिस लाया जा सके। आज कितना पैसा विदेशों में पड़ा हुआ है, आप कहते हैं कि इतने करोड़ रुपये हैं। लेकिन जब आप इस पैसे को वापस लायेंगे? तब कहीं जाकर करप्शन रुकेगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया शांत हो जाइये।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जोसेफ टोप्पो: आप ऐसा बिल लेकर आइये, जिससे कि हमारे देश का जो कालाधन बाहर पड़ा हुआ है, वह वापस लाया जा सके। तब हम लोग आपका पूर्ण समर्थन करेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि अभी करप्शन रोकने के लिए सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है, उससे करप्शन दूर नहीं होगा। हम इसके द्वारा ऐसी पावर किसी को दे रहे हैं, जो हमारे ऊपर यदि अपना हाथ रख देगा तो क्या लोग भस्म हो जायेंगे?

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री जोसेफ टोप्पो: आपको याद होगा कि शिवजी ने किसी को आशीर्वाद दिया था कि तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे, वह भस्म हो जायेगा। इसलिए हम लोग ऐसा बिल लाने नहीं जा रहे हैं जो हम लोगों को खत्म कर सके। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए।

मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसा बिल लाना चाहिए, जिससे वास्तव में करप्शन दूर हो सके।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री थोल तिरूमावलावन (चिदम्बरम): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं लोकपाल में अ.जा., अ.ज.जा., अपिव, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए यू.पी.ए. सरकार का स्वागत और प्रशंसा करता हूं, किंतु मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे आरक्षण के पचास प्रतिशत की ऊपरी सीमा को बढ़ाए। इसे सीमित रखने के पीछे कोई तर्क नहीं है। यदि हम वास्तविक सामाजिक न्याय को लाना चाहते हैं तो, वंचित वर्गों के सभी समुदायों को इसमें शामिल करने के लिए एक विधान पारित किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर विचार करने का भी यह सही समय है।

मैं इस पर बल देता हूं कि लोकपाल के सदस्यों के चयन से पूर्व राष्ट्रीय अ.जा., अ.ज.जा., महिला और अल्पसंख्यक आयोगों के अध्यक्ष से परामर्श किया जाना चाहिए। इस संबंध में इस विधेयक में एक खंड जोड़ा जाना चाहिए।

लोकपाल के सदस्यों के धार्मिक, जातीय और लिंग संबंधी पूर्वाग्रह की जांच करने के लिए एक खंड जोड़ा जाना चाहिए। लोकपाल में किसी भी पद के लिए ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित किसी व्यक्ति का चयन नहीं किया जाना चाहिए।

मैं लोकपाल के परिप्रेक्ष्य में एन.जी.ओ. को शामिल करने के सरकार के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। पंजीकृत 4,30,000 एन.जी.ओ. में से 70 प्रतिशत से अधिक एन.जी.ओ. धार्मिक एन.जी.ओ. है। अधिकांश एन.जी.ओ. राजनैतिक कार्य कर रहे हैं। मैं सुझाव देता हूं कि लोकपाल के अंतर्गत सभी एन.जी.ओ. को लाया जाए।

हमें सभी प्रकार की निजी कंपनियों को लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए। न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े, अन्ना हजारे के आन्दोलन के एक महत्वपूर्ण सदस्य, ने भी इस पर बल दिया किंतु टीम अन्ना ने जनलोकपाल विधेयक में इन्हें शामिल करने से मना कर दिया है। कंपनी घरानों को समावेशित किए बिना हम भ्रष्टाचार को कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे कंपनियों को लोकपाल के दायरे में लाएं।

आज मीडिया समाज में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। उनके पास बड़ी शक्तियां है। हमारे पास मीडिया के वित्तीय कार्यकलापों की निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद नहीं है। इसलिए मैं इस पर जोर देता हूं कि कॉर्पोरेट मीडिया को लोकपाल के दायरे में लाया जाए। कई वरिष्ठ पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इसकी मांग की है।

इस विधेयक में न्यायिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अधिक तवज्जो दी गई है। हमारे पास देश की न्यायपालिका की भूमिका की निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है।

सभापति महोदय: श्री राजू शेट्टी।

श्री थोल तिरूमावलावन: इसने न्यायिक सक्रियता के नाम पर कई अवसरों पर विधायिका की शक्ति को नजरअंदाज किया है। न्यायपालिका आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों से किस प्रकार निपटती है, यह एक उदाहरण

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। चूंकि न्यायपालिका के उच्चस्तर पर आरक्षण नहीं है... इसलिए उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में हमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। उनका प्रतिनिधित्व कम होने के कारण पक्षपात होता है तथा हम जिसे कई निर्णयों में देखते हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह लोकपाल के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई ही न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के लिए सीमित रखे।

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री राजू शेट्टी जो बोलेंगे, वहीं कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): सभापति महोदय, मैं लोकपाल और लोकायुक्त बिल पर अपनी पार्टी की ओर विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश का आम आदमी राजनेता और सरकारी बाबू के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। पुलिस, पटवारी और जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में बिना घूस दिए आम आदमी का कुछ भी काम नहीं होता है। आम आदमी सरकार का टैक्स दे रहा है, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा है कि उसका सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। इस देश में रोजगार और शिक्षा-प्रणाली में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस देश का किसान दुखी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया सब शांत हो जाएं।

श्री राजू शेट्टी: इस देश के किसान एक तरफ आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने की चर्चा हो रही है। लेकिन जिस गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है। आज इस सदन की बहस को पूरे देश की जनता देख और सुन रही है। लेकिन आज सरकार यहां लोकपाल और लोकायुक्त का जो बिल लाई है, वह पूरी तरह से भ्रष्टाचार कंट्रोल रखने के लिए और भ्रष्टाचार का निपटारा करने के लिए उचित नहीं है। उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आज यह बिल इसी तरह से थोपा जा रहा है। मैं सदन से विनती करता हूं कि हमें एक सशक्त लोकपाल बिल की आवश्यकता है ताकि इस देश का पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाये। आज जब सुबह आम आदमी अखबार पढ़ता है तो उसे कोई न कोई भ्रष्टाचार की खबर पढ़ने को मिलती है।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिये।

श्री राजू शेट्टी: आज बहुत सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। करोड़ों रुपये का काला धन आज विदेश में पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ इस देश का गरीब आम आदमी भूखा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अगले वक्ता श्री सानछुमा खुंगुर बैसी मुथियारी है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, आपने वर्ष 2011 के लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं सरकार को भी इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसके साथ ही मेरे कुछ सुझाव हैं।

मैं यह मानता हूं कि आजादी के बाद आज हमारे हिंदुस्तान की उम्र 64 साल बीत चुकी है। महात्मा गांधी ने सभी लोगों को आजादी के लिए पुकारा था। उन्होंने सभी लोगों से वादा किया था कि जब इन सफेद चमड़ी वाले अंग्रेजों को हिंदुस्तान की जमीन से भगा पाएंगे, जब हमें स्वराज मिलेगा, तब सभी धर्मों के लोगों को, सभी समुदायों के लोगों को आजादी का बराबर हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन आज जितने इस हिन्दुस्तान में तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

उन लोगों को असली हिस्से का न्याय नहीं दिया गया है। इसलिए मैं आज सोचता हूं कि इस भ्रष्टाचार की बीमारी के फैलने के कारण से आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी चुनौती आ गयी है। इसलिए मेरी और हमारी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पार्टी की तरफ से मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय: अब आप संक्षिप्त कीजिये।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: इस विधेयक के ऊपर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को इस विधेयक के दायरे में नहीं रहना चाहिए।

[अनुवाद]

उन्हें क्यों शामिल किया जाए? प्रधान मंत्री भारतीय सरकार के कार्यकारी प्रमुख हैं। प्रधान मंत्री की छवि का क्या होगा यदि वे निहित स्वार्थ के कारण आरोपी होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने विदेश जाते हैं? इस स्थिति में प्रधान मंत्री को इस विशेष विधेयक के अधिकार क्षेत्र में क्यों लाया जाए? यह मेरा सुझाव है।

[हिन्दी]

दूसरी बात यह है कि, आप लोगों ने कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओ.बी.सी., वूमेन और अंत में माइनोरिटी लोगों को भी आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन टोटल सदस्यों की संख्या सिर्फ नौ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: नौ में से किन-किन समुदाय के लोगों को आप आरक्षण दे पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि शेड्यूल कास्ट के लिए कम से कम एक, शेड्यूल ट्राइब के लिए कम से कम एक, ओ.बी.सी. के लिए एक, महिला के लिए एक, माइनोरिटी में पांच सम्प्रदाय आते हैं, मुस्लिम के लिए एक, क्रिश्चियन के लिए एक, बुद्धिस्ट के लिए एक, सिख के लिए एक, जैन के लिए एक, तो नौ आरक्षण के लिए देना है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अगले वक्ता श्री कीर्ति आजाद हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा): महोदय, डिस्टर्बेंस बहुत है, क्या मैं यहां से बोलने की अनुमति ले सकता हूं?

सभापति महोदय: आप बोलिये। आप शुरू कीजिये।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आजाद: हाउस ऑर्डर में आ जाये तो मैं शुरू करूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बोलना शुरू कीजिये।

*...(**व्यवधान**)*

श्री कीर्ति आजाद: उनकी काफी बुलन्द आवाज है, शायद मेरी आवाज छुप जाये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बोलिये। आप बोलना शुरू कीजिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माइक चालू है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बैठिये।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कीर्ति आजाद: महोदय, मैं अपनी आवाज खुद नहीं सुन पा रहा हूं तो मैं कहूंगा क्या...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बोलिये, मैं सुन रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति आजाद: महोदय, आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं खुद नहीं सुन पा रहा हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं तो मैं कहूंगा क्या।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कीर्ति आजाद जी, आप शुरू कीजिये।

श्री कीर्ति आजाद: सभापति जी, मैं जब अपनी आवाज ही नहीं सुन पा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने वाला हूं। हम सबने सरकार और अन्ना के लोकपाल की लड़ाई में जो व्हिसलब्लोअर बिल था, उसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी जगह बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कीर्ति आजाद जी, आप बोलिये।

श्री कीर्ति आजाद: आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, कैसे शुरू करूं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आजाद: सभापति जी, आज सुबह से जो चर्चा हो रही है तथा सरकार और अन्ना की लड़ाई में जो लोकपाल चल रहा है, इसमें बीच में एक व्हिसलब्लोअर बिल भी था जिस पर हमने चर्चा करनी थी। उस व्हिसलब्लोअर पर किसी ने भी चर्चा नहीं की। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और असली माने में अगर भ्रष्टाचार से निजात पानी है तो यह आवश्यक है कि व्हिसलब्लोअर बिल को गंभीरता से देखा जाए। वह लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी है, मेरूदंड है। लेकिन उस पर हमने बिल्कुल चर्चा नहीं की। पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि व्हिसलब्लोअर्स के साथ, जो सीटी बजाने वाले लोग हैं, उनके साथ किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। व्हिसलब्लोअर्स पर हमने इस संसद में भी देखा था जब भारतीय जनता पार्टी के तीन सांसदों ने मिलकर कैश फॉर वोट जो स्कैम हुआ था, उस पर भी सबके सामने दर्शाया था। हमारे माननीय नेता और आदरणीय पितातुल्य आडवाणी जी ने भी यह बात कही थी कि उनके सामने यह विषय आया था और उन्होंने कहा कि वे तीन लोग जो व्हिसलब्लोअर्स थे, अगर वे तीन पकड़े जाते हैं तो मैं भी था, क्योंकि मैं उन लोगों को पकड़वाना चाहता था, इसलिए आप मुझे भी जेल में डाल दीजिए। दुख की बात यह है कि वे तीनों व्हिसलब्लोअर्स तो जेल चले गए लेकिन जो दूसरे लोग थे, बेल की बात तो छोड़िये, वे जेल तक नहीं गए। आज व्हिसलब्लोअर्स की जो परिस्थिति बनी है, वह हमारे सामने है। जो बिल इस संबंध में आया है, वह इस प्रकार का है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्हिसलब्लोअर्स को प्रदान नहीं करता।

सभापति जी, हमारे सामने अनेकों उदाहरण हैं। अगर हम पिछले दो वर्षों के आंकड़े उठाकर देखें तो उसमें अनेक नाम मेरे पास हैं जो आर.टी.आई. एक्टिविस्ट थे, उनको मारा गया। एक पुराना केस 2003 का है सत्येन्द्र दूबे का, जिन्होंने एन.एच.ए.आई. के विरुद्ध काम किया, उनको मार दिया गया। हमारे सामने एक और केस मंजुनाथ षण्मुगम का है जो ओ.एन.जी.सी. में जो तेल में मिलावट हो रही थी, उसके विरुद्ध बोलते रहे। जब किसी ने ऊपर नहीं सुना तो फिर वे खुद ही एक मीटर लेकर चैक करने गए। वहां उनको सुरक्षा नहीं मिली और एक सुनियोजित तरीके से उनका मर्डर किया गया। हमारे पास अनेकों केस हैं जो लोकल एक्टिविस्ट के हैं - चाहे वह शशिधर मिश्रा का फुलवारिया विलेज का रहा हो, विट्ठल गीते का रहा हो, वेंकटेश का रहा हो जो आर.टी.आई. एक्टिविस्ट बंगलोर के थे, शमीम मोदी एक श्रमिक आदिवासी संगठन की सीनियर एक्टिविस्ट थीं, कामेश्वर यादव नरेगा को लेकर आए थे। एक सिविल इंजीनियर टर्न्ड एक्टिविस्ट ललित मेहता का शरीर पलामू के कांदू फॉरैस्ट में मिला था। नारायण हराके और ऐसे

[श्री कीर्ति आजाद]

अनेकों हैं जिन्होंने विसल ब्लो किया, एक्टिविस्ट थे, लेकिन उनकी बेरहमी से हत्या की गई। इस बिल के अन्दर व्हिसलब्लोअर्स और उन एक्टिविस्ट्स को किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। जो गलत कंप्लेन्ट करेंगे, उनके विरुद्ध अलग अलग पैनल्टीज तो दी गई हैं। अगर इस बिल का नाम विभीषण बिल होता तो ज्यादा बढ़िया था - घर का भेदी लंका ढहाए - जो घर में ही बैठे हेराफेरी होती हैं, उनको बताता है।

रात्रि 9.00 बजे

यदि उनकी सुरक्षा पुख्ता नहीं की जाए, उनकी आवाज को बंद किया जाए, उनको बोलने का मौका न दिया जाए, पुलिस और प्रशासन को यह न बता दिया जाए कि यह वह व्हिसब्लोअर्स हैं, यदि आप इनको पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं देंगे तो शायद कोई भी सामने नहीं आएगा। इन्होंने कहा कि बेनामी अपील्स नहीं हो सकती हैं। यूनैनीम्स अपील्स कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इन एक्टिविस्टों की स्थिति को देखें, जो परिस्थिति इनकी हुई है, ऐसी परिस्थिति में कोई आदमी सामने आकर अपना नाम क्यों देगा। जब इस तरह से लोगों को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है, जो-जो लोग सामने बढ़कर घोटाले के बारे में बताते रहे हैं, उनके विरुद्ध अगर सुरक्षा पुख्ता नहीं की जाएगी तो वह व्यक्ति सामने आकर अपना नाम क्यों देगा। वह डरेगा कि मेरे साथ कभी भी किसी प्रकार से हो सकता है। इसलिए इस बिल के अंदर गलत कम्पलेंट करने वाले के खिलाफ अलग-अलग पेनल्टीज लगायी हैं, लेकिन जो सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए, वह सुरक्षा के मामले में यह बिल बिलकुल ही चुप है। यह व्हिसलब्लोअर बिल जो आया है, यह यूनाइटेड नेशन्स कनवेंशन अंगेस्ट करप्शन जो वर्ष 2003 में हुआ था, उसमें आर्टिकल 32,

[अनुवाद]

साक्षियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों का संरक्षण

[हिन्दी]

समय का अभाव है इसलिए मैं पूरा पढ़ नहीं सकता हूं। इसमें कहा गया है कि व्हिसलब्लोअर्स और उसके परिवार को यदि विस्थापित करना पड़े तो किया जाए। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, लॉ कमीशन ने भी कहा था। इसी प्रकार से विदेशों में उदाहरण हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उदाहरण है, जहां पर पूरी तरीके से इनकी आइडैंटिटी को बदल दिया जाता है। इनको पूरी तरह से विस्थापित किया जाता है, दूसरी जगह पर रखते हैं, इनके बच्चों को दे दिया जाता है। लेकिन हमारे यहां किस प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी? बेनामी दे नहीं सकता है। साथ में बिल में यह प्रावधान भी है कि आपके केस को हम नहीं ले सकते हैं, यदि आप अपना नाम हेड आफ द डिपार्टमेंट के सामने खुलवाने से मना कर देंगे। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि इस बिल का प्रभाव क्या होने वाला है? पेनल्टीज पर आप ध्यान दें तो लोकपाल बिल, व्हिसलब्लोअर्स बिल और ज्यूडिशियल एकाउंटिबिलीटी बिल है, इन सभी में पेनल्टीज अलग-अलग है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि सरकार ने इन अलग-अलग पेनल्टीज पर दिमाग क्यों नहीं लगाया। इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन माल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया है। माल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे जीता-जागता उदाहरण कॉमनवेल्थ गेम्स है। कॉमनवेल्थ गेम्स में डिले होता रहा, इमरजेंसी के नाम पर, जैसे कि जवाहर लाल स्टेडियम में रेनोवेशन के नाम पर 961 करोड़ रुपए लगा दिए गए, ऐसे-ऐसे पोधे खरीद लिए गए, जो धूप में नहीं रह सकते हैं, बाहर से ऐसी लाइटें मंगा ली गईं जो पांच हजार की थीं, लेकिन 26 हजार में खरीदी गईं। ऐसे अनेकों केस थे जो माल एडमिनिस्ट्रेशन के थे। विलम्ब के कारण से जो गड़बड़ियां होती हैं और पब्लिक को लॉस होता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इस बिल में माल–एडमिनिस्ट्रेशन को लाया जाना चाहिए था और खेद की बात है कि इसके बाद हम वोटिंग करने वाले हैं, बिल को पास करने वाले हैं, लेकिन व्हिसिलब्लोअर्स बिल के ऊपर जो सही रूप से चर्चा होनी चाहिए, वह नहीं हुई है। आप व्हिसल ब्लोअर्स को बेनामी क्यों रखना चाहते हैं। जिस प्रकार से यू.पी.एस.सी. के एग्जाम होते हैं या बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उसके अंदर कोडेड होता है, असली रोल नंबर को हटा दिया जाता है और कोडेड नंबर डाल दिए जाते हैं और उसके बाद...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप संक्षिप्त कीजिए।

श्री कीर्ति आजाद: महोदय, मैं तो संक्षेप में ही कह रहा हूं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इसके ऊपर वोटिंग नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: समय कम है, आप जानते हैं।

श्री कीर्ति आजाद: इस पर हमें कम से कम पूरी तरह से चर्चा करनी चाहिए। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* आप इसे कल कन्टीन्यू क्यों नहीं कराते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: समय कम है।

श्री कीर्ति आजाद: व्हिसिलब्लोअर्स बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। विस्तार से चर्चा हो। मेरे ख्याल से यह सत्ता पक्ष को भी समझना चाहिए। यह हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभी को बोलने का मौका मिला है। आप संक्षिप्त कीजिए।

श्री कीर्ति आजाद: मैं संक्षेप में ही बात कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)* इसको आपको कल लेना चाहिए। आज इस पर वोटिंग न कराएं। इसे कल लें।...*(व्यवधान)* यह नया बिल है। इस बिल पर किसी ने बोला ही नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह कम्बाइन्ड डिस्कशन है। इस पर नए बिल का कोई मतलब ही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति आजाद: कम्बाइन्ड डिस्कशन है तो इसे किसी ने लिया ही नहीं। यह तो आज लेना ही नहीं चाहिए था। आप तीन-तीन बिल लेकर आए हैं।...*(व्यवधान)* मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि सरकार की गंभीरता क्या है?...(व्यवधान) मुझे समझ में नहीं आता।

सभापति महोदय: यह कम्बाइन्ड डिस्कशन है।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति आजाद: यह सरकार तो बिग बॉस है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात संक्षिप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति आजाद: जैसे रियलिटी शो होता है, उसके हाउस की तरह है कि कोई मेहमान आता है, उसे दरवाजे पर लेने जाते हैं। वह अन्दर आता है तो आपस में लड़ते हैं और फिर उसके बाद उसको इविक्वट कर देते हैं।...*(व्यवधान)* इस सरकार ने क्या किया बाबा रामदेव के साथ। कपिल सिब्बल जी उन्हें पूरी कैबिनेट के साथ हवाई अड्डे पर लेने गए थे। लाकर खूब बिठाया और फिर मार कर हवाई जहाज से वापस देहरादून भेज दिया।...*(व्यवधान)* अन्ना हजारे के साथ बैठे रहे।...*(व्यवधान)* सर, इसके ऊपर चर्चा पूरी होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री आरून रशीद।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने उनको संक्षिप्त करने के लिए कह दिया था।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उनका जो एलॉटेड टाइम था, वह खत्म हो गया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बैठ जाइए। बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उनका जो एलॉटेड टाइम था, वह खत्म हो गया है। उससे बहुत ज्यादा दिया गया उन्हें। समय से भी ज्यादा दिया गया उन्हें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): कितना इम्पॉर्टेन्ट बिल है यह?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जे.एस. आरून रशीद (थेनी): सभापति महोदय, यह लम्बे समय से प्रतीक्षित विधेयक है जिसमें कतिपय सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए केन्द्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है...*(व्यवधान)* यह नहीं भूलना चाहिए कि पहली लोकसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सतर्क रही है।...*(व्यवधान)* यह इतिहास है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपने एक घनिष्ठ मित्र को भी हटा दिया था। तब से हम केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

समय बदल रहा है और इसके साथ-साथ स्थापित किए जाने वाले तंत्र के बारे में विचार भी बदल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इसके साथ-साथ लोक सभा का स्वरूप उत्तरोत्तर बदलता रहा हैं और इसके कारण प्रारूप विधेयक भी भिन्न-भिन्न रूपों में आते रहे हैं जिससे अलग-अलग विचार सामने आए हैं और इसके परिणामस्वरूप आज की तारीख तक इसमें अत्यधिक विलम्ब हो चुका है। यह नौवीं बार है...*(व्यवधान)* यह स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की आशा नहीं की जाती है। अतः इस मुद्दे पर व्यापक आम राय बनाने का प्रयास किया गया...*(व्यवधान)* अंत में इसके परिणामस्वरूप लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब इस लम्बी प्रतीक्षा को कुछ व्यग्र आंदोलनकारियों ने लम्बा संघर्ष किए बिना इस संबंध में अपना नाम शीर्ष पर करने के लिए उस प्रतीक्षा को समाप्त करने का प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस ने लोकपाल के लिए...*(व्यवधान)*

हमारे बड़े नेता नेहरू जी के समय से लेकर प्रधानमंत्री के पद को लोकपाल के दायरे से बाहर रखने के बारे में देश में दो राय नहीं थीं। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि माननीय प्रधानमंत्री को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाए। उन्हें लोकपाल में शामिल नहीं किया जाये। लेकिन उन्होंने स्वयं ऐसा करने के लिए कहा है। अनेक अति गोपनीय एजेंसियां, सैन्य सेवाएं उनके अधिकार क्षेत्र में हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* श्रीमती सोनिया गांधी और हमारी सं.प्र.ग. सरकार ने प्रधानमंत्री को भी शामिल करने का वादा किया है। इसमें कतिपय शर्तें हैं। चूंकि प्रधानमंत्री का पद अत्यंत महत्वपूर्ण पद है और संविधान के प्रावधानों के अनुसार वह सरकार के कार्यपालिका अंग के प्रमुख होते हैं। हमें इस बात की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि शरारती तत्वों द्वारा इस विधेयक के उपबंधों का दुरुपयोग करने के कारण प्रधानमंत्री का पद बदनाम न हो...*(व्यवधान)* कांग्रेस इस बात में किसी से पीछे नहीं है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सभी समान हैं। साथ ही कम से कम सरकार के प्रमुख को तो समय-समय पर लगने वाले छिछोरे आरोपों से उनकी छवि को धुमिल किए बिना लोगों और संविधान के समक्ष जवाबदेही तथा मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए जरूर ही बख्श दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* हमारे विधान में सावधानी एवं सतर्कता को अवश्य ही संतुलित करना होगा। इसी कारण जब कई राजनीतिक दलों ने इस लोकपाल में प्रधानमंत्री को शामिल करने का विरोध किया, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को शामिल करने का वादा किया।

लोकतंत्र तो उन सभी अन्य लोगों का उन लोगों में विश्वास है जिनको बहुमत से सत्ता मिली है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जे.एस. आरून रशीद: हम पूरी तरह से शंकालु नहीं हो सकते और किसी संस्थान का निर्माण ऐसी धारणाओं पर नहीं कर सकते कि सभी भ्रष्ट हैं तथा कोई भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जे.एस. आरून रशीद: हमें कुछेक संस्थानों एवं पदों पर विश्वास करना ही होगा। यदि यह लोकतांत्रिक भावना नदारद रहेगी तो लोग अधीर हो जाएंगे तथा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों एवं संसदीय प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का तिरस्कार करना शुरू कर देंगे और उनके प्रति आदर की भावना की धज्जियां उड़ा देंगे।

यह सरकार ऐसी है जिसने श्री अन्ना हजारे को प्रतिष्ठित दर्जा दिया है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जे.एस. आरून रशीद: अन्ना हजारे का दर्जा संसद की हैसियत के बराबर नहीं है। हमें अन्ना हजारे की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। संसद सर्वोच्च है तथा हमारे प्रधानमंत्री सर्वोच्च हैं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री जे.एस. आरून रशीद: हमारे प्रधानमंत्री पहले ऐसे वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने उनकी टीम को मान सम्मान दिया। कभी कभी उनको वाणी एवं व्यवहार असभ्यता की हद तक जा पहुंचते हैं तो भी हम उन्हें नागरिक समाज के रूप में मान्यता देते हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

अब श्री शैलेन्द्र कुमार। इनके भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। संसद के इतिहास में यह बड़ा दुर्भाग्य है कि लॉ एंड जस्टिस का सबसे सीनियर मेम्बर 12वीं, 14वीं और 15वीं लोक सभा में बराबर रहा। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके साथ खुला मजाक किया गया। 30 तारीख को यह कहा गया कि अब डिसकशन बिलकुल समाप्त है, जिस भी सम्मानित सदस्य को डिसेंट नोट देना है, वह दे दे। उसके बाद पहली तारीख को फिर से पुनः आनन-फानन में मीटिंग बुला कर ग्रुप सी और डी को उससे हटाया गया। जबकि 30 तारीख को आम सहमति बनी थी कि ग्रुप सी और डी को इसमें शामिल किया जाए। एक तरीके से स्टैंडिंग कमेटी भी एक मिनी संसद का रूप होता है। यह एक प्रकार से, पूरे तरीके से मजाक किया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि इस बिल में बहुत सारी खामियां हैं। सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी सम्मानित विभिन्न पार्टी के सदस्य स्थाई समिति में थे, उन सब ने असहमत नोट दिया है। अगर उस पर विचार नहीं किया जाता तो संवैधानिक रूप से यह बिल एक तरीके से बिलकुल असंवैधानिक है। इसे पुनः स्टैंडिंग कमेटी में वापस भेजना चाहिए। इस पर डिसकशन हो, तभी जाकर संवैधानिक रूप से इसका प्रारूप बनेगा और सशक्त लोकपाल बिल संसद में आएगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में पुरजोर मांग करता हूं कि पुनः सभी संशोधन, चाहे वह डिसेंट नोट के रूप में हो या अमेंडमेंट बिल हो, तमाम सम्मानित छोटी-छोटी पार्टियां और निर्दलीय सदस्य भी यहां अमेंडमेंट लाए हैं। इन सब पर अगर सरकार विचार करती है तो हम सरकार के साथ हैं और अगर विचार नहीं करती है तो हम इस बिल का विरोध करते हैं, यह बिल अपने आप में असंवैधानिक है।

रात्रि 9.13 बजे

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*)

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति अपनी कृतक्षता और असीम आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी संख्या में इस लगभग 10 घंटे लंबी चर्चा में भाग लिया, जिसमें आधे घंटे का अवकाश हुआ और वास्तव में सत्ता पक्ष या विपक्ष की ओर से कभी-कभी व्यवधान भी हुआ। लेकिन चर्चा जीवंत बनी रही और अनेक मुद्दे पर चर्चा हुई।

मेरे विशिष्ट सहयोगियों - श्री कपिल सिब्बल जी, श्री शशि थरूर जी - विधेयक के प्रस्तावक, श्री नारायणसामी जी ने चर्चा के लिए विधेयक को प्रस्तुत करते समय अनेक मुद्दों पर प्रकाश डाला, और मैं उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं उन कुछेक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जिनका यहां उल्लेख किया गया है और जिनको विशेष रूप से उठाया गया है कि किस कारण से सरकार अनुचित रूप से जल्दबाजी कर रही है। विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया।

[हिन्दी]

अभी बिल क्यों ले रहे हैं।

[अनुवाद]

क्यों

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

[हिन्दी]

जल्दबाजी?

बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पिछले छह महीने से हम लोग सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सदन के बाहर देश इस मुद्दे पर आन्दोलन कर रहा है और चर्चा कर रहा है।

श्री अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल, 2011 से अपना उपवास शुरू किया। इसके पश्चात्, माननीय प्रधान मंत्री ने विचार किया और ठीक ही विचार किया कि हमें सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से चर्चा करनी चाहिए। तत्पश्चात्, हमने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया। श्री अन्ना हजारे ने सिविल सोसाइटी की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वयं सहित पांच लोगों को नामांकित किया और माननीय प्रधान मंत्री जी ने सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझ सहित पांच मंत्रियों को नामांकित किया। हमारे बीच 15 अप्रैल, 2011 से 21 जून, 2011 तक चर्चाओं के नौ दौर हुए।

31 मई, 2011 को मैंने संयुक्त प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में 25 मुख्यमंत्रियों और प्रमुख राजनीतिक दलों को पत्र लिखा। हमें इसके उत्तर प्राप्त हुए। आज हम से पूछा गया है कि सिविल सोसाइटी के साथ चर्चा करने का निर्णय लेने से पूर्व हमने सभी राजनीतिक दलों की बैठक क्यों नहीं बुलाई और उदाहरणार्थ, हमें कुछ प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, श्री नितिन गडकरी, मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष ने 2 जून, 2011 को मुझे लिखा:

> "राजनीतिक दलों से सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों युक्त प्रारूप समिति को स्वीकार या अथवा पर अपने विचार देने की प्रत्याशा करना। उस संवैधानिक मर्यादा को भंग करना होगा, जिसमें दलों, सांसदों और संसद का निर्णय अंतिम होता है। वे निर्णयकर्ता होते है, सुझाव देने वाले नहीं।"

यह सही है कि वे निर्णयकर्ता है, सुझाव देने वाले नहीं। यही कारण है कि हम पुनः संसद के समक्ष आये। हमने विधेयक का मसौदा तैयार किया। एक 2010 विधेयक भी था।

हम पुनः संसद के समक्ष आये। 3 जुलाई, 2011 को हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक से हमें यह अधिदेश प्राप्त हुआ कि हमें विधेयक लाना चाहिए। मैं अन्य राजनीतिक दलों का नाम नहीं ले रहा हूं। कुछ दलों ने कहा है कि वे इस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि उसमें उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं ने हमें लिखा कि जब हम सिविल सोसाइटी के साथ चर्चा कर रहे हैं तब वे क्यों प्रतिक्रिया दें। जो छोटी सी बात मैं समझना चाहता हूं वह यह है कि पिछले आठ महीनों अर्थात् अप्रैल से दिसम्बर, 2011 तक का लंबा इतिहास रहा है।

इसके बाद हमने 3 जुलाई, 2011 को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें हमें यह अधिदेश मिला कि हमें विधेयक लाना चाहिए। विधेयक लाया गया लेकिन सिविल सोसाइटी का आन्दोलन जारी रहा। उन्होंने तिथि नियत कर दी।

कभी-कभी मैं देखता हूं कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि विरोधाभासी रुख अपना लेते हैं। वे सदन के पटल पर जोर-जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि संसद के पास कानून बनाने का प्राधिकार है और यह सही भी है कि यह हमारा क्षेत्राधिकार है। लेकिन कभी-कभी मुझे इस बात को पचा पाने में परेशानी होती है जब मैं उन्हीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को धरना-मंच और सिविल सोसाइटी के आन्दोलनों का समर्थन करते हुए पाता हूं क्योंकि मैं यह भी आशा करता हूं कि हमारे व्यवहार में एकरूपता होनी चाहिए। सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने में मुझे कुछ गलत नहीं लगता। उनके धरना मंच मार्च पर जाना भी मुझे गलत नहीं लगता परन्तु साथ-ही-साथ मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूं और किसी और को यह नहीं करना चाहिए। हमारी याददाश्त को ताजा करने के लिए मैं संक्षेप में एक बार फिर इस पर नजर डालना चाहूंगा।

तत्पश्चात हमसे कहा गया कि सरकार को यह विधेयक 15 अगस्त तक पारित करना है और यदि ऐसा नहीं होता है तो वे लोग पुनः विरोध-प्रदर्शन आरंभ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से श्री अन्ना हजारे से अपील की कि संसद में चर्चा चल रही है और सरकार कुछ हल निकालने का प्रयास कर रही है और वे अनशन पर न जाएं। परन्तु इस बात को अनसुना कर दिया गया। पुनः प्रदर्शन आरम्भ हुआ। 24 अगस्त को सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक हुई। 27 अगस्त को मैने जो कहा था वह सभा की भावना थी। वह मेरा

बनाया मसौदा नहीं था। यह राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरे तथा मेरे सहयोगियों के द्वारा सामूहिक रूप से तैयार किया गया मसौदा था जो दिन भर की बहस के पश्चात् बनाया गया।

उसमें तीन मांगें की गई थीं। श्री अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों द्वारा ये मांगें की गई थीं कि यह कहते हुए कि वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे और आन्दोलन स्थगित करेंगे बशर्ते उनकी इन मांगों को मान लिया जाए। पहली मांग यह थी कि लोकपाल और लोकायुक्त एक साथ लाना चाहिए; दूसरी मांग नागरिक अधिकार-पत्र की थी और तीसरी मांग यह थी कि निचले स्तर के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात के साथ एक समुचित तंत्र की मांग भी की। हमने मात्र सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की भावनाओं का मान रखने के लिए यह अभूतपूर्व कदम उठाया कि हमने माननीया लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति से निवेदन किया कि दोनों सभाओं की उस दिन की पूरी कार्यवाही उस विधेयक पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने और सिफारिशें देने के लिहाज से स्थायी समिति के अवलोकनार्थ भेजी जाएं। जिसे इसके प्रथानुसार उसे भेजा है। स्थायी समिति ने इस पर विचार किया। उसका प्रतिवेदन भी है। समिति की कितनी बैठकें हुई कितने साक्षियों का साक्ष्य लिया गया और क्या साक्ष्य रिकार्ड किया गया - इसकी विस्तृत जानकारी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में है और मैं इस पहलू में विस्तार में नहीं जाऊंगा। 6 दिसम्बर को जब यह प्रतिवेदन राज्य सभा के समक्ष रखा गया और इसके पश्चात, परम्परा के अनुसार, हमने विचार किया कि हमें अब यह विधेयक तैयार करना चाहिए और स्थायी समिति की सिफारिशों और संबंधित मांगों पर चर्चा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पुन: एक बैठक बुलाई गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तब आन्दोलन चल रहा था। यहां तक कि, उन्होंने इस सभा के समक्ष रखे गए प्रारूप विधेयक को सबके सामने जला दिया। प्रदर्शन की धमकियां जारी रहीं। हमने यह किसी दबाव अथवा धमकी के अंतर्गत नहीं किया, बल्कि हमने लोकपाल के रूप में एक प्रभावी और सख्त भ्रष्टाचार रोधी विधान बनाना चाहा है जो ऑबंड्समैन की तर्ज पर स्वतंत्र होगा और सभी उच्च पदों से होने वाले भ्रष्टाचार की जांच करेगा।

इसलिए हमने हमारे पास आए विभिन्न सुझावों और आदानों की जांच की और फिर सर्वदलीय बैठक में उन पर चर्चा की जहां प्रधानमंत्री ने सभी से यह निवेदन किया और लोकपाल संस्था में लोकपाल के चयन में आरक्षण सहित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अ.पि. वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए लोकपाल में आरक्षण का सुझाव दिया गया। यह सब कोई किसी जादू के करतब से नहीं हुआ। अलग-अलग समय पर सभा के भिन्न-भिन्न पक्षों अथवा राजनैतिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न वर्गों से सुझाव आते रहे। फिर हमने विधेयक के अधिकतम सुझावों को यथासंभव विधेयक के पाठ में शामिल करने का प्रयास किया और सभा के इसी सत्र में विधेयक लाने का प्रयास किया। हम यह संदेश देना चाहते थे कि यही वह उचित समय है कि जब हमें यह कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, मैं उस विधान की कुछ मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना चाहता हूं जिनका हमने इस विधेयक में उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने कहा 14 दिसम्बर की बैठक में हमने उन सभी दस मदों पर चर्चा की, नामत:, प्रधानमंत्री को अपवर्जित विषयों और विशेष सुरक्षोपाय सहित लोकपाल के दायरे में लाना, निचले स्तर के कर्मचारियों को लोकपाल के अधीन लाना; गैर सरकारी संगठनों, कार्पोरेट घरानों को लोकपाल में लाना, सी.बी.आई. पर लोकपाल का नियंत्रण अथवा उसकी स्वयं की स्वतंत्र जांच-इकाई, लोकपाल की अभियोजन-इकाई, उच्च न्यायपालिका, नागरिक संहिता और लोक-शिकायतों को लोकपाल में शामिल करना; लोकपाल विधान के अंतर्गत ही राज्यों में लोकायुक्त; लोकपाल को फोन टैप करने की शक्तियां, लोकपाल की जवाबदेही और उसमें अ.जा.-अ.ज.जा. अल्पसंख्यकों आदि के लिए आरक्षण।

ऐसा नहीं है कि हमने प्रत्येक सिफारिश और प्रत्येक सुझाव को इसमें शामिल कर लिया है बल्कि संयुक्त प्रारूप समिति में हमारी बातचीत के दौरान सिविल सोसाइटी द्वारा दिए गए सुझावों सहित विभिन्न वर्गों से आए सुझावों को भी इसमें शामिल किया है। मैं इसे दोहराऊंगा नहीं क्योंकि मैंने सर्वदलीय बैठक में भी यह बताया था और मैंने 27 अगस्त के अपने प्रारम्भिक भाषण में भी इसे बताया था और यह सब रिकार्ड पर है। यह कोई रिकार्ड के बाहर की बात नहीं है।

स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए

[श्री प्रणब मुखर्जी]

हमें सुझाव प्राप्त हुए और हमने विधेयक रूपरेखा तैयार की। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस तरह हैं:- संघ के लिए लोकपाल संस्था और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना के लिए एक एकल विधान होगा और इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। राज्य लोकायुक्तों के संबंध में इस विधेयक में एक पृथक भाग, अर्थात् भाग-III/उपबंधित किया गया है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे जिनमें से पचास प्रतिशत सदस्य, न्यायिक सदस्य होंगे अर्थात् इसकी धारा-III स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार, जो लोकपाल के सदस्यों के रूप में चयन के पात्र सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में चयन का भी पात्र रखा जा रहा है, अर्थात् धारा-III/लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कोई निवर्तमान न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रसिद्ध विधिवेत्ता होंगे। लोकपाल के आधे न्यायिक और अन्य सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व., अल्पसंख्यक और महिला वर्गों से होंगे। इसकी चयन समिति में इसी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है, अर्थात् धारा 3 और 4/लोकपाल और इसके सदस्यों को हटाए जाने संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान आदर्श संविधान (संशोधन) विधेयक में न करते हुए इस विधेयक में ही किया जा रहा है, अर्थात् धारा 41/प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है, तथापि विषयवस्तु के अपवर्जन और प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकयतों के निपटारे की विशिष्ट प्रक्रिया के साथ यह प्रावधान किया जा रहा है कि लोकपाल प्रधानमंत्री से जुड़े उन विषयों, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, लोक-व्यवस्था के स्थापन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे मामलों पर प्रभाव डाल सकते हैं, के संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं कर सकता।

इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध किसी प्रकार की प्रारंभिक जांच अथवा पड़ताल शुरू करने का लोकपाल का कोई भी निर्णाय इसकी पूर्ण पीठ द्वारा 4 में से 3 के बहुमत से ही लिया जा सकता है और इस प्रकार की कार्रवाई गोपनीय ढंग से की जाएगी।

अब यह भी प्रस्ताव किया गया है कि समूह 'क' से समूह 'घ' तक के सभी सरकारी कर्मचारी लोकपाल के दायरे में होंगे जैसाकि इस सदन की भावना का यह भाग है कि निचले स्तर के नौकरशाहों को समुचित तंत्र सहित इसके दायरे में लाया जाए - वह समुचित तंत्र केंद्रीय सतर्कता आयोग हो।

यहां, कतिपय प्रश्न उठाए गए हैं। यह कहा गया है कि चयन समिति के उन पांच सदस्यों के कारण यह एक "सरकारी लोकपाल" है, क्योंकि यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है और लोकसभाध्यक्ष सभा में सदन के बहुमत से चुना जाता है। प्रदानमंत्री को लोकसभा के कम से कम 273 सदस्यों का समर्थन हासिल होता है। हम संसदीय सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता की बात तो कर रहे है। किंतु साथ ही साथ यह पूछते हुए इस पर कड़ी आपत्ति भी जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष जिन्हें इस सभा में बहुमत प्राप्त है, उन्हें चयन समिति के सदस्य क्यों होना चाहिए। और यदि वे चयन समिति के सदस्य बन जाएं तो यह "सरकारी लोकपाल" हो जाएगा और यह कि "सरकारी लोकपाल" स्वतंत्र नहीं होगा! हम यह निर्णय करें कि हम चाहते क्या हैं। हम ऐसा भ्रम उत्पन्न न करें। इस सभा में विश्वास रखें जिसके सदस्यों को इस देश के 70 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने चुना है। जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त है उसे हटाने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण यह सदन 273 मतों के साथ यह निर्णय कर ले कि "प्रधानमंत्री जी, हमें आप पर विश्वास नहीं है।" तत्काल ही सरकार गिर जाएगी। जिस क्षण यह सदन 273 मतों के साथ कहे कि हां, "अध्यक्ष महोदया, हमें आपमें विश्वास नहीं है," तो उन्हें भी जाना होगा। किंतु, जब वे सही व्यक्तियों को चुनने के लिए चयन समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में बैठते हैं तो आपको उन पर विश्वास नहीं होता! मुजे दुःख है, अध्यक्ष महोदया, यह जनादेश की सही व्याख्या नहीं है और न ही यह इस संस्था का सम्मान ही है। इस देश में, यदि लोकतंत्र जीवित है तो इसका कारण इस संस्था की मजबूती है। इसकी कई अन्य देशों, जहां संसदीय लोकतंत्र असफल हो चुका है, से तुलना करके देखिए तो एक खामी यह दिखती है कि वहां कोई सुव्यवस्थित संस्थागत तंत्र नहीं था जो लोकतांत्रिक ढांचे का समर्थन करे। हमारे यहां सक्रिय नागरिक-समाज, मीडिया, स्वतंत्र

न्यायापालिका, स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र, और सी.ए.जी. के रूप में सरकारी खर्च का एक स्वतंत्र निरीक्षक और सक्रिय संसद है। इन संस्थाओं ने लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया है। इनमें से कइयों को नियुक्त किया जाता है। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है?...*(व्यवधान)* अचछा, आप सी.बी.आई. के बारे में पूछ रहे हैं?

मैं उस पर आ रहा हूं। मैंने दस घंटे तक प्रतीक्षा की है और मैं एक घंटे और प्रतीक्षा कर सकता हूं।

सी.ई.सी. की नियुक्ति कौन करता है और सी.ए.जी. की नियुक्ति कौन करता है? 1990 के दशक के शुरुआत से पूर्व एडबोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस के निर्णय तक उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था? यह कार्यपालिका ही है। अतः केवल यह दलील देना कि चूंकि इनकी नियुक्ति कार्यपालिका करती है इसलिए वे निष्प्रभावी होंगे, वे स्वतंत्र नहीं होंगे और वे सही तरीके से काम नहीं करेंगे, अध्यक्ष महोदया, मुझे खेद है कि इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह है कि उसी विधेयक में लोकायुक्त को लाने की क्या आवश्यकता थी? यह स्पष्ट है।

27 अगस्त, 2011 को इस सभा ने इच्छा व्यक्त की कि एक ही विधान होना चाहिए। अब प्रश्न यह आया कि इसे कैसे लाया जाए। क्या हमारे पास विधायी क्षमता है? हां, हमारे पास विधायी क्षमता है। हम संविधान के अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 253 के बीच अनावश्यक वाद-विवाद में पड़ गए हैं। इन दोनों में से कोई भी अनुच्छेद यहां प्रासंगिक नहीं है। यहां समवर्ती सूची की मद संख्या एक, समवर्ती सूची की मद संख्या दो, समवर्ती सूची की मद 11(क) और सातवीं अनुसूची की सूची तीन प्रासंगिक है। हमें लोकायुक्त पर कानून बनाने की शक्ति यहां से मिल रही है।

आपको आशंका है कि संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा।

[हिन्दी]

संघीय ढांचा पर प्रहार हो रहा है, कोई प्रहार नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

ऐसा इसलिए कि हम संशोधन लाने जा रहे हैं। आपको शीघ्र संशोधन प्राप्त होगा कि राज्य सरकार की सहमति के बिना, धारा (1) (4) के अधीन अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।...*(व्यवधान)*

आप इसे पुनः स्थायी समिति को भेजने का सुझाव दे रहे हैं। हमने 40 वर्ष या इससे भी अधिक समय तक प्रतीक्षा की है। मुझे खेद है मैंने श्री यशवंत सिन्हा से यह आशा नहीं की थी कि वे कहेंगे कि यह विदाई भाषण है। श्री यशवंत सिन्हा, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, आप इस बैच के लिए ढाई वर्ष या दो वर्ष चार महीने या कुछ अधिक समय की प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? माननीय प्रधानमंत्री अपना विदाई भाषण नहीं दे रहे है। मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे संसदीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मानकों के लिए एक नई दिशा देने की शुरुआत की है। जब सिविल सोसायटी के कुछ प्रतिनिधि आंदोलन कर रहे थे तब प्रधानमंत्री ने अपने विवेक से यह आवश्यक समझा कि हमारे निर्णय लेने में दूसरे लोगों के विचार भी परिकथित होने चाहिए। हम अपना एक पक्ष बना लेते। कानून बनाना संबंधित विभाग का कार्य है। विभाग को इस पर विचार करने दीजिए। उन्हें मंत्रालयी परामर्श की सामान्य प्रक्रिया से गुजरने दीजिए और मंत्रीमंडल के अनुमोदन के बाद इसे संसद में आने दीजिए। इसे संबंधित स्थायी समिति में भेजना चाहिए अभी स्थायी समिति प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें इसे स्वीकार करना है या नहीं। लेकिन हमने सामान्य परिपाटी और सामान्य प्रक्रिया नहीं अपनाई कि हमें तादात्म्य स्थापित करना चाहिए क्योंकि यह देश 120 करोड़ लोगों का है। यह विश्व में सबसे बड़ा कार्यशील लोकतंत्र है। समग्र संरचना को इस सभा के केवल 543 सदस्य या दूसरी सभा के 245 सदस्य या राज्य विधायिकाओं के 4000 सदस्यों से पूरा नहीं किया जा सकता। बहुत से और लोग हैं जो इस संरचना में शामिल नहीं है। उनके विचार को भी शामिल किया जाए। इसीलिए उन्होंने इन लोगों से बात करने के लिए पांच वरिष्ठ मंत्रियों को नियुक्त किया। यह समाज के बड़े दायरे तक पहुंचने का नया तरीका है। यह व्यापक लोकतांत्रिक सहमति बनाने के प्रयासों का नया तरीका है। दुर्भाग्यवश मैं यहां पुनः दोहराऊंगा - कि जो मैंने पहले कहा है - कि चीजें ठीक हो जाएंगी यदि हम 543 सदस्य निर्णय करें कि हम बिना कार्य किए निष्फल व्यवधानों में सभा का एक क्षण भी नहीं गंवाएंगे। व्यवधान कभी भी संसदीय दखल नहीं हो सकता। मेरे विचार से कोई भी

[श्री प्रणब मुखर्जी]

सहमत नहीं हो सकता लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि व्यवधान प्रभावी संसदीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। संसद वाद-विवाद, चर्चा और निर्णय के लिए है न कि व्यवधान के लिए ...*(व्यवधान)* हमें स्वयं आत्मचिंतन करना चाहिए कि चौदहवीं लोकसभा, पन्द्रहवीं लोकसभा और यहां तक कि तेरहवीं लोकसभा में हमने मात्र व्यवधान में कितना समय बर्बाद किया। क्या आप मानते हैं कि यदि हम इस प्रकार के व्यवधानपूर्ण कार्यकलापों में लगे रहें तो हमें सभा के दूसरे तबकों, समाज के अन्य तबकों एवं समुदाय के अन्य तबकों से आदर मिलेगा। हमने कितने विधेयक पारित, किए? आप अफसोस कर रहे हैं कि बड़े आर्थिक मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है। हां, मैं इसके लिए तैयार हो रहा था। मैं अपने संसदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए मुद्रास्फीति पर सामान्य तरीके से चर्चा के लिए तैयार हो रहा था। जब आपने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुझे कुछ निदेश देते हुए एक संकल्प पारित किया तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन मैंने एक वक्तव्य दिया लेकिन मुझे 7 से 8 दिन तक इंतजार करना पड़ा था क्योंकि सभा में कार्य नहीं हो सका। आपने क्या मांग की है? यदि आपने एफ.डी.आई. पर चर्चा की तो इसमें गलत क्या है। बजाय इसके कि 20 सदस्य सभा के बीच में आकर कहें कि: "हम एफ.डी.आई. नहीं चाहते?" यदि आप एफ.डी.आई. पर वाद-विवाद करते तो क्या गलत हो जाता? यदि आप इस आशय का संकल्प पारित कर देते कि आपको एफ.डी.आई. नहीं चाहिए, तो क्या हो जाता? ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे परेशान न करें। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा...*(व्यवधान)*

मैं जो छोटी सी बात कह रहा हूं वह यह है: हां, मैं जानता हूं कि मेरा मत भिन्न है। कई बार, अपने सहयोगियों के साथ भी मुझे समस्या होती है। कृपया मुझे शिक्षा न दें। मैं सब बिचौलियों को जानता हूं और उनमें से दो तो मेरे सामने बैठे हुए हैं। एक गठबंधन सरकार को बनाए रखने के लिए 15 सदस्यों या 17 सदस्यों का मात्र समर्थन लेने के लिए उन्हें कितनी बार हैदराबाद जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है! इसलिए, ये बातें नई नहीं हैं। यह कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है...*(व्यवधान)* हां-हां, उन्हें नागपुर भी जाना पड़ता है...मुझे खेद है कि मैंने नागपुर का जिक्र नहीं किया। तो, ऐसा होता है। मैं उन मुद्दों पर वाद-विवाद नहीं करूंगा। ऐसा आपने किया। और हमने किया। जो कोई भी गठबंधन सरकार चलाएगा, उसे यह करना पड़ेगा। यही गठबंधन की प्रकृति है। अब यदि आप मुझ पर आरोप लगाएं और कहें, "हमने तो इस कला में महारत हासिल कर ली है; आप अभी उतने पटु नहीं हुए हैं," तो मैं अत्यंत विनयपूर्वक स्वीकार कर लूंगा कि इस विषय में मैं अभी भी नौसिखिया हूं, मैं अभी भी इस कला में इतना सिद्धहस्त नहीं हूं, जितना कि आप। लेकिन यह नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या ओमबड्समैन जैसी संस्था का लोकपाल के रूप में गठन करने के लिए कानून लाने हेतु हमने पर्याप्त इंतजार नहीं किया है? मेरा सविनय निवेदन है कि हमने पर्याप्त इंतजार किया है। अब हमें इसे ले आना चाहिए। आप कह सकते हैं कि इसमें खामियां हैं। मैं मानता हूं कि यह सर्वोत्तम प्रकार नहीं है लेकिन इसका यह अर्थ यह भी नहीं है कि सर्वोत्तम की प्रतीक्षा में हम उत्तम को छोड़ दें। यह निकृष्टतम नहीं है, न ही निकृष्ट है। यह सर्वोत्तम भले न हो, लेकिन कई मुद्दों का समाधान करता है। इसमें कई सुझाव शामिल किए गए हैं। इसके अधिकारिक संशोधन भी शीघ्र ही आपके सामने आने वाले हैं।

जब आपने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं - उदाहरण के लिए, नेता-प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया - उन सभी में आपने कहा कि उत्तराखंड का विधेयक एक आदर्श लोकायुक्त विधेयक है। लेकिन हुआ क्या? श्री शशि थरूर ने उस लोकायुक्त विधेयक से संगत उपबंध को उद्धृत किया कि जब तक कि समस्त निकाय, अर्थात् 100 प्रतिशत लोग इससे सहमत न हों, तब तक मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसमें हमने तीन-चौथाई बहुमत का सुझाव दिया था, पर आप इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर भी, जैसाकि नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आपके सुझाव को स्वीकार करते हुए मैं यह संशोधन कर रहा हूं। आवश्यक संशोधन मेरे सहकर्मी, श्री नारायणसामी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। हम तीन-चौथाई की बात स्वीकार करते हुए इसमें संशोधन कर रहे हैं।

खंड 24 के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई थीं और इसलिए हम खंड 24(क), उप-खंड 2 और उप-खंड 3 को छोड़कर खंड 24 में संशोधन कर रहे हैं और स्पष्टीकरण का लोप कर रहे हैं। आवश्यक आधिकारिक संशोधन पेश कर दिया जाएगा।

लालू जी ने अपनी चिंता व्यक्त की और वह ठीक

भी है क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे थे, तो शुरुआत में ही हमने यह सुझाव दिया था कि हम सशस्त्र सेनाओं को लोकपाल के दायरे में नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि उनका अपना अलग ढ़ांचा और अलग व्यवस्था है। परिभाषाओं में संशोधन करके और यह जोड़कर कि भारतीय सेना अधिनियम, 1950; भारतीय वायु सेना अधिनियम, 1950; भारतीय नौसेना अधिनियम, 1957; और भारतीय तटरक्षक अधिनियम, 1978 के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति लोकपाल के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रहेंगे, यह आवश्यक संशोधन लाया जा रहा है। इस प्रकार, इसका ध्यान रखा गया है।

जो छोटी सी बात मैं बताना चाह रहा हूं वह यह है कि सरकार असंवेदनशील नहीं है; सरकार माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के प्रति असंवेदनशील नहीं है; यहां तक कि सभा के बाहर से आने वाली किसी मांग के प्रति भी सरकार असंवेदनशील नहीं है; हम उसे भी आवश्यक महत्व दे रहे हैं। हम इन पर विचार कर रहे हैं; और इनका जवाब दे रहे हैं ताकि, जहां तक संभव हो सके, इन्हें लिया जा सके और प्रणालीबद्ध किया जा सके। लेकिन, हम व्यवस्था को नष्ट नहीं होने दे सकते। मैंने 22 तारीख को जो कहा था, उसे फिर दोहरा रहा हूं: कानून सभा में बनाया जाना चाहिए; लोकसभा में; राज्य सभा में; विधान सभा या विधान परिषद् में; न कि किसी धर्ममंच पर, न सड़क पर। कोई भी आंदोलन क्यों न हो, लेकिन जब तक विधायक संतुष्ट न हों; आप आपके लोग संतुष्ट न हों तब तक कोई कानून नहीं बन सकता। निर्णय आपको करना है। मैं विधेयक तो ला सकता हूं लेकिन यह निर्णय आप सबको करना है कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। यह आपको करना है। यदि आप के पास अधिकार हो, लेकिन आप अपने अधिकार का उपयोग किए बिना किसी संविधानेतर, गैर विधिक गतिविधि में संलग्न हो जाएं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? हम सभा के विचारण के लिए इसे ला रहे हैं। इस पर हमने नौ घंटे वाद-विवाद किया; 10 घंटे वाद-विवाद किया; हमने इस पर असंख्य बार वाद-विवाद किया है; हमने सभा के अंदर वाद-विवाद किया है बाहर वाद-विवाद किया है और इसलिए, हमें इस विधेयक पर विचार करना होगा। यह जल्दी में नहीं लाया गया है; हमने इसके सभी पहलुओं पर विचार किया है। हां कुछ चूक हो सकते हैं, सदा ऐसा होता है। एक सवाल उठाया गया है कि हम संविधान का उल्लंघन कर जानबूझकर ला रहे हैं। नहीं। जो अत्यंत आदर सहित मैंने निवेदन किया था जब पुरःस्थापन पर आपत्ति जतायी गयी थी कि हम न्यायपालिका की भूमिका नहीं निभाएं। कई बार, भारत के संविधान में पहला संशोधन कामेश्वर सिंह बनाम दरभंगा महाराज-बिहार भूमि अधिग्रहण अधिनियम के निर्णय से हुआ। राज्य सभा भी उस समय गठित नहीं हुई थी।

राज्य सभा का गठन 1952 में हुआ था। संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। संविधान सभा को अनंतिम लोक सभा में अंतरित किया गया एवं उस अनंतिम लोक सभा ने एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में से संविधान में पहला संशोधन किया। ऐसा होता है। यह उनका काम है। कानून बनाना हमारा काम है। उन्होंने बैंक राष्ट्रीयकरण को, प्रिविपर्स की समाप्ति को अधिकारातीत घोषित किया। इंदिरा गांधी ने चौथी लोक सभा भंग की एवं जनता के पास गयी। निश्चित रूप से आडवाणी जी याद करेंगे कि उनके प्रमुख उद्देश्यों में एक या पर्याप्त संख्या प्राप्त करना। उन्होंने कहा, "मैं सामाजिक विधान लाना चाहती हूं एवं मेरे पास पर्याप्त संख्या नहीं है।" इसी कारण वह जनता के पास गयी। मैं यशवंत सिन्हा जी से सहमत हूं कि संख्या लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "मेरे पास पर्याप्त संख्या नहीं है आप मुझे पर्याप्त संख्या दें, मैं संविधान में संशोधन करूंगी जिससे जनता की जरूरत पूरी करने के लिए सामाजिक कानून लाने का मार्ग सुगम होगा।" भारतीय मतदाताओं ने उन्हें संख्या दी और उससे संविधान में 24वां संशोधन लाया गया। अनुच्छेद 368 में बड़ा परिवर्तन उसी के बाद आया। आप जो आज अनुच्छेद 268 में कई सारे उपबंध देखते हैं, वे 24वां संशोधन के पहले वहां नहीं थे।

इसलिए न्यायपालिका के साथ युद्ध जारी रहेगा तथा यह लोकतंत्र के लिए अस्वास्थ्यकर नहीं है क्योंकि हम जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यायाधीश प्रथा, रिवाज, मानदंड एवं कानून के संदर्भ में कानून की व्याख्या करते हैं। इसी कारण 1960 के दशक के मध्य में गोलकनाथ मामले के बाद 24वां संशोधन आया तथा सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानन्द भारती मामले के माध्यम से अपने अधिकार पर बल दिया। इसलिए कुछ भी गलत नहीं है। यह लोकतंत्र का स्वस्थ संकेत है। इसलिए ऐसा जानबूझकर नहीं किया जाता। श्री कपिल सिब्बल, श्री चिदम्बरम, कानून मंत्री एवं श्री पवन बंसल - मैं वकील नहीं हूं इन सभी ने अपना दिमाग लगाया एवं उन्होंने इसे सांविधिक रूप से उपयुक्त एवं अनुकूल पाया।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

इसलिए, मैं उन माननीय सदस्यों से अपील करूंगा जन्होंने बहुत से संशोधन पेश किए हैं कि वे अपने संशोधनों के लिए दबाव नहीं डालें क्योंकि सरकार 10 संशोधन ला रही है जिसका प्रस्ताव मेरे सहकर्मी द्वारा औपचारिक रूप से किया जाएगा। हम इस विधेयक को पारित करें क्योंकि लोग हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि हम यह स्पष्ट संकेत दे सकते हैं कि सरकार, विपक्ष, लोक सभा समग्र रूप से; राज्य सभा समग्र रूप से, भारतीय संसद समग्र रूप से अपने पास मौजूद शक्तियों के भीतर; अपने कार्यशील मानदंडों के भीतर भ्रष्टाचार की बुराई को रोकने का संकल्प करें, हम सामूहिक रूप से इस बुराई से लड़ेंगे। आइए हम बगैर किसी संशोधन के इन तीन विधेयकों को सर्वसम्मति से इसे पारित करके यह संदेश दें।

महोदया, मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, चूंकि सभा के माननीय नेता ने अपने भाषण में मेरा दो बार उल्लेख किया, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा।

[हिन्दी]

उन्होंने इस बात पर एतराज किया कि मैंने क्यों कहा कि यह प्रधानमंत्री जी की फेयरवैल स्पीच है। इसलिए कि सेंट्रल हाल में इस बात की आज बड़ी चर्चा थी कि यह प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और प्रणब बाबू प्रधानमंत्री बन रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: सभी लोगों में मुझे ही क्यों? धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के नेता से जानना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट को क्यों नहीं शामिल किया गया...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी: अध्यक्ष महोदया, जहां तक सदन के नेता का संबंध है, वे हमारे सामने किंवदन्ती हैं। मैं उन्हें यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कैसे संसद सदस्य जनता के सेवक हैं क्योंकि मैं अनुच्छेद 311 के संरक्षण का मांग नहीं करता। मेरा कार्यकाल स्थायी नहीं है।

तीसरा, मैं कार्यकारी शक्तियों का निरापादन नहीं करता हूं। प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेह हैं। यह कैसे हो सकता है कि मुझे जनता का सेवक माना जाये। उच्चतम न्यायालय ने इसकी परिभाषा दी होगी, लेकिन माननीय सदन के नेता कृपया हमें बताये कि मैं कैसे जनता का सेवक हूं। मेरा कार्यकाल नियत नहीं है; मुझे कार्यकारी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, मुझे अनुच्छेद 311 का संरक्षण प्राप्त नहीं है। कृपया हमें स्पष्ट करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री प्रणब मुखर्जी: अध्यक्ष महोदया, जो कुछ मैंने कहा, वह यह है कि अनेक न्यायिक उद्घोषणाओं के द्वारा यह बहुत पहले नियत किया गया है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: उन्हें इसे बदलना चाहिए।

श्री प्रणब मुखर्जी: संविधान संशोधन किये बिना मैं इसे नहीं बदल सकता। कृपया इसे समझें। कुछ व्यक्तियों ने आपत्ति की है कि आपने क्यों सात वर्ष की सीमा रखी है। कृपया याद करें कि भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम में आपराधिक प्रक्रिया हेतु कोई अवधि नहीं है और यहां हमने सात वर्ष की अवधि रखी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक आम व्यक्ति हूं, श्री चिदम्बरम इसे स्पष्ट कर सकते हैं, मैं नहीं जानता कि उच्चतम न्यायालय इसे अमान्य कर देगा लेकिन संसद सदस्यों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमने इस नये कानून में अवधि निर्धारित की है, लेकिन भ्रष्टाचार प्रतिषेध अधिनियम में कोई अवधि नहीं है।

संसद सदस्य जनसेवक हैं या नहीं, इस मुद्दे पर मैं कहना चाहता हूं कि अनेक न्यायिक उद्घोषणाओं के माध्यम से यह नियत किया गया है और यह इस देश का कानून है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या लोकपाल के सदस्यों की संख्या नौ से बढ़ाकर 18 किया जाएगा। यदि आप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लोकपाल में शामिल करना चाहते तब आपको इसके सदस्यों की कुल संख्या 18 करनी होगी।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यो, क्रम संख्या 17, 18 और 19 पर दिए गए विधेयकों पर विचार हेतु प्रस्ताव पर संयुक्त चर्चा अब समाप्त होती है।

सभा अब एक एक करके विचार हेतु प्रस्तावों पर मतदान, खंडों और इन तीनों विधेयकों को पारित करने हेतु प्रस्ताव को मतदान हेतु लेगी।

माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि तीनों विधेयक महत्वपूर्ण हैं और इन विधेयकों के खंडों पर सरकार तथा साथ ही सदस्यों द्वारा अनेक गैर सरकारी संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे। कतिपय खंडों अथवा खंडों में संशोधनों पर मत विभाजन होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत रहिए। आप पुनः भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप यहां खड़े होकर क्यों बात कर रहे हैं, कृपया पीछे जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यो, कृपया अपने स्थान पर जाइये। कृपया तुरन्त अपने स्थान पर जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, हमारी मांग के अनुसार सदन में एक मजबूत लोकपाल बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार कर रहे हैं।

रात्रि 9.59 बजे

तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि मत विभाजन से पूर्व महासचिव स्वचालित मतदान रिकार्डिंग मशीन को संचालित करने की प्रक्रिया के बारे में सदस्यों को जानकारी देते हैं, सदस्यों से निवेदन है कि वे इसे ध्यानपूर्वक सुनें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि वे अध्यक्षपीठ को ध्यान से सुने विशेषकर जब कोई संकल्प, खंड अथवा सरकारी संशोधन अथवा सदस्यों द्वारा गैर सरकारी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा जाता है जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि क्या अध्यक्षपीठ द्वारा प्रश्न का प्रस्ताव किया गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये। आप लोग बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा लोकपाल बिल में हमारे द्वारा सुझाये गये सुधारों को नहीं माना गया है। नेता सदन की स्पीच के बाद एक मजबूत लोकपाल की संभावना समाप्त हो गई है। इसलिए हमारी पार्टी बी.एस.पी. इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करती है।

रात्रि 9.59½ बजे

तत्पश्चात् श्री दारा सिंह चौहान और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

रात्रि 10.00 बजे

अध्यक्ष महोदया: मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगी कि जब किसी प्रस्ताव, खण्ड या सरकारी संशोधन या सदस्यों के गैर-सरकारी संशोधन सभा के मत विभाजन के लिए रखे जाते हैं, तो वे कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनें ताकि आपके मन में यह स्पष्ट हो जाए कि पीठ द्वारा प्रस्तावित प्रश्न के पक्ष या विपक्ष में मत देना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर विचार करने वाले प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड 2

परिभाषाएं

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 3, पंक्ति 27 के बाद "धारा 14" के स्थान पर प्रतिस्थापित करें। परन्तु इसमें

1950 का 45
1950 का 46
1957 का 62
1978 का 30

वे लोक सेवक सम्मिलित नहीं होंगे जिनके संबंध में सेना अधिनियम, 1956, वायु सेना अधिनियम, 1950 नौसेना अधिनियम 1957 और तटरक्षक अधिनियम, 1978 या इन अधिनियमों के अंतर्गत ऐसे लोकसेवकों के लिए प्रयोज्य कोई प्रक्रिया के अंतर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा न्यायाधिकार प्रयोग किया जाता है। (88)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: श्री हंसराज गं. अहीर, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री हंसराज गं. अहीर (चंद्रपुर): नहीं महोदया।

अध्यक्ष महोदया: श्री बसुदेव आचार्य क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हां, महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 26,-

"खंड (क) से (ज)" के स्थान पर "खंड (क) से (झ)" प्रतिस्थापित किया जाए। (26)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 को सभा के मतदान के लिए रखती हूं

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

कि खण्ड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

लोकपाल की स्थापना

अध्यक्ष महोदया: श्री तथागत सत्पथी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): जी हां, महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 4, पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अतः स्थापित किया जाए,-

"परंतु यह और कि देश के भौगोलिक क्षेत्रों के निम्नलिखित चार अंचलों में से, प्रत्येक से, कम-से-कम एक सदस्य होगा:-

(i) पूर्वी अंचल जिसमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य समाविष्ट हैं;

(ii) पश्चिमी अंचल जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र राज्य समाविष्ट हैं;

(iii) उत्तरी अंचल जिसमें छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य समाविष्ट हैं; और

(iv) दक्षिणी अंचल जिसमें आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्णाटक और तमिलनाडु राज्य समाविष्ट हैं।"। (13)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री तथागत सत्पथी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: श्री हंसराज गं. अहीर, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री हंसराज गं. अहीर: नहीं महोदया।

अध्यक्ष महोदया: श्री सैदुल हक।

श्री सैदुल हक (वर्धमान-दुर्गापुर): हां महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

पृष्ठ 4, पंक्ति 16 से 20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"अध्यक्ष के अलावा, लोकपाल में 10 सदस्य होंगे जिसमें से चार न्यायिक सदस्य होंगे, तीन प्रशासनिक और सिविल सेवा की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति होंगे और अन्य तीन को विधि, शैक्षणिक और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से लिया जाएगा" (54)

अध्यक्ष महोदया: मैं अब श्री सैदुल हक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 54 को सभा को मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती सुषमा स्वराज।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 4, पंक्ति 18,-

"से अन्यून" का लोप किया जाए। (57)

पृष्ठ 4, पंक्ति 19,-

"अल्पसंख्यक वर्गों" का लोप किया जाए। (58)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 57 और 58 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4

चयन समिति की सिफारिशों पर सभापति और सदस्यों की नियुक्ति

अध्यक्ष महोदया: श्री बसुदेव आचार्य, क्या आप भी संशोधन का प्रस्ताव कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हां महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 5, पंक्ति 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

[श्री बसुदेव आचार्य]

"एक विख्यात व्यक्ति जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए-सदस्य।"। (27)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसु देव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 27 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब श्रीमती सुषमा स्वराज।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 5, पंक्ति, 18, के स्थान पर -

"(ङ) राज्य सभा में विपक्ष का नेता-सदस्य" प्रतिस्थापित किया जाए। (59)

पृष्ठ 5, पंक्ति 28,-

"के अन्यून" का लोप किया जाए। (60)

पृष्ठ 5, पंक्ति 29,-

"अल्पसंख्यक वर्गों" का लोप किया जाए। (61)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 59, 60 और 61 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड-10

लोकपाल के सचिव, अन्य अधिकारी और कर्मचारी

अध्यक्ष महोदया: अब श्री हंसराज अहीर

श्री हंसराज गं. अहीर: मैं अपने संशोधन का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 7, पंक्ति 13,

"केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल में से" का लोप किया जाए। (62)

पृषठ 7, पंक्ति 14,-

"और एक अभियोजन निदेशक" का लोप किया जाए। (63)

पृष्ठ 7, पंक्ति 16-17,-

"केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल में से" का लोप किया जाए। (64)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 62, 63 और 64 को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-11

जांच स्कंध

अध्यक्ष महोदया: श्री इंदर सिंह नामधारी क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री इन्दर सिंह नामधारी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 7, पंक्ति 30-36 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"पर जहां तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत कथित रूप से किए गए अपराधों की जांच करने का संबंध है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन

अधिनियम, 1946 का संख्यांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् जांच स्कंध कहा गया है) के भ्रष्टाचार निरोध प्रभाग का अन्वेषण और अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण होगा 1988 का संख्यांक 49 लोकपाल में निहित होगा। (1)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री इंदर सिंह नामधारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 7, पंक्ति 29 से 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"11(1)" तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लोकपाल अपना स्वतंत्र अन्वेषण स्कंध गठित करेगा जिसका अध्यक्ष जांच निदेशक होगा जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध की जांच के लिए एकमात्र अभिकरण होगा।

(1क) केन्द्रीय सरकार लोकपाल के अनन्य अधिकारक्षेत्र में ऐसी संख्या में अधिकारी 1988 का संख्यांक 49 और कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी जो लोकपाल से परामर्श करके तय की जाती है।" (28)

पृष्ठ 7, पंक्ति 34,-

"इस अधिनियम के अधीन प्रारंभिक जांच करने के लिए" का लोप किया जाए। (29)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 और 29 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 और 13 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंण्ड 14 लोकपाल की प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, केन्द्र सरकार के समूह क, ख, ग और घ के अधिकारियों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सम्मिलित करने के लिये लोकपाल का क्षेत्राधिकार

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 35,-

"तीन-चौथाई के स्थान पर दो-तिहाई" प्रतिस्थापित करें। (89)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: अब, श्री इंदर सिंह नामधारी।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: अब, डॉ. एम. तम्बिदूरई।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 8, पंक्ति 27 से 32, के स्थान पर

"(क) कोई प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का पद त्याग करने के पश्चात्" प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

पृष्ठ 8, पंक्ति 33 से 37 और पृष्ठ 9, पंक्ति 1 का लोप किया जाए। (10)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं डॉ. एम. तम्बिदुरई द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 और 10 को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया: अब श्री असादूद्दीन ओवेसी।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: अब, श्री हंसराज गं. अहीर।

श्री हंसराज गं. अहीर: मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: अब श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 8, पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाए, -

"परंतु यह कि इस उपखंड के अंतर्गत दिया गया संरक्षण प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के प्रधान के रूप में किसी भी देश के साथ किए गए किसी वाणिज्यिक करार के मामले में लागू नहीं होगा।" (30)

पृष्ठ 9, पंक्ति 39 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, -

"(i) कोई निगमित निकाय, इसके प्रवर्तक, इसके अधिकारी जिनमें निदेशक भी सम्मिलित हैं, जिनके विरुद्ध सरकारी अनुज्ञप्ति, पट्टा, संविदा, करार के संबंध में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है या कोई अन्य सरकारी कार्रवाई है या भ्रष्ट तरीकों के माध्यम से सरकारी नीति को प्रभावित करने संबंधी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है।"। (31)

महोदया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। इनमें से एक प्रधानमंत्री द्वारा किसी अन्य राष्ट्राध्यक्ष के साथ किए गए वाणिज्यिक समझौते के बारे में प्रधानमंत्री से संबंधित है। इस खण्ड में एक अन्य संशोधन कार्पोरेट घरानों से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 और 31 को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मैं मत-विभाजन चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: दीर्घाएं खाली कर दी जाएं-

अब, दीर्घाएं खाली हो गयी हैं।

अब महासचिव स्वचालित मतदान रिकार्डिंग मशीन के प्रचालन के संबंध में सभा को बताएंगे।

महासचिव: स्वचालित मतदान रिकार्डिंग मशीन का प्रचालनः

स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली के प्रचालन के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है:

1. मत-विभाजन शुरू होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले जाएंगे और केवल अपने स्थान से ही मतदान करेंगे।

2. जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, माननीय अध्यक्षपीठ के दोनों तरफ 'सूचना बोर्ड' पर लाल बत्ती जल रही हैं। इसका मतलब है कि मतदान प्रणाली सक्रिय कर दी गयी है।

3. मतदान के लिए प्रथम अलार्म बजने के तुरंत बाद निम्नलिखित दोनों बटनों को कृपया एक साथ दबाएं अर्थात् माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर लगा एक 'लाल' बटन और साथ ही सीट में एक डेस्क के ऊपर स्थित निम्नलिखित बटनों में से एक बटनः

पक्ष में	हरा बटन
विपक्ष में	लाल बटन
भाग नहीं लिया	पीला बटन

4. जब तक अलार्म दूसरी बार न बज जाए और 'लाल' बत्ती 'बुझ' न जाए, दोनों बटनों को दबाए रखना आवश्यक है।

   महत्वपूर्ण: माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि यदि दूसरी बार एलार्म बजने तक दोनों बटनों को एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है, तो मतदान दर्ज नहीं होगा।

5. मत विभाजन के दौरान कृपया ऐम्बर बटन (पी) नहीं दबाएं।

6. माननीय सदस्य वास्तव में अपना मतदान सूचक बोर्डों पर तथा अपने 'डेस्क यूनिट' पर देख सकते हैं।

7. यदि मतदान दर्ज नहीं होता है तो वे पर्ची द्वारा मतदान की मांग कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 और 31 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी और इस मामले में मत-विभाजन का परिणाम प्रत्येक संशोधन पर लागू होगा।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

पृष्ठ 8, पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाए,-

"परंतु यह कि इस उपखंड के अंतर्गत दिया गया संरक्षण प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के प्रधान के रूप में किसी भी देश के साथ किए गए किसी वाणिज्यिक करार के मामले में लागू नहीं होगा।" (30)

पृष्ठ 9, पंक्ति 39 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,-

"(i) कोई निगमित निकाय, इसके प्रवर्तक, इसके अधिकारी जिनमें निदेशक भी सम्मिलित हैं, जिनके विरुद्ध सरकारी अनुज्ञप्ति, पट्टा, संविदा, करार के संबंध में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है या कोई अन्य सरकारी कार्रवाई है या भ्रष्ट तरीकों के माध्यम से सरकारी नीति को प्रभावित करने संबंधी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है।"। (31)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

विभाजन संख्या 1

पक्ष में **रात्रि 10.14 बजे**

अडसुल, श्री आनंदराव

आचार्य, श्री बसुदेव

करूणाकरन, श्री पी.

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार श्री विश्व मोहन

कुमारी, श्रीमती पुतुल

कृष्टप्प, श्री एन.

खैरे, श्री चंद्रकांत

*गणेशमूर्ति, श्री ए.

गीते, श्री अनंत गंगाराम

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्री भूदेव

जयाप्रदा, श्रीमती

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव

टुडु, श्री लक्ष्मण

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तरई, श्री बिभू प्रसाद

दास, श्री खगेन

दास, श्री राम सुन्दर

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती अश्वमेध

नटराजन, श्री पी.आर.

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री वैजयंत

पांडा, श्री प्रबोध

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बाबर, श्री गजानन ध.

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिजू, श्री पी.के.

मंडल, डॉ. तरूण

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार

मलिक, श्री शक्ति मोहन

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महापात्र श्री सिद्धांत

मिश्रा, श्री पिनाकी

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री शरद

राजेश, श्री एम.बी.

राम, श्री पूर्णमासी

राय, श्री अर्जुन

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, श्री रूद्रमाधव

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लालू प्रसाद, श्री

लिंगम, श्री पी.

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव

शर्मा, श्री जगदीश

शिवप्रसाद, डॉ. एन.

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील।

सत्पथी, श्री तथागत

सम्पत, श्री ए.,

साहा, डॉ. अनूप कुमार

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सेठी, श्री अर्जुन चरण

हक, शेख सैदुल

हसन, डॉ. मोनाजिर

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजहरुद्दीन, मोहम्मद

अधिकारी, श्री शिशिर

अमलावे, श्री नारायण सिंह

अलागिरी, श्री एम.के.

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

आधि शंकर, श्री

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगारम

इंगती, श्री बिरेन, सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

इस्लाम, शेख नूरूल

ईरींग, श्री निनोंग

एंटोनी, श्री एंटो

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह

ओला, श्री शीशराम

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. कुपारानी

कुमार, श्री अजय

कुमार, श्री रमेश

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महोदव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान, श्री संजय सिंह

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाधव, श्री बलीराम

जयसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

*तीरथ, श्रीमती कृष्णा

त्रिवेदी, श्री दिनेश

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दास, श्री भक्त चरण

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिन्द

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नरह, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नागपाल, श्री देवेन्द्र

नायक, श्री पी. बलराम

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रसाद, श्री जितिन

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैठा, श्री कामेश्वर

*बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगोरा, श्री ताराचन्द्र

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भोंसले, श्री उदयनराजे

*मरांडी, श्री बाबू लाल

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मारन, श्री दयानिधि

मिश्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री अंजनकुमार एम.

यादव, श्री ओम प्रकाश

यास्खी, श्री मधु गौड

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राणे, श्री निलेश नारायण

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राय, श्री प्रेम दास

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, श्री के.एस.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

विजयन, श्री ए.के.एस.

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अद्गुरू एच.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

शेट्टी, श्री राजू

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंह, कुंवर आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हक, शेख सैदुल

हरि, श्री सब्बम

हर्ष कुमार श्री जी.वी.

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

भाग नहीं लिया

श्री इंदर सिंह नामधारी

श्री असादूद्दीन ओवेसी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: शुद्धि के अध्यधीन, *मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में: 69

विपक्ष में: 247

भाग नहीं लिया: 2

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: श्री दासगुप्त, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, चूंकि संशोधन एक सम्मत हैं और चूंकि सभा पहले ही मतदान कर चुकी है इसलिए, मैं उनको प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री लालू प्रसाद क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद यादव: मैडम, सरकार ने आर्म्ड फोर्सिज के बारे में जो पहले दिया था, वह विड्रा कर लिया है और एक्स एम.पी. के लिए सात साल की जो बात थी, उस पर इन्होंने आश्वासन दिया है, इसलिए इसे पेश करने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री सैदुल हक, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर): महोदया, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि विदेश से धन प्राप्त करने कार्पोरेट घरानों, मीडिया और एन.जी.ओ. और कार्पोरेट निकाय को लोकपाल के अंतर्गत लाया जाए। अत:, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 9, पंक्ति 39 के पश्चात् निम्नलिखित अत:स्थापित किया जाए,-

"(झ) ऐसा कोई व्यक्ति जो निगमित गृह प्रबंधित मीडिया अथवा न्यास निकाय संचालित मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रण दोनों, के संपादक अथवा स्वामी के रूप में कार्यरत है अथवा रहा है:

(ञ) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत एन.जी.ओ. का निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी है या रहा है, जो जनता से अथवा विदेशी अभिदाय (विनियमन) 2010 का 42 अधिनियम, 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से किसी भी राशि का संदाय प्राप्त कर रहा है:

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से मतदान किया।

पक्ष में 69+ श्री ए. गणेशमूर्ति=70

विपक्ष में 247+सर्वश्री खिलाड़ी लाल बैरवा, बाबू लाल मरांडी और श्रीमती कृष्णा तीरथ=250

[श्री शेख सैदुल हक]

(ट) ऐसा कोई निगमित निकाय, इसके स्वामी, इसके प्रवर्त्तक, इसके अधिकारी जिनके विरुद्ध सरकारी अनुज्ञप्ति, संविदा, करार प्रदान करने के संदर्भ में अथवा भ्रष्ट तरीकों से सरकारी नीति को प्रभावित करने के लिए भ्रष्टाचार की शिकायत है।" (55)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं भी सैदुल हक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 55 को सभा में मतदान के लिए सभा में रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती सुषमा स्वराज।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मेरे संशोधन संख्या, 65 को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, इसीलिए मैं इस पर जोर नहीं दे रहू हीं। परंतु मैं संशोधन संख्या 66 और 67 प्रस्तुत कर रही हूं। मैं संशोधन संख्या 68 प्रस्तुत नहीं कर रही हूं।

मैं प्रस्ताव करती हूं:

"पृष्ठ 8, पंक्ति 36, 37 का लोप किया जाए (66)

पृष्ठ 9, पंक्ति 33 से 39 का लोप किया जाए (67)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 66 और 67 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: मैडम, बिल बहुत कमजोर है और स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा गया है, इसलिए हम नाराज होकर वापस जाते हैं।

रात्रि 10.20 बजे

[अनुवाद]

तत्पश्चात् श्री लालू प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: ऐसे क्या कर रहे हैं? गम्भीर होइए।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है:

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 20

शिकायतों और प्रारंभिक जांच तथा अन्वेशण से संबंधित उपबंध

संशोधन किये गये

पृष्ठ 12 पंक्ति 32-33, "छह मास की और अवधि तक" के लिए, "एक बार में छह मास से अनधिक अवधि" प्रतिस्थापित किया जाये। (90)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: अब, श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री इंदर सिंह नामधारी (चतरा): मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री हंसराज गं. अहीर।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 10, पंक्ति 31 से 41 और पृष्ठ 11, पंक्ति 1 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"20. (1) लोकपाल, कोई शिकायत प्राप्त करने पर प्रथमत: यह विनिश्चय करेगा कि मामले में आगे कार्यवाही की जाए या उसे बंद कर दिया जाए और यदि लोकपाल आगे कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय

करता है तो वह यह अभिनिश्चित करने के संबंध में कि क्या मामले में कार्यवाही किए जाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है, अपने अन्वेषण स्कंध द्वारा किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने की कार्यवाही करने का आदेश करेगा:

परंतु यह कि लोकपाल, यदि उसने प्रारंभिक जांच में आगे कार्यवाही का विनिश्चय किया हो तो वह किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, समूह ग और घ के किन्हीं लोक सेवकों के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों या किसी शिकायत को केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधन गठित केन्द्रीय सतर्कता आयोग को निर्दिष्ट करेगा: 2003 का 45

परंतु यह और कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग समूह 'ग' और 'घ' के लोक सेवकों के संबंध में उसे भेजी गई शिकायतों के बारे में प्रारंभिक जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट लोकपाल को भेजेगा जिसके पश्चात लोकपाल की जाने वाली आगे कार्यवाही का विनिश्चिय करेगा।" (32)

पृष्ठ 12, पंक्ति 6 और 7,-

"जांच स्कंध या कोई अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)" के स्थान पर "इसका अपना अन्वेषण स्कंध" **प्रतिस्थापित** किया जाए।(33)

पृष्ठ 12, पंक्ति 18 से 19 के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए.-

"(क) इसके स्वयं के अभिकरण द्वारा आगे अन्वेषण।"। (34)

पृष्ठ 12, पंक्ति 26 से 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"(5) यदि लोकपाल शिकायत का अन्वेषण करने की कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है तो इसका अन्वेषण अभिकरण साधारणतः इसके आदेश की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करेगा।

(6) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन मामलों के समस्त अन्वेषण के बाद इस धारा में उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी और ऐसी रिपोर्टें लोकपाल को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी।"। (35) 1988 का 49

पृष्ठ 12, पंक्ति 38 से 39,-

"कोई अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)" के स्थान पर "इसका अपना अन्वेषण स्कंध" प्रतिस्थापित किया जाए। (36)

पृष्ठ 13, पंक्ति 5 से 6,-

"कोई अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)" के स्थान पर "इसका अपना अन्वेषण स्कंध" प्रतिस्थापित किया जाए। (37)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 32, 33, 34, 35, 36 और 37 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 11, पंक्ति 31,-

"कोई शिकायत प्राप्त करने पर" के पश्चात्

"अथवा स्वप्रेरणा से" अंतःस्थापित किया जाए। (69)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 69 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 20, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 20, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 और 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 23

कतिपय मामलों में लोकायुक्त द्वारा अन्वेषण और अभियोजन प्रारंभ करने के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता न होना

अध्यक्ष महोदया: डॉ. एम. तम्बिदुरई।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24

जनसेवक के रूप में प्रधानमंत्री, मंत्री अथवा संसद सदस्य के विरुद्ध अन्वेषण पर कार्यवाही

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 14, पंक्ति, 11 "24(1)" के स्थान पर "24" प्रतिस्थापित किया जाये। (91)

(श्री वी. नारायणसामी)

पृष्ठ 140, पंक्ति 16 से 29 का लोप किया जाए। (92)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती सुषमा स्वराज, आपके द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जी हां, मैंने जो खंड 24 में संशोधन प्रस्तुत किया है उसे सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। अत: मैं संशोधन के लिए जोर नहीं डाल रही हूं।

श्री वी. नारायणसामी: हमने एक अलग संशोधन प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 24, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25

लोकपाल की पर्यवेक्षी शक्तियां

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 14, पंक्ति 32 से 41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"25. (1) लोकपाल को, इस अधिनियम के अधीन गठित किए जाने वाले अन्वेषण अभिकरण, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन मामलों का संव्यवहार करने के लिए एकमात्र अभिकरण होगा, पर अधीक्षण, निदेशन और पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण की शक्तियां होंगी: 1998 का 49

परंतु यह कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकपाल मामले के स्वतंत्र अन्वेषण के विरुद्ध किसी भी रीति से कृत्य नहीं करेगा, जिससे अभिकरण से किसी मामले का किसी विशिष्ट रीति में अन्वेषण करने और/या उसे निपटाने में उपेक्षा की जा सके।

(2) लोकपाल समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के मामलों, जो लोकपाल द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंपे जाए, के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दिशानिर्देश और निदेश जारी करेगा ताकि लोकपाल ऐसे मामलों का ऐसे समय के भीतर निपटान करने में समर्थ हो सके, जो लोकपाल विनिश्चय करे।"। (38)

पृष्ठ 15, पंक्तियां 1 से 4 का लोप किया जाए। (39)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 38 और 39 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

श्री सैदुल हक: मैं. प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 14, पंक्ति 41 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"परंतु यह और कि लोकपाल को एक स्वतंत्र, उत्तरदायी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से इसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अर्ध-न्यायिक शक्तियां और स्वायत्तता सौंपी जाएंगी।"। (56)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री सैदुल हक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 56 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 27

कतिपय मामलों में लोकपाल को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी

अध्यक्ष महोदया: श्री बसुदेव आचार्य

श्री बसुदेव आचार्य: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 15, पंक्ति 21,-

"लोकपाल के जांच स्कंध" के स्थान पर "लोकपाल के अन्वेषण अभिकरण" प्रतिस्थापित किया जाए। (40)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 40 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन, मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 और 29 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 30

आस्तियों की कुर्की की पुष्टि

अध्यक्ष महोदया: श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 17, पंक्ति 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"(5) लोकपाल किसी भी मामले में स्वत: कार्रवाई कर सकेगा जहां इसके समक्ष यह मानने का कारण हो कि कोई पट्टा, अनुज्ञप्ति, संविदा या करार या कोई अन्य सरकारी कार्रवाई भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त हुई है और पक्षकारों को सनने के पश्चात् यदि वह ऐसा विनिश्चय करता है तो वह ऐसे मामले का अन्वेषण कर सकेगा, वह भ्रष्टाचार के कृत्य में लिप्त किसी फर्म, कंपनी, संविदाकार या किसी अन्य व्यक्ति को काली सूची में डालने की सिफारिश कर सकेगा।

(5क) लोक प्राधिकारी सिफारिश प्राप्त होने के एक मास के भीतर या तो सिफारिश का अनुपालन करेगा या उसे अस्वीकार करेगा।

(5ख) सिफारिश को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में लोकपाल लोक प्राधिकारी को दिए जाने वाले निदेश प्राप्त करने के लिए समुचित न्यायालय में जा सकेगा।"। (41)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 41 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 31

विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उद्भूत या उपप्राप्त आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों का अधिहरण

अध्यक्ष महोदया: श्री बसुदेव आचार्य

श्री बसुदेव आचार्य: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 17, पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये,-

"(3) यदि किसी कंपनी अथवा उसके किसी अधिकारी अथवा निदेशक को भ्रष्टाचार निवारण
1998 का अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध
49 का दोषी पाया जाता है, तो लोकपाल यह सिफारिश कर सकेगा कि-

(एक) ऐसे किसी कंपनी प्रवर्तकों द्वारा प्रवर्तित कंपनी और सभी कंपनियों को काली सूची में रखा जाएगा और वह भविष्य में किसी सरकारी अथवा संविदा कार्य लेने के लिए निरर्ह होगा;

(दो) सरकारी राजस्व को हुई हानि के समतुल्य किसी राशि की वसूली परिसम्पत्तियों, आय, प्राप्तियों और लाभ की जब्ती के माध्यम से की जाएगी।

(3क) सरकारी प्राधिकारी या तो सिफारिश का अनुपालन करेगा अथवा सिफारिश की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसे अस्वीकृत करेगा।

(3ख) सिफारिश के अस्वीकृत होने की स्थिति में लोकपाल लोक प्राधिकारी को दिए जाने वाले निदेश प्राप्त करने के लिए समुचित न्यायालय से सम्पर्क कर सकेगा।" (42)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 32 से 36 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खथंड 37

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाना और निलंबित किया जाना

अध्यक्ष महोदया: श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 19, पंक्ति 16 से 36 और पृष्ठ 20, पंक्ति 1, - **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये-

"(2) अध्यक्ष या लोकपाल के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा पद से तभी हटाया जायेगा जब उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आशय की सिफारिश की गई हो और उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसी आधार पर निर्णय दिया गया हो कि किसी व्यक्ति की शिकायत पर कोई जांच कराई गई है और यह पाया गया है कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे आधार पर पद से हटाया जा सकेगा:-

(क) कदाचार का दोषी है,

(ख) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है,

(ग) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(घ) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगता है।

(3) ऐसी किसी कार्यवधि में उच्चतम न्यायालय ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के निलम्बन का निदेश भी दे सकेगा।

(4) उच्चतम न्यायालय से सिफारिश की प्राप्ति पर राष्ट्रपति, अध्यक्ष या सदस्य को, जैसा मामला हो, पद से हटा सकेगा।

(5) यदि यह पाया जाता है कि शिकायत झूठी है या कपटपूर्ण इरादे से की गई है तो उच्चतम न्यायालय

शिकायतकर्ता पर जुर्माना और/या एक वर्ष तक कारावास की सजा दे सकेगा।" (43)

पृष्ठ 20, पंक्ति 2,-

"(5)" के स्थान पर "(6)" प्रतिस्थापित किया जाये। (44)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 43 और 44 को सबा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती सुषमा स्वराज।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 19, पंक्ति 21-22, के स्थान पर

"(iii) उच्चतम न्यायालय के समक्ष भारत के किसी व्यक्ति नागरिक द्वारा दी गई याचिका पर" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 71 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 37 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 38 से 45 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 46

असत्य शिकायत और लोकसेवक को प्रतिकर आदि के संदाय के लिए अभियोजन

अध्यक्ष महोदया: श्री इन्दर सिंह नामधारी।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: मैं किसी संशोधन को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 46 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 47 से 52 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 53

विधिक सहायता

अध्यक्ष महोदया: श्री तथागत सत्पथी।

श्री तथागत सत्पथी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 24, पंक्ति 28;

"सात वर्ष" के स्थान पर 'छह माह' प्रतिस्थापित किया जाए। (14)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री तथागत सत्पथी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 53 विधेयक का अंग बने."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 53 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 54 से 62 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 63

परिभाषाएं

अध्यक्ष महोदया: श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं प्रस्ताव करता हूं"

पृष्ठ 28, पंक्ति 14, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये।

"(1क) इस भाग के उपबंध लोकायुक्त की स्थापना

[श्री बसुदेव आचार्य]

के प्रयोजनार्थ राज्य विधान मंडलों के लिए मार्ग निर्देश के रूप में माने जाएंगे।" (45)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 45 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

संशोधन किए गए-

पृष्ठ 27, पंक्ति 27, "उपखंड (i) से (v)" के स्थान पर "उपखंड (i) से उपखंड (vi)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (72)

पृष्ठ 27, पंक्ति 30, "उपखंड (iv) या उपखंड (v)" के स्थान पर "उपखंड (v) या उपखंड (vi)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (73)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 63, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 63 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 64

लोकायुक्त की स्थापना

अध्यक्ष महोदया: श्री तथागत सत्पथी द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री तथागत सत्पथी: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 29, पंक्ति 2;

"पैंतालीस वर्ष" के स्थान पर 'पच्चीस वर्ष' प्रतिस्थापित किया जाए। (15)

महोदय, यह विधेयक का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हमने लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा को कम करके 45 वर्ष कर दिया है। हमने अब इस सभा में सुना है कि वर्ष 2020 तक भारत की कुल आबादी का 62 प्रतिशत या 63 प्रतिशत 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के होंगे। इसलिए हमें युवा वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग नौकरी ढूंढते हैं जो उद्यमी हैं और जो लोग इससे ऊपर उठकर अपना भविष्य चुनते हैं, वे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। युवा वर्ग सबसे अधिक गुमराह और निराश हैं। आप बाहर जिन लोगों को देखते हैं, आप इतने भयभीत होते हैं *...क्योंकि आप उनसे डरते हैं।

अध्यक्ष महोदया: आप इसका लोप कर दें।

श्री तथागत सत्पथी: वे युवा वर्ग है और हमें उनके भविष्य की चिंता करनी चाहिए।

मैं सुझाव देता हूं कि आयु सीमा को 25 वर्ष तक कम कर दिया जाये। उन्हें यह दिखाने दीजिए कि उनमें साहस है क्योंकि इस सभा की औसत आयु सीमा 53 वर्ष रेखांकित की गई है। इसलिए, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: आपने अपनी बात रख दी है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अब मैं श्री तथागत सत्पथी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। थोड़ा शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग भी शांत रहिए, ऐसा नहीं करते हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री बसुदेव आचार्य द्वारा भी एक संशोधन प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 28, पंक्ति 14,-

"राजपत्र" के पश्चात "जो इसके प्रारम्भ से छह माह के भीतर जारी किया जाएगा"। अंत:स्थापित किया जाए। (46)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 28, पंक्ति 15 और 16, "इस अधिनियम के अधीन की गई शिकायतों के संबंध में प्रारंभिक जांच, अन्वेषण और अभियोजन के प्रयोजन के लिए," का लोप किया जाए। (74)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: श्री विष्णुपद राय द्वारा भी एक संशोधन प्रस्तुत किया जायेगा। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री विष्णुपद राय: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 28, पंक्ति 14, "राज्य" के स्थान पर

"यथा स्थिति, राज्य या विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए।" (85)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: भारत में चार ऐसी यूनियन टेरेटरी हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप दमन दीव, दादर नगर हवेली। इस बिल में लोकायुक्त के अंदर में इसे नहीं लाए। इसे लोकायुक्त में लाया जाए। ये जो चार केंद्रशासित के अंचल हैं, यूनियन टेरेटरी हैं, ये भारत सरकार के अधीन हैं। वहां करप्शन एकदम पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। इसलिए मैं यहां लोकायुक्त के लिए मांग करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री विष्णुपद राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 85 सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आपने डिवीजन मांगा है। हम डिविजन दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि यह केवल एक चूक हुई। मैं नेता सदन से कहना चाहूंगी कि इसमें आपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरिज विथ लेजिस्लेचर ले ली लेकिन वे यूनियन टेरिटरिज हैं जहां विधान सभाएं नहीं हैं, वे नहीं लिए गए तो क्या उस एरिया में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई तंत्र खड़ा नहीं करेंगे। वह यह कह रहे हैं। इसलिए अगर आप इस को एडाप्ट कर लें और सर्वसम्मति से इसको एडाप्ट करना चाहिए। एक चूक रह गई है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, यह आवश्यक नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य की बात का संबंध है कि विधान रहित संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च पदों पर होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक उपयुक्त तंत्र होना चाहिए और इसे लोकायुक्त के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए; निश्चित रूप से, एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाएगा और सभा इस पर कार्रवाई करेगी।

अध्यक्ष महोदया: क्या आप मत विभाजन चाहते हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: नहीं। हम मत विभाजन नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 64, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 64, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 65 और 66 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 67

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय: अध्यक्ष महोदया, मैंने अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर को लोकायुक्त के अंदर लाने के लिए अमेन्डमैंट मूव की। साथ-साथ और तीन यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं - लक्ष्य द्वीप, दमन दीव और नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर को लोकायुक्त के अंदर लाया जाए। इसके लिए मैंने अमेन्डमेन्ट मूव की।

[अनुवाद]

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 30, पंक्ति 10,-

"राज्यपाल" के पश्चात "अथवा यथास्थिति उपराज्यपाल या प्रशासक" अंत:स्थापित किया जाए। (86)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री विष्णुपद राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 86 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 67 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 67 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 68 से 70 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 71

लोकायुक्त के सचिव तथा अन्य अधिकारी तथा कर्मचारीवृंद

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 31, पंक्ति 27,-

"सचिव और अन्य" का लोप किया जाए। (75)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 71, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 71 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 72 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 73

अभियोजन निदेशक की नियुक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 32, पंक्ति 22, "अन्वेषण रिपोर्ट" **के स्थान पर** "अन्वेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों के" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (76)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 73, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 73 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 74 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 75

मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित होना

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 32, पंक्ति 39, का लोप किया जाए। (12)

मैंने अपने भाषण में पहले ही कहा है कि लोकायुक्तों को राज्यों को प्रदान किया जाना चाहिए। यद्यपि हमारे पास सक्षमता है फिर भी यह समवर्ती सूची में है। हमें यह देखना होगा कि राज्य सरकारों के पास भी शक्ति है। इसलिए, मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। आगे प्रधान मंत्री की भांति ही मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में नहीं लाना चाहिए। यही मेरा संशोधन है।

अध्यक्ष महोदया: अब मैं डॉ. एम. तम्बिदुरई द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 33, पंक्ति 31 से 33 **का लोप** किया जाए। (77)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 75, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 75, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 76 से 80 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 81

शिकायतों और प्रारम्भिक जांच और अन्वेषण के संबंध में उपबंध

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 35, पंक्ति 35, "अपने अन्वेषण स्कंध या किसी अन्वेषण **अभिकरण" के स्थान** पर "किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत कोई विशेष अभिकरण भी है)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (78)

पृष्ठ 36, पंक्ति 9, "कोई अभिकरण" **के स्थान पर** "कोई अन्वेषण अभिकरण" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (79)

पृष्ठ 36, पंक्ति 12, "उपधारा (4), अन्वेषण स्कंध से या किसी अन्य अभिकरण से" **के स्थान पर** उपधारा (6) किसी अन्वेषण अभिकरण से (जिसके अंतर्गत कोई विशेष अभिकरण भी है)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (80)

पृष्ठ 36, पंक्ति 19 से 28 **के स्थान पर** (8) लोकायुक्त, आरोप पत्र दाखिल किए जाने पर उपधारा (7) के अधीन कोई विनिश्चय करने के पश्चात् आरोप पत्र दाखिल किये जाने पर अभियोजन स्कंध को किसी अन्वेषण अभिकरण द्वारा (जिसके अंतर्गत कोई विशेष अभिकरण भी है) अन्वेषण किए गए मामलों के संबंध में विशेष न्यायालय में अभियोजन आरंभ करने का निदेश दे सकेगा;" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (81)

पृष्ठ 30, पंक्ति 10, और "छः माह की अवधि" के स्थान पर, "एक बार में छः माह की अवधि से अनीधिक," **प्रतिस्थापित** किया जाए। (93)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

कि खंड 81, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 81, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 82

प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की दलील सुनी जाने संबंधी

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 37, पंक्ति 2, "भावी" का **लोप** किया जाए।

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 82, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 82, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 83 और 84 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 85

लोक सेवकों अर्थात् जो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक हों के विरुद्ध जांच पर कार्रवाई

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 37, पंक्ति 30, "प्रारंभिक जांच या" का **लोप** किया जाए। (83)

[अध्यक्ष महोदया]

पृष्ठ 37, पंक्ति 31, "खंड (ख)" के पश्चात् "या खंड (ग)" **अंत:स्थापित** किया जाए। (84)

पृष्ठ 37, पंक्ति 29,-

"85(1)" के स्थान पर "85" प्रतिस्थापित किया जाए। (94)

पृष्ठ 37,-

पंक्तियों "34 और 37" का लोप किया जाए। (95)

पृष्ठ 38,-

पंक्तियों "1 और 2" का लोप किया जाए। (96)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

कि खंड 85, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 85, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 86 से 97, विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 9, के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें:

"परन्तु यह कि इस अधिनियम के उपबंध उस राज्य में प्रवृत्त होंगे जिसने इस अधिनियम को प्रवृत होने के लिए पूर्व सहमति दी है।" (87)

(श्री वी. नारायणसामी)

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, इससे पहले कि मैं संशोधन प्रस्तुत करूं, मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। सभा के नेता, माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणब बाबू ने कहा है कि संघीय ढांचे के संरक्षण से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं थी अथवा यह चर्चा अनावश्यक थी। उन्होंने यह भी कहा कि पृष्ठ 2 पर यह संशोधन सरकार द्वारा लाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है: "परन्तु यह कि इस अधिनियम के उपबंध उस राज्य में लागू होंगे जिन्होंने इस अधिनियम को लागू करने के लिए पूर्व सहमति दी है।" इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना इसे लागू नहीं किया जाएगा। प्रस्तुत संशोधन में इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है।

अत: मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि लोकपाल उस तिथि को पूर्वत्ता होगा जैसाकि केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। मैंने एक अन्य बात भी जोड़ी है कि इस अधिनियम के उपबंध, जो लोकायुक्त से संबंधित हैं, उस तिथि को प्रवर्त्त होंगे जैसा कि संबंधित राज्य सरकारें राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेंगी। मैं इस सभा के सदस्यों, विशेषकर उन सदस्यों जो संप्रग में हैं, अर्थात् तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के सदस्यों से अपील करता हूं कि यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों और अन्ना द्रमुक के माननीय सदस्यों से भी अपील करना चाहूंगा कि एक ऐसी स्थिति है - और मेरी समझ में यह नहीं आता है कि आप राज्य के हितों का संरक्षण क्यों करते हैं। मैं उस पत्र को पढ़ता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 अगस्त को लिखा था। उस पत्र में कहा गया है:

[हिन्दी]

प्रिय अन्ना हजारे जी, आपके दिनांक 26 अगस्त के पत्र के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, संसद में आज लोकपाल संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि संसद के दोनों सदनों ने आपके द्वारा अपने पत्र में उठाये गये तीन बिन्दुओं पर एक रेजोल्यूशन पास किया है। इस रिजोल्यूशन के अनुसार संसद तीन विषयों पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। एक नागरिक संहिता, जो अब विधेयक लाया गया है, पारित नहीं हुआ है। दो, उपयुक्त तंत्र के जरिये निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के अधीन करना, यह इसमें नहीं है। तीन, राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना। कहां लिखा गया है, कहां सेंस ऑफ दी हाउस, जो पढ़कर सुनाया कि कहां आपने कहा कि राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना यह संसद करेगी। आपने यह कहा कि लोकायुक्त की स्थापना राज्यों में होगी। हमारा निवेदन यही है कि आप कन्सर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर को वह मॉडल

भेज दीजिए। मैं बार-बार यही कहता आ रहा हूं कि यह बात तृणमूल कांग्रेस ने कही, यह बात डी.एम.के. ने कही। यह संशोधन हमारे ए.आई.डी.एम.के. ने कहा, गुरुदास दासगुप्त जी ने कहा, सी.पी.आई. से यह बात बसुदेव आचार्य जी ने कही। यह बात हमारी लीडर ऑफ दी आपोजिशन सुषमा जी ने भी कही। इसमें क्याा दिक्कत है। आप एक मॉडल भेज दीजिए। आप क्यों इनसिस्ट कर रहे हैं कि यह हाउस को पास करना है। मैं यही निवेदन करता हूं कि जो संशोधन हमने विचार के लिए रखा है, उस पर विचार कीजिए।

[अनुवाद]

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 1, पंक्ति 17, और पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 4 के स्थान पर-

"(4) लोकपाल से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(4क) लोकायुक्त से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो संबंधित राज्य सरकारें राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।" प्रतिस्थापित किया जाए। (16)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं मतविभाजन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: दीर्घाएं पहले ही खाली करा दी गई हैं।

प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ 1, पंक्ति 17, और पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 4 के स्थान पर-

"(4) लोकपाल से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(4क) लोकायुक्त से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो संबंधित राज्य सरकारें राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।" प्रतिस्थापित किया जाए। (16)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 2 **रात्रि 10.48 बजे**

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अडसुल, श्री आनंदराव

अनंत कुमार, श्री

अर्गल, श्री अशोक

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

उदासी, श्री शिवकुमार

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटील, श्री नलिन कुमार

करुणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमारी, श्रीमती पुतुल

कृष्टप्प, श्री एन.

खैरे, श्री चंद्रकांत

गणेशमूर्ति, श्री ए.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्री भूदेव

श्री प्रभातसिंह पी. चौहाण

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव

जयसवाल, डॉ. संजय

आवले, श्री हरिभाऊ

जिगजिणगी, श्री रमेश

जूदेव, श्री दिलीप सिंह

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

टन्डन, श्री लालजी

टुडु, श्री लक्ष्मण

टोप्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डेका, श्री रमेन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तरई, श्री बिभू प्रसाद

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

दास, श्री खगेन

दास, श्री राम सुन्दर

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देशमुख, श्री के.डी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

नटराजन, श्री पी.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटले, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री वैजयंत

पांडा, श्री प्रबोध

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

*पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पोटाई, श्री सोहन

बासवराज, श्री जी.एस.

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बाबर, श्री गजानन ध.

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेसरा, श्री देवीधन

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भैया, श्री शिवराव

मंडल, डॉ. तरुण

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महापात्र, श्री सिद्धांत

मांझी, श्री हरि

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री पिनाकी

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल

मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुंडा, श्री कड़िया

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मोहन, श्री पी.सी.

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री रमाकांत

यादव, श्री शरद

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री राजेंद्र सिंह

राम, श्री पूर्णमासी

रामशंकर, प्रो.

राय, श्री अर्जुन

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लिंगम, श्री पी.

बसावा, श्री मनसुखभाई डी.

बाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

बानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव

*विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

शर्मा, श्री जगदीश

शांता, श्रीमती जे.

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शिवप्रसाद, डॉ. एन.

शिवासामी, श्री सी.

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेट्टी, श्री राजू

सत्पथी, श्री तथागत

सम्पत, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री जसवंत

सिंह श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. बोला

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन *उर्फ* ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिन्हा, श्री यशवंत

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सुगुमार, श्री के.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सुशांत, डॉ. राजन

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हक, शेख सैदुल

हजारी, श्री महेश्वर

हसन, डॉ. मोनाजिर

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजहरुद्दीन, मोहम्मद

अधिकारी, श्री शिशिर

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अलागिरी, श्री एम.के.

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

आधि शंकर, श्री

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

इस्लाम, शेख नूरूल

ईरींग, श्री निनोंग

एंटोनी, श्री एंटो

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह

ओला श्री शीशराम

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. कुपारानी

कुमार, श्री अजय

कुमार, श्री रमेश

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

के.पी., श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महोदव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान, श्री संजय सिंह

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

*तीरथ, श्रीमती कृष्णा

त्रिवेदी, श्री दिनेश

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दास, श्री भक्त चरण

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिन्द

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नहर, श्रीमती रानी

नास्कर श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नागपाल, श्री देवेन्द्र

नायक, श्री पी. बलराम

नारायणसामी, श्री वी.

निरुपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रसाद, श्री जितिन

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैठा, श्री कामेश्वर

*बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगोरा, श्री ताराचन्द्र

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भोंसले, श्री उदयनराजे

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मसराम, श्री बसोरी सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

महन्त, डॉ. चरण दास

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणव

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरूण

यादव, श्री अंजनकुमार एम.

यादव, श्री ओम प्रकाश

यास्खी, श्री मधु गौड

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राणे, श्री निलेश नारायण

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

विजयन, श्री ए.के.एस.

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अद्‌गुरू एच.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम. आई.

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार श्री के. *उर्फ* जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतियादित्य माधवराव

सिंह, आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हरि, श्री सब्बम

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी.

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

भाग नहीं लिया

श्री असादूद्दीन ओवेसी

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

अध्यक्ष महोदया: शुद्धि के अध्यधीन *, मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से मतदान किया।

पक्ष में 189 + कुमारी सरोज पाण्डेय, श्री रमेश विश्वनाथन काट्टी=191

विपक्ष में 247+श्री खिलाड़ी लाल बैरवा, श्रीमती कृष्णा तीरथ=249

पक्ष में	189
विपक्ष में	247
भाग नहीं लिया	2

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: श्री गुरुदास दासगुप्त, क्या आप अपने संशोधन के लिए जोर दे रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, मैं इसके लिए जोर नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावनाएं और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री वी. नारायणसामी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है कि:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: दीर्घाएं खोल दी जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, इस सरकार ने लोकपाल विधेयक को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए हमारे किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया है। इस विधेयक के अंतर्गत लोकपाल बहुत कमजोर होगा। इसलिए हम विरोध स्वरूप, सभा से बहिर्गमन करते हैं।

रात्रि 10.52 बजे

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...***

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदया, विधेयक के कुछ प्रावधानों के संबंध में हमारे विरोध के बावजूद सरकार ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। इसलिए, हम विरोध के रूप में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

रात्रि 10.52 बजे

इस समय डॉ. तम्बिदुरई और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक): विपक्ष ने मांग की है कि संविधान के संघीय स्वरूप की रक्षा की जानी चाहिए। हालांकि सभा के नेता, प्रणब दा ने इसका उत्तर नहीं दिया है। अत: विरोध दर्ज करने के लिए हम सभा से बहिर्गमन करते हैं।

रात्रि 10.53 बजे

इस समय, श्री अर्जुन चरण सेठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

रात्रि 10.54 बजे

संविधान (एक सौ सोलहवां संशोधन) विधेयक, 2011 (नए भाग XIVख का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, इसके पहले कि मैं विधेयक के विचारार्थ हेतु प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूं मैं सभा को सूचित करना चाहती हूं कि चूंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अत: इस पर मतदान मतविभाजन के द्वारा होगा।

दीर्घाएं खाली कराई जाएं-

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

यह क्या हो रहा है, शांत हो जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: गीते जी आप क्यों खड़े हो रहे हैं। संविधान संशोधन चल रहा है, जरा सा गम्भीर हो जाएं। पूरा देश आपको देख रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत हो जाएं और बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है। आपको इस बारे में थोड़ा अधिक गंभीर होना होगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: महासचिव ने पहले ही सूचित कर दिया है ऑटोमैटिक वोट रिकॉर्डिंग मशीन के प्रचालन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे दी है। इसलिए, अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 3 **रात्रि 10.58 बजे**

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजहरुद्दीन, मोहम्मद

अधिकारी, श्री शिशिर

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अर्गल, श्री अशोक

अलागिरी, श्री एम.के.

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बसुदेव

*आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आधि शंकर, श्री

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

इस्लाम, शेख नूरूल

ईरींग, श्री निनोंग

एंटोनी, श्री एंटो

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह

ओला, श्री शीशराम

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

'कमांडो', श्री कमल किशोर

करुणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री दिनेश

कस्वां, श्री राम सिंह

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी

कुमार, श्री अजय

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, श्री रमेश

*कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

के.पी., श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महोदव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्कर्राव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

खैरे, श्री चंद्रकांत

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गणेशमूर्ति, श्री ए.

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

*चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

चौहान, श्री संजय सिंह

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जयाप्रदा, श्रीमती

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

आवले, श्री हरिभाऊ

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जिन्दल, श्री नवीन

जूदेव, श्री दिलीप

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री कैलाश

*जोशी, श्री प्रहलाद

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

**तीरथ, श्रीमती कृष्णा

*पर्ची के माध्यम से शुद्धि की।

**पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिवेदी, श्री दिनेश

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री खगेन

*दास, श्री भक्त चरण

दास, श्री राम सुन्दर

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिन्द

देशमुख, श्री के.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

*धोत्रे, श्री संजय

धुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नरह, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

*नागपाल, श्री देवेन्द्र

नायक, श्री पी. बलराम

नारायणसामी, श्री वी.

निरुपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

पटले, श्रीमती कमला देवी

*पटले, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री प्रफुल

**पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री वैजयंत

पांडा, श्री प्रबोध

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

**पाटिल श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रसाद, श्री जितिन

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बिजू, श्री पी.के.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**पर्ची के माध्यम से शुद्धि की।

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगोरा, श्री ताराचन्द

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भैया, श्री शिवराव

भोंसले, श्री उदयनराजे

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुखर्जी, श्री प्रणव

मुंडा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री अंजनकुमार एम.

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, श्री रमाकांत

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यास्खी, श्री मधु गौड

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राजेश, श्री एम.बी.

राणा, श्री राजेंद्रसिंह

राणे, श्री निलेश नारायण

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, श्री विष्णु पद

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के.एस.

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

*रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

बसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वासनिक, श्री मुकुल

विजयन, श्री ए.के.एस.

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अद्‌गुरू एच.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्‌दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. *उर्फ* जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सम्पत, श्री ए.

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

*साहू, श्री चंदूलाल

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, कुंवर आर.पी.एन.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

*सिंह, श्री एन. धरम

सिंह श्री गणेश

सिंह, श्री जसवंत

सिंह, श्री जितेन्द्र

*सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

**सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन *उर्फ* ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिन्हा, श्री यशवंत

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सैलजा, कुमारी

*सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री भरतसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

*हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हरि, श्री सब्बम

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी.

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अडसुल, श्री आनंदराव

आदित्यनाथ, योगी

*पर्ची के माध्यम से मतदान

**पर्ची के माध्यम से शुद्धि की।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*आनंदन, श्री एम.

उदासी, श्री शिवकुमार

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटील, श्री नलिन कुमार

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमारी, श्रीमती पुतुल

गांधी, श्री वरुण

गोहेन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

*चौधरी, श्री भूदेव

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जयसवाल, डॉ. संजय

टुडु, श्री लक्ष्मण

टोप्पो, श्री जोसेफ

डेका, श्री रमेन

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तरई, श्री बिभू प्रसाद

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

नटराजन, श्री पी.आर.

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पासवान, श्री कमलेश

पोटाई, श्री सोहन

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार

*मणियन, श्री ओ.एस.

*महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महापात्र, श्री सिद्धांत

मांझी, श्री हरि

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मोहन, श्री पी.सी.

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

*राजेन्द्रन, श्री सी.

राम, श्री पूर्णमासी

रामशंकर प्रो.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राय, श्री अर्जुन

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश

**वेणुगोपाल, डॉ. पी.

*शर्मा, श्री जगदीश

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शिवासामी, श्री सी.

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेट्टी, श्री राजू

सत्पथी, श्री तथागत

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्रीमती मीना

*सेम्मलई, श्री एस.

सोलंकी, श्री मकनसिंह

हजारी, श्री महेश्वर

*हसन डॉ. मोनाजिर

भाग नहीं लिया

श्री असादूद्दीन ओवेसी

श्री पी.सी. गद्दीगौदर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**पर्ची के माध्यम से शुद्धि की।

रात्रि 11.00 बजे

अध्यक्ष महोदया: शुद्धि के अध्यधीन *, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में	321
विपक्ष में	71
भाग नहीं लिया	2

"प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 2

नए भाग XIV 'ख' का अंत:सथापन

अध्यक्ष महोदया: सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। श्री भर्तृहरि महताब ने खण्ड 2 में पांच संशोधनों की सूचना सभा-पटल पर रखी है। श्री भर्तृहरि महताब क्या आप अपने संशोधन संख्या से 5 को प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, में प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 24,-

"यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान मंडल" **के स्थान पर** "राज्य विधान मंडल" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (1)

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/शुद्धि की।

पक्ष में 321 + सर्वश्री कीर्ति आजाद, महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, भक्त चरण दास, संजय धोत्रे, मोहम्मद असरारूल हक, प्रहलाद जोशी, वीरेन्द्र कुमार, देवेन्द्र नागपाल, देवजी एम. पटेल, लालूभाई बाबूभाई पटेल, सी.आर. पाटिल, के.जे.एस.पी. रेड्डी, चंदूलाल साहू, भूपेन्द्र सिंह, दुष्यंत सिंह, एन. धरम सिंह, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्रीमती कृष्णा तीरथ=339-सर्वश्री ओ.एस. मणियन, पी. वेणुगोपाल, सी. राजेन्द्रन, एम. आनंदन, भर्तृहरि महताब और डॉ. मोनाजिर हसन=333

विपक्ष में=71 + सर्वश्री एम. आनंदन, भूदेव चौधरी, डॉ. मोनाजिर हसन, सर्वश्री भर्तृहरि महताब, ओ.एस. मणियन, सी. राजेन्द्रन, एस. सेम्मलई, जगदीश शर्मा, डॉ. पी. वेणुगोपाल=80 - सर्वश्री प्रहलाद जोशी, भूपेन्द्र सिंह, सी.आर. पाटिल, महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, लालूभाई बाबूभाई पटेल=75

[श्री भर्तृहरि महताब]

पृष्ठ 2, पंक्ति 29,-

"यथास्थिति, संसद् या" का लोप किया जाए। (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 31,-

"संसद् या" का लोप किया जाए। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 34,-

"यथास्थिति, संसद् या" का लोप किया जाए। (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,-

"संसद् या" का लोप किया जाए। (5)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 5 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं मत-विभाजन चाहता हूं।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 4 रात्रि 11.01 बजे

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अडसुल, श्री आनंदराव

अनंत कुमार, श्री

अर्गल, श्री अशोक

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

उदासी, श्री शिवकुमार

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटील, श्री नलिन कुमार

करुणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री दनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमारी, श्रीमती पुतुल

खैरे, श्री चंद्रकांत

गणेशमूर्ति, श्री ए.

*गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्री भूदेव

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव

जयसवाल, डॉ. संजय

आवले, श्री हरिभाऊ

जूदेव, श्री दिलीप सिंह

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

टन्डन, श्री लालजी

टुडु, श्री लक्ष्मण

टोप्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डेका, श्री रमेन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तरई, श्री बिभू प्रसाद

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देशमुख, श्री के.डी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

नटराजन, श्री पी.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

पटेल, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री वैजयंत

पांडा, श्री प्रबोध

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पोटाई, श्री सोहन

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

एस.के., श्री पुलीन बिहारी

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बिजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेसरा, श्री देवीधन

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भैया, श्री शिवराव

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महापात्र, श्री सिद्धांत

मांझी, श्री हरि

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसा

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल

मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुंडा, श्री कड़िया

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मोहन, श्री पी.सी.

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री रमाकांत

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री राजेंद्रसिंह

राम, श्री पूर्णमासी

रामशंकर, प्रो.

राय, श्री अर्जुन

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

बसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

शर्मा, श्री जगदीश

शांता, श्रीमती जे.

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शिवासामी, श्री सी.

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेट्टी, श्री राजू

सत्पथी, श्री तथागत

सम्पत, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री जसवंत

सिंह श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन *उर्फ* ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिन्हा, श्री यशवंत

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सुगुमार, श्री के.

सुशांत, डॉ. राजन

सेम्मलई, श्री एस.

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हसन, डॉ. मोनाजिर

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

*हेगड़े, श्री अनंत कुमार

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजहरुद्दीन, मोहम्मद

अधिकारी, श्री शिशिर

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अलागिरी, श्री एम.के.

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

आधि शंकर, श्री

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

*इस्लाम, शेख नूरूल

ईरींग, श्री निनोंग

एंटोनी, श्री एंटो

*ऐरन, श्री प्रवीण सिंह

ओला, श्री शीशराम

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, श्री अजय

कुमार, श्री रमेश

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

के.पी., श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान, श्री संजय सिंह

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जेयदुरई, श्री एसं.आर.

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

*तीरथ, श्रीमती कृष्णा

त्रिवेदी, श्री दिनेश

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री भक्त चरण

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिन्द

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नरह, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नागपाल, श्री देवेन्द्र

नायक, श्री पी. बलराम

नारायणसामी, श्री वी.

निरुपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रसाद, श्री जितिन

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

"बाबा" श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगोरा, श्री ताराचन्द

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भोंसले, श्री उदयनराजे

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणव

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री अंजनकुमार एम.

यादव, श्री ओम प्रकाश

यास्खी, श्री मधु गौड

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राणे, श्री निलेश नारायण

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

*रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राव, डॉ. के. एस.

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लागुरी, श्री यशवंत

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

विजयन, श्री ए.के.एस.

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अद्गुरू एच.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार

शर्मा, श्री जगदीश

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. *उर्फ* जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंह, कुंवर आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

*हजारी, श्री महेश्वर

हरि, श्री सब्बम

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी.

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

भाग नहीं लिया

श्री असादूद्दीन ओवेसी

अध्यक्ष महोदया: शुद्धि के अध्यधीन *, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में	174
विपक्ष में	249
भाग नहीं लिया	1

प्रस्ताव प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 155 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंध के अनुसार नहीं लाया गया है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती सुषमा स्वराज ने खंड 2 में पांच संशोधनों की सूचनाएं सभापटल पर रखी हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज क्या आप संशोधन संख्या 6 से 10 प्रस्तुत कर रही हैं?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, मैं अपने पांचों अमेंडमेंट्स मूव कर रही हूं और मैं कहना चाहूंगी कि नेता सदन ने जो पहले बिल आया, उसकी चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसमें धारा 252 और धारा 253 की बहस बेमानी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वही बहस संविधान सम्मत है क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर केवल दो ही तरह से भारतीय संसद बिल बना सकती है।

एक 252 और 253 है। इन्होंने 253 का सहारा लिया है। बिल के प्रीएम्बल में भी लिखा है कि हम यू.एन. कंवैंशन अगेन्स्ट करप्शन को अमली-जामा पहनाने के लिए बिल लाये हैं। लेकिन 253 का बिल मैन्डेटरी होता है। यह जो अमैंडमैन्ट लेकर आये हैं, इसमें यह कह रहे हैं कि यह बिल राज्यों पर उनकी कन्सैंट के बिना लागू नहीं होगा, यह अपने आपमें अनकांस्टीट्यूशनल है। इसलिए मेरा अमैन्डमैन्ट इतना है कि जहां लिखा है 'मेड बाई पार्लियामैन्ट' उसके आगे लिखो अंडर आर्टिकल 252, जो बात अभी भाई श्री महताब ने कही कि मॉडल बिल बना दो। जो बात श्री तम्बिदुरई जी ने कही कि मॉडल बिल बना दो। जो बात श्री गुरुदास गुप्त और श्री बसुदेव आचार्य कह रहे हैं कि मॉडल बिल बना दो। इसमें क्या दिक्कत है। दो राज्यों का प्रस्ताव लाकर आप इसे मॉडल बिल बना सकते हैं। लेकिन आप 253 का सहारा ले रहे हैं और राज्यों को च्वाइस दे रहे हैं कि दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकतीं। हम अपने यहां से

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया। अपने मत में शुद्धि की।

पक्ष में 174 + श्रीमती पी.सी. गद्दीगौदर, अनंत कुमार हेगड़े=176-श्री महेश्वर हजारी=175

विपक्ष में 249+सर्वश्री प्रवीण सिंह सोरेन, महेश्वर हजारी, शेख चुरूल इस्लाम, श्री एस.एस. रामसुब्बू, श्रीमती कृष्णा तीरथ=254-श्री पी.सी. गद्दीगौदर=253

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

कोई असंवैधानिक काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने ये पांचों अमैंडमैन्ट्स मूव करती हूं।

मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 24-

"संसद" के बाद से पूर्व

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन" अंतःस्थापित किया जाए। (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 29-

"संसद" से पूर्व

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन" अंतःस्थापित किया जाए (7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 31,-

"संसद" से पूर्व

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन" अंतःस्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 2, पंक्ति 34-

"संसद" से पूर्व

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन" अंतःस्थापित किया जाए। (9)

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन" अंतःस्थापित किया जाए। (10)

अध्यक्ष महोदया: मैं अब श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6-10 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं डिवीजन मांग रही हूं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, वे इस पर एक मत-विभाजन की मांग कर रही हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

विभाजन संख्या 5 **रात्रि 11.08 बजे**

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अडसुल, श्री आनंदराव

अनंत कुमार, श्री

अर्गल, श्री अशोक

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

उदासी, श्री शिवकुमार

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटील, श्री नलिन कुमार

करुणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमारी, श्रीमती पुतुल

खैरे, श्री चंद्रकांत

गणेशमूर्ति, श्री ए.

*गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री बंस गोपाल

*चौधरी, श्री भूदेव

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव

जयसवाल, डॉ. संजय

आवले, श्री हरिभाऊ

जिगजिणगी, श्री रमेश

जूदेव, श्री दिलीप सिंह

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

टन्डन, श्री लालजी

टुडु, श्री लक्ष्मण

टोप्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डेका, श्री रमेन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तरई, श्री बिभू प्रसाद

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

दास, श्री खगेन

दास, श्री राम सुन्दर

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देशमुख, श्री के.डी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटेल, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री देवजी एम.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री वैजयंत

पांडा, श्री प्रबोध

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पोटाई, श्री सोहन

बासवराज, श्री जी.एस.

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बिजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेसरा, श्री देवीधन

बैठा, श्री कामेश्वर

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भैया, श्री शिवराज

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महापात्र, श्री सिद्धांत

मांझी, श्री हरि

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल

मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुंडा, श्री कड़िया

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मोहन, श्री पी.सी.

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री रमाकांत

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री राजेंद्रसिंह

राम, श्री पूर्णमासी

रामशंकर, प्रो.

राय, श्री अर्जुन

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लागुरी, श्री यशवंत

बसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

शर्मा, श्री जगदीश

शांता, श्रीमती जे.

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शिवासामी, श्री सी.

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेट्टी, श्री राजू

सत्पथी, श्री तथागत

सम्पत, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री जसवंत

सिंह श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिन्हा, श्री यशवंत

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सुगुमार, श्री के.

सुशांत, डॉ. राजन

सेम्मलई, श्री एस.

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हजारी, श्री महेश्वर

हसन, डॉ. मोनाजिर

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

*हेगड़े, श्री अनंत कुमार

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजहरुद्दीन, मोहम्मद

अधिकारी, श्री शिशिर

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अलागिरी, श्री एम.के.

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

आधि शंकर, श्री

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

*इस्लाम, शेख नूरूल

ईरींग, श्री निनोंग

एंटोनी, श्री एंटो

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह

ओला, श्री शीशराम

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी

कुमार, श्री अजय

कुमार, श्री रमेश

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

के.पी., श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महोदव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान, श्री संजय सिंह

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जयाप्रदा, श्रीमती

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

*तीरथ, श्रीमती कृष्णा

त्रिवेदी, श्री दिनेश

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

*थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री भक्त चरण

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिन्द

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नटराजन, श्री पी.आर.

नहर, श्रीमती रानी

नास्कर श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नागपाल, श्री देवेन्द्र

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नायक, श्री पी. बलराम

नारायणसामी, श्री वी.

निरुपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री नित्यानंद

प्रसाद, श्री जितिन

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगोरा, श्री ताराचन्द

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भोंसले, श्री उदयनराजे

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणव

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री अंजनकुमार एम.

यादव, श्री ओम प्रकाश

यास्खी, श्री मधु गौड

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राणे, श्री निलेश नारायण

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के.एस.

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

विजयन, श्री ए.के.एस.

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अद्‌गुरू एच.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्‌दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंह, कुंवर आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हरि, श्री सब्बम

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी.

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

भाग नहीं लिया

श्री ओवेसी असादूद्दीन

अध्यक्ष महोदया: शुद्धि के अध्यधीन *, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में	182
विपक्ष में	249
भाग नहीं लिया	1

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार ने भी पांच संशोधनों की सूचनाएं दी हैं जो श्रीमती सुषमा स्वराज के संशोधनों के समान है।

चूंकि सभा श्रीमती सुषमा स्वराज के संशोधनों पर अपना निर्णय पहले ही दे चुकी है इसलिए श्री मजूमदार

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से मतदान किया।

पक्ष में 182 + सर्वश्री भूदेव चौधरी, अनंत कुमार हेगड़े=184

विपक्ष में 249 + प्रो. के.वी. थॉमस, श्रीमती कृष्णा तीरथ=251

के 12 से 16 तक के समान संशोधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

खंड 2

नए भाग XIVख का अंत:स्थापन

अध्यक्ष महोदया: दीर्घाएं खाली करा दी गई हैं। अब मैं खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या-6 **रात्रि 11.10 बजे**

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजहरुद्दीन, मोहम्मद

अधिकारी, श्री शिशिर

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अलागिरी, श्री एम.के.

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

आधि शंकर, श्री

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

इस्लाम, शेख नूरूल

ईरींग, श्री निनोंग

एंटोनी, श्री एंटो

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह

ओला, श्री शीशराम

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी

कुमार, श्री अजय

कुमार, श्री रमेश

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

के.पी., श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महोदव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान, श्री संजय सिंह

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

त्रिवेदी, श्री दिनेश

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री भक्त चरण

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिन्द

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नहर, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नागपाल, श्री देवेन्द्र

नायक, श्री पी. बलराम

नारायणसामी, श्री वी.

निरुपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रसाद, श्री जितिन

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

"बाबा" श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगोरा, श्री ताराचन्द

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भोंसले, श्री उदयनराजे

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, श्री नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री अंजनकुमार एम.

यादव, श्री ओम प्रकाश

यास्खी, श्री मधु गौड

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राणे, श्री निलेश नारायण

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के.एस.

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

बासनिक, श्री मुकुल

विजयन, श्री ए.के.एस.

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अद्गुरू एच.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हरि, श्री सब्बम

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी.

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

विपक्ष में

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अडसुल, श्री आनंदराव

अनंत कुमार, श्री

अर्गल, श्री अशोक

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

उदासी, श्री शिवकुमार

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटील, श्री नलिन कुमार

करुणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमारी, श्रीमती पुतुल

खैरे, श्री चंद्रकांत

गणेशमूर्ति, श्री ए.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्री भूदेव

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव

जयसवाल, डॉ. संजय

जावले, श्री हरिभाऊ

जिगजिणगी, श्री रमेश

जूदेव, श्री दिलीप सिंह

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

टन्डन, श्री लालजी

टुडु, श्री लक्ष्मण

टोप्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डेका, श्री रमेन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तरई, श्री बिभू प्रसाद

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

दास, श्री खगेन

दास, श्री राम सुन्दर

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देशमुख, श्री के.डी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

नटराजन, श्री पी.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटले, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री वैजयंत

पांडा, श्री प्रबोध

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पोटाई, श्री सोहन

बासवराज, श्री जी.एस.

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बिजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेसरा, श्री देवीधन

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भैया, श्री शिवराव

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महापात्र, श्री सिद्धांत

मांझी, श्री हरि

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुंडा, श्री कड़िया

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मोहन, श्री पी.सी.

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री रमाकांत

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री राजेंद्रसिंह

राम, श्री पूर्णमासी

रामशंकर, प्रो.

राय, श्री अर्जुन

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लागुरी, श्री यशवंत

बसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

शर्मा, श्री जगदीश

शांता, श्रीमती जे.

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शिवासामी, श्री सी.

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेट्टी, श्री राजू

सत्पथी, श्री तथागत

सम्पत, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री जसवंत

सिंह श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन *उर्फ* ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिन्हा, श्री यशवंत

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सुगुमार, श्री के.

सुशांत, डॉ. राजन

सेम्मलई, श्री एस.

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हसन, डॉ. मोनाजिर

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

हेगड़े, श्री अनंत कुमार

भाग नहीं लिया

हजारी, श्री महेश्वर

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

श्रीमती सुषमा स्वराज: प्रदर्शन पट्ट से यह स्पष्ट है कि खंड 2 विधेयक का अंग नहीं बन सकता अपेक्षित संख्या नहीं है। अपेक्षित संख्या कुल संख्या का 50 प्रतिशत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 50 प्रतिशत होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का पचास प्रतिशत वहां नहीं है। यह संख्या 247 है, परंतु यह संख्या 273 होनी चाहिए। अतः खंड 2 विधेयक का अंग नहीं बन सकता।

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया: दीर्घाएं नहीं खोली गई हैं। वे बंद हैं। दरवाजे बंद हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: दरवाजे नहीं खुले हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मैंने उनसे दरवाजे खोलने के लिए नहीं कहा है। दरवाजे बंद हैं। इतना संदेह मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: दरवाजे नहीं खुले हैं, आपको बार-बार संशय क्यों हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी खुला हुआ नहीं छोड़ा गया है। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। दीर्घाएं खोली नहीं गई हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया: पर्चियां आने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): अध्यक्ष महोदया, कृपया परिणाम की घोषणा कीजिए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: पर्चियां आने दीजिए। मैं जानती हूं। जब पर्चियां आएंगी तो मैं घोषणा कर दूंगी।

श्री अनंत कुमार: शुद्धि के अध्यधीन आप परिणाम की घोषणा कर सकते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: शुद्धि करने वाली पर्चियों को गिनने की आवश्यकता है क्योंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है।

अध्यक्ष महोदया: मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में	251
विपक्ष में	179
मतदान में भाग नहीं लिया	2

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित सदस्यों एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत से नहीं लाया गया?

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ऐसी टिप्पणियां सुनकर बड़ा दुख हुआ कि जैसे कि दीर्घाएं खोल दी गई हैं, और तत्पश्चात् लोग अंदर आ रहे हैं; और पर्चियां लाई जा रही हैं। यह अध्यक्षपीठ पर लांछन है। कृपया ऐसा मत कीजिए। बिल्कुल नहीं।

अब, मैं यह आदेश कर रही हूं कि दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं। मैं सभी को स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूं कि दीर्घाएं खाली हैं। अब, मैं खंड 3 सभा के मतदान के लिए रखूंगी:

प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 7 **रात्रि 11.26 बजे**

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजहरुद्दीन, मोहम्मद

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अलागिरी, श्री एम.के.

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

आधि शंकर, श्री

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

इस्लाम, शेख नूरूल

ईरींग, श्री निनोंग

एंटोनी, श्री एंटो

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह

औला, श्री शीशराम

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. कुपारानी

कुमार, श्री अजय

कुमार, श्री रमेश

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

के.पी., श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान, श्री संजय सिंह

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जयाप्रदा, श्रीमती

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

*तीरथ, श्रीमती कृष्णा

त्रिवेदी, श्री दिनेश

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री भक्त चरण

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिन्द

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नहर, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नागपाल, श्री देवेन्द्र

नायक, श्री पी. बलराम

*नारायणसामी, श्री वी.

निरुपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

*पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

*पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रसाद, श्री जितिन

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगोरा, श्री ताराचन्द्र

भडाना, श्री अवतार सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भोंसले, श्री उदयनराजे

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महाराज, श्री सतपाल

मोकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मारन, श्री दयानिधि

मिश्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरूण

यादव, श्री अंजनकुमार एम.

यादव, श्री ओम प्रकाश

यास्खी, श्री मधु गौड

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राणे, श्री निलेश नारायण

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के. एस.

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

विजयन, श्री ए.के.एस.

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अद्गुरू एच.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंह, देव, श्री कालीकेश नारायण

सिंह, कुंवर आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

*सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हरि, श्री सब्बम

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी.

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

विपक्ष में

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अडसुल, श्री आनंदराव

अनंत कुमार, श्री

अर्गल, श्री अशोक

अहीर, श्री हंसराज गं.

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

उदासी, श्री शिवकुमार

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटील, श्री नलिन कुमार

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री विश्व मोहन

*कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमारी, श्रीमती पुतुल

*खैरे, श्री चंद्रकांत

**गणेशमूर्ति, श्री ए.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गोहेन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री भूदेव

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव

जयसवाल, डॉ. संजय

जावले, श्री हरिभाऊ

जिगजिणगी, श्री रमेश

जूदेव, श्री दिलीप सिंह

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

टन्डन, श्री लालजी

टुडु, श्री लक्ष्मण

टोप्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**पर्ची के माध्यम से शुद्धि की।

डेका, श्री रमेन

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तरई, श्री बिभू प्रसाद

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

दास, श्री खगेन

दास, श्री राम सुन्दर

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देशमुख, श्री के.डी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

*नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

पक्कीरप्पा, श्री एस.

*पटले, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री वैजयंत

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पांडा, श्री प्रबोध

*पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटिल, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पोटाई, श्री सोहन

बासवराज, श्री जी.एस.

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेसरा, श्री देवीधन

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भैया, श्री शिवराज

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महापात्र, श्री सिद्धांत

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मांझी, श्री हरि

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल

मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुंडा, श्री कड़िया

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मोहन, श्री पी.सी.

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री रमाकांत

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

राजेन्द्रन, श्री सी.

राठवा, श्री राम सिंह

राणा, श्री राजेंद्र सिंह

राम, श्री पूर्णमासी

रामशंकर, प्रो.

राय, श्री अर्जुन

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लागुरी, श्री यशवंत

बसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

शर्मा, श्री जगदीश

शांता, श्रीमती जे.

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शिवासामी, श्री सी.

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेट्टी, श्री राजू

*सत्पथी, श्री तथागत

साय, श्री विष्णु देव

साहू, श्री चंदूलाल

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री जसवंत

सिंह श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री सुशील कुमार

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्रीमती मीना

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिन्हा, श्री यशवंत

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सुशांत, डॉ. राजन

सेम्मलई, श्री एस.

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हजारी, श्री महेश्वर

*हसन, डॉ. मोनाजिर

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

हेगड़े, श्री अनंत कुमार

भाग नहीं लिया

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

*करुणाकरन, श्री पी.

**चौधरी, श्री बंस गोपाल

*डोम, डॉ. रामचन्द्र

**नटराजन, श्री पी.आर.

**बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

**बासके, श्री पुलीन बिहारी

**बिजू, श्री पी.के.

**राजेश, श्री एम.बी.

**सम्पत, श्री ए.

*साहा, डॉ. अनूप कुमार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**पर्ची के माध्यम से शुद्धि की।

अध्यक्ष महोदया: शुद्धि के अध्यधीन* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा:-

पक्ष में:	247
विपक्ष में:	171
भाग नहीं लिया:	11

"प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत नहीं हुआ"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में नहीं जोड़ा गया।

अध्यक्ष महोदया: खंड-1 में एक संशोधन का प्रस्ताव है। मंत्री महोदय अब संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करेंगे।

श्री वी. नारायणसामी: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,-

"(एक सौ सोलहवां संशोधन)" के स्थान पर "(अट्ठानवेवां संशोधन)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (11)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

दीर्घाएं पहले ही खाली करा दी गयी हैं।

प्रश्न यह है:

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया/शुद्ध की।

पक्ष में 247 + सर्वश्री वी. नारायणसामी, जगदम्बिका पाल, डॉ. पद्मसिंह, बाजीराव पाटील, श्री एन. धरम सिंह, श्रीमती कृष्णा तीरथ=250

विपक्ष में=171 + श्री ए. गणेशमूर्ति, डॉ. मोनाजिर हसन, सर्वश्री चन्द्रकांत खैरे, वीरेन्द्र कुमार, सोनवणे प्रताप नारायण राव, डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, श्रीमती कमला देवी पटले, श्री तथागत सत्पथी=179-सर्वश्री बंस गोपाल चौधरी, पी.आर. नटराजन, ए. सम्पत, श्रीमती सुस्मिता बाउरी, सर्वश्री पुलीन बिहारी बासके, पी.के. बिजू, एम.बी. राजेश=172

भाग नहीं लिया 1 + श्री पी. करुणाकरन, डॉ. रामचन्द्र डोम, सर्वश्री बंस गोपाल चौधरी पी.आर. नाटराजन, ए. सम्पत, श्रीमती सुस्मिता बाउरी, डॉ. अनूप कुमार साहा, श्री पुलीन बिहारी बासके, सर्वश्री पी.के. बिजू, एम.बी. राजेश=11

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,-

"(एक सौ सोलहवां संशोधन)" के स्थान पर "(अट्ठानवेवां संशोधन)" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 8 **रात्रि 11.31 बजे**

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजहरुद्दीन, मोहम्मद

अधिकारी, श्री शिशिर

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अलागिरी, श्री एम.के.

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

*अहमद, श्री सुल्तान

आधि शंकर, श्री

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

इस्लाम, शेख नूरूल

ईरींग, श्री निनोंग

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह

ओला, श्री शीशराम

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. कुपारानी

कुमार, श्री अजय

कुमार, श्री रमेश

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

के.पी., श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महोदव सिंह

*खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

*खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

*चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान, श्री संजय सिंह

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जयाप्रदा, श्रीमती

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री श्रीकांत

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

डिएस, श्री चार्ल्स

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

डे, डॉ. रत्ना

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

*तीरथ, श्रीमती कृष्णा

त्रिवेदी, श्री दिनेश

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री भक्त चरण

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिन्द

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नहर, श्रीमती रानी

नास्कर श्री गोबिन्द चन्द्रा

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

*नागपाल, श्री देवेन्द्र

नायक श्री पी. बलराम

नारायणसामी, श्री वी.

निरुपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रसाद, श्री जितिन

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*बब्बर, श्री राज

बनर्जी कुमारी ममता

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगोरा, श्री ताराचन्द्र

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भोंसले, श्री उदयनराजे

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महाराज, श्री सतपाल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणव

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री अंजनकुमार एम.

यादव, श्री ओम प्रकाश

यास्खी, श्री मधु गौड

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राणे, श्री निलेश नारायण

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के. एस.

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

विजयन, श्री ए.के.एस.

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अद्‌गुरू एच.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. *उर्फ* जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंह, कुंवर आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री उमाशंकर

*सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री रतन

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हरि, श्री सब्बम

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी.

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

विपक्ष में

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अडसुल, श्री आनंदराव

अनंत कुमार, श्री

अर्गल, श्री अशोक

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

अहीर, श्री हंसराज गं.

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

उदासी, श्री शिवकुमार

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटील, श्री नलिन कुमार

करुणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमारी, श्रीमती पुतुल

खैरे, श्री चंद्रकांत

गणेशमूर्ति, श्री ए.

*गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्री भूदेव

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

*जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव

जयसवाल, डॉ. संजय

जावले, श्री हरिभाऊ

जिगजिणगी, श्री रमेश

जूदेव, श्री दिलीप सिंह

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

टन्डन, श्री लालजी

टुडु, श्री लक्ष्मण

टोप्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डेका, श्री रमेन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तरई, श्री बिभू प्रसाद

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दास, श्री खगेन

दास, श्री राम सुन्दर

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देशमुख, श्री के.डी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटले, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री वैजयंत

पांडा, श्री प्रबोध

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पोटाई, श्री सोहन

बासवराज, श्री जी.एस.

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बिजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेसरा, श्री देवीधन

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भैया, श्री शिवराव

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महापात्र श्री सिद्धांत

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल

मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुंडा, श्री कड़िया

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मोहन, श्री पी.सी.

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री रमाकांत

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री राजेंद्रसिंह

राम, श्री पूर्णमासी

रामशंकर, प्रो.

राय, श्री अर्जुन

*राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लागुरी, श्री यशवंत

बसावा, श्री मनसुखभाई डी.

बाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

बानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

शर्मा, श्री जगदीश

शांता, श्रीमती जे.

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शिवासामी, श्री सी.

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेट्टी, श्री राजू

सत्पथी, श्री तथागत

सम्मत, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री जसवंत

सिंह श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन *उर्फ* ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिन्हा, श्री यशवंत

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सुगुमार, श्री के.

सुशांत, डॉ. राजन

सेम्मलई, श्री एस.

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हजारी, श्री महेश्वर

*हसन, डॉ. मोनाजिर

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

हेगड़े, श्री अनंत कुमार

भाग नहीं लिया

आचार्य, श्री बसुदेव

नटराजन, श्री पी.आर.

*ओवेसी, श्री असादूद्दीन

अध्यक्ष महोदया: शुद्धी के अध्यधीन** मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा:-

पक्ष में:	242
विपक्ष में:	175
भाग नहीं लिया:	3

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया/शुद्धि की।

पक्ष में 242 + सर्वश्री सुल्तान अहमद, राजबब्बर, पी. चिदम्बरम, भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर, डॉ. निर्मल खत्री, देवेन्द्र नागपाल, एन. धरम सिंह, श्रीमती कृष्णा तीरथ=250

विपक्ष में=175 + श्री. श्री पी.सी. गद्दीगौदर, श्रीमती दर्शन जरदोश, श्री रूद्रमाधव राय=178

भाग नहीं लिया 3 + श्री असादूद्दीन ओवेसी=4-श्री रुद्रमाधवराव=3

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: पहले दीर्घाएं पहले हरी खाली करा दी गई हैं। अब मैं खंड 1, यथा संशोधित, को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, शोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 9 **रात्रि 11.34 बजे**

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजहरुद्दीन, मोहम्मद

अधिकारी, श्री शिशिर

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अलागिरी, श्री एम.के.

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

आधि शंकर, श्री

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

इस्लाम, शेख नूरूल

ईरींग, श्री निनोंग

एंटोनी, श्री एंटो

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह

ओला श्री शीशराम

कटारिया, श्री लालचन्द

कमलनाथ, श्री

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी

कुमार, श्री अजय

कुमार, श्री रमेश

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

के.पी., श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महोदव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान, श्री संजय सिंह

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जयाप्रदा, श्रीमती

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टम्टा, श्री प्रदीप

टैगोर, श्री मानिक

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

*तीरथ, श्रीमती कृष्णा

त्रिवेदी, श्री दिनेश

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री भक्त चरण

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवरा, श्री मिलिन्द

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नकवी, श्री जफर अली

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नहर, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नागपाल, श्री देवेन्द्र

नायक, श्री पी. बलराम

नारायणसामी, श्री वी.

निरुपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रसाद, श्री जितिन

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगोरा, श्री ताराचन्द

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भोंसले, श्री उदयनराजे

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणव

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री अंजनकुमार एम.

यादव, श्री ओम प्रकाश

यास्खी, श्री मधु गौड

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राणे, श्री निलेश नारायण

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के.एस.

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वासनिक, श्री मुकुल

*विजयन, श्री ए.के.एस.

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथ, श्री अद्गुरू एच.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. *उर्फ* जे.के. रितीश

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री रतन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हरि, श्री सब्बम

हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

विपक्ष में

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अडसुल, श्री आनंदराव

अनंत कुमार, श्री

अर्गल, श्री अशोक

अहीर, श्री हंसराज गं.

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आनंदन, श्री एम.

उदासी, श्री शिवकुमार

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटील, श्री नलिन कुमार

करुणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमारी, श्रीमती पुतुल

खैरे, श्री चंद्रकांत

गणेशमूर्ति, श्री ए.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्री भूदेव

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव

जयसवाल, डॉ. संजय

आवले, श्री हरिभाऊ

जिगजिणगी, श्री रमेश

जूदेव, श्री दिलीप सिंह

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

टन्डन, श्री लालजी

टुडु, श्री लक्ष्मण

टोप्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

डेका, श्री रमेन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तरई, श्री बिभू प्रसाद

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

दास, श्री खगेन

दास, श्री राम सुन्दर

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देशमुख, श्री के.डी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

नटराजन, श्री पी.आर.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री वैजयंत

पांडा, श्री प्रबोध

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटिल, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पोटाई, श्री सोहन

बासवराज, श्री जी.एस.

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिजू, श्री पी.के.

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेसरा, श्री देवीधन

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भैया, श्री शिवराज

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार

मणियन, श्री ओ.एस.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महापात्र, श्री सिद्धांत

मांझी, श्री हरि

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मुंडे, श्री गोपीनाथ

मुंडा, श्री कड़िया

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मोहन, श्री पी.सी.

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री रमाकांत

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राठवा, श्री राम सिंह

राणा, श्री राजेंद्र सिंह

राम, श्री पूर्णमासी

रामशंकर प्रो.

राय, श्री अर्जुन

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री नामा नागेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लागुरी, श्री यशवंत

बसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

शर्मा, श्री जगदीश

शांता, श्रीमती जे.

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शिवासामी, श्री सी.

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेट्टी, श्री राजू

सत्पथी, श्री तथागत

सम्मत, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री जसवंत

सिंह श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिन्हा, श्री यशवंत

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सुगुमार, श्री के.

सुशांत, डॉ. राजन

सेम्मलई, श्री एस.

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हजारी, श्री महेश्वर

हसन, डॉ. मोनाजिर

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

हेगड़े, श्री अनंत कुमार

भाग नहीं लिया

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

अध्यक्ष महोदया: शुद्धि के अध्यधीन* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:-

पक्ष में:	250
विपक्ष में:	180
भाग नहीं लिया:	1

प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई के अन्यून बहुमत से पारित नहीं हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदया: चूंकि विधेयक के सभी खंड अस्वीकृत हो गए हैं इसलिए विधेयक को पारित कराना निष्फल हो गया है।

इसलिए, अब हम अगले मद पर चर्चा करेंगे।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान पर्ची के माध्यम से किया।

पक्ष में 250 + श्रीमती कृष्णा तीरथ, श्री ए.के.एस. विजयन=252

श्री वी. नारायणसामी: महोदया, इससे पहले मैं यह कहूं कि यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है यह विधेयक पारित नहीं हो पाया है। हम लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहते थे...*(व्यवधान)*

मैं यह बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करवाना चाहता हूं कि भाजपा द्वारा एक षड्यंत्र था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप भी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: एक मिनट, दीर्घाएं खोल दी जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: संविधान (संशोधन) विधेयक को लाने का पूरा उद्देश्य लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देकर लोकपाल और लोकायुक्त संस्था को सुदृढ़ करना था परंतु सभा ने विशेषकर प्रतिपक्षी दल मूलतः भारतीय जनता पार्टी ने अपने विवेक से यह निर्णय लिया है कि वह लोकपाल को संवैधानिक दर्जा नहीं देगी, इसलिए यह विधेयक वापस हो गया है...*(व्यवधान)* हमारे पास अपेक्षित बहुमत नहीं था। सभी को यह पता है कि हमारे पास साधारण बहुमत है। यह दुखद दिन है कि लोकसभा ने लोकपाल और लोकायुक्तों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। इस उद्देश्य को विफल करने के लिए वे एकजुट हुए और उन्होंने यह जानते हुए इस प्रयास को विफल कर दिया कि इस सभा में हमारे पास दो तिहाई बहुमत नहीं है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसलिए, उन्होंने इसका फायदा उठाया है। यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। यह संविधान की संस्थागत संरचना के लिए दुखद दिन है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

रात्रि 11.41 बजे

लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 19

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आइटम नंबर 19 लेना है। बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: दिलीप गांधी, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: दूसरा बिल भी कराना है। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिए। इतने वरिष्ठ हैं, फिर भी आप खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: संजय, आप बैठिए। फिर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सुरेश आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आप खड़े क्यों हो रहे हो?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, मैं मद संख्या 19 पर जा रही हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अभी आइटम नंबर 19 लेना है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। हमारे पास एक और विधेयक बचा है। अतः, थोड़ा धैर्य रखें। अब, हम मद सं. 19 लोक हित प्रकटन और प्रकरण करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक पर चर्चा करेंगे।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्न यह है:

"कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा विवेकाधिकार के जानबूझकर दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कारित कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: इस पर चर्चा नहीं हुई। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: तीनों पर एक साथ चर्चा हुई है।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: इस पर कहां चर्चा हुई है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: तीनों पर एक साथ चर्चा हुई है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री वी. नारायणसामी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010 की सरकारी संशोधन

संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 1क

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 10 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,-

"1क. इस अधिनियम के उपबंध भारत के सशस्त्र बल को, जो विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 के अधीन गठित विशेष संरक्षा ग्रुप है, लागू नहीं होंगे।"।	1988 का 34 (3)	इस अधिनियम के उपबंधों का विशेष संरक्षा ग्रुप को लागू न होना।

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि क्या खंड 1क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 1क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 2

परिभाषाएं

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 4 से पंक्ति 11 **के स्थान पर**, रखें,-

'(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) संघ के मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य के संबंध में, प्रधानमंत्री;

(ii) मंत्री से भिन्न संसद् के किसी सदस्य के संबंध में, यथास्थिति, यदि ऐसा सदस्य राज्य सभा का सदस्य है तो राज्य सभा का सभापति या यदि ऐसा सदस्य लोक सभा का सदस्य है तो लोक सभा का अध्यक्ष;

(iii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य के संबंध में, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का मुख्यमंत्री;

(iv) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी मंत्री से भिन्न, उस विधान परिषद् या विधानसभा के किसी सदस्य के संबंध में, यथास्थिति, यदि ऐसा सदस्य विधान परिषद् का सदस्य है तो विधान परिषद् का सभापति या यदि ऐसा सदस्य विधान सभा का सदस्य है तो विधान सभा का अध्यक्ष;

(v) निम्नलिखित के संबंध में उच्च न्यायालय,-

(अ) किसी न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के सिवाय), जिसके अंतर्गत स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के किसी सदस्य के रूप में न्यायनिर्णायक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया कोई व्यक्ति भी है; या

(आ) न्याय के प्रशासन से संबंधित किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत उस न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई परिसमापक, रिसीवर या कमीशनर भी है; या

(इ) किसी मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसे कोई वाद या विषय किसी न्यायालय द्वारा या सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है;

(vi) निम्निलिखित के संबंध में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग या कोई अन्य प्राधिकरण, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे-

[अध्यक्ष महोदया]

(अ) केन्द्रीय सरकार की सेवा या वेतन में या किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए फीस या कमीशन के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा पारिश्रमिक पर या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकारी या
1956 का 1 किसी निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या किसी निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में किसी व्यक्ति (मंत्रियों, संसद सदस्यों और संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों या व्यक्तियों के सिवाय); या

(आ) ऐसे किसी व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे निर्वाचक नामावली तैयार, प्रकाशित, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने या संसद् या राज्य विधान-मंडल के निर्वाचनों के संबंध में किसी निर्वाचन या किसी निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त किया गया है; या

(इ) ऐसे किसी व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है या उससे अपेक्षा की गई है (मंत्रियों और संसद् सदस्यों के सिवाय); या

(ई) ऐसे किसी व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार से या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही या प्राप्त करने वाली कृषि, उद्योग, व्यवसाय या बैंककारी में लगी किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी का या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या किसी सरकारी कंपनी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है; या

(उ) ऐसे किसी व्यक्ति, जो किसी केन्द्रीय सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे जो भी नाम हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी है या ऐसे आयोग या बोर्ड द्वारा उस आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन या कोई चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है; या

(ऊ) ऐसे किसी व्यक्ति, जो किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या उसके नियंत्रणाधीन या वित्तपोषित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या उसके शासी निकाय सदस्य, आचार्य का सहयुक्त आचार्य, सहायक आचार्य, रीडर, वक्ता या कोई अन्य अध्यापक या कर्मचारी, चाहे जो भी पदनाम हो, है या ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसकी सेवाओं का ऐसे विश्वविद्यालय या किसी ऐसे लोक प्राधिकरण द्वारा परीक्षाएं कराने या संचालित करने के संबंध में उपभोग किया गया है; या

(ए) ऐसे किसी व्यक्ति, जो ऐसी किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्था को कोई पदधारी या कर्मचारी है या जिसे किसी भी रीति में स्थापित किया गया है, जो केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकरण से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या जिसने प्राप्त की है;

(viii) निम्नलिखित के संबंध में, राज्य सतर्कता आयोग, यदि कोई है, या राज्य सरकार का कोई अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन इस निमित विनिर्दिष्ट करे -

(अ) ऐसे किसी व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार की

सेवा या वेतन में या किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए फीस या कमीशन के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा पारिश्रमिक पर प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या राज्य
1956 का 1 सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या किसी निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में किसी व्यक्ति (मंत्रियों, राज्य की विधान परिषद् या विधान सभा के सदस्यों के सिवाय); या

(आ) ऐसे किसी व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे निर्वाचक नामावली तैयार, प्रकाशित, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने या राज्य में पंचायत या पंचायतों या अन्य स्थानीय निकाय के संबंध में किसी निर्वाचन या किसी निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त किया गया है; या

(इ) ऐसे किसी व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे राज्य सरकार के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है या उससे अपेक्षा की गई है (मंत्रियों और राज्य की विधान परिषद् या विधान सभा के सदस्यों के सिवाय); या

(ई) ऐसे किसी व्यक्ति, जो राज्य सरकार से या किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही या प्राप्त करने वाली कृषि, उद्योग, व्यवसाय या बैंककारी में लगी किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी का या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या किसी सरकारी कंपनी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है; या

(उ) ऐसे किसी व्यक्ति, जो किसी राज्य सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे जो भी नाम हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी है या ऐसे आयोग या बोर्ड द्वारा उस आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन या कोई चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है; या

(ऊ) ऐसे किसी व्यक्ति, जो किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या उसके नियंत्रणाधीन या वित्तपोषित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या उसके शासी निकाय का सदस्य, आचार्य, सहयुक्त आचार्य, सहायक आचार्य, रीडर, वक्ता या कोई अन्य अध्यापक या कर्मचारी, चाहे जो भी पदनाम हो, है या ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसकी सेवाओं का ऐसे विश्वविद्यालय या किसी ऐसे लोक प्राधिकरण द्वारा परीक्षाएं कराने या संचालित करने के संबंध में उपयोग किया गया है; या

(ए) ऐसे किसी व्यक्ति, जो ऐसी किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्था का कोई पदधारी या कर्मचारी है या जिसे किसी भी रीति में स्थापित किया गया है, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकरण से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या जिसने प्राप्त की है;

(viii) संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों या व्यक्तियों के संबंध में, ऐसा कोई प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी, जिसकी उनके संबंध में अधिकारिता है, जिसे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;"। (4)

[अध्यक्ष महोदया]

पृष्ठ 2, पंक्ति 17 से पंक्ति 19 **के स्थान पर** रखें,-

"(ii) जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग या जानबूझकर विवेकाधिकार के दुरुपयोग के संबंध में, जिसके कारण सरकार को प्रमाणित हानि होती है या लोक सेवक या किसी तृतीय पक्षकार को प्रमाणित अभिलाभ उद्भूत होता है, कोई शिकायत अभिप्रेत है;"। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 34 से पंक्ति 38 तथा पृष्ठ 3, पंक्ति 1 से पंक्ति 4 **के स्थान पर** रखें,-

'(झ) "लोक सेवक" का वही अर्थ होगा, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) में उसका है, किंतु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नहीं होगा;'। (6) 1988 का 49

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने?"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 11 से पंक्ति 26 **के स्थान पर** रखें,-

लोकहित प्रकटन की आवश्यकता 1923 का 19

"3. (1) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई लोक सेवक या किसी गैर-सरकारी संगठन सहित कोई अन्य व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई लोकहित प्रकटन कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी प्रकटन को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक हित प्रकटन माना जाएगा और उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा तथा प्रकटन करने वाली शिकायत को सक्षम प्राधिकारी की ओर से ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्राप्त किया जाएगा।"। (7)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

लोक हित प्रकटन की प्राप्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां और कार्य

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 11, "ऐसी रीति" **के पश्चात्** "और ऐसे समय के भीतर" से **अंत:स्थापित** करे। (8)

पृष्ठ 4. पंक्ति 22, "लोक सेवक की पहचान" **के स्थान पर**, "शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान" रखें। (9)

पृष्ठ 4, पंक्ति 22 से 24, "सक्षम प्राधिकारी, संगठन या प्राधिकरण...प्रकट कर सकेगा" के स्थान पर, "सक्षम प्राधिकारी, शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पूर्व लिखित सहमति से संगठन या प्राधिकरण या बोर्ड या संबंधित निगम या संबंधित कार्यालय के विभागाध्यक्ष को ऐसे शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान उक्त प्रयोजन के लिए प्रकट कर सकेगा।" रखें। (10)

पृष्ठ 4, पंक्ति 24 के पश्चात्, **अंत:स्थापित** करें,-

"परंतु यह और कि यदि शिकायतकर्ता या लोक सेवक विभागाध्यक्ष को अपना नाम प्रकट किए जाने से सहमत नही होता है तो उस मामले में, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या लोक सेवक अपनी शिकायत के समर्थन में सभी दस्तावेजी साक्ष्य सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा।"। (11)

पृष्ठ 5, पंक्ति 3 **के पश्चात्, अंत:स्थापित** करें,-

"(8). लोक अधिकारी, जिसे उपधारा (7) के अधीन कोई सिफारिश की जाती है, उस सिफारिश की प्राप्ति के तीन मास के भीतर या तीन मास से अनधिक की ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध पर अनुज्ञात करे, उस सिफारिश पर कोई निर्णय लेगा:

परंतु यदि लोक प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश से सहमत नहीं होता है तो वह ऐसी असहमति के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(9) सक्षम प्राधिकारी कोई जांच करने के पश्चात्, शिकायतकर्ता या लोक सेवक को शिकायत पर की गई कार्रवाई और उसके अंतिम निष्कर्ष के बारे में सूचित करेगा:

परंतु ऐसे किसी मामले में, जहां सक्षम प्राधिकारी जांच करने के पश्चात् मामले को बंद करने का विनिश्चय करता है, वहां वह मामले को बंद करने का आदेश पारित करने से पूर्व, यदि शिकायतकर्ता ऐसी वांछा करे तो शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।"। (12)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मामलों की जांच न किया जाना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 14, "पांच वर्ष" **के स्थान पर** "सात वर्ष" रखें। (13)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 9

सक्षम प्राधिकारी द्वारा कतिपय मामलों में पुलिस अधिकारियों इत्यादि की सहायता लेना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 35, "विनिर्दिष्ट" **के स्थान पर,** "विहित" रखें। (14)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10

उत्पीड़न से सुरक्षोपाय

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 5, **के पश्चात्, अंत:स्थापित** करें,-

"परंतु सक्षम प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी या लोक सेवक को कोई ऐसा निदेश देने से पूर्व, शिकायतकर्ता और यथास्थिति, लोक प्राधिकारी या लोक सेवक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा:

परंतु यह और कि ऐसी किसी सुनवाई में यह साबित करने का भार लोक प्राधिकारी पर होगा कि लोक सेवक की ओर से अभिकथित कार्रवाई दोषारोपण नहीं है।"। (15)

[अध्यक्ष महोदया]

पृष्ठ 7, पंक्ति 10 **के पश्चात्, अंत:स्थापित** करें,-

"(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के निदेश का जानबूझकर अनुपालन नहीं करता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो तीस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।"। (16)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 14

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 27 से पंक्ति 33 **के स्थान पर** रखें,-

अपूर्ण या गलत या भ्रामक टिप्पणियां या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट देने के लिए शास्ति।

"14. जहां सक्षम प्राधिकारी की, संबंधित संगठन या पदधारियों द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत पर रिपोर्ट या स्पष्टीकरण या धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की परीक्षा करते समय, यह राय है कि संगठन या संबंधित पदधारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या दुर्भावनावश रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इंकार किया है या जानबूझकर अपूर्ण, अशुद्ध या भ्रामक या मिथ्या रिपोर्ट दी है या ऐसे अभिलेख या सूचना को नष्ट किया है, जो प्रकटन की विषय-वस्तु थी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी रीति में बाधा पहुंचाई है, तो वह,-

(क) जहां संगठन या संबंधित पदधारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या दुर्भावनावश रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इंकार किया है वहां ऐसी शास्ति अधिरोपित करेगा, जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपए तक की हो सकेगी, फिर भी, ऐसी शास्ति की कुल रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी;

(ख) जहां संगठन या संबंधित पदधारी ने, जानबूझकर अपूर्ण, अशुद्ध या भ्रामक या मिथ्या रिपोर्ट दी है या ऐसे अभिलेख या सूचना को नष्ट किया है, जो प्रकटन की विषय-वस्तु थी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी रीति में बाधा पहुंचाई है, वहां ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी:"। (17)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 19

अपील उच्च न्यायालय

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 25, "धारा 15" **के पश्चात्** "या धारा 16" **अंत:स्थापित** करें। (18)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 24

केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 9, पंक्ति 19, "वह रीति, जिसमें" **के पश्चात्** "और वह समय, जिसके भीतर" **अंत:स्थापित** करें। (19)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, और पंक्ति 5 **के स्थान पर,** रखें,-

"1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 है।" (2)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "इकसठवें वर्ष" **के स्थान पर,** "बासठवें वर्ष" रखें। (1)

(श्री वी. नारायणसामी)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदया: मंत्रीजी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री वी. नारायणसामी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, चूंकि विधेयक में एक नया खंड 18 जोड़ा गया हैं इसलिए इसकी पुन: संख्या खंड 2 के रूप में की जाए और बाद के खंडों का भी क्रमांकन तदनुसार किया जाए।

लोकसभा कल दिनांक 28 दिसंबर, 2011 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 11.55 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 28 दिसंबर, 2011/ 7 पौष, 1933 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।